भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2000 को समाप्त वर्ष के लिए

आयुध सेवाओं में भंडार सूची प्रबंधन की पुनरीक्षा

22 दिसम्बर DEC 2000 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया
22 दिसम्बर DEC 2000 को राज्य सभा में रखा गया

संघ सरकार (रक्षा सेवाएं)
2000 की संख्या 7 ए

विषय - सूची

क्रम संख्या	अध्याय	पृष्ठ संख्या
i)	*प्राक्कथन*	iii
ii)	*कार्यपालिका हेतु सार*	vii
iii)	*ग्राफों की सूची*	xv
iv)	*संलग्नकों की सूची*	xvii
v)	*सारणियों की सूची*	xix
vi)	*संकेताक्षरों की सूची*	xxv
vii)	*अर्थ शब्दावली*	xxxiii
1	प्रस्तावना	1
2	प्रावधान	13
3	बहुश्रेणीय प्रणाली (आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन)	42
4	मानक	56
5	बजट तथा अधिप्राप्ति	70
6	मानव संसाधन प्रबंधन	97
7	भंडार सूची का मूल्याँकन	106
8	कम्प्यूटरीकरण	110
9	भंडार जाँच-पड़ताल	119
10	प्रयोक्ता संतुष्टि	127
11	उत्पन्न मरम्मतें	140
12	मानकीकरण	148
13	असंतुलित भंडार सूची	152
14	अधिशेष प्रबंधन (निपटान)	160

प्राक्कथन

सामग्री सैन्य क्षमता का एक मुख्य घटक है । उनकी वाँछित स्थान और समय पर उपलब्धता थलसेना की प्रथम अनिवार्यता है । वर्तमान में लगभग सम्पूर्ण सामग्री भण्डार सूची की अधिप्राप्ति, भंडारण एवं वितरण एक बहुसोपानीय आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से किया जाता है जो लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के डिजाइन की है ।

वर्तमान प्रणाली को लागू करने के समय से अब तक राष्ट्रीय औद्योगिक आधार की प्रकृति,क्षमताओं और धारिताओं में तथा आधारभूत संरचना में बहुत विकास हुआ है । प्रोद्योगिकी सूचना क्रान्ति के आगमन ने विश्वभर में रक्षा बलों द्वारा अपनाई गई अधिप्राप्ति और वितरण की कार्यप्रणाली को पूर्णतया बदल दिया है परन्तु थलसेना में प्रचलित दैनिक कार्यप्रणाली में बहुत कम परिवर्तन हुआ है । भण्डार सूची में वृहद निवेश के बावजूद, प्रणाली प्रयोक्ता की संतुष्टि के वाँछित स्तर को प्रदत्त करने में अक्षम प्रतीत होती है । इसकी प्रतिक्रिया की गति और लागत प्रभावशालिता की जाँच नहीं की गई है।

वर्तमान स्थिति को रेखांकित करने के कारणों की पहचान करने और सुधारात्मक उपाय सुझाने के दृष्टिगत भण्डार प्रबन्धन नीतियों, पद्धतियों और प्रक्रियाओं का मेरे विभाग ने, विफलताओं की पहचान करने और रिपोर्ट करने की लेखापरीक्षा की स्थापित अपनी कार्यशैली में एक महत्वपूर्ण विचलन करके, एक विशेष विस्तृत प्रणाली पुनरीक्षा की है जिसमें थलसेना ने पूर्णतया सम्मिलित होकर अपना पूरा सहयोग दिया है । इसमें भण्डार सूची प्रबन्धन के अनेक क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है । यद्यपि वर्तमान में हमने टैंकों, बन्दूकों, राडारों या गोला बारूद जैसे पूंजीगत उपस्करों को इनकी विशेष प्रकृति के कारण सम्मिलित नहीं किया है । हमने डिपुओं के स्थान परिवर्तन पक्ष को भी नहीं छुआ है जिनका एक पुराना इतिहास है और उनको पुनः स्थापित करने में सामाजिक और मानवीय समस्याऐं आएंगी । तथापि सम्पूर्ण प्रणाली को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए उनके अलग से अध्ययन की आवश्यकता है ।

अध्ययन के आधार पर हमने कुछ संस्तुतियाँ की हैं । उनमें जो मुख्य हैं, वे निम्नलिखित आवश्यकताओं से सम्बंधित हैं-

(क) चालू कम्प्यूटरीकरण परियोजना को तीव्र करने की
(ख) अतिरिक्त पुर्जों के प्रावधान से सम्बंधित मानकों में संशोधन करने की
(ग) आपूर्ति श्रंखला के पुनर्गठन की
(घ) अधिप्राप्ति से सम्बंधित आन्तरिक और बाह्य दोनों प्रकार के लीड-समय कम करने की
(ड.) श्रम शक्ति और प्रशिक्षण भर्ती स्तरों में सुधार करने की
(च) उपस्कर के मानकीकरण की

यद्यपि रक्षा मंत्रालय और थलसेना मुख्यालय ने अध्ययन प्रतिवेदन में दी गई अधिकांश संस्तुतियों से सहमति प्रकट की है किन्तु इस प्रयास का उद्देश्य इसे एक समयबद्ध तरीके से लागू करने पर ही प्राप्त होगा । हम आशा करते हैं कि यदि इन पर सही रूप में ध्यान दिया जाता है तो निम्नलिखित क्षेत्रों में लाभ होगाः-

(क) मितव्ययिता के उद्देश्य से चयनात्मक प्रबंधन हेतु भंडारसूची का वर्गीकरण
(ख) अधिप्राप्ति लीड-समय में कमी करना और परिणामतः भंडारसूची में कम निवेश के साथ-साथ भंडारसूची की धारण लागत में कमी
(ग) प्रावधान के लिए यथार्थ मानक अपनाकर भंडारण आधिक्य से बचना
(घ) प्रयोक्ता की संतुष्टि के उच्च स्तरों को बनाये रखने और अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए आपूर्ति श्रंखला के सोपानों में कमी करना
(ड) भंडार की दृश्यता में वृद्धि करके प्रणाली मे लागत प्रभावशालिता लाना
(च) भंडारसूची नियंत्रण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए मानकीकरण और युक्तिकरण
(छ) अवरूद्ध निधियों के मोचन हेतु आधिक्य भंडारों का निपटान

मैं प्रणाली में सुधार करने और राष्ट्र के लिए धन का मूल्य सुनिश्चित करने के हित में मंत्रालय और थलसेना दोनों के द्वारा अध्ययन प्रतिवेदन की संस्तुतियों को लागू करने की अनुशंसा करता हूँ ।

प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है ।

विजय शुंगलू

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

कार्यपालिका हेतु सार

प्रस्तावना

सेना में वर्तमान में प्रचलन में भंडारण सूची प्रबंधन नीतियां, पद्धति और प्रक्रिया द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभवों की अनिवार्यता पर स्थापित है । यद्यपि इन्हें बदली परिस्थितियों के लिए समय-समय पर संशोधित और अनुकूलित किया गया परन्तु सामग्री प्रबंधन के क्षेत्र में आधुनिक पद्धतियों के समानान्तर लाने के लिए कोई विस्तृत पुनरीक्षा नहीं की गई ।

वर्तमान में भारत का औद्योगित आधार सुविकसित है तथा अपनी अधिकांश. रक्षा आवश्यकताओं की देश में ही पूर्ति हो रही है । इसी प्रकार से सैन्य तंत्र ढ़ांचे में स्त्रोतों और पुनःपूर्ति की गति को प्रभावित करने वाले बड़े परिवर्तन हुए हैं । इन परिवर्तनों के अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख विकास हुआ है जिसने अधिप्राप्ति एवं वितरण प्रक्रिया को अधिक आसान व गतिमान बना दिया ।

इन मौलिक परिवर्तनों के प्रकाश में बहुस्तरीय वितरण प्रणाली में धारित वृहद् भंडार के लिए औचित्य तथा जिसमें प्रचुर लोक निधियों का निवेश सन्निहित है, की पुनःजांच की आवश्यकता है तथा 'धन का मूल्य' सुनिश्चित करने के लिए प्रयोक्ता संतुष्टि और संसाधन उपयोग दोनों के संदर्भ में समुचित लाभ सुनिश्चित करते हुए अंततः प्रणाली प्रभावशालिता में योगदान करने की आवश्यकता है ।

सेना की हर समय उच्च स्तर की युद्ध तैयारियों की अनिवार्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह जांचने के लिए कि वर्तमान भंडारण सूची प्रबंधन नीतियाँ, पद्धतियाँ और प्रक्रियाएं समकालीन और लागत प्रभावी हैं, एक विशेष लेखापरीक्षा पुनरीक्षा की गई ।
अध्ययन के परिणाम, सिफारिशों और निष्कर्षों को संक्षिप्त में नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा के परिणाम

1. अधिकांश केन्द्रीय आयुध डिपुओं में अनिवार्य प्रावधान से संबंधित दस्तावेज या तो अधूरे थे या अद्यतन् नहीं किए गए थे अथवा दोनों ही प्रकार के थे । बल स्तरों पर महत्वपूर्ण आदान देने वाले निर्देशों तथा उपस्कर नितियों को जारी करने में प्रायः लम्बे समय तक देरी हुई थी । प्रावधान प्रक्रिया में ऐसी घटनाऐं भी थीं जिनमें या तो बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की गई या तर्क संगत रूप से पूर्ण नहीं की गई थी । प्रणाली में चयनात्मकता की कमी के कारण भंडारण सूची की

सभी मदों पर लागत, महत्ता और उपलब्धता की आसानी का भेद किये बिना समान व्यवहार किया जाता था । कुछ लेन-देनों के लेखापरीक्षा विश्लेषण में गलत आदान के कारण प्रावधान में 11.31 करोड़ रूपये की अधिक देनदारी, केवल एक डिपू में ओवरहॉल के लिए पांच वर्षों के लिए पुर्जों का प्रावधान करने के कारण अनुमानित 40.15 करोड़ रूपये की भंडारण सूची के अवरूद्ध होने, जिसे परिहार्य किया जा सकता था और स्थापित प्रक्रिया का उल्लंघन करके 180.72 करोड़ रूपये के पुर्जों की अधिप्राप्ति का पता लगा । परीक्षणों के दो दशकों के बाद भी आयुध सेवाएं इस विशाल गणनीय कार्य को पूरी तरह स्वचालित नहीं बना पाईं।

2. आपूर्ति श्रृंखला जो स्वतन्त्रता पूर्व डिजाईन की थी, सैन्य दलों की आवश्यकताओं के प्रति धीमी थी । इसने बड़ी मात्रा में भंडार सूचियों को भी अवरूद्ध कर दिया था जिनके प्रणाली के स्तर पर अदृश्य होने के परिणामस्वरूप अधिक प्रावधान हुआ । लगभग सभी मदों की केन्द्रीय रूप से अधिप्राप्ति और फिर उन्हीं स्त्रोतों के माध्यम से उनके वितरण के साथ यह श्रृंखला बहुत कठोर और अचयनात्मक थी । इसमें देश के अधिकांश भागों में आम नागरिक उपयोग की बड़ी मात्रा में भंडारण सूची मदों की उपलब्धता पर ध्यान नहीं दिया गया ।

3. प्रारम्भिक भंडारण दिशा निर्देशों (आई.एस.जी.) को जारी करने में 11 वर्ष तक की महत्वपूर्ण देरी हुई थी । मानकों में प्रदत्त अतिरिक्त पुर्जों की वैद्यता की तुलना में वास्तविक खपत से पता लगा कि मानक 25 से लेकर 1000 से ऊपर प्रतिशत तक की विभिन्न सीमा में हमेशा उच्च थे । आई.सी.वी. और राडार 'बी' के पुर्जों के कुछ भंडार अनिश्चित समय तक समाप्त होने वाले थे । यद्यपि मानक वित्तीय प्रभाव डालने वाले थे किन्तु वर्तमान प्रणाली में उनकी वित्तीय अनुमति प्रदान करने अर्थात् मंत्रालय द्वारा जांच और रक्षा मंत्रालय (वित्त) द्वारा वित्तीय सहमति देने का प्रावधान नहीं था ।

4. बजट और भंडारसूची नियंत्रण के लिए वर्तमान व्यवस्थाएं अपर्याप्त एवं अधिक या कम प्रावधान के खतरों से परिपूर्ण थीं । सेना मुख्यालय स्तर पर सिविल उद्योगों की बड़ी भागीदारी के लिए ठेकेदार पंजीकरण की कोई प्रणाली नहीं थी। कुछ मामलों में डिपुओं ने दो माह के अनुमत लीड़ समय के प्रति तीन वर्ष का प्रशासनिक लीड़ समय लिया । 42 माह का अनुमत अंतरिम समय पुराना था और जैसा सभी डिपुओं द्वारा अनुभव किया गया यह बाजार से आपूर्तियों के बढ़ते रूझान को देखते हुए औचित्यपूर्ण नहीं था । रक्षा के डी.जी.ओ.एफ. के अधीन रक्षा उद्योग आधार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की प्रतिक्रिया लाभकारी भुगतान शर्तों का लाभ लेने के बावजूद धीमी थी । एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जैसा कि महानिदेशक आयुध सेवाएं ने नवंबर 1999 में बताया, 102.35 करोड़ रूपये मूल्य के भंडारों की आपूर्ति किया जाना अभी भी

शेष था यद्यपि उसे पूर्व में ही 412.39 करोड़ रूपये अग्रिम का भुगतान कर दिया गया था ।

5. भंडार का रखरखाव करने वाले तथा लिपिकीय स्टाफ की स्थानीय भर्ती की जाती थी जिनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एस.एस.सी. थी । प्रवेश प्रशिक्षण की ढ़ाँचागत व्यवस्थाओं की अनुपस्थिति में कार्य ज्ञान कार्य पर रहते हुए ही प्राप्त किया जाता था। सामग्री प्रबंधन कॉलिज जबलपुर द्वारा दिए गए प्रशिक्षण के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि दो तिहाई असैनिक स्टाफ अपने पूरे सेवा काल में बिना कोई प्रशिक्षण प्राप्त किये सेवा निवृत्त हो जाएंगें । पांचवे वेतन आयोग की सिफारिशें (भर्ती के लिए योग्यता निर्धारित करने वाली) जो समय के साथ स्टाफ की तकनीकी क्षमताओं में सुधार लातीं, स्टाफ के प्रतिरोध के कारण लागू नहीं की जा सकीं ।

6. प्रचलन में प्रचलित भंडार सूची मूल्यांकन प्रक्रिया निर्णय लेने की दृष्टि से अवैज्ञानिक और अविश्वसनीय थी । केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी और सी.ए.एफ.वी.डी. किरकी में यांत्रिक परिवहन भंडार के चयनित नमूनों की लागत के लेखापरीक्षा विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि सितम्बर 1990 में तय किये गये 49040 रूपये प्रति टन के प्रति सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी में 9.71 लाख रूपये और सी.ए.एफ.वी.डी. किरकी में 48.88 लाख रूपये की वास्तविक लागत बहुत उच्च थी । वर्तमान मुल्यांकन, ए.बी.सी./वी.ई.डी. विश्लेषण जैसी चयनित भंडार सूची नियंत्रण तकनीकें अपनाने में सहायता नहीं करते जो उचित निर्णय लेने के लिए आवश्यक थी ।

7. सेना द्वारा इसकी भंडार सूची के कम्प्यूटरीकरण के लिए प्रारंभिक प्रयास बहुत पहले छटे दशक के अंत में किये गये थे । तथापि इनको कार्यान्वित करना असतत् और विखण्डित हो गया था । डिपुओं के पास रखे व्यक्तिगत कम्प्यूटर कुछ आंतरिक प्रतिवेदन बनाने के लिए प्रयोग किये जा रहे थे । सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी को छोड़कर सभी डिपुओं के अधिकांश क्रियाकलाप उदाहरण के लिए प्रावधान कार्य हाथों से निष्पादित किया जा रहा था । सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी की ए.डी.पी. शाखा द्वारा कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया शुरू करने के दशकों बाद भी कम्प्यूटरीकृत परिणामों की प्रकटतया अधिक प्रावधान से बचने के लिए मानवीय जांच की जाती है जो प्रणाली की अविश्वसनीयता को दर्शाता है । कम्प्यूटरीकरण, कमजोर भंडारण दृश्यता, चयनात्मक भंडार सूची नियंत्रण की कमी, बड़ी मात्रा में मांग पत्रों का निस्सारण और कमजोर उपभोक्ता संतुष्टिकरण जैसी कमियों का पता लगाने में वरदान का कार्य कर सकता था। आयुध सेवाओं को 1994 में संस्वीकृत अपनी कम्प्यूटरीकृत भंडार सूची नियंत्रण परियोजना के माध्यम से अपनी समस्याओं का हल का पता लगाने की उम्मीद थी, जिसका क्रियान्वयन वर्तमान में निर्धारित समय से पीछे चल रहा था ।

8. डिपुओं द्वारा सत्यापित बताई गई भंडार सूची और संबंधित नियंत्रक रक्षा लेखा नियंत्रकों द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षा परिणाम पत्र में दर्शायी गई भंडार सूची में सहमति नहीं थी । परिणामतः डिपू में धारित वास्तविक भंडार स्तर को विश्वसनीय नहीं माना जा सकता था और दिखाई गई भंडार जांच पड़ताल पर विश्वास नहीं किया जा सकता था । प्रतिदिन मदों के सत्यापन की निर्धारित गति को बढ़ाकर भंडार सत्यापन कार्य पूर्ण किया गया था और वर्तमान भंडार सत्यापन दल पर सत्यापन का अधिक भार डालने से इसकी यथार्थता भी प्रभावित हुई थी । इसके अलावा लम्बे समय तक आधिक्य/कमियों जैसी विसंगतियों को दूर नहीं किया गया था । सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी में 14 करोड़ रूपये राशि की कुछ मिलान न की गई विसंगतियों का लगभग दो दशकों से मिलान नहीं किया गया था। सी.ओ.डी. आगरा और सी.ए.एफ.वी.डी. किरकी में 'ग' और 'घ' शस्त्र प्रणाली के पुर्जों की बड़ी मात्रा इनकी प्राप्ति के चार वर्षों के बाद भी अचिन्हित रखी हुई थी । फिर भी डिपुओं ने प्रत्येक वर्ष अपनी भंडार सूची का 100 प्रतिशत भंडार सत्यापन बताना जारी रखा । भंडार सत्यापन के लिए मानव शक्ति की कमी एक आम बहाना था।

9. आयुध सेवाएं उपभोक्ता संतुष्टिकरण स्तर बढ़ाने में सक्षम नहीं थीं और अक्षमता प्रतिशत 12 से 40 प्रतिशत के बीच था । अति आवश्यक और महत्वपूर्ण पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण ओवरहॉल/मरम्मत कार्यक्रम प्रभावित हुये थे । विशिष्टताओं के अनुरूप न होने के कारण भंडारों की अस्वीकृति के मामले अक्सर होने लगे थे । गलत मांगों की छंटनी में कीमती श्रम घंटे बेकार कर दिये गये और 30 से 40 प्रतिशत मांगों का कभी भी पंजीकरण नहीं हुआ था । कुछ मामलों में प्रयोक्ताओं ने भंडारों की प्राप्ति की तीन वर्ष बाद भी उनकी प्राप्ति की पावती नहीं दी थी । मिथ्या देय शीर्षकों की छंटनी के उद्देश्य से अनिवार्य निर्गम देयों की लेखा परीक्षा अधिकांश मामलों में बकाया थी । सी.ओ.डी., सेना मुख्यालय और आश्रित इकाईयों के बीच रीयल टाइम डाटा लिंक की अनुपस्थिति इसमें बाधा डालने वाले तथ्य थे ।

10. केन्द्रीय आयुध डिपुओं के पास 31 मार्च 1999 को निम्न तकनीकी प्रकृति के 7896 टन भार के मरम्मत योग्य भंडार रखे थे, यद्यपि प्रावधानों के अनुसार उन मामलों में जहां इनकी मरम्मत आर..एस..एस.डी./एम.एस.एस.डी. में नहीं की जा सके तो वहां सिविल ठेकों द्वारा इनकी मरम्मत कराई जानी थी । एक डिपु में भंडार सूची की समयोपरि मरम्मत से नये क्रयों पर हुए 17.59 करोड़ रूपये के व्यय से बचा जा सकता था । आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. लागत प्रभावी नहीं थे । सी.ओ.डी. कानपुर के एम.एस.एस.डी. में 307 निष्क्रिय ट्रैड्समैनों के वेतन एवं भत्तों पर प्रतिवर्ष 1.55 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे थे।

11. आयुध भण्डार सूची में सिविल उपयोग की विभिन्न मदों की वडी मात्रा में वृद्वि हो गयी थी जिसकी उद्देश्य पूर्ति के फलस्वरूप मानकीकरण पिछड़ गया था । 189 तरह के 'ख' वाहन और केवल यात्रियों को ढोने के लिए पांच विभिन्न तरह के वाहन थे । 'ख' वाहनों के मानकीकरण के लिए कभी 1971 में प्रस्तावित भविष्य परख नीति एक इतिहास का मामला रह गई थी । 53 से 448 के बीच सहायक पुर्जो के साथ 8 से 10 तरह के जनरेटिंग सैट थे । इसी तरह सैन्य भंण्डार सूची में 72 से 588 के बीच सहायक पुर्जो के साथ 5 से 11 तरह के चार्जिंग सैट थे । वस्त्र मदों में 24 आकार के बूट एंकल , 15 आकार के गोरखा हैट और 15 आकार के ऑलिव ग्रीन रंग की सादी कमीजें सम्मिलित थी

12. यद्यपि डिपुओं में रखी 10 प्रतिशत मदें मांगपरक थी फिर मांग पूर्ति में अक्षमता सी ओ डी जबलपुर में 4.70 प्रतिशत से सी ओडी कानपुर में 35.54 प्रतिशत के बीच बताई गई थी । एक डिपु में वार्षिक औसत निर्गम से 2.79 गुणा से लेकर दूसरे डिपु में 29.28 गुणा भण्डार रखा था । वर्तमान खपत के रूझान के आधार पर कुछ मामलों में धारित भण्डार 100 वर्षो और उसके बाद तक चलेंगे और कुछ दूसरे मामलों में अनिश्चत समय तक चलेंगे । इनमें कुछ मामले सीमित भण्डारण अवधिं के भी सम्मिलित थे । दोषपूर्ण मानक , गलत पूर्वानुमान , प्रावधान पुनरीक्षा में परिहार्य देरी, मांगपत्रों पर कार्रवाई और निपटान कार्य ये समस्या वाले कुछ क्षेत्र थे ।

13. आधिक्य में हुए भण्डारण को चिन्हित करने और उनके निपटान की विद्यमान प्रणाली, समय लेने वाली ऐसी प्रक्रिया से बाधित थी जिसमें विभिन्न स्तरों पर अनेक एजेंसियों की अनुमति सम्मिलित थी । सी.टी.टी. जांच में काफी समय लिया जाता था जो मदों की आंशिक मात्रा के पुनः उपयोग के लिए सिफारिश करती थी । समनुदेशन सूचियों के प्रकाशन के बाद भी निपटान कार्य में देरी हुई थी । जबकि 55.09 करोड रूपये मूल्य की भण्डार सूची का निपटान लम्बित था , 156.4 करोड रूपये मूल्य का प्रयोज्यनीय भण्डार मौसम की मार को झेलते हुए खुले में पडे हुए थे क्योंकि अवांछित भण्डारों ने कीमती आच्छादित स्थान को घेर रखा था ।

14 उपर्युक्त लेखा परीक्षा परिणामों की देखते हुए निम्न सिफारिशों की गई थी।

लेखा परीक्षा संस्तुतियाँ

1. प्रावधान प्रक्रिया का स्वचालन, चयनात्मक भण्डारण सूची नियत्रण तकनीकों को लागू करने और मानव संसाधन मानकों के स्तर में वृद्वि करने के साथ नीति बनाने वाले प्राधिकारियों और संबद्व ऐजेंसियों दोनों से समय पर आगम एक

प्रभावी प्रावधान कार्य के लिए चिन्हित आवश्यकतायें थीं । इन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता थी ।

2. बहु सोपानीय ढांचे में स्तरों को कम करने और क्षेत्रीय व स्थानीय प्रावधान के क्षेत्र में वृद्वि , प्रणाली को एक गतिशीलता का आधार प्रदान करने के अलावा आधुनिक भारतीय सेना की आवश्यताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इसे एक उत्तरदायी व लचीली श्रंखला बनती है ।

3. डी जी क्यू ए आयुध सेवाएं और वित्त की सहायता की वरियता के साथ मानको का समय से प्रकाशन करें । ओवरहॉल पुर्जों के प्रावधान की वर्तमान 5 वर्ष सीमा को तीन वर्ष किया जाय । डी जी ओ एफ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की आपूर्तियों के सम्बन्ध में अन्तरिम अवधि को कम किया जाय ।

4. बजट और भण्डार सूची नियंत्रण की वर्तमान व्यवस्था की पुनरीक्षा की जाय ।

5. सिविल उपयोग के वाहन /उपस्करों की मरम्मत / ओवरहॉल के लिये बाजार से स्रोतों का उपयोग किया जाय । रक्षा भण्डारों की आपूर्ति और देशज उत्पादन में बाजार की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाय ।

6. मानव शक्ति प्रतिमानों को संशोधित करें; रेलवे व डाक विभाग जैसे दूसरे विभागों की तरह भर्ती बोर्ड द्वारा फीडर संवर्गों का चयन करें । अनिवार्य प्रवेश प्रशक्षण लागू करें ।

7. संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा भंण्डार सत्यापन दल द्वारा की गयी भण्डार सत्यापन की कुशलता और यथार्थता की जांच की एक प्रणाली लागू की जाय। चयनात्मक आधार पर भण्डार जांच पडताल उद्देश्य के लिये भण्डार सूची प्रृथक्करण की सम्भाव्यता का पता लगाया जाये ।

8. बड़ी मात्रा में मांगों के निस्सारण को टालने के लिए और प्रयोक्ताओं को समय पर निर्गम के लिए एक उचित प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा भण्डार द्रश्यता में वृद्वि की जाये । डी जी क्यू ए का निरीक्षण प्रयोक्ताओं द्वारा भण्डारों के अस्वीकरण को रोकने के लिये कठोर होना चाहिए

9. भंण्डार सूची की लागत कम करने और उनका अच्छा नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिये वाहनों , सामान्य भण्डार और वस्त्र मदों के मानकीकरण की शुरूआत की जाये / बढ़ाया जाये ।

सूचकों की तुलना में आर एस एस डीस / एम एस डी की लागत प्रभावशालिता का पुन: आंकलन किया जाय और सिविल ठेकों द्वारा मरम्मतों की सम्भाव्यता का पता लगाया जाये ।

11. डिपुओं को "जस्ट इन केस" अभिवृति से बाहर आना चाहिये और अधिशेषों को समय पर घोषित करना चाहिए । सी टी टी जांच के समय को कम किया जाये । निम्न इकाईयों द्वारा भण्डार सूची को वापिस संबंधित सी ओ डी को वापस भेजने की प्रणाली की पुनः जांच की जाये । निपटान कार्य के लिये ,बन्द की जा चुकी विशेष अधिशेष भंण्डार निपटान समिति के सदृश एक स्थायी निकाय बनाने की सम्भाव्यता पर अध्ययन किया जाय । उपस्कर स्तर की घोषणा और समनुदेशन सूची तीव्रता से जारी की जानी चाहिए ।

उपसंहार

ध्यान देने योग्य क्षेत्र जो लेखा परीक्षा के दौरान दृष्टिगोचर हुए :

(क) प्रावधान प्रक्रिया / कार्यों के कम्पयूटीकरण में बार बार भूल -चूक और असाधारण देरी
(ख) मानकों की अतिव्ययी प्रकृति के कारण अधिक भण्डार सूचियां
(ग) पांच वर्षों के लिये ओवरहॉल पुर्जों की अधिक प्राप्ति की अनौचित्यपूर्ण पद्वति
(घ) धीमी आपूर्ति श्रंखला के साथ इसमें अवरूद्ध वृहद भण्डार
(ड) आंतरिक व बाह्य दोनों के अधिक लीड समय
(च) कमजोर गुणवत्ता के मानव संसाधन/असैनिक कार्यबल को को अपर्याप्त प्रशिक्षण
(छ) उपस्करों के मानकीकरण का अभाव
(ज) बढ़ती मरम्मतें , मरम्मतों की अपर्याप्त दर और सिविल उद्योग का इसे कम करने में सम्मिलित नहीं होना
(झ) अधिशेष भण्डारों का विशाल संचय

आयुध सेवाएं और मंत्रालय इस प्रतिवेदन के विभिन्न अध्यायों में बताई गई 68 सिफारिशों में से 51 पर पूरी तरह सहमत थे । यदि इन और शेष सिफारिशों को कार्यान्वित किया जाये तो यह रुग्ण प्रणाली के सुधार में बहुत अधिक सहायक होंगी । लेखा परीक्षा महसूस करता है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में लाभ हो सकता है :

1 चयनात्मक भण्डारण सूची नियंत्रण के लिये भण्डारण सूची का वर्गीकरण
2 अधिप्राप्ति लीड समय में कमी के परिणामस्वरूप भण्डारण की जगह और भण्डार सूची लागत के अतिरिक्त भण्डार सूची पर कम निवेश
3 अधिप्राप्ति के लिये यथार्थपरक मानकों के परिणामस्वरूप अधिक प्रावधान से बचना

3 अधिप्राप्ति के लिये यथार्थपरक मानकों के परिणामस्वरूप अधिक प्रावधान से बचना

4 आपूर्ति श्रंखला में स्तरों को कम करने से यह प्रभावी प्रतिक्रिया देगी और प्रयोक्ता संतुष्टिकरण में वृद्वि करेगी

5 बढ़ी भण्डारण दृश्यता

6 मानकीकरण द्वारा विभिन्नता में कमी

7 अधिशेष भण्डारों का तीव्र निपटान

ग्राफों की सूची

ग्राफ संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी में पी.आर.एफ. की पुनरीक्षा में गिरावट	21
2.	सी.ए.एफ.वी.डी. किरकी में पी.आर.एफ. की पुनरीक्षा में गिरावट	21
3.	संहिताकरण में प्रगति	24
4.	1994-99 के दौरान आयुध भंडारों की अधिप्राप्ति पर बजट प्रावधान और व्यय	72

संलग्नकों की सूची

परिशिष्ट	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
क	बहुआयामी ढ़ांचे के अन्तर्गत सामग्री की आपूर्ति एवं प्रवाह की श्रंखला को दर्शाता हुआ चार्ट	173
ख	थल सेना मुख्यालय में आयुध का संगठन चार्ट	174
ग	केन्द्रीय आयुध डिपू का संगठनात्मक चार्ट	175
घ	सी ओ डी आगरा में प्रावधान पुनरीक्षा का प्रवाह चार्ट - श्रेणी 'ख' भंडार	176
ड.	सी ओ डी दिल्ली छावनी में बढे हुए परिशोधन तत्व के कारण अधिक प्रावधान का एक उदाहरण	178
च	चुनिंदा भंडार सूची नियंत्रण की संकल्पना	180
छ	वर्ष 1994-99 के दोरान डिपुओं द्वारा धारित कुल पी आर एफ से मांग वाली मदों की प्रतिशतता	183
ज	वर्ष 1994-99 के दौरान डिपुओं में भंडार सत्यापन का विवरण	184
ञ	आर एस एस डी / एम एस एस डी द्वारा धारित मरम्मत योग्य और मरम्मत के लिएं उपलब्ध भंडारों का विवरण'	185
ट	डिपुओं द्वारा धारित भंडारों का स्तरीकरण	186
ठ	निपटान किये गये फालतू भंडार और निपटान के लिए शेष भंडार	187
ड	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 1991 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (1992 की संख्या 14) संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) थलसेना कार्यशालाएं के पैराग्राफ 6 का उद्धरण	188
ढ़	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (2000 की संख्या 7) संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) थलसेना और आयुध फैक्टरियाँ के पैराग्राफ 19 का उद्धरण	189

सारणियों की सूची

सारणी संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.1	केन्द्रीय आयुध डिपुओं द्वारा 31 मार्च 1999 को धारित भंडार सूची की प्रकार, संख्या टनभार और मूल्य	6
1.2	पुनरीक्षा का डिपू वार फोकस क्षेत्र	10
2.1	एस पी आर डीज जारी करने में विलम्ब	20
2.2	सी ओ डी दिल्ली छावनी तथा सी ए एफ वी डी किरकी की प्रावधान पुनरीक्षाओं पर एस पी आर डी के देरी से जारी होने के कारण पड़ा प्रभाव	20
2.3	सितंबर 1999 में कूट संहिताकरण में प्रगति	23
2.4	उपस्कर की स्थिति अप्रचलन में अथवा अप्रयुक्त रूप में घोषित होने तथा नियत कार्य सूचियों (ए एल्स) के प्रकाशन के बीच लिया गया समय	25
2.5	सी ओ डी दिल्ली छावनी में 1995-99 के दौरान संसाधित किये जाने हेतु मांग के अन्तर्गत मदों की स्थिति	30
2.6	1995-99 के दौरान सी ओ डी दिल्ली छावनी में स्थगित रखी गयी मांग के अन्तर्गत मदों की प्रतिशतता	30
2.7	वर्ष 1994-99 के दौरान केन्द्रीय आयुध डिपुओं में पुनरीक्षा के अन्तर्गत पता लगी मद धारक मांगों की प्रतिशतता	34
3.1	ओ डी फोर्ट इलाहाबाद, ए बी ओ डी xxx- तथा ए बी ओ डी xxx- की माँगों की पूर्ति के सम्बन्ध में सी ओ डी कानपुर की प्रतिक्रिया	45
3.2	सैन्य अस्पताल तथा एक डी ओ यू की माँगों की पूर्ति के सम्बन्ध में ओ डी इलाहाबाद की प्रतिक्रिया	46
3.3	दो आश्रित यूनिटों की माँग के प्रति एक डी ओ यू की प्रतिक्रिया	46
3.4	पुनरीक्षाधीन डिपो द्वारा प्रयोक्ताओं की माँगों की पूर्ति में विलम्ब	47
3.5	सी ओ डी दिल्ली छावनी द्वारा सामरिक माँगों को पूरा करने में हुआ विलम्ब	47
3.6	सी ओ डी दिल्ली छावनी द्वारा 'आपरेशन' विजय की मांगों को पूर्ण करने में हुआ विलम्ब	48
3.7	सी ओ डी कानपुर द्वारा एक आपरेशन की माँगों को पूरा करने में हुआ विलम्ब	49
4.1	आरम्भिक भंडारण निर्देशिकाओं के प्रकाशन में विलम्ब (आई एस जी)	59
4.2	सी ओ डी आगरा के उत्तरदायित्व की कुछ इलैक्ट्रानिक मदों के प्रवर्तन के उपरान्त भी आई एस जी का प्रकाशित न होना	59

4.3	सी ओ डी जबलपुर के उत्तरदायित्व के उपस्करों की आरम्भिक भंडारण निर्देशिकाओं (आई एस जी) में अनावश्यक विलम्ब से संशोधन	60
4.4	सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी तथा सी ए एफ बी डी किरकी में उपस्कर की अवास्तविक आरम्भिक भंडारण निर्देशिकाएं (आई एस जी)	61
4.5	आरम्भिक भंडारण निर्देशिकाओं (आई एस जी) में मानकीकृत मात्रा और अतिरिक्त पुर्जों की खपत में भिन्नता की डिग्री	61
4.6	दोषपूर्ण मानकों के कारण आधिक्य में हुए भंडार का क्रमिक स्तरीकरण	63
4.7	सी ओ डी आगरा के उत्तरदायित्व के कुछ इलैक्ट्रानिक उपस्करों के अवास्तविक ओवरहॉल मानक	64
5.1	वर्ष 1994-99 के दौरान आयुध भंडारों की अधिप्राप्ति पर बजट आबंटन तथा व्यय	71
5.2	**वर्ष 1994-99 के दौरान पुनरीक्षाधीन केन्द्रीय आयुध डिपुओं से सम्बन्धित बजट बंटवारा और व्यय**	72
5.3	आयुध भंडारों की अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्योजन	73
5.4	आई एंड बी सैल द्वारा सी ए एफ वी डी किरकी में डिपुओं द्वारा मांगों में प्रदर्शित मदों की मात्राओं में कमी करके करायी गयी बचत	76
5.5	आई एंड बी सैल द्वारा सी ए एफ वी डी किरकी में डिपुओं द्वारा मांगों में प्रदर्शित मदों की मात्राओं में कमी करके करायी गयी बचत	80
5.6	आई.एंड बी.सैल द्वारा मांगों के सत्यापन तथा सी.ओ.डी. आगरा दिल्ली छावनी, जबलपुर तथा सी.ए.एफ. बी.डी. किरकी द्वारा उन्हें प्रस्तुत करने में लिया गया समय	80
5.7	सी.ओ.डी. आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर तथा सी.ए.एफ.बी.डी. किरकी द्वारा मांगपत्र प्रस्तुत करने तथा आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने के बीच लगा समय	81
5.8	सी.ओ.डी. आगरा, सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी,सी.ओ.डी. जबलपुर तथा सी.ए.एफ.बी.डी. किरकी द्वारा प्रस्तुत आदेशों के प्रति व्यापार द्वारा लिया गया समय	81
5.9	केन्द्रीय प्रावधान सैल,थलसेना मुख्यालय द्वारा बाजार में आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने में लिया गया समय	82
5.10	बाजार द्वारा सी ओ डी कानपुर की जी एस एण्ड सी मदों की आपूर्ति हेतु लिया गया लीड समय	83
5.11	सी.ओ.डी. जबलपुर द्वारा डी.जी.ओ.एफ. को आदेश प्रस्तुत करने में लिया गया समय	84
5.12	सी.ओ.डी. जबलपुर के दायित्व वाली मदों की आपूर्ति में डी.जी.ओ.एफ. द्वारा लिया गया समय	84
5.13	सी.ओ.डी. आगरा द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आदेश	85

	प्रस्तुत करने में लिया गया आन्तरिक लीड समय	
5.14	सार्वजनिक क्षेत्र के उपप्रक्रमों द्वारा सी.ओ.डी. आगरा के दायित्व वाली मदों की आपूर्ति में लिया गया बाह्य लीड समय	85
5.15	अन्तिम डिपो सूची तैयार होने तथा डी.डी.पी.एस. द्वारा आपूर्ति आदेश देने के बीच बीते समय का विश्लेषण	86
5.16	डी.डी.पी.एस. द्वारा आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने और उनके क्रियान्वयन के बीच व्यतीत हुआ समय	87
5.17	डी.डी.पी.एस. द्वारा अप्रवाही मदों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तुत क्रियान्वयन हेतु बकाया आपूर्ति आदेश	87
5.18	डी.डी.पी.एस. द्वारा सी.ओ.डी. जबलपुर के दायित्व वाले अतिरिक्त पुर्जों के देशजीकरण में गिरावट	88
6.1	मानवशक्ति - अधिकारीगण	98
6.2	मानवशक्ति - अधिकारी पद से नीचे	99
6.3	आयुध सेवाओं के भण्डार का रख-रखाव करने वाले विभिन्न स्टाफ की नियुक्ति की विद्यमान पद्धति	101
6.4	सामग्री प्रबन्धन कालेज जबलपुर द्वारा वर्ष 1994-99 के दौरान प्रशिक्षित किये गये कार्मिकों की संख्या	102
7.1	आयुध में अपनायी गई तथा पी आर एफ में दी गई यूनिट दर पर लेखापरीक्षा द्वारा अंकित किया गया वास्तविक मूल्य के अनुसार भंडारसूची के विभिन्न वर्गों के मूल्यांकन में अन्तर का तुलनात्मक विवरण।	108
8.1	कम्प्यूटरीकृत भण्डारसूची नियंत्रण परियोजना (सी.आई.सी.पी.) की अनुमानित लागत और पूर्ण होने की संभावित समय सूची	113
9.1	केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर में 1994-99 के दौरान स्टॉक की जाँच के चक्र के प्रारंभ में भंडार में धारित मदों की संख्या के बारे में दिये गये आंकड़ों में भिन्नता	120
9.2	केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी द्वारा स्टॉक सत्यापन के दिए गये आंकड़ों और 1994-99 के दौरान नियंत्रक रक्षा लेखा द्वारा जारी किए गये वार्षिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के आंकड़ों में भिन्नता	121
9.3	केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर में वर्ष 1994-99 के दौरान स्टॉक पड़ताल किये जाने वाले मदों की संख्या के बारे में आंकडों में भिन्नता	122
9.4	केन्द्रीय आयुध भण्डार जबलपुर में स्टॉक मिलान पर लगाई गई मानव शक्ति की स्थिति	122
9.5	केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर में 1994-99 के दौरान असमान स्टॉक पड़ताल चक्र	123
9.6	सी.ओ.डी. आगरा और सी.एफ.वी.डी. किरकी के उत्तरदायित्व की शस्त्र प्रणाली स्न्ग- और स्न्घ- के न पहचाने गये मदों की स्थिति	124
9.7	पुनरीक्षाधीन डिपुओं में 1994 से 1999 के दौरान स्टॉक पड़ताल के बाद विसंगतियों में वृद्धि पाई गई	124
10.1	पुनरीक्षाधीन डिपुओं द्वारा आश्रित इकाईयों को भण्डारों की आपूर्ति करने में	129

	असमर्थता का प्रतिशत	
10.2	ए एफ वी डी किरकी द्वारा 1994-99 के दौरान प्राप्त मांगों और मांग पूर्ति का विवरण	130
10.3	पुनरीक्षाधीन डिपुओं द्वारा 1994-99 के दौरान प्राप्त/छटनी/वापिस की गई मांगों का सारांश	130
10.4	**के.आ. डिपू दिल्ली छावनी में नियंत्रण शाखा द्वारा मांगों के पंजीकरण में देरी**	131
10.5	पुनरीक्षाधीन सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर और सी ए एफ वी डी किरकी द्वारा उपभोक्ताओं को भंडारों के निर्गम में देरी	131
10.6	वर्ष 1996-99 के दौरान सी ओ डी आगरा के उत्तरदायित्व के निष्क्रिय उपस्कर एवं खराब वाहन की मांगों में मदों की अनुपलब्धता का स्तर	132
10.7	सी ओ डी आगरा और सी ए एफ वी डी किरकी में निर्गम वाऊचारों की प्रति संख्या 2 प्राप्त नहीं होने की स्थिति	134
10.8	505, 510 और 512 आर्मी बेस वर्कशापों द्वारा अस्वीकृत भण्डारों की घटनाएं	135
10.9	वर्ष 1994-99 के दौरान सी ओ डी दिल्ली छावनी की 505 आ.बे.व. को अति आवश्यक व महत्वपूर्ण मदों की आपूर्ति करने में असमर्थता	135
10.10	र्ष 1998-99 के दौरान सी ए एफ वी डी किरकी द्वारा 512 आ.वे.व. को अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण पुर्जों की आपूर्ति में असमर्थता	136
10.11	सी ओ डी आगरा की उस पर आश्रित आर्मी बेस वर्कशापों को वर्ष 1999-2000 के दौरान अति आवश्यक व महत्वपूर्ण पुर्जों की आपूर्ति में असमर्थता	136
11.1	केन्द्रीय आयुध डिपू आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर और के.श.ब.वाहन डिपू किरकी में 1994-99 के दौरान बढ़ता हुआ मरम्मतयोग्य भण्डारण	142
11.2	डिपुओं के वापसी भण्डार उप डिपुओं (आर.एस.एस.डी.) और सामग्री भण्डार उप डिपू (एम.एस.एस.डी.) में वर्ष 1994-99 के दौरान उत्पादित भण्डारों का मूल्य	144
11.3	आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. में पुनरीक्षा की लागत प्रभावीकता	144
12.1	सी ओ डी आगरा में उपलब्ध जनरेटिंग और चार्जिंग सैटों और उनके अतिरिक्त पुर्जों के विविध प्रकार	150
12.2	सी ओ डी कानपुर में वस्त्र मदों के अन्तर्गत उपलब्ध कमीजों, जूतों व कैप की श्रेणियां	150
13.1	सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर और सी ए एफ वी डी किरकी द्वारा धारित भंडारण का हेर-फेर	154
13.2	आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर डिपुओं और सी ए एफ वी डी किरकी के उत्तरदायित्व की मांग वाली मदों की प्रतिशतता	155
13.3	अधिक भंडार का स्तरीकरण	156

13.4	1994-99 के दौरान सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर और सी ए एफ वी डी किरकी द्वारा आश्रित यूनिटों को भंडारों की आपूर्ति करने में असमर्थता प्रतिशतता	157
14.1	अधिशेष भण्डार के निपटान में लिया गया समय	164
14.2	डी जी क्यू ए द्वारा स्थिति की घोषणा करने और समनुदेशन सूची जारी करने के बावजूद भी निपटान कार्रवाई में देरी	165
14.3	कन्वीनर टैक्निकल टीम (सी टी टी) द्वारा अधिशेष भण्डार की जांच में लिया गया समय और पुनः उपयोग के लिए संस्तुत मदों की प्रतिशतता	166
14.4	सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर और सी ए एफ वी डी किरकी में निपटान के लिए शेष आधिक्य भण्डार	168
14.5	31 मार्च 1999 को सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर और सी ए एफ वी डी किरकी में प्रयोजनीय भण्डार के खुले में पड़े रहने की स्थितिः	169

संकेताक्षरों की सूची

एबीसी	सदैव बेहतर नियंत्रण
एडी	गोलाबारूद डिपू
एबीडब्लयू	थलसेना बेस कार्यशाला
एबीओडी	अग्रिम बेस आयुध डिपू
एडीजीओएस	अपर महानिदेशक आयुध सेवाएं
एएल	नियत कार्य सूची
एएमएफ	वार्षिक रखरखाव संख्या
एओसी	थलसेना आयुध कोर
एएमयू	औसत मासिक उपयोग
एएससी	थलसेना सेवा कोर
एडीपी	स्वचालित डाटा प्रक्रिया
एएचएसपी	मुहरबंद विवरण धारक प्राधिकारी
एपीसी	कवचित कार्मिक वाहक
सीसीपीए	राजनैतिक मामलों की केन्द्रीय समिति
सीजीडीए	महा-नियंत्रक रक्षा लेखा
सीएडी	केन्द्रीय गोला-बारूद डिपू
सीएएफवीडी	केन्द्रीय कवचित योद्धी वाहन डिपू
सीटीटी	संयोजक तकनीकी दल

सीआरवी	प्राप्ति वाउचर प्रमाण-पत्र
सीडीए	रक्षा लेखा नियंत्रक
सीएफए	सक्षम वित्तीय प्राधिकारी
सीवीआईएल	समेकित आवश्यक अयोग्यता सूची
सीएजी	भारत के नियंत्रक -महालेखा परीक्षक
सीएमएम	सामग्री प्रबंधन कालेज
सीओडी	केन्द्रीय आयुध डिपू
सीओएस	आयुध भंडारों की सूची
सीपी	केन्द्रीय अधिप्राप्ति
सीपीओ	संविदा क्रय अधिकारी
सीवीडी	केन्द्रीय वाहन डिपू
सीआईसीपी	कम्प्यूटरीकृत भंडार सूची नियंत्रण परियोजना
सीएचटी	भाड़े पर सिविल वाहन
सीक्यूए	गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रणालय
डीएएफए(ओ)	उप सहायक वित्तीय सलाहकार (आयुध)
डीएओ	डिपू लेखा अधिकारी
डीडीजीओएस	उप महानिदेशक आयुध सेवायें
डीडीएल	ड्राफ्ट डिपू सूची
डीजीओएफ	महानिदेशक आयुध फैक्टरियां

डीजीओएस	महानिदेशक आयुध सेवाएं
डीपी	सीधे क्रय
डीएलएम	डिपू स्थानीय निर्माण
डीएलपी	डिपू स्थानीय क्रय
डीजीक्यूए	महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन
डीडीपीएस	रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग
डीजीएसएण्डडी	महानिदेशक आपूर्ति एवं निपटान
डीओयू	डिवीजनल आयुध यूनिट
ईएमई	विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरी
ईडीआई	विद्युत डाटा अर्न्तपरिवर्तन
ईएमईआर	विद्युत एवं यांत्रिक इंजीनियरी नियमावली
ईईसी	पूर्वी यूरोप के देश
ईसीसीएण्डई	अत्यंत शीत वस्त्र और उपस्कर
ईओए	निष्क्रिय उपस्कर
एफडीएल	अन्तिम डिपू सूची
एफएफ	फील्ड सैनिक शक्ति
एफएसएन	गतिशील, धीमे एवं गतिहीन
एफडब्ल्यूपी	निर्धारित कार्य अनुपात
एफओडी	फील्ड आयुध डिपू

एफएडी	फील्ड गोला-बारूद डिपू
एफसीआई	अग्नि नियंत्रण उपकरण
जीओसी	जनरल आफीसर कमांडिंग
जीओसीइनसी	जनरल आफीसर कमांडिंग-इन-चीफ
जीएसएण्डसी	सामान्य भंडार और वस्त्र
जीएसईसीपी	जनरल स्टाफ उपस्कर नीति कमेटी
जीएस	सामान्य भंडार/ जनरल स्टाफ
एचक्यू	मुख्यालय
एचवीएफ	हैवी वाहन फैक्टरी
आई एण्ड बीसी	भंडार सूची एवं बजट नियंत्रण
आईपी	अन्तरिम अवधि
आईसीवी	इन्फैन्ट्री योद्धी वाहन
आईएफ	प्रारम्भिक भरण
आईएफए	समाकलित वित्तीय सलाहकार
आईएसजी	प्रारम्भिक भंडारण मार्ग दर्शिका
एलटीबी	एक बारगी क्रय
एलआरडब्ल्यू	हल्की मरम्मत कार्यशाला
एमएजी	रखरखाव परामर्शदाता ग्रुप
एमजीओ	मास्टर जनरल आयुध

एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमएमएफ	मासिक रखरखाव संख्या
एमपीआई	मास्टर पार्ट सूची
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमपी	मरम्मत अवधि
एमएस	मरम्मत मानक
एमएसपी	उच्चतम भंडार क्षमता
एमटी	यांत्रिकी वाहन
एमयूएल	मारूति उद्योग लिमिटेड
एमआरएलएस	निर्माणकर्त्ता द्वारा संस्तुत अतिरिक्त पुर्जों की सूची
एमएसएसडी	सामग्री भंडार उप डिपू
एमएसटीसी	मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन
एनए	उपलब्ध नहीं
एनएफएफ	नॉन फील्ड फोर्स
एनआईसी	सूची में नहीं
एनआईवी	शब्दावली में नहीं
ओबीटी	अप्रचलन
ओबीई	अप्रचलित

ओसी	आफीसर कमांडिंग
ओडी	आयुध डिपू
ओईएम	मूल उपस्कर निर्माता
ओएसएस	आयुध भंडार अनुभाग
ओएमएसी	आयुध मरम्मत कम्पनी
ओएच	ओवरहॉल
पी	प्रदत्त
पीसी	निजी कम्प्यूटर
पीसी एण्ड पी	पुर्जे परिवर्तन एवं प्रकाशन
पीईटी	शान्तिकाल उपस्कर सारिणी
पीएएफ	प्रावधान कार्रवाई संख्या
पीआरएफ	प्रावधान पुनरीक्षा फार्म
पीपीओ	अधिप्राप्ति क्रियान्वयन संगठन
पीआरएस	अनुमेय मरम्मत सारिणी
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
आरसी	दर संविदा
आरओडी	क्षेत्रीय आयुध डिपू
आरएएफ	पुनरीक्षा कार्रवाई संख्या
आरएओस	थलसेना आयुध सेवाओं की नियमावली

आरएसएसडी	भंडार वापसी उप डिपू
एसडीई	दुर्लभ, कठिन, सुलभ
एसपीआरडी	पूरक प्रावधान पुनरीक्षा निदेश
एसएसजी	विशेष भंडारण गाइड
एसएम	भंडार मार्जिन
एसएसएसडीसी	विशेष आधिक्य भंडार निपटान कमेटी
एसएसएससी	सेकेन्डरी स्कूल प्रमाण-पत्र
टीजीईएमई	तकनीकी ग्रुप विद्युत एवं यांत्रिकी इंजीनियरी
टीएलपी	कुल उत्तरदायित्व अवधि
टीएसएस	तकनीकी भंडार अनुभाग
यूई	यूनिट हकदारी
वीसीओएएस	थलसेना उप प्रमुख
वीईडी	अति आवश्यक, आवश्यक, वांछित
वीएफजे	वाहन फैक्टरी जबलपुर
वीओआर	दोषपूर्ण वाहन
डब्ल्यूएएन	विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क
डब्ल्यूडब्ल्यूआर	युद्ध छीजन रिजर्व
डब्ल्यूईटी	युद्ध उपस्कर सारिणी

अर्थ शब्दावली

1. मुहरबंद विवरण धारक प्राधिकारी (ए.एच.एस.पी.)

अपने उत्तरदायित्व के भंडारों के लिए ड्राईंग और विशिष्टताओं सहित तकनीकी सूचनाओं को रखने के लिए उत्तरदायी स्थापना । ए.एच.एस.पी. रक्षा मांग पत्रों के प्रति निविदाओं की जाँच करने; निरीक्षण कसौटी निर्धारित करने; भंडारों को समाविष्ट करने के लिए तकनीकी दस्तावेज तैयार करने; और उद्योग के द्वारा भंडारों की अधिप्राप्ति और उत्पादन के लिए मार्गदर्शन के लिए भी उत्तरदायी है ।

2. समुनदेशन सूचियाँ

ए.एच.एस.पी. द्वारा समुनदेशन सूची जारी करके संबंधित सभी को अतिरिक्त पुर्जों के सेवा में समाविष्ट करने, स्थिति में परिवर्तन, कैट/पार्ट नम्बर विवरण और निपटान की सूचना दी जाती है ।

3. बैंच मार्किंग

एक प्रक्रिया जिसके द्वारा एक संगठन सर्वोत्तम कार्यप्रणाली निर्धारित करने और समाविष्ट करना चाहता है और कार्यक्रम निष्पादन का आंकलन करता है । संगठन से भीतर या अन्य संगठनों या देशों में सम कार्यक्रमों के साथ उत्पादों, सेवाओं, कार्यप्रणालियों और प्रक्रियाओं की तुलना का प्रयोग करके बैंच मार्क निष्पादन स्तरों के लिए मानकों या लक्ष्यों का संचालन कर सकते हैं । साधारणतया बैंच मार्क सर्वोत्तम कार्यप्रणाली स्तरो का संचालन करते हैं ।

4. श्रेणी 'क' भंडार

साधारणतया ये मुख्य उपस्कर होते है, इनके उत्तरदायित्व में यू.ई. जमा रख-रखाव आवश्यकतायें सम्मिलित होती हैं, जिनका आंकलन यूनिट की हकदारी के लिए निर्धारित छीजन प्रतिशतता जम। उच्च अधिकारियों के पॉलिसी रिजर्व आदेशों के आधार पर होता है ।

5. श्रेणी 'ख' भंडार

ये एक उपस्कर के घटक/उपघटक हैं जिनका प्रतिस्थापन मरम्मत पॉलिसी (पी.आर.एस.) के प्रभाव से फील्ड/हल्की मरम्मत कार्यशालाओं में किया जाता है, प्रतिस्थापित मदों का आयुध चैनलों के माध्यम से उचित रीअर मरम्मत सोपान को

वापस लदान किया जाता है । मरम्मत के उपरान्त आयुध को लौटा दिया जाता है और प्रयोजनीय परिसम्पत्तियों के रूप में गिना जाता है जैसे वाहन का डायनमो या कारबुरेटर।

6. प्रचलित मदें

सभी मदें जो वर्तमान में सेवा में हैं ।

7. बिखराव भंडार

ये केन्द्रीय डिपुओं के भंडार हैं जिनका केन्द्रीय लेखांकन होता है परन्तु उपयोगकर्त्ता यूनिटों तक वहन की सुविधा हेतु विभिन्न सी.ओ.डी./ओ.डी./एफ.ओ.डी. इत्यादि में रखा जाता है ।

8. ड्यूज- आउट- लेखापरीक्षा

सभी अभिलेख किये गये ड्यूज आउट की चक्रीय पुनरीक्षा की एक प्रणाली (निर्भर यूनिटों द्वारा डिपुओं से मांगी गई परन्तु माँग के समय भंडार में उपलब्ध न होने के कारण जारी नहीं की गई मदों और मात्रा का अभिलेख) । काल्पनिक ड्यूज आउट को समाप्त करने तथा जो समाप्त हो गये है उन डयूज आउट की छटनी करने के उददेश्य से प्रतिमाह पुनरीक्षा की जाती है । प्रणाली उद्योग एवं व्यापार में व्यवहार में लाये जा रहे "पिछले आदेशों" की पुनरीक्षा के समतुल्य है । इसमें भंडारों की जमीनी स्थल पर भौतिक जाँच और उपलब्ध होने पर जारी करना सन्निहत है । इस प्रक्रिया में प्रतिस्थापन्न जारी करके (मदों का प्रतिस्थापन) माँगों की पूर्ति के वैकल्पिक साधन खोज़ने के प्रयास या मरम्मत योग्य मदों की मरम्मत की व्यवस्था कर जहाँ मांगी गई मदों को उपलब्ध कराने के लिए धारित है, सम्मिलित हैं । इसमें प्रावधान कार्रवाई की जाँच करना तथा आपूर्ति स्त्रोतों पर प्रस्तुत किये गये डिपू आदेशों के प्रति डयूज-इन के बारे में शीघ्र कार्रवाई करना भी सन्निहित है ।

9. चिन्हित करना

आयुध डिपुओं विशेष प्राधिकार के अन्तर्गत रखे गये भंडार, जिन्हें उसी प्राधिकारी के अनुदेशों के अन्तर्गत ही जारी किया जा सकता है ।

10. समाविष्ट नहीं हुआ उपस्कर (ई.एन.आई.)

शब्दावली यह दर्शाने के लिए प्रयोग की गई है कि उपस्कर, भंडार और उसके घटकों का अधिकारिक तौर पर सेवा में समावेश नहीं किया गया है, बावजूद इसके कि भंडार उपलब्ध है अथवा नहीं ।

11. घातीय समकारी

यह पिछले उपयोग आँकडों में हेर-फेर करके भविष्य की आवश्यकता का आंकलन करने का तरीका है । यह भारयुक्त गतिशील औसत की एक प्रकार है जो रूख दर्शाती है और हिसाब लगाना बहुत आसान है । इस प्रणाली में नई आवश्यकताओं की संवेदनशीलता का वांछित ढंग से समायोजन किया जाता है । इसकी संगणना करने के लिए केवल न्यूनतम पिछले आंकडों की आवश्यकता होती है ।

12. निर्धारित कार्यशील समानुपात (एफ डब्ल्यू पी)

उन मामलों में जहां पर महीना दर महीना और वर्ष दर वर्ष में निर्गमनों में इतना विचलन है कि एक सही रखरखाव संख्या नहीं निकाली जा सकती है, प्रावधान अवधि के दौरान भंडार की संभावित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक न्यूनतम निश्चित मात्रा उपलब्ध रखी जाती है ।

13. मुक्त प्रवाह

विकासशील प्रकृति के मद जिनकी दो स्त्रोत प्रत्येक दो आदेशों के प्रति भंडार की आपूर्ति सफलतापूर्वक कर देते हैं तो उन्हें "मुक्त प्रवाह" घोषित कर दिया जाता है ।

14. असमर्थता प्रतिशतता

निर्भर यूनिटों की मांगों की प्रतिशतता संदर्भित करती है जिनकी आपूर्तिकर्त्ता डिपुएं मांगी हुई मदों के भंडारों के उपलब्ध न होने के कारण पूर्ति करने में असमर्थ हैं । असमर्थता प्रतिशतता प्रतिलोमतः प्रयोक्ता की संतुष्टि के स्तर से संबंधित है।

15. प्रारम्भिक भरण (आई.एफ).

प्रारम्भिक भराव प्रचलित रखरखाव मानकों के अनुसार कार्यशालाओं को प्रारम्भिक निर्गम हेतु अतिरिक्त पुर्जों की कुल आवश्यकता है । यह उपरोक्त मरम्मत यूनिटों के लिए अतिरिक्त पुर्जो के अग्रदाय का कार्य करता है जिनमें से मरम्मत अन्य आयुध सोपान द्वारा की जा रही पुनःपूर्ति के लिए अतिरिक्त पुर्जे जारी किये जाते हैं ।

16. प्रारम्भिक भंडारण मार्गदर्शिका (आई.एस.जी.)

मुख्यालय तकनीकी ई.एम.ई. द्वारा तैयार की गई, नये समाविष्ट उपस्कर के लिए जब तक डिपुओं में पर्याप्त प्रयोग आंकडे तैयार होते हैं, प्रावधान कार्रवाई करने के लिए सी.ओ.डी. के मार्गदर्शन हेतु एक मार्गदर्शिका है ।

17. अन्तिम अवधि (आई.पी.)/लीड समय

महीनों में अनुमानित औसत अवधि जो प्रावधान करने वाले प्राधिकारी द्वारा मांग के प्रस्तुत करने और परेषिती स्थापना में भंडारों की भौतिक प्राप्ति के मध्य समाप्त होती है, का प्रतिनिधित्व करती है ।

18. लीड अवधि

वही जो अन्तरिम अवधि (आई.पी). है ।

19. रखरखाव संख्या (एम.एफ.)/मासिक रखरखाव संख्या (एम.एम.एफ.)

एक संख्या जो भंडारों की एक वास्तविक मात्रा की अभिव्यक्ति करती है जो एक निश्चित अवधि, चाहे मासिक (मासिक रखरखाव संख्या एम.एम.एफ). या वार्षिक(वार्षिक रखरखाव संख्या ए.एम.एफ.), के लिए एक मद की अनुमानित/परिकल्पित आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करती है । सामान्यतः यह गत औसत निर्गमों पर आधारित होती है और भविष्य की आवश्यकताओं से संबंधित किन्ही सात तथ्य/तथ्यों जैसे उपस्कर या सैनिकों की संख्या में वृद्धि/कमी, से परिशोधन किया जाता है ।

20. रखरखाव मानक (एम.एस.)

एक दस्तावेज जो उन मरम्मत पुर्जों की श्रेणी और मात्रा का उल्लेख करता है जिनका अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता का पर्याप्त डाटा तैयार होने तक, विभिन्न मरम्मत और आयुध सोपानों द्वारा प्रारम्भिक भंडारण किया जाना चाहिए, जिसके पश्चात अभिलेखित उपयोग के आधार पर भंडारण स्तर का समायोजन किया जाता है ।

21. रखरखाव आवश्यकता ('एम' कालम)

विभिन्न आयुध सोपानों जैसे ए.बी.ओ.डी., एफ.ओ.डी. और सी.ओ.डी. में प्रारम्भिक भरण से उपयोग किये गये अतिरिक्त पुर्जो की पुनःपूर्ति के लिए भंडारण हेतु अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता/कभी-कभी कुछ मदें आई.एफ. के लिए अधिकृत नहीं हैं।

विभिन्न मरम्मत सोपानों के आवश्यकता के आधार पर आवश्यकतायें भी इस कालम में सम्मिलित की जाती है । इस प्रकार 'एम' कालम फील्ड रखरखाव अर्थात पुनःप्राप्ति योग्यता का प्रतिनिधित्व करता है ।

22. मास्टर पार्ट सूची (एम.पी.आई.)

एक दस्तावेज जिस पर सी.ओ.डी. में एक मद के बारे में सभी जानकारी, इनकी स्थिति, प्रतिस्थापन, पार्ट/कैट संख्या, सही आयुध विवरण, बदले में जारी होने योग्य मदों का अभिलेख होता है । प्रत्येक मदों के लिए प्रथक शीट आबंटित की जाती है ।

23. अधिकतम भंडार समाव्य (एम.एस.पी.)

यह अनुमानित अधिकतम आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करता है । यह बराबर है

(क) एक आयुध डिपू में
रखरखाव अवधि + अन्तरिम अवधि + भंडार सीमा

(ख) एक केन्द्रीय आयुध डिपू में
रखरखाव अवधि + अन्तरिम अवधि (यदि अधिकृत है तो) + भंडार सीमा + रिजर्व

24. उपलब्ध न कराई गई मदें (एन.पी.आई.)

प्रचलित मुख्य उपस्कर के घटक जिनका सामान्यतः प्रावधान नहीं किया गया है परन्तु जिनके लिए विशेष प्रावधान अनिवार्य हो सकता है ।

25. सामान्य निर्गम

सी.ओ.डी. द्वारा अधिकृत मानकों के प्रति किये गये पुनरावृत्ति प्रकृति के सभी निर्गम 'सामान्य निर्गम' कहे जाते हैं और छीजन पद्धति के आंकलन के दौरान इनकी इसी प्रकार गिनती की जाती है ।

26. अप्रयुक्त प्रायः

एक उपस्कर/भंडार जिसके लिए आगे प्रावधान नहीं किया जायेगा परन्तु विद्यमान भंडार, यदि है तो, उनके समाप्त होने तक प्रयोग में लाया जायेगा ।

27. अप्रचलित

एक उपस्कर/भंडार जिसे सेवा से हटाने का अनुमोदन दिया जा चुका है।

28. ओवरहॉल आवश्यकता ('ओ' कालम)

कार्यशाला में उपस्कर के प्रथम ओवरहॉल के लिए आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों का यह एक आकलन है । यह प्रारम्भिक भंडारण मार्गदर्शिका के कालम 'ओ' में दर्शाया जाता है ।

29. ओवरहॉल मानक (ओ.एस.)

एक दस्तावेज जो उपस्कर के बेस ओवरहॉल के दौरान मरम्मत पुर्जो की आवश्यकता के मानकों को दर्शाता है।

30. प्रावधान करने का उत्तरदायित्व

सेवा में समाविष्ट सभी मदें जिनके लिए सामान्य प्रावधान कार्रवाई की जा चुकी है। जब सी.ओ.डी. में उपलब्ध एम.पी.आई. पर 'पी' चिन्हित किया जाता है तो इसे 'पी' मुखांकन कहा जाता है ।

31. प्रावधान कार्रवाई संख्या (पी.ए.एफ.)

भंडार की पुनःप्राप्ति के लिए पहले से ही निर्धारित एक संख्या । यह बराबर है:

(क) एक आयुध डिपू में :
भंडार सीमा + अंतरिम अवधि + चिन्हित भंडार

(ख) एक केन्द्रीय आयुध डिपू में
भंडार सीमा + अन्तरिम अवधि + चिन्हित भंडार + रिजर्व

32. प्रावधान अवधि

दो लगातार पुनरीक्षाओं के मध्य गुजरने वाला समय ।

33. प्रावधान पुनरीक्षा फार्म (पी.आर.एफ.)

एक फार्म जिस पर एक कमान डिपू, एक सी.ओ.डी. या थलसेना मुख्यालय के प्रावधान सैल में श्रेणी 'ख' मद की पुनरीक्षा करते समय उस मद की प्रावधान पुनरीक्षा से संबंधित आंकडे और परिकलन का अभिलेख किया जाता है । फार्म

के पिछला भाग का प्रयोग सी.ओ.डी./थलसेना मुख्यालय केन्द्रीय प्रावधान सैल में स्थापना द्वारा प्रावधान आंकडे रिकार्ड करने और विस्तृत प्रावधान परिकलन करने के लिए वर्किंग शीट के रूप में किया जाता है । फार्म अग्रभाग पर मद की स्थिति के बारे में सम्पूर्ण विवरण और प्रावधान से संबंधित सभी जानकारियाँ दिये हुई होती हैं । इसके अतिरिक्त, समेकित संख्याऐं पिछले भाग से अग्रभाग पर दर्ज की जाती हैं । प्रावधान कार्य का यह फार्म एक स्थायी रिकार्ड है और इसकी वित्तीय जाँच होती है ।

34. मरम्मत पुर्जा/अतिरिक्त पुर्जा

मरम्मत पुर्जा उपस्कर या उसके किसी संयोजन/उपसंयोजन का एक मद/घटक है जो किसी उपयुक्त मरम्मत सोपान में प्रतिस्थापन के योग्य होता है ।

35. मरम्मत समूह

भंडार की मात्रा (प्रयोजनीय या मरम्मत योग्य) जो ई.एम.ई कार्यशालाओं में मरम्मत के लिए पाइप लाइन में होने के कारण अस्थायी रूप में अप्रयोजनीय है, परन्तु होने वाले अग्रिम प्रतिस्थापन निर्गमों और कार्यशाला से उत्पादन का समान प्रवाह को बनाये रखने के लिए, इनकी सदैव मरम्मत की जानी चाहिए ।

36. रिजर्व (रिज)/युद्ध छीजन रिजर्व (डब्ल्यू डब्ल्यू आर)

भंडार युद्ध जैसे विशेष उददेश्यों के लिए रखे जाते हैं । रिजर्व कई प्रकार के हो सकते हैं । जिस उददेश्य के लिए उन्हें रखा गया है वे उसी नाम से जाने जाते हैं जैसे युद्ध छीजन रिजर्व (डब्ल्यू डब्ल्यू आर)

डब्ल्यू डब्ल्यू आर एक रिजर्व है जिसे युद्ध के आरम्भिक दौर में सैन्य उपस्कर, वाहनों, गोला बारूद, रखरखाव के लिए अतिरिक्त पुर्जे और सैन्य भंडार सूची की अन्य मदों की बढी हुई छीजन की पूर्ति , बढ़ी हुई आवश्यकता की पूर्ति हेतु औदयोगिक उत्पादन तेज होने तक, करने के लिए रखा जाता है ।

37. पुनरीक्षा कार्रवाई संख्या (आर.ए.एफ.)

भंडार का पूर्वनिर्धारित स्तर जिस पर मद की प्रावधान स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है । यह स्तर लेखा कार्डों पर अंकित किया जाता है ताकि भंडार के पुनरीक्षा कार्रवाई संख्या तक पहुँचने पर पोस्टिंग लिपिक पुनरीक्षा कार्रवाई स्लिप बना सके ।

38. भंडार सीमा (एस.एम.)

महीनों में अवधि जो कि आपूर्ति के स्त्रोतों भंडार प्राप्त करने में देरी या निर्गमों की बढी हुई दर जैसी आकस्मिकताओं के प्रति बफर स्टाक की मात्रा सुनिश्चित करना दर्शाती है।

39. विशेष निर्गम

किसी भी मात्रा में लगातार न होने वाले निर्गम जैसे प्रारम्भिक निर्गम, मानकों में वृद्धि , कार्यशाला का विशेष कार्यक्रम और निर्गम जिनके लिए सामान्यतः विशेष प्रावधान कार्रवाई की जाती है ।

40. विशेष भंडारण मार्गदर्शिका (एस.एस.जी.)

अनेक अवसरों पर उपस्कर के सम्पूर्ण सेवा काल के दौरान मरम्मत के लिए अतिरिक्त पुर्जो की मात्रा की अधिप्राप्ति करना अनिवार्य है । कुछ आयातित उपस्करों तथा बहुधा देशज उपस्करों, जब भी निर्माता उपस्कर का उत्पादन बंद करने वाला है, के लिए ऐसा होता है । यदि अतिरिक्त पुर्जो की अधिप्राप्ति उस समय नहीं की जाती है तो बाद में ये उपलब्ध नहीं होंगे । ऐसे अतिरिक्त पुर्जो की आवश्यकता का आंकलन 'एकबारगी क्रय' के आधार पर होता है ।

41. वहन मॉडल

वहन मॉडल, निर्माता से अन्तिम प्रयोक्ता तक अतिरिक्त पुर्जों (भंडारों) के बहु प्रबन्ध को कम करके, सुपुर्दगी को त्वरित बनाने और भंडार धारण की आवश्यकता में कमी करने और पारगमन हानियों को न्यूनतम करने और तदनुसार भंडार सूची धारण और प्रबंधन का मूल्य घटाने के लिए, एक प्रभावी साधन है ।

42. यूनिट की हकदारी (यू.ई.)

यूनिट डब्ल्यू ई टी/पी.ई.टी., थलसेना आदेश या भारत सरकार के पत्र के प्राधिकार के आधार पर एक मद की अधिकृत मात्रा जो यूनिट के प्रभार में रखी जा सकती है ।

43. यूनिट धारण (यू.एच.)

यूनिट/फारमेशन में उपस्कर के अनुमोदन के प्रति इसका वास्तविक धारण । (यू.ई.)

44. भारित गतिमान औसत

भविष्य में उपयोग के लिए अद्यतन उपयोग डाटा बेहतर सूचक हैं, इस तथ्य का फोकस करते हुए छीजन डाटा आँकलन का एक तरीका है । इस प्रकार, इस प्रक्रिया में, पिछले डाटा को सम्पूर्ण रूप में छोड़ दिया जाता है और अद्यतन चुनिंदा अवधि जैसे तीन या चार महीनों के उपयोग, के दौरान उपयोग माध्य को आगामी अवधि के लिए आवश्यकता के रूप में लिया जाता है । भारित गतिमान औसत में अद्यतन् अवधि को इस मान्यता के आधार पर अधिक वेटेज दिया जाता है कि वे भविष्य की आवश्यकता पद्धति को दर्शाने का अच्छा तरीका हैं ।

अध्याय 1 : प्रस्तावना

1.1 सामान्य

सैनिक क्षमता के सृजन और रख रखाव के लिए सामग्री सदैव केन्द्र में रही है। आधुनिक प्राद्यौगिकी गहन युद्व स्थिति में इनका महत्व कई गुना बढ़ गया है। भारतीय सेना के सामग्री प्रबन्धक आयुध सेवाओं का उद्देश्य '***शस्त्र से शक्ति***' - सही तौर पर इस सच्चाई को रेखांकित करता है।

सेना को अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयारी के इस कार्य के महत्व में निहित है कि सामग्री प्रबन्धकों के लिए आवश्यक सामग्री की सही मात्रा, सही स्थान पर और सही समय में उपलब्धता को सुनिश्चित करना अति आवश्यक है; सही मात्रा की आवश्यकता स्वंय प्रमाण है।

इस उपलब्धता का उच्च आश्वासन विशेषतया युद्वों में, का तात्पर्य है कि प्रयोग एवं मांग के स्थान या इन स्थानों की आसान पहुंच के अंदर भंडार सूची का दोनों मदों की मात्रा एवं गहनता में पूर्व प्रावधान करना एवं पूर्व स्थापित करना जिसमें ये स्थान एक भरोसेमंद और जवाबदेह आपूर्ति श्रृंखला जिसमें आपूर्ति का स्त्रोत प्रयोक्ताओं से जोड़ते हुए प्रतिपूर्ति के लिए जुड़ा हुआ हो ।

भंडार सूची के प्राप्त करने और उसे काम में लाने तथा शान्तिकाल एवं युद्व दोनों में चारों ओर फैली हुई सेना की सेवा में आपूर्ति श्रृंखला के ढाँचे से सम्बन्धित नीतियाँ, अभ्यास और प्रक्रिया, राष्ट्रीय स्त्रोतों के निवेश स्तर तथा मूल्य प्रचलन प्रणाली को बहुत प्रभावित करते हैं क्योंकि ऐसे निवेशों[1] की मात्रा और प्रचलन लागत डांवाडोल स्थिति में है और इनके लिए स्त्रोत लोक निधि से इतर होते हैं अतः आवश्यक भंडार सूची के प्रबन्धन के लिए एक मितव्ययी पहुंच राष्ट्र से सम्बन्धित विषय हो जाता है।

1.2 थलसेना भंडार सूची

(i) संरचना

थलसेना भंडार सूची मदों का जटिल फैलाव है जिसमें सम्मिलित हैं

[1] आयुध सेवाओं में 50000 करोड रूपये मूल्य की लगभग पांच लाख मदें हैं - वर्ष 1996-97 के लिए ए ओ सी की वार्षिक रिपोर्ट ।

(क) शस्त्र प्रणाली तथा पूर्ण उपस्कर जैसे टैंक, बंदूकें, राडारें, वाहन और हैलीकाप्टर; जिन्हें विभिन्न रूपों में जैसे "पूजींगत उपस्कर", "प्राथमिक मदें" या श्रेणी "क" भंडार कहा जाता है। थलसेना के लिए कार्य के ये मुख्य उपकरण हैं। इनकी अधिकांश मात्रा सैनिकों के पास है।

(ख) शस्त्र प्रणाली तथा उपस्करों की सहायता के लिए वांछित मदें जैसे मरम्मत के लिए फालतू पुर्जे, उपयोग योग्य और खर्च योग्य भंडार जिन्हें " सहायक मदें" या श्रेणी " ख" भंडार वर्गीकृत किया जाता है।

(ग) यूनिटों को आपरेशन योग्य बनाने और सज्जित करने तथा सेना के रखरखाव के लिए आवश्यक मदें जैसे सामान्य सामग्री एवं वस्त्र ।

(ii) वर्गीकरण

सामान्य उल्लेख एवं नियंत्रण के उद्देश्य से थलसेना भंडार सूची को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है:-

(क) युद्ध जैसे भंडारः भंडार सूची की वे मदें जो थलसेना के कार्यकलापों के प्राथमिक उपकरण हैं जो सामान्यतः सिविल में प्रयोग नहीं किये जाते हैं। ये निरपवाद संवेदनशील, जटिल, बहु अनुशासनात्मक, उच्च प्रौद्योगिकी और खर्चीले उपस्कर होते हैं जिन्हें शान्तिकाल में मरम्मत करके सुरक्षित रखा जाता है ताकि युद्ध के दौरान इनका पूर्ण उपयोग हो सके। शान्तिकाल में केवल ट्रेनिंग के लिए इनका सीमित प्रयोग होता है। योद्धी वाहन, बंदूकें, राडारें, मिसाइलें और गोलाबारूद इस श्रेणी में आते हैं।

(ख) गैर युद्ध जैसे भंडारः सामान्य प्रकृति की अन्य मदें जो सामान्यतः यद्यपि सदैव नहीं, सिविल में भी प्रयोग की जाती हैं और थल सेना में शान्तिकाल में बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग की जाती हैं। इनमें से कुछ मदों की विशिष्टतायें सिविल में प्रयोग आने वाली मदों से पृथक हो सकती हैं और युद्धकाल में इनका उपयोग शान्तिकाल की अपेक्षा कई गुना अधिक हो सकता है। वस्त्र, सामान्य भंडार, टायर, ट्यूब और बैटरी इस श्रेणी में आती हैं।

(iii) उद्देश्य

निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भंडार रखे जाते हैं या उपलब्ध कराये जाते हैं

(क) रखरखाव, "प्रावधान अवधि" के दौरान सामान्य छीजन की पूर्ति हेतु और "लीड टायम" प्राप्ति

(ख) युद्ध के दौरान बढ़े हुए उपयोग सहित आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रिजर्व

(ग) सामान्य रखरखाव के लिए सामान्यतः आवश्यक मदों की मांग की पूर्ति हेतु सुरक्षित मदें।

(घ) उन उपस्करों के लिए जिनका उत्पादन नहीं हो रहा है या बंद होने वाला है और जिनके फालतू पुर्जों की भविष्य में ज्ञातव्य स्मोतों से आपूर्ति मिलने की संभावना नहीं है, एकवारगी आजीवन रखरखाव एवं ओवरहॉल के लिए आवश्यकता

(ड.) पूर्ण उपस्कर और मुख्य एवं लघु संयोजन घटकों सहित मरम्मत योग्य

(च) ओवरहॉल फालतू पुर्जे और परिशोधन किट

(छ) धारित - अधिक भंडार, जो यद्यपि ज्ञातव्य आवश्यकताओं से अधिक हैं परन्तु उनका सामरिक अथवा वित्तीय कारणों या दोनों के कारण निपटान नहीं किया जाना है।

1.3 भंडार सूची प्रबंधन दर्शन शास्त्र

थलसेना द्वारा भंडारसूची बनाये रखने का मुख्य उद्देश्य भंडार-समाप्त होने की स्थिति से बचना है जो युद्ध के दौरान कार्रवाई और शान्तिकाल में इसकी तैयारी को प्रभावित कर सकती है। साथ ही प्रत्येक स्थान पर हर समय प्रत्येक मद की उपलब्धता सुनिश्चित करना लगभग असंभव है। अतः उपलब्धता के आश्वासन के लिए दिये गये स्तरों के आधार पर संचालन हेतु प्रणाली तैयार की गई है और ये स्तर कमांडरों द्वारा अनुभव के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं।

यह सामग्री प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है कि वे कुल निवेश और प्रणाली संचालन लागत को स्वीकार्य सीमा में रखते हुए इस प्रणाली में सदैव भंडार सूची की विभिन्न मदों की वांछित मात्रा की आवश्यकता के आश्वासन स्तर को सुनिश्चित करें।

वास्तव में यह एक चुनौती भरा कार्य है।

1.4 प्रणाली एवं इसके संचालक

(i) संचालन प्रणाली

यह प्रणाली केन्द्रीय आयुध डिपुओं के सैट के माध्यम से संचालित होती है। ये डिपुएं मदर डिपू का कार्य करती हैं और इनका सामग्री के आधार पर मदों की विशेष मात्रा के लिए देशव्यापी उत्तरदायित्व होता है, ये क्षेत्रीय और फील्ड डिपुओं को आपूर्ति करती हैं, जो आगे देश के सभी भागों में प्रयोक्ताओं के साथ आपूर्ति स्त्रोतों को जोड़ती हुई आपूर्ति की श्रृंखला बनाकर छोटी समर्पित भंडार धारक यूनिटों के माध्यम से यूनिटों से जुड़ी हुई हैं। आपूर्ति की श्रृंखला में जोड़ने का विवरण जिन्हें "सोपान" कहा जाता है, और सामग्री के प्रवाह को परिशिष्ट 'क' में दर्शाया गया है।

(ii) आयुध सेवाओं का कार्य

सैनिक तत्व से मिश्रित थलसेना आयुध कोर (ए ओ सी) अधिकांश प्रबंधन और पर्यवेक्षण का भाग है और नागरिक घटक औद्योगिक कार्यदल के साथ-साथ भ्डार रखने और लिपिकीय कार्य दल के रूप में है। आयुध सेवायें सारे देश में फील्ड क्षेत्रों में तथा शान्तिकाल में डिपुओं तथा भंडार धारण यूनिटों के नेटवर्क के माध्यम से थलसेना की सामग्री की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं।

आयुध सेवाओं द्वारा उपलब्ध किये जाने वाले भंडारों की मात्रा बहुत विस्तृत तथा जटिल दोनों है और इसके भंडारों की मात्रा प्रयोज्य मदों को सूची बद्ध करने की अपेक्षा अप्रयोज्य मदों की पहचान करके की जा सकती है। इस संदर्भ में, आयुध सेवायें खाद्य सामग्री, ईंधन, चारा और औषधि सामग्री को छोड़कर थलसेना की आवश्यकता की सभी सामग्री उपलब्ध कराती हैं। दूसरा अपवाद विशेष इंजीनियरी प्लाट एवं मशीन हैं जिन्हें इंजीनियरी कोर उपलब्ध कराती हैं। रचनात्मक निर्णय ऐतिहासिक है और इसका मूल रायल थलसेना आयुध कोर की प्रक्रिया में है और इसके बाद भारतीय आयुध सेवाओं की अभिरचना की गई हैं।

प्रारम्भिक तौर पर आयुध सेवायें गोलाबारूद, विस्फोटक सहित सभी आयुध भंडारों के प्रावधान, प्राप्ति, भंडारण, निर्गम और निपटान के लिए उत्तरदायी हैं। इनके अन्य गौण उत्तरदायित्व हैं जो वर्तमान पुनरीक्षा से सम्बन्धित नहीं हैं और यहां पर वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(iii) संगठनात्मक संरचना

थलसेना आयुध सेवाओं के मुखिया के रूप में महानिदेशक आयुध सेवाएं (डी जी ओ एस) आयुध सेवाओं के प्रशासन और निदेश देने के लिए मास्टर जनरल आयुध के प्रति

उत्तरदायी है। थलसेना मुख्यालय में आयुध का संगठनात्मक चार्ट परिशिष्ट 'ख' में दर्शाया गया है।

शांतिकाल और युद्धकाल में डी जी ओ एस का उत्तरदायित्वः

(क) थलसेना के लिए आयुध सामग्री जैसे अस्त्रशस्त्र, इंजीनियरी, सिगनल और वायरलैस भंडार, यांत्रिक वाहनों (एम टी) के फालतू पुर्जों, वाहनों, गोलाबारूद, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुयें।

(ख) ऐसे आयुध भंडारों का परिशोधन करना जो ई एम ई का उत्तरदायित्व नहीं है। ये सामान्यतया निम्न प्रोद्योगिकी की मदें हैं।

(ग) गोलाबारूद और विस्फोटकों का निरीक्षण, मरम्मत, परीक्षण जांच, रूपान्तरण और निपटान।

(घ) अवांछनीय तथा अप्रयोज्य भंडारों के बारे मे निपटान की कार्रवाई।

(ड.) सैनिक और सिविलियन दोनों मानव शक्तियों का प्रशिक्षण और विकास।

थलसेना मुख्यालय में महानिदेशक आयुध को अपर महानिदेशकों और उपमहानिदेशकों आयुध सेवाओं का सहयोग प्राप्त होता है। कमान स्तर पर मेजर जनरल थलसेना आयुध कोर और क्षेत्र स्तर पर कर्नल (आयुध) सभी आयुध मामलों में क्रमशः प्रमुख जनरल आफीसर कमान और जनरल आफीसर कमान को सलाह देते हैं और उन अन्य आयुध कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं जो थलसेना आयुध सेवाओं की नियमावली खण्ड-1 के अन्तर्गत सौंपे गये हैं। इसी प्रकार कोर मुख्यालय में उपनिदेशक आयुध सेवायें तथा डिव स्तर पर कमान अधिकारी डिव आयुध यूनिटें संबंधित कोर /डिव में आयुध सेवाओं की सुचारू रूप से कार्य करने के लिए उत्तरदायी हैं। थलसेना बेस वर्कशापों से संबद्ध आयुध भंडार अनुभाग यद्यपि ई एम ई का ही एक भाग हैं परन्तु स्टाफ आयुध कर्मचारियों का है।

(iv) थलसेना आयुध कोर की स्थापना और यूनिटें

(क) आयुध सेवाओं की मुख्य कार्यकारी स्थापनायें और यूनिटें निम्न हैं

(i) केन्द्रीय आयुध / गोलाबारूद/ वाहन डिपुएं
(ii) आयुध / गोलाबारूद / वाहन डिपुएं
(iii) अग्रिम बेस आयुध डिपुएं
(iv) फील्ड आयुध / गोलाबारूद डिपुएं

(v) डिवीजनल आयुध यूनिटें
(vi) थलसेना बेस कार्यशालाओं से संबद्ध आयुध भंडार अनुभाग
(vii) थलसेना कार्यशालाओं से संबद्ध तकनीकी भंडार अनुभाग
(viii) केन्द्रीय विमानन भंडार डिपू
(ix) क्षेत्रीय विमानन डिपू

(ख) आयुध सेवाओं की मुख्य प्रशिक्षण और प्रशासनिक स्थापनायें निम्न हैं

(i) सामग्री प्रबंधन कालेज जबलपुर
(ii) थलसेना आयुध कोर का सेन्टर एवं रिकार्ड सिकंदराबाद

(v) केन्द्रीय आयुध डिपुएं (सी ओ डी)

आयुध प्रणाली बहु सोपान पंक्तिबद्ध ढांचे पर आधारित है जिसमें नीचे दर्शाये गये स्थानों पर स्थिति केन्द्रीय डिपुएं जो अखिल भारतीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए भंडार की विशिष्ट मदों की व्यवस्था करती हैं और भंडारों का आयुध डिपुओं, अग्रिम बेस आयुध डिपुओं, फील्ड आयुध डिपुओं और थलसेना बेस कार्यशालाओं के आयुध भंडार अनुभागों को उनके आपूर्ति क्षेत्र में या उन पर आश्रित यूनिटों/ फारमेशनों को जारी करने के लिए, वितरण करती हैं। इन डिपुओं द्वारा धारित मदों की प्रकार और मात्रा उनका टन भार और 31 मार्च 1999 को मूल्य निम्न सारिणी में दर्शाया गया है:

सारणी 1.1 केन्द्रीय आयुध डिपुओं द्वारा 31 मार्च 1999 को धारित भंडार सूची की प्रकार, संख्या टनभार और मूल्य

क्रम संख्या	**डिपू का नाम**	**मदों की प्रकार/ मात्रा**	**मदों की संख्या**	**टनभार**	**मूल्य (करोड़ रूपये में)**
1.	सी ओ डी आगरा	रेडियो सैट, लाइन उपस्कर, राडारें, चार्जिंग सैट, जनरेटिंग सैट, औजार, अग्नि नियंत्रण उपकरण(एफ सी आई) और संबद्ध फालतू पुर्जे और अवलोकन साधन	121945	10262	5993
2.	सी ओ डी जबलपुर	संबद्ध फालतू पुर्जों सहित अस्त्र-शस्त्र/लघु शस्त्र, जलवाहक उपस्कर और इसके फालतू पुर्जे	58820	58408	1624

3.	सी ओ डी दिल्ली छावनी	विजयंता टैंक के फालतू पुर्जे, 'ख' वाहनों के फालतू पुर्जे, मशीनरी और इसके फालतू पुर्जे	103894	122902	603
4.	सी ओ डी देहू रोड	पूर्वी यूरोपियन मूल के (ई ई सी) 'ख' वाहनों के लिए फालतू पुर्जे और अग्निशमन उपस्कर एवं इसके फालतू पुर्जे	40362	26151	447
5.	सी ओ डी बम्बई	टायरें,ट्यूबें, प्रयोगशाला एवं केमीकल उपस्कर, चलचित्र-संबंधी उपस्कर और इसके फालतू पुर्जे, स्केनिंग के फालतू पुर्जे	7563	1594	116
6.	सी ओ डी कानपुर	वस्त्र, बैरक भंडार और एअर-बोर्न उपस्कर	5893	80162	807
7.	सी ओ डी छिउकी	सामान्य भंडार एवं 'ख' वाहन	10439	39599	135
8.	सी ए एफ वी डी किरकी	ई ई सी 'क' वाहन एवं फालतू पुर्जे, ई ई सी विशिष्ट वाहन	53789	59768	306
		कुल	402705	398846	10031

केन्द्रीय आयुध डिपुओं के मुख्य कार्य निम्न प्रकार हैं

(क) भारत और विदेश दोनों स्त्रोतों से उनके द्वारा व्यवस्थित भंडार/ उपस्करों और संबद्ध फालतू पुर्जों के लिए केन्द्रीय भंडार सूची बिन्दुओं के रूप में कार्य करना;

(ख) थलसेना की आवश्यकता को पूरी करने के लिए श्रेणी 'ख' भंडारों का प्रावधान करना;

(ग) विभिन्न डिपुओं जैसे कमान आयुध डिपुओं, अग्रिम बेस आयुध डिपुओं, फील्ड आयुध डिपुओं, थलसेना बेस कार्यशालाओं के आयुध भंडार अनुभागों तथा अर्द्धसैनिक एवं पुलिस बलों को भंडारों की आपूर्ति करना;

(घ) असाधारण परिस्थितियों में एक कमान आयुध डिपू का अतिरिक्त कार्य करना ;

(ड.) प्राधिकृत आरक्षित भंडारों का धारण करना;

(च) थलसेना बेस कार्यशालाओं के माध्यम से उपस्करों की मरम्मत/ओवरहॉल का प्रबंध करना;

(छ) यूनिटों द्वारा लौटाये गये भंडारों को प्राप्त करना

(ज) डिपू में यथा संभव मदों की मरम्मत / निर्माण करना; और

(झ) अप्रयोज्य और अनावश्यक भंडारसूची के निपटान के लिए कार्रवाई करना।

केन्द्रीय आयुध डिपू का एक संगठनात्मक चार्ट संलग्न परिशिष्ट 'ग' में दर्शाया गया है।

(vi) अन्य संचालक

थलसेना के लिए उपस्कर नीतियों से संबद्ध मुख्य निर्णय जिसमें अन्य के अतिरिक्त सेवा में समावेश, वितरण, क्रियाशील करना, सेवा में प्रयोग, क्षमता दोहन, रखरखाव, उन्नत करना, जीवन काल में वृद्धि, अप्रयोजनीय करना और निपटान करना आयुध सेवाओं के दायरे से बाहर हैं। इसी प्रकार सैन्य बलों का स्तर तथा फ्लीट शक्ति को बनाये रखना, सुरक्षित भंडार धारण करना, प्रत्येक सोपान द्वारा की जाने वाली मरम्मतों के कार्य क्षेत्र को सम्मिलित करने हुए मरम्मत सोपनों का सहयोग और फालतू पुर्जों का भंडार उपलब्ध कराना आयुध सेवाओं के अतिरिक्त ऐजेन्सीयों एवं प्राधिकारियों द्वारा तय किया जाता है।

महानिदेशक आयुध फैक्टरियाँ (डी जी ओ एफ) रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पी एस यू) सहित उत्पादन एवं आपूर्ति एजेन्सियाँ, जो अधिकांश सामग्री की आपूर्ति करती हैं, सीधे रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में हैं। महानिदेशक गुणवत्ता आश्वासन (डी जी क्यू ए) देशजीकरण का कार्य करता है। सौंपी गई वित्तीय शक्तियों के अपवाद के साथ वित्तीय नियंत्रण रक्षा मंत्रालय (वित्त) का है। रक्षा लेखा विभाग जिसका प्रमुख महानियंत्रक रक्षा लेखा है, अधिप्राप्तियों का भुगतान करता है।

जैसा कि आयुध सेवाओं में देखा गया है, ये सभी सामग्री प्रबंधन के कार्य क्षेत्र को बहुत सीमित कर देते हैं। आयुध सेवाओं की भंडारसूची प्रबंधन कार्यों में निष्पादन की पुनरीक्षा में इन सतही वास्तविकताओं पर ही संतोष करना पड़ेगा।

1.5 लेखापरीक्षा पुनरीक्षा की उत्पत्ति

थल सेना में वर्तमान में प्रचलित भंडार सूची प्रबंधन नीतियाँ, पद्धति और प्रक्रियाओं का मूल वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के अनुभव में है। यद्यपि इन्हें बदली परिस्थितियों के लिए समय-समय पर संशोधित और अनुकूलित किया गया परन्तु सामग्री और आपूर्ति की श्रृंखला के प्रबंधन के क्षेत्र में इसे आधुनिक कार्यप्रणाली के अनुरूप बनाने के लिए इनकी विस्तृत पुनरीक्षा नहीं की गई है।

भारत में इस समय भलीभांति विकसित औद्योगिक आधार उपलब्ध है और रक्षा आवश्यकताओं के एक अच्छे भाग की देश में ही पूर्ति होती है। समान रूप में सैन्य तंत्र ढ़ांचे में भी काफी परिवर्तन हुए हैं और इससे पुनर्भरण करने को माध्यम और गति भी प्रभावित हुई हैं। इन परिवर्तनों के अतिरिक्त सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में अत्यधिक विकास हुआ है जिसने अधिप्राप्ति, भंडारण और वितरण की प्रक्रिया को तुलनात्मक सीधी और गतिशील बना दिया है।

इन मौलिक परिवर्तनों के संदर्भ में एक बहुस्तरीय वितरण प्रणाली में अत्यधिक सार्वजनिक निधि के निवेश के साथ वृहद भंडारण के औचित्य की पुनः जांच की आवश्यकता है और इससे प्रयोक्ता की संतुष्टि और स्त्रोत उपयोग दोनों में पर्याप्त लाभ होने की आशा है और अंततः प्रणाली प्रभावी बनेगी और "धन का मूल्य" सुनिश्चित होगा।

1.6 कार्यक्षेत्र और लेखा परीक्षा के उद्देश्य

पुनरीक्षा का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या वर्तमान भंडारसूची प्रबंधन की नीतियाँ, कार्यप्रणाली और प्रक्रियायें थलसेना के सामरिक तैयारी की उच्चतम स्थिति में बने रहने के लिए उसकी अनिवार्य आवश्यकताओं को सदैव ध्यान में रखकर समकालीन और मितव्ययी रही हैं।

पुनरीक्षा में प्रावधान, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भंडारसूची और वित्तीय नियंत्रण, अधिप्राप्ति, भंडार उपलब्धता, निपटान एवं गोदामों में भंडारण से संबधित भंडार सूची प्रबंधन के मुख्य कार्यों को सम्मिलित किया गया है। पुनरीक्षा का मुख्य फोकस सी ओ डी स्तर पर प्रबन्ध में श्रेणी 'ख' की मात्रा है जिसमें गौण मदें सम्मिलित हैं जैसे फालतू पुर्जे, सामान्य सामग्री और वस्त्र। इसके अन्तर्गत गोलाबारूद और विस्फोटक नहीं आते हैं।

श्रेणी 'क' उपस्कर भंडार सूची प्रबंधन जिसमें कवचित योद्धी और सामान्य सेवा वाहन, शस्त्र और तकनीकी उपस्कर सम्मिलित हैं, श्रेणी 'ख' भंडारों से बहुत भिन्न है। यह आयुध सेवाओं का निर्धारित कार्य नहीं है क्योंकि इसमें रक्षा मंत्रालय, जनरल स्टाफ,

उत्पादन एजेन्सियों, प्रयोक्ता व रखरखाव एजेन्सियों के स्तर पर निर्णय लेना निहित है और केवल अभिरक्षा सम्बन्धी और भंडारण के कार्य आयुध सेवाओं के लिए छोड़ दिये गये हैं। क्योंकि इन मुख्य एजेन्सियों को पूर्णतया सम्मिलित किये बिना इस प्रणाली की पुनरीक्षा विस्तृत रूप में नहीं हो सकती है, वर्तमान प्रणाली के एक भाग के रूप में इस पर प्रयास किया गया है।

यद्यपि आयुध सेवाओं के मूल कार्यों के अन्तर्गत बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें पुनरीक्षा के लिए प्रदत्त अवधि में सम्मिलित नहीं किया जा सका है। ये हैं

1) सामग्री हस्तन
2) भंडारण और पुनः प्राप्ति प्रणालियां
3) आच्छादित स्थान का उपयोग
4) वाहन के प्रकार
5) देखभाल और संरक्षण के तकनीकी पक्ष
6) पैकिंग सामग्री का प्रबंधन
7) डिपू में उपलब्ध मशीनों का उपयोग

इन सभी क्षेत्रों की जांच आवश्यक है और इनके पृथक से अध्ययन की आवश्यकता है।

1.7 कार्यप्रणाली

(क) डिपुओं का चुनाव और फोकस क्षेत्रों का निर्धारण

विभिन्न गतिविधियों के प्रारम्भिक सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने नीचे दर्शायी गई पाँच डिपुओं का उनके सम्मुख उल्लिखित क्षेत्रों को फोकस करने के लिए चुनाव करने का निर्णय लिया। ये क्षेत्र डिपुओं में धारित भंडार सूची के मूल्य और संकटापन्नता के आधार पर निर्धारित किये गये थे। भंडार सूची की मात्रा (86 प्रतिशत), टनभार (83 प्रतिशत) और मूल्य (93 प्रतिशत), जिसे इन चुनी गई डिपुओं में रखा गया है, आयुध सेवाओं की लगभग सम्पूर्ण गतिविधियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

सारणी 1.2 पुनरीक्षा का डिपू वार फोकस क्षेत्र

क्रमांक	डिपू का नाम	मदों की मात्रा	फोकस क्षेत्र
1.	सी ओ डी आगरा	रेडियो सैट, लाइन उपस्कर, राडारें, चार्जिंग सैट, जनरेटिंग सैट, औजार, अग्नि नियंत्रण उपकरण और संबद्ध फालतू पुर्जे और अवलोकन साधन	• प्रावधान • निष्क्रिय और निपटान • प्रयोक्ता की सुतुष्टि (ई एम ई) • भंडार उपलब्धता

2.	सी ओ डी दिल्ली छावनी	विजयंता टैंको के फालतू पुर्जे 'ख' वाहनों के फालतू पुर्जे, मशीनें और इनके फालतू पुर्जे	• भंडार उपलब्धता • प्रदत्त अवधि • प्रावधान • मरम्मत कार्यक्रम (आर एस एस डी)
3.	सी ओ डी जबलपुर	संबद्ध फालतू पुर्जों सहित अस्त्र-शस्त्र / लघु शस्त्र, जलवाहक उपस्कर और इसके फालतू पुर्जे	• प्रयोक्ता की संतुष्टि • निपटान • भंडार सत्यापन
4.	सी ओ डी कानपुर	वस्त्र, बैरक भंडार और एअर बोर्न उपस्कर	• प्रयोक्ता की संतुष्टि • मानवशक्ति • व्यापार के माध्यम से अधिप्राप्ति
5.	सी ए एफ वी डी किरकी	ई ई सी " क" वाहन और पालतू पुर्जे, ई ई सी विशिष्ट वाहन	• ई एम ई की संतुष्टि • लीड टाइम • अयोग्यता प्रतिशतता • मरम्मत कार्यक्रम • (आर एस एस डी)

यह सोचकर कि आयुध का मुख्य ध्येय बेहतर "प्रयोक्ता की संतुष्टि" सुनिश्चित करना है, सभी चुनी गई डिपुओं में इस पहलू की विस्तृत में जांच करने का विवेकपूर्ण निर्णय लिया गया।

(ख) सेम्पलिंग

मूल्य और संकटापन्नता तथ्यों को सदैव ध्यान में रखकर यथा संभव प्रतिनिधित्व करने वाली सैम्पिलों का अनियमित चयन करने की प्रक्रिया विकसित की गई। प्रणाली में सर्वथा स्वचालित डाटाबेस के विकास और रखरखाव की एकरूपता को अभाव में लेखापरीक्षा को विभिन्न डिपुओं में दोनों स्वचालित और मानव शक्ति द्वारा बनाये गए आंकडों के विभिन्न सैटों पर विश्वास करना पड़ा और सैम्पिलों के प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पर समझौता नहीं किया गया ।

(ग) बैंच मार्किंग

बेहतर भंडार सूची प्रबंधन के लिए अन्य देशों की आयुध सेवाओं तथा वाणिज्यक जगत में प्रयोग की जा रही भली भांति स्थापित तकनीकों द्वारा अपनायी गई समकालीन पद्धति

की जांच के आधार पर लेखापरीक्षा ने सम्पूर्ण संसार में पालन की जा रही श्रेष्ठ कार्यप्रणाली से प्रति वर्तमान पद्धति/ प्रक्रियाओं का आंकलन करने का प्रयास किया है।

1.8 विवशतायें

(क) लेखापरीक्षा द्वारा की गई विशेष पुनरीक्षा में आंकडे एकत्रित करने/ निष्कर्ष निकालने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट तैयार करने में पर्याप्त समय लगा। थलसेना मुख्यालय अथवा डिपुओं के स्तर पर स्वचालित डाटाबेस के अभाव में आंकडे एकत्रित करना बहुत ही विशाल कार्य था क्योंकि डिपुओं द्वारा धारित लगभग 4.02 लाख मदों की जांच की गई और लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक सामग्री एकत्रित की गई । डिपुओं में रखे गये और तैयार किये गये आंकडे मानवीय प्रणाली पर आधारित हैं अर्थात् विभिन्न नियंत्रण रजिस्टरों में इंद्राज हाथ से किया जाता है। प्रत्येक मद के लिए रखे गये रिकार्ड का मौलिक अवलोकन करके आंकडों को पुनः एकत्रित करना विकट अभ्यास था। इसलिए आगे और विश्लेषण के लिए संख्या के आकार के अनुसार सूचक सैम्पिलें एकत्रित की गई थीं।

(ख) वर्तमान सूचना प्रणाली प्रबंधन (एम आई एस) के दौर में डिपुएं अपने कार्यों के सभी क्रिया कलापों की एक त्रैमासिक रिपोर्ट डी जी ओ एस को भेजते हैं। इन रिपोर्टों के वार्षिक संकलन आम तौर पर डी डी ओ एस के वार्षिक सांख्यिकीय सार के रूप में जाना जाता है। इसके संकलन के लिए ली गई सामग्री और इनके तैयार करने में अपनाई गई कार्य प्रणाली की जांच के दौरान लेखापरीक्षा में महसूस किया गया कि वास्तविक विद्यमान वस्तु स्थिति को बढ़ा-चढ़ाकर बेहतर ढ़ंग से प्रस्तुत किया गया है। उनकी यर्थाथता की पुष्टि करना सुरक्षित नहीं है। तथापि दल द्वारा एकत्रित सामग्री को संपूर्ण करने हेतु उपरोक्त रिपोर्ट में दर्शायी गई सांख्यिकी को कुल मामलों में रिर्पोटों के अधिकृत स्त्रोत के अभाव में लेखापरीक्षा में विश्वसनीय माना गया था।

1.9 रिपोर्ट की रूपरेखा

रिपोर्ट की रूपरेखा आगामी 13 अध्यायों में दी गई है, इनमें से प्रत्येक में विशिष्ट फोकस क्षेत्र दर्शाया गया है।

अध्याय 2 : प्रावधान

2.1 सार

आवश्यकताओं का यथार्थ पूर्वानुमान लगाने तथा इसके पश्चात् तुरन्त अधिप्राप्ति कार्रवाई करने में सहायक उपस्कर रख-रखाव नीतियों के अतिरिक्त प्रावधान के लिए जोकि थलसेना के सामग्री प्रबंधकों के रूप में आयुध सेवाओं का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है, भूतकाल में किये गये उपभोग के प्रामाणिक आंकडों तथा भविष्य के सैन्य शक्ति स्तरों की बाबत सामयिक सूचनाओं की आवश्यकता होती है।

जबकि आयुध सेवाओं में प्रचलित प्रावधान प्रणाली अंतर्निहित रूप से ठोस है, फिर भी कार्यान्वयन स्तर की गम्भीर कमियां देखी गई थी। अधिकतर डिपुओं में अत्यावश्यक प्रावधान से संबंधित प्रलेखीकरण या तो अपूर्ण था या अद्यतन नहीं था या फिर दोनों कमियों से परिपूर्ण था। सैन्य- शक्ति स्तरों के लिए अतिमहत्वपूर्ण निवेशों के प्रावधान से संबंधित निर्देशों तथा उपस्कर नीतियों का जारी करना स्थिर रूप से अत्यंत लम्बी अवधियों तक लम्बित रहा जिसके कारण समस्त प्रक्रिया पथ-विमुख हो गई। ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें प्रावधान कार्रवाई या तो बिल्कुल ही नहीं की गई थी या फिर इसका, तर्कसंगत समापन तक अनुसरण नहीं किया जा रहा था। प्रणाली में चयनता का अभाव था जिसके कारण वस्तु सूचि मदों की समस्त श्रेणी को, मदों की लागत, आलोचनात्मकता या उपलब्धता की आसानी को दर किनार करते हुए, एक समान समझा जा रहा था। कुछ सौदों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से प्रकट हुआ कि अयथार्थ निवेशों के कारण, प्रावधान करने पर 11.31 करोड़ रूपयों की अतिरिक्त देयता रही, पाँच वर्षों के लिए ओवरहॉल हेतु फालतू पुर्जों का प्रावधान करने के कारण, केवल एक डिपो में ही 40.15 करोड रूपये की अनुमानित लागत की सूचिगत सामग्री का परिहार्य अवरोधन हुआ तथा स्थापित कार्य-प्रणाली के साथ परिवंचना करते हुए 180.72 करोड़ रूपयों के फालतू पुर्जों की अधिप्राप्तक की गई। आयुध सेवाएं इस अधिकांशतः रूप से अभिकलनात्मक कार्य को पूर्णरूप से स्वचालित करने में दो दशकों से अधिक के परीक्षणों के बावजूद असफल रही।

प्रक्रिया का स्वचालितिकरण, सूचिगत सामग्री के नियंत्रण की चयनात्मक तकनीकों को लाना तथा दोनों, नीति निर्धारक प्राधिकारियों तथा इससे जुड़ी हुई एजेन्सियों से प्राप्त सामयिक निवेश के साथ मानव संसाधन स्तरों को ऊंचा करना, पहचाने गए वे अति महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिनको कि शक्तिशाली एवं आधुनिक बनाने की आवश्यकता थी।

2.2 सामान्य

प्रावधान, जोकि थलसेना द्वारा वांछित भण्डारों की मात्राओं की परिकलना तथा प्राप्त करने की प्रक्रिया है, आयुध सेवाओं का शायद, एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य की यथार्थता एवं निष्ठा न केवल यह निर्धारित करती है कि थलसेना सूचिगत सामग्री के प्रति वार्षिक, उत्तरोतर एवं संचित रूप से समादेशित पब्लिक निधियों की कितनी मात्रा है बल्कि यह भी निर्धारित करती है कि प्रयोक्ता संतुष्टि के स्तर, जोकि निधियों की वचनबद्धता के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं, क्या हैं।

प्रावधान के कार्य में थलसेना की भविष्य की अनुमानित आवश्यकताओं के बारे में भविष्यवाणी करना तथा समय से अधिप्राप्ति कार्रवाई आरम्भ करना सम्मिलित हैं। इसके लिए भूतकालिक अनुभव को भविष्य के वातावरण में बुद्धिमता से वाग्विस्तार करना तथा इसको उन जाने पहचाने या सम्भावित परिवर्तनों जो जारी प्रावधान प्रयोजन की अवधि के दौरान की सूचिगत सामग्री की मदों की मांग एवं उपभोग की दरों को प्रभावित कर सकते थे, के प्रकाश में परिष्कृत करना आवश्यक है। इस प्रयोजन से जुड़ी अनिश्चितताओं जिनमें विभिन्न मदों की एक बड़ी रेंज तथा आवश्यकता निर्धारण पर प्रभाव रखने वाले चरों की बड़ी संख्या सम्मिलित होती है, के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि कार्य को अधिकतम परिश्रम व दक्षता के साथ निष्पादित किया जाए। इससे यह स्वयं स्पष्ट है कि इस कार्य के लिए व्यवसायिक योग्यता रखने वाले, सुप्रशिक्षित, उच्च परिकलन दक्षता एवं अनुभव रखने वाले स्टाफ को नियुक्त करने की आवश्यकता है।

2.3 सूचिगत सामग्री का वर्गीकरण तथा प्रावधान उत्तरदायित्व

आयुध सूचिगत सामग्री में सम्मिलित भण्डारों को वर्ग 'ए'[1] तथा वर्ग 'बी'[1] में वर्गीकृत किया जाता है। वर्ग 'ए' में वे सभी मुख्य उपस्कर सम्मिलित होते हैं, जिसकी देयता में ईकाई हकदारियां (यू.इ.)[2], यू.इ. की क्षति की स्थिर प्रतिशतता के आधार पर आंकलित रख-रखाव आवश्यकताएं तथा थलसेना मुख्यालय[3] द्वारा आदेशित नीति प्रारक्षण सम्मिलित होते हैं। वर्ग 'बी' में वे मदें सम्मिलित होती हैं जिनका सम्बंध मुख्य उपस्कर

---

[1] अर्थ शब्दावली देखें

[1] अर्थ शब्दावली देखें

[2] अर्थ शब्दावली देखें

[3] इनमें वार वेस्टेज रिजर्व्स, इंजिनियर तथा सिग्नल स्टोर्स, थियेटर रिजर्व्स, अतिशील कॉलेज पोशाकें तथा उपस्कर रिजर्व तथा इस तरह के अन्य भण्डार जोकि दोनों वर्ग, "ए" व "बी" भण्डारों के लिए प्रावधान पुनरीक्षा हेतु स्थायी निर्देशों के साथ संलग्न परिशिष्ठों एवं संलग्नकों में वर्णित है, सम्मिलित है (महानिदेशक आयुध सेवाएं तकनीकी अनुदेश संख्या 307 तथा 040)

से होता है, जैसे कि फालतू पुर्जे तथा सामान्य भंडार[4], जिनके प्रावधान का आधार पैमाने या निर्गमन अनुभव तथा क्लोदिंग की वे मदें[5] जिनके संबंध में प्रतिस्थापन की जीवन चक्र अवधारणा[6] लागू होती है, होते हैं।

वर्ग 'ए' भण्डारों के संबन्ध में प्रावधान कार्य थलसेना मुख्यालय[7] के अन्तर्गत महानिदेशालय के संबंधित भण्डार अनुभागों द्वारा किया जाता है। केन्द्रीय आयुध डिपुओं कानपुर तथा चियोकी जिनके मामले में प्रावधान कार्य थलसेना स्थित उप महानिदेशक, आयुध सेवाएं (सामान्य भण्डार एवं क्लोदिंग) द्वारा संभाला जाता है।

2.4 वर्तमान प्रणाली

वर्तमान में आयुध सेवाएं अपनी स्टॉक पुनःपूर्ति आवश्यकताओं के निर्धारण तथा प्रबन्ध करने के लिए एक "आवधिक पुनरीक्षा"[8] प्रणाली का अनुसरण करती हैं। इस प्रणाली का संबंध अनेक क्षेत्रों में प्रचलित उन आवश्यकता निर्धारण विधियों से होता है जिनमें पास पड़े स्टॉक की उस स्टॉक से जोकि पहले से ही आदेश के अन्तर्गत है, से वांछित स्तर के साथ आवधिक तुलना की जाती है तथा अन्तर को नयी अधिप्राप्ति कार्रवाई के माध्यम से भरा जाता है। अधिप्राप्ति कार्रवाई में इस प्रकार न केवल उस अवधि की आवश्यकताओं को पूरा करना सम्मिलित होता है जो कि दो पुनरीक्षाओं के बीच की होती हैं, बल्कि आवश्यकताएं भी जोकि आपूर्तिकर्ता एजेन्सियों द्वारा मांगों को पूरा करने में लिये गये "लीड टाईम"[9] द्वारा उपजती हैं। इस प्रणाली को वैकल्पिक "शाश्वत् पुनरीक्षा"[10] प्रणाली की तुलना में, लागू करना अपेक्षाकृत सरल है परन्तु इसमें सुरक्षा स्टॉक के, तुलनात्मक रूप से ऊंचे स्तर सम्मिलित होते हैं।

---

[4] सामान्य भण्डारों मे टैन्टेज, खुदाई एवं खाई बनाने वाले औजार, खाना पकाने के बर्तन तथा इसके अतिरिक्त खर्च होने वाली मदें जैसे पैन्ट्स, तेल तथा परिरक्षक सम्मिलित होते हैं।

[5] वर्दियां, जिसमें फुटवीयर तथा व्यक्तिगत पोशाकों की अन्य मदे सम्मिलित होती हैं।

[6] एक अवधारणा जिसके अन्तर्गत विभिन्न मदों की प्रयोज्य अवधियां निर्धारित की जाती हैं तथा जिनमें निर्दिष्ट प्रयोज्य अवधि की समाप्ति पर प्रतिवस्तु का प्रावधान किया जाता है।

[7] इन अनुभागों का उत्तरदायित्व महानिदेशक आयुध सेवाएं द्वारा प्रकाशित 'चार्टर आफ ड्यूटीज' के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

[8] यह प्रणाली जोकि " स्थिर अन्तराल प्रणाली" के नाम से भी जानी जाती है, स्टॉक की आवधिक आधार पर चक्रिक पुनरीक्षा पर आधारित होती है। पुनरीक्षाओं के बीच के अन्तराल को "पुनरीक्षा अवधि" कहा जाता है तथा आयुध की भाषा में इसे "रखरखाव अवधि" या "प्रावधान अवधि" कहा जाता है। यह अवधि प्रायः प्रशासनिक सुविधा के लिए रखी जाती है परन्तु इसका चयन लागतों के न्यूनतमीकरण के लिए भी किया जा सकता है।

[9] अर्थ शब्दावली देखें। आयुध की भाषा में लीड-टाईम को "अन्तरिम अवधि" (आइ.पी.) के रूप में जाना जाता है।

[10] एक ऐसी प्रणाली जिसमें स्टॉक के स्तरों पर लगातार निगरानी रखी जाती है तथा पूर्वनिर्धारित पुनः आदेश स्तर पर पहुंचने पर पुनः पूर्ति हेतु आदेश दिया जाता है।

आयुध सेवाओं के मामले में थलसेना मुख्यालय और सी ओ डी स्तरों पर पुनरीक्षाएं वार्षिक हैं। वर्ग 'क' भण्डारों के मामले में प्रावधान पुनरीक्षा थलसेना मुख्यालय में प्रतिवर्ष 01 नवम्बर को आरम्भ होती है और मांगों के प्रस्तुतिकरण सहित अगले वर्ष के 31 मार्च को पूरी होनी आवश्यक होती है। इसमें 4-5[11] वर्ष की अवधि सम्मिलित होती है। सी ओ डी स्तर पर वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा चक्र थलसेना मुख्यालय से पूरक प्रावधान पुनरीक्षा निर्देश[12] (एस पी आर डी) प्राप्त होने पर आरम्भ होता है। यह प्रति वर्ष 01 अप्रैल से आरम्भ होकर 10 माह तक चलता है जिसमें वित्तीय वर्ष के अन्तिम दो माह सभी बकाया मांगों पर कार्रवाई पूरा करने के लिए आरक्षित होते हैं। पुनरीक्षा सकल दायित्व अवधि (टी एल पी)[13] को सन्निहित करती हैं जोकि आपूर्ति स्त्रोत के आधार पर 21 से 54 माह तक होती है। तथापि यह ध्यान देने योग्य है कि सभी मदों की वार्षिक पुनरीक्षा की गई थी और अभी तक ऐसा कोई प्रचलन नहीं था जिससे भंडार सूचि श्रेणी में उपभोग दर, महत्व अथवा उपलब्धता[14] की सुलभता के आधार पर भेद किया जा सके।

प्रणाली पर विस्तृत निर्देश रक्षा मंत्रालय[15] की सहमति से डी जी ओ एस द्वारा 1986 में जारी वर्ग 'क' तथा 'ख' भण्डारों की प्रावधान पुनरीक्षा के लिए अस्थाई निर्देशों में निर्धारित किये गये हैं। प्रावधान कार्रवाई में विभिन्न घटनाओं को दर्शाने वाला एक प्रवाही चार्ट परिशिष्ट 'घ' में किया गया है।

2.5 विशेष प्रणाली अभिलक्षण

यद्यपि आदर्श आवधिक पुनरीक्षा प्रणाली में प्रावधान चक्र के दौरान स्टॉक स्तर पर पुनरावलोकन का प्रावधान नहीं होता, तथापि वर्तमान में आयुध सेवाएं में प्रचलित प्रावधान पुनरीक्षा में जहां आवश्यक हो वहां एक प्रकार के पुनरादेश स्तर पर पुनः पूर्ति अध्यारोपित करके आदेश प्रक्रियाओं में परिशोधन अनुमेय किया गया है। निर्गम लेखापरीक्षा[16] अथवा स्टॉक स्तर पूर्वनिर्धारित स्टॉक स्तर तक पहुँचने पर पुनरीक्षा

---

[11] एम जी ओ ब्रांच के 1997 के वित्तीय प्रबंधन नीति में अब इसे 3 वर्ष के लिए सीमित कर दिया गया है, तिपि मूल निर्देश (डी जी ओ एस तकनीकी निर्देश 307) में अभी संशोधन किया जाना है।

[12] थलसेना मुख्यालय द्वारा अनुपूरक प्रावधान पुनरीक्षा निर्देश (अ प्रा पु नि) को पराक्षिततताओं के अतिरिक्त रख-रखाव तथा मरम्मत देयताओं के लिए आंकडे प्रदान करने के लिए जारी किया जाता है।

[13] कुल देयता अवधि, रख-रखाव अवधि तथा निर्दिष्ट अन्तरिम अवधि (लीड-टाईम) का योग होती है।

[14] मोटर गाड़ियों की उच्च मूल्य वाली कुछ मदों के संबंध में द्विवार्षिक मुनरीक्षाओं द्वारा इस बारे में शुरूआत कर दी गई है।

[15] इन निर्देशों को आयुध सेवाओं में क्रमशः डी जी ओ एस तकनीकी निर्देश सं 307 तथा 040 के रूप में संदर्भित किया गया है।

[16] अर्थ शब्दावली देखें

कार्रवाई संख्या (आर ए एफ)[17] द्वारा जारी की गई पर्चियों के प्रति मांगों की पूर्ति हेतु अगली आवधिक पुनरीक्षा से पूर्व माध्यमिक पुनरीक्षा अनुमेय है। इसी प्रकार जब सामान्य पुनरीक्षा के बाद अतिरिक्त दायित्वों का पता लगता है तो विशेष पुनरीक्षा की जाती है। सभी सोपानकों पर इस उद्देश्य के लिए पूर्व निर्धारित स्टॉक स्तरों को निर्दिष्ट किया जाता है तथा अनुपूरक पुनः पूर्ति मांगें अनुमेय होती हैं। इस प्रकार यह, परिसम्पत्ति स्तरों पर निगरानी रखने हेतु एक अन्तर्निहीत प्रणाली है तथा इसके सहयोग से जहां माध्यमिक पुनरीक्षाएं तथा अनुपूरक मांगे होती हैं वहां चेतावनी संकेत भेजे जाते हैं। इस प्रकार दोनों प्रणालियां एक साथ मिलकर एक नियमित पुनः पूर्ति अभ्यास तथा स्टाक स्तरों को प्रत्याशित आवश्यकताओं के अनुरूप रखते हुए असामान्य स्थितियों के प्रति एक प्रतिक्रियात्मक उत्तर भी प्रदान करती हैं।

2.6 प्रणाली समकालीनता

वर्तमान प्रणाली को विश्वभर में प्रचलित प्रणालियों के समकक्ष रख कर देखते हुए, यह राय दी जाती है कि थलसेना द्वारा रखी जाने वाली विस्तृत एवं विविध भंडार सूचि हेतु यह प्रणाली अपनाने योग्य है। यह एक भंडार सूचि प्रबंधन तकनीक के रूप में अन्दरूनी रूप से ठोस प्रणाली है तथा इसका विश्व व्यापार[18] में भी लगातार प्राथमिक रूप से अपनाया जाना जारी है। जब कोई "माध्यमिक पुनरीक्षाओं" की ग्राह्यता के बारे में विचार करता है तो प्रणाली रूपांकन आश्वाश्सन स्तरों में वृद्धि करने के लिए भंडार सूचि नियंत्रण, विशेषकर संपूर्ण आयुध में इन सभी प्रक्रियाओं के पूर्णतः स्वचालित होने तक, के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाते हुए, परिशुद्धता के एक स्तर और प्रतिक्रियात्मकता का परिमाप दर्शाता है।

2.7 प्रणाली क्रियान्वयन आवश्यकताएं

तथापि, प्रणाली के संतुलित एवं लागत-प्रभावी निष्पादन के लिए यह आवश्यक है किः

(क) यथार्थ प्रावधान कार्रवाई के लिए उपस्कर एवं कार्मिकों की संख्या के संबंध में नीति एवं जनसंख्या आंकडे, जिन्हें आयुध में पराश्रितता के रूप में जाना जाता है, प्रावधान प्राधिकारियों को समय पर उपलब्ध कराए जाएं।

---

[17] ऐसी सभी स्वीकृत किन्तु पूरी न की गई मांगों जिनको निर्गम कार्रवाई हेतु नयी प्राप्ति की प्रतीक्षा में फाईल कर दिया गया है के लिए "निर्गम अभिलेखों" की सत्यतता जांचने के लिए आवधिक सत्यापन।

[18] आवधिक भंडार सूचि पुनरीक्षण हमेशा से लोकप्रिय रही हैं और बहुधा इसे भंडार सूचि प्रबंध एवं नियंत्रण हेतु औजार के रूप में उपयोग किया जाता है कारणः बहुत से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु इसका सुगमता तथा लागत प्रभावी रूप से उपयोग किया जा सकता है। (प्रबन्धन एवं प्रशासन संस्थान, न्यूयार्कः भण्डार सूचि न्यूनीकरण प्रतिवेदन- अक्तूबर 1999)।

(ख) प्रावधान कार्रवाई व्यापक हो और आयुध उत्तरदायित्व की सभी मदों की निर्धारित अन्तराल पर सभी श्रेणियों पर पुनरीक्षा हो और जहां दर्शाया गया हो वहां मांगों को प्रस्तुत करने तथा जहां आवश्यक हो वहां शीघ्रता से निपटान हेतु उचित आवश्यक कार्रवाई आरम्भ की जाए।

(ग) आयुध प्रावधान उत्तरदायित्व की प्रत्येक मद के लिए प्रावधान पुनरीक्षा प्रपत्र (पी आर एफ)[19] प्रयोग में लाए जाएं तथा इन प्रपत्रों में सभी उपलब्ध आंकडों को यथार्थता एवं पूर्ण रूप से अंकित किया जाए।

(घ) प्रावधान की जाने वाली सभी मदों की स्थिति[20] का प्रावधान से संबंधित सभी दस्तावेजों में नियमित रूप से एवं विधिनुसार अद्यतन किया जाए।

(ड.) क्षति के अभिलेखित आँकडे, जोकि पूर्वानुमान का आधार होते हैं, प्रामणिक हों एवं प्राधिकृत उपयोग के माध्यम से यथार्थ क्षति दर्शाते हों। इस उद्देश्य के लिए निर्गमों के "सामान्य" एवं "विशेष"[21] के रूप में वर्गीकरण का सख्ती से अनुपालन किया जाए। जब तक कि नीति निर्देशों के अन्तर्गत विशिष्ट तौर पर अधिकृत न किया गया हो, किसी भी क्षति को उन आँकडों में से, जो मासिक रख रखाव संख्या (एम.एम.एफ.)[22] की संगणना पर प्रभाव डाल सकते हों और जिसका परिणाम अधिक या अल्प प्रावधान हो, निकाला या इनमें सम्मिलित नहीं किया जाए।

(च) सभी प्रावधान संबंधित संगणनाओं के लिए अपनाई गई मूल ईकाई न केवल गणितीय रूप से सही हो अपितु यह समुन्नत पूर्व घोषणा तकनीकों के साथ अन्य संभाव्य परिशोधनों के अलावा उपस्कर के रूझान, सामयिकता और प्रत्याशित भावी उपयोग पैटर्न का भी ध्यान रख सके।

(छ) परिसंपत्तियों को, धारित स्टॉक जिसमें नीति-निर्देशों द्वारा अनुमेय निम्न सोपनकों पर ऐसे स्टॉक भी सम्मिलित है जिनकी गणना अखिल भारतीय परिसंपत्तियों में होनी है, ठीक प्रकार से नोट किया जाए। वर्तमान चलन के अनुसार इनमें संबंधित सोपानकों की अधिकतम स्टॉक क्षमता[23] के ऊपर का स्टॉक, इन सोपानकों में रखे गए वितरण स्टॉक के साथ-साथ वार वेस्टेज रिजर्व

---

[19] वह मूल दस्तावेज जिसके आधार पर प्रावधान पुनरीक्षाएं करने के लिए सभी आवश्यक सांख्यकीय आंकडे समेकित किये जाते हैं तथा जिसके आधार पर आपूर्ति स्त्रोतों पर मांगों की संरचना की जाती है।

[20] किसी मद की "प्रचलित" अप्रयुक्तप्राय या अप्रचलित स्थिति दर्शाने वाला संदर्भ। अर्थ शब्दावली देखें।

[21] अर्थ शब्दावली देखें।

[22] "मासिक मरम्मत संख्या" - अर्थ शब्दावली देखें।

[23] अर्थ शब्दावली देखें।

(डब्ल्यू.डब्ल्यू.आर)[24] जैसे प्राधिकृत रिजर्व का विकेन्द्रीकृत तत्व भी सम्मिलित हैं।

(ज) सभी आगमों अर्थात् पूर्व में की गई प्रावधान पुनरीक्षाओं के परिणामस्वरूप आदेशित अथवा संविदाकृत आने वाले पाईपलाईन स्टॉक को विधिवत् परिसम्पत्तियों[25] के रूप में लेखांकित किया जाए।

(झ) आन्तरिक लीड-समय अर्थात् आवश्यकता निर्धारण तथा मांग प्रस्तुतिकरण के बीच व्यतीत हुआ समय दो माह[26] की निर्धारित सीमा में हो, चूंकि इस बाबत प्रणाली में लम्बे विलम्बों को समाहित करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ण) सभी प्रकट मांगों की बाबत आपूर्ति स्त्रोतों पर निर्धारित अधिप्राप्ति लीड-समय प्रदान करते हुए तुरन्त मांग पत्र या आपूर्ति आदेश भेजे जाएं।

(ट) प्रकट मांगों को सम्मिलित न करने तथा प्रकट आधिक्यों को अवरोधित रखने के कारणों का आधार ठोस वाणिज्यिक तथा संक्रियात्मक निर्णय हो तथा भावी कार्रवाईयों को दिशा निदेशित करने के लिए मिसिलों में अभिलेखित किया जाए।

(ठ) सभी प्रकट आधिक्यों का निपटान तक प्रभावी रूप से अनुसरण किया जाए।

2.8 प्रणाली क्रियान्वयन में कमियां

लेखापरीक्षा ने निर्दिष्ट प्रणाली के क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियां पायीं

2.8.1 थलसेना मुख्यालय द्वारा अनुपूरक प्रावधान पुनरीक्षा निर्देश (एस पी आर डी) जारी करने में विलम्ब

एस पी आर डीज प्रावधान प्राधिकारियों को दोनों उद्देश्यों, रख-रखाव एवं ओवरहॉल तथा सैन्य-दल संख्या जो कि प्रावधान अवधि के दौरान रखनी पड़ती है, हेतु उपस्कर प्रोफ़ाइल और उपस्कर संख्या जैसे मूल आदानों का प्रावधान करने के लिए वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा आरम्भ करने से पहले, जारी करने होते हैं। कुछ निश्चित प्रावधान कारक जो उस पुनरीक्षा के दौरान जिसमें अन्य बातों के अलावा, सैन्य-दल में वृद्धि/कमी तथा उपस्कर संख्या, आधुनिकीकरण योजनाएं, उपस्कर नीति, मरम्मत एवं स्तर-वृद्धि

[24] अर्थ शब्दावली देखें।

[25] आगमों के प्रबन्धन पर एक विस्तृत चर्चा हेतु, "बजट एवं अधिप्राप्ति" अध्याय देखें।

[26] डी जी ओ एस तकनीकी निर्देश 040

प्रोग्राम सम्मिलित होते हैं, आवयश्यकताओं के निर्धारण को प्रभावित करते हैं, एस पी आर डी का हिस्सा होते हैं। इन निर्देशों के जारी करने में कैसा भी विलम्ब डिपुओं द्वारा की जा रही पुनरीक्षा की यथार्थता एवं सामयिकता पर विपरीत प्रभाव डालता है।

जैसा कि नीचे दी गई सारणी में दर्शाया गया है, लेखापरीक्षा ने पाया कि ये एस पी आर डीज लगातार विलम्ब से जारी किये गये थे, जिसके परिणामस्वरूप सी ओ डी स्तर पर पुनरीक्षाओं को आरम्भ तथा पूरा करने में विलम्ब हुआ।

सारणी 2.1 एस पी आर डीज जारी करने में विलम्ब

(विलम्ब माह में)

वर्ष	**सी ओ डी दिल्ली छावनी**	**सी ओ डी आगरा**	**सी ओ डी जबलपुर**	**सी ए एफ वी डी किरकी**
1994-95	जारी नहीं किये गये	1	कोई विलम्ब नहीं	कोई विलम्ब नहीं
1995-96	1	7	1	6
1996-97	1	10	6	4
1997-98	1	11	11	10
1998-99	1	5	7	4

टिप्पणी: सी ओ डी कानपुर के मामले में कोई एस पी आर डी जारी नहीं किया जा रहा, चूंकि प्रावधान कार्रवाई डी डी जी ओ एस (जी एस एण्ड सी) द्वारा की जाती है जो कि थलसेना मुख्यालय/ रक्षा मंत्रालय के संबंधित प्राधिकारियों से आवश्यक आदान प्राप्त करते हैं।

एस पी आर डी के जारी होने में विलम्ब से सी ए एफ वी डी किरकी तथा सी ओ डी दिल्ली छावनी में अन्य चीजों के अलावा, प्रावधान पुनःरीक्षाओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा। ये पुनरीक्षाएं नीचे दिये गये वर्षों में कभी भी समय पर पूरी नहीं की जा सकीः

सारणी 2.2 सी ओ डी दिल्ली छावनी तथा सी ए एफ वी डी किरकी की प्रावधान पुनरीक्षाओं पर एस पी आर डी के देरी से जारी होने के कारण पड़ा प्रभाव

पुनरीक्षा चक्र	**पुनरीक्षा किए जाने वाले पी आर एफ**		**वास्तव में पुनरीक्षित पी आर एफ**		**पुनरीक्षा में गिरावट का प्रतिशत**	
	सी ओ डी दिल्ली छावनी	**सी ए एफ वी डी किरकी**	**सी ओ डी दिल्ली छावनी**	**सी ए एफ वी डी किरकी**	**सी ओ डी दिल्ली छावनी**	**सी ए एफ वी डी किरकी**
1994-95	56338	43765	उपलब्ध नहीं	13606	उपलब्ध नहीं	69
1995-96	60782	43749	43216	5584	28.90	87
1996-97	61272	36636	52326	11832	14.60	68
1997-98	61348	28060	46086	7717	24.88	73
1998-99	61337	34745	41098	18390	33.00	47

टिप्पणी 1 : सी ए एफ वी डी किरकी में वर्ष 1999-2000 के लिए प्रावधान पुनरीक्षा पूर्ण हो चुकी है।
टिप्पणी 2 : सी ओ डी दिल्ली छावनी के मामले में, वर्ष 1998-99 की संख्याएं फरवरी 1999 तक की स्थिति दर्शाती हैं।
टिप्पणी 3 : सी ओ डी आगरा ने पुनरीक्षा में गिरावट की सूचना नहीं दी थी यद्यपि कुछ मामलों में एस पी आर डी 11 महीनों की देरी से प्राप्त हुए थे। लेखापरीक्षा का मत है कि ऐसी जल्दबाजी में की गई पुनरीक्षाओं में गलतियां हो सकती हैं।
टिप्पणी 4 : सी ओ डी जबलपुर और डी डी जी ओ एस (जी एस एण्ड सी) में पुनरीक्षा में कोई गिरावट सूचित नहीं की है।
टिप्पणी 5 : अद्यतन सूची के अभाव में सी ए एफ वी डी किरकी में डिपू द्वारा घोषित पी आर एफ की पुनरीक्षा की कुल संख्या के ठीक होने की लेखापरीक्षा में जाँच नहीं की जा सकी।

ग्राफ - 1

सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी में पी.आर.एफ. की पुनरीक्षा में गिरावट

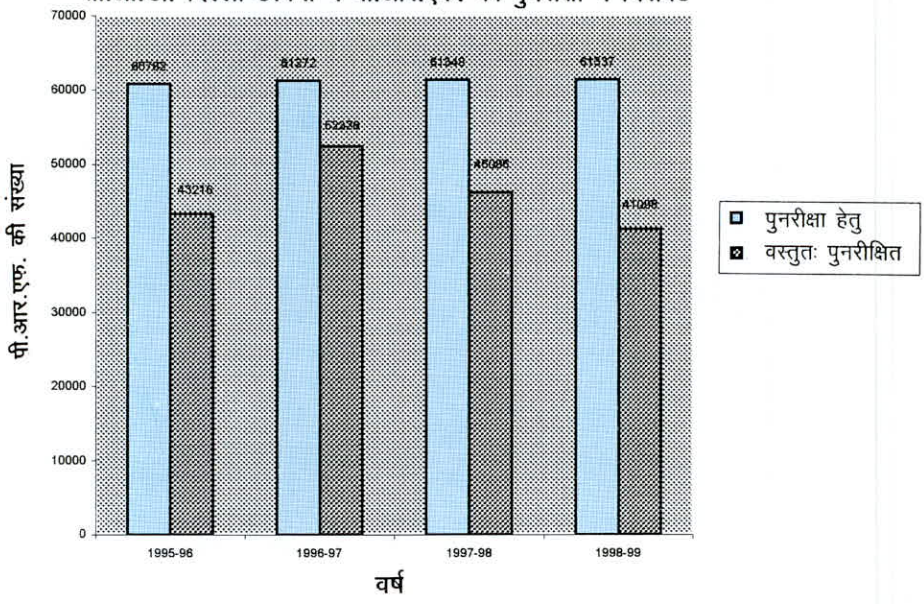

ग्राफ - 2

सी.ए.एफ.वी.डी. किरकी में पी.आर.एफ. की पुनरीक्षा में गिरावट

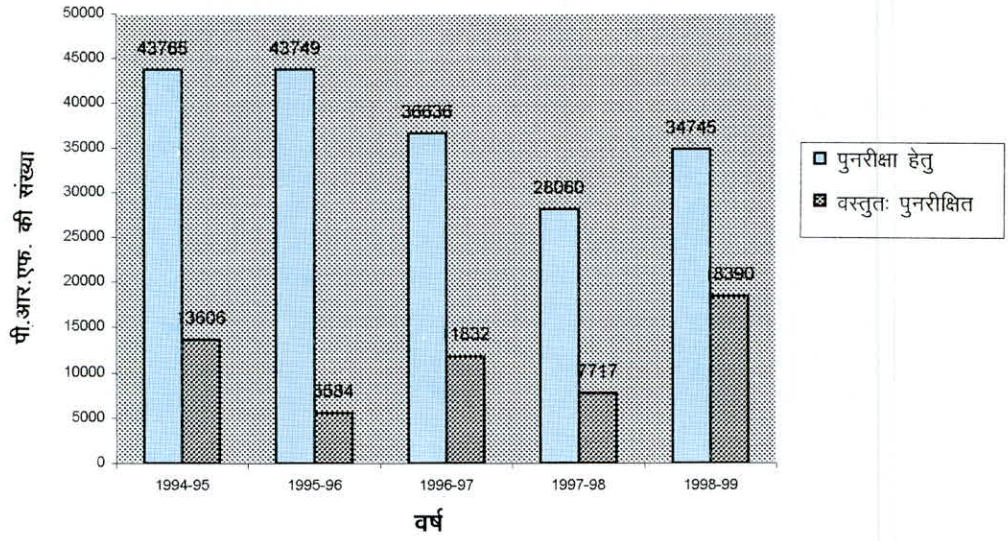

अनिवार्य पुनरीक्षा न करने के प्रतिप्रभावों की विस्तृत श्रेणी है क्योंकि इसके कारण मांग संतुष्टिकरण में गिरावट, निर्गमशीर्षों में वृद्धि तथा फालतू भंडार सूचियों के चिह्यांकन में विलम्ब होता है।

नियमानुसार, एस पी आर डी रक्षा मंत्रालय(वित्त) की सहमति से जारी किए जाते हैं तथा एस पी आर डी पर उनकी सहमति को दर्शाने वाली एक अशासकीय (यू ओ) संख्या आवश्यक रूप से दी जाती है। तथापि, थलसेना मुख्यालय द्वारा सी ओ डी आगरा को 1999-2000 के लिए जारी की गई एस पी आर डी में वित्तीय सहमति नहीं थी जिसके कारण लगभग 194 करोड़ रूपये मूल्य की मांगे बिना किसी उचित प्राधिकार के रही। लेखापरीक्षा का मत है कि क्योंकि एस पी आर डी आवश्यक आदान उपलब्ध कराती हैं जिनके परिणामस्वरूप वित्तीय वचनबद्धता होती है, इसलिए यह उचित होगा कि रक्षा मंत्रालय (वित्त) सर्वप्रथम इन आदानों का सत्यापन करके सहमति प्रदान करे। लेखापरीक्षा को यह मत स्वीकार्य नहीं है कि यह रक्षा मंत्रालय द्वारा की जाने वाली एक विशुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई है।

2.8.2 प्रावधान पुनरीक्षा प्रपत्रों (पी आर एफ) का रख-रखाव एवं लेखांकन न होना

प्रावधान पुनरीक्षा प्रपत्र (पी आर एफ) एक ऐसा प्रपत्र है जिसपर वर्ग 'ख' भंडारों की पुनरीक्षा करने के लिए सी ओ डी अथवा थलसेना मुख्यालय स्थित डी डी जी ओ एस (जी एस एण्ड सी) द्वारा किसी मद की प्रावधान पुनरीक्षा से संबंधित आंकडे और संगणनाएं दर्ज की जाती हैं। यह सभी मूल आंकडों के लिए संदर्भ दस्तावेज़ और आवधिक पुनरीक्षाओं के लिए वर्किंग शीट का कार्य करता है। पी आर एफ प्रावधान कार्य का एक स्थाई अभिलेख है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिपुओं के पास उनके प्रावधान उत्तरादायित्व को निर्धारित करने वाली मदों की श्रेणी का कोई व्यवस्थित, अद्यतन तथा यथार्थ अभिलेख नहीं है। अतः वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा कार्रवाई की संपूर्णता को सभी अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकताओं को पूरा करने के संदर्भ में प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सी ओ डी आगरा में अगस्त 1999 में, उनके प्रावधान उत्तरदायित्व (पी मदें) वाली मदों की क्रियांशील पी आर एफ[27] की संख्या मास्टर पार्ट्स इन्डाईसेज़ (एम पी आई)[28] से एकत्रित 240187 के प्रति 167463 थी। उनके उत्तरदायित्व वाले उपस्करों से संबंधित विभिन्न मानकों में सम्मिलित मदों की कुल संख्या तथा इनका एक और तो "पी" मदों की सूचि से मिलान तथा दूसरी ओर पी आर एफ्स से मिलान करने के लिए अभिलेख रखने की कोई प्रणाली न होने के कारण यह पुष्टि करना संभव नहीं था कि प्रावधान की जाने वाली सभी मदें वास्तव में वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा में सम्मिलित कर ली गई हैं।

---

[27] सभी प्रचलित मदों के सम्बन्ध में पी आर एफ

[28] परिभाषा हेतु अर्थ शब्दावली देखें

प्रावधान कार्रवाई के लिए अति महत्वपूर्ण दस्तावेज पी आर एफ्स को सूचिबद्ध करने के लिए कोई यथोचित प्रणाली नहीं थी, जिसके कारण इन्हें खोजना तथा इनका लेखा-जोखा रखना कठिन था। प्रावधान पुनरीक्षा पर निर्देशों के अनुसार सभी पी आर एफ्स को सूचिबद्ध करना और उनको हटाने एवं सम्मिलित करने को प्रावधान अधिकारी/ सहायक प्रावधान अधिकारी द्वारा यथासत्यापित अभिलेखित किया जाना आवश्यक है। सी ए एफ वी डी किरकी में पी आर एफ्स की कोई उचित इन्डाईसेज नहीं थीं और रखे गये कुल पी आर एफ्स की संख्या यर्थाथता को किसी भी मात्रा में सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। उचित सूचिकरण के अभाव में यह सुनिश्चित करने के कोई साधन नहीं थे कि सभी पी आर एफ का लेखांकन हो गया है और लेखांकित पी आर एफ्स की अनिवार्य रूप से पुनरीक्षा हो रही थी।

2.8.3 मदों को पार्ट संख्याएं तथा नामावली आबंटित करने में विलम्ब

भण्डारों की अधिप्राप्ति, मांग एवं निर्गम से जुडे सभी पक्षों के उपयोग हेतु आयुध भंडार सूचियों में सम्मिलित सभी मदों को विशिष्ट पार्ट संख्याएं तथा मानक नामावली आबंटित की जाती है। भंडार सूचि के प्रभावी प्रबंधन जिसमें प्रावधान, अधिप्राप्ति और भण्डार धारण, मांग तैयार करना, निर्गम तथा स्थिति अद्यतन करना सम्मिलित है, के लिए इसका उद्देश्य अनेकार्थता, अस्पष्टता या भंडारों की नामावली तथा प्रकारों की भिन्नता को रोकना है। भंडार सूचि की मदों को पार्ट संख्या और नामावली का आबंटन न होने के फलस्वरूप अधिप्राप्ति में विलम्ब होता है जिससे प्रयोक्ता संतुष्टिकरण प्रभावित होता है। सी ओ डी आगरा में क्रमशः 1976 एवं 1984 में प्रकाशित शस्त्र प्रणाली 'ग' तथा 'घ' में सन्निहित 40,443 मदों में से 73.2 प्रतिशत मदों को अगस्त 1999 तक सी ओ एस सेक्शन/ पार्ट संख्या आबंटित नहीं की गयी थी। परिणामतः कोई प्रावधान अभिलेख नहीं बनाये गये और न ही प्रावधान कार्रवाई आरम्भ की गई। इसके अलावा रक्षा उपस्कर अनुसूचि प्रणाली के अन्तर्गत आयुध भंडार सूचि का कूट संहिताकरण का कार्य भी बकाया था। रक्षा मंत्रालय के मानकीकरण निदेशालय की सितंबर 1999 में आयोजित बैठक के कार्यवृत से एकत्रित कुछ चुने हुए डिपुओं के संबंध में प्रगति नीचे दर्शायी गई है:

सारणी 2.3 सितंबर 1999 में कूट संहिताकरण में प्रगति

क्रम सं.	डिपो का नाम	1999-2000 के लिए लक्ष्य (मदों की संख्या)	सितम्बर 1999 तक उपलब्धि	शेष	गिरावट की प्रतिशतता
1.	सी ओ डी आगरा	60,000	शून्य	60,000	100
2.	सी ओ डी दिल्ली छावनी	20,000	3460	16540	83
3.	सी ओ डी जबलपुर	2000	शून्य	2000	100
4.	सी ओ डी कानपुर	4000	1039	2961	74
5.	सी ए एफ वी डी किरकी	3500	3051	449	13

टिप्पणीः यद्यपि 31 मार्च 2000 को रक्षा उपस्कर अनुसूचि प्रणाली के अन्तर्गत कूट-संहिताकरण हेतु बकाया आयुध उत्तरदायित्व की भंडार सूची मदों की कुल संख्या से संबंधित आंकडे उपलब्ध नहीं थे, पांच डिपुओं[29] के संबंध में आंकड़े दर्शाते हैं कि 01 अक्तूबर 1999 को 46 प्रतिशत की सीमा में कार्य बकाया था।

ग्राफ - 3
कूट - संहिताकरण की प्रगति

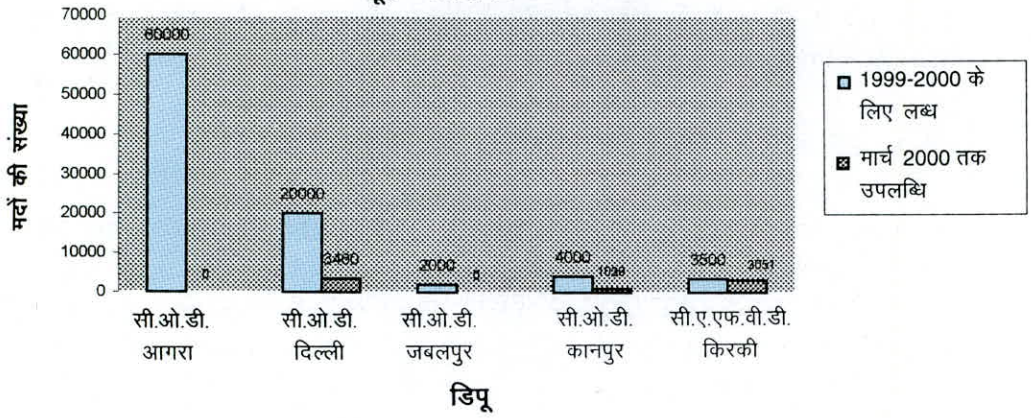

2.8.4 स्थिति के अद्यतन में विलम्ब

उपस्कर स्थिति के साथ-साथ संबंधित अतिरिक्त पुर्जों की स्थिति का लगातार अद्यतन करना यह सुनिश्चित करने की आवश्यक शर्त है कि केवल उन चालू मदों का ही प्रावधान किया जा रहा है जिनकी विशिष्टतायें मुहरबन्द विवरण धारक प्राधिकारियों (ए एच एस पी)[30] द्वारा अनुमोदित हैं। अन्य बातों के साथ इसका निहितार्थ यह है कि इस सम्बन्ध में डिपो अभिलेख अर्थात् सभी उपस्करों की मास्टर पार्ट इन डाइलिस (एम पी आईस) को नियत कार्य सूची (ए एल्स)[31] निर्गम के माध्यम से अद्यतन रखा जाये। तथापि लेखापरीक्षा जांच से पता लगा कि बहुत से मामलों में स्थिति अद्यतन करने का कार्य बकाया पड़ा था जिसके कारण डिपुओं के लिए यह आवश्यक हो गया था कि वे अपनी मांगों की अधिप्राप्ति कार्रवाई हेतु निर्मुक्त होने से पूर्व सत्यापन हेतु मुहरबन्द विवरण धारक प्राधिकारियों को भेजें। इसके फलस्वरूप अधिप्राप्ति में विलम्ब हुआ।

---

[29] सी ए एफ वी डी किरकी, सी ओ डी जबलपुर, 223 ए बी ओ डी, सी ओ डी छियोकी तथा सी ए डी पुलगांव।

[30] ये अपने उत्तरदायित्व वाले भंडारों की विशिष्टताओं तथा ड्राईंगों सहित तकनीकी सूचना रखने के लिए उत्तरदायी महानिदेशालय गुणवत्ता आश्वासन स्थापनाएं (डी जी क्यू ए) हैं।

[31] ये सूचियां वे हैं जिनके माध्यम से सम्बन्धित मुहरबंद विवरण धारक प्राधिकारियों द्वारा अतिरिक्त पुर्जों के सेवा में प्रवर्तन, स्थिति में परिवर्तन, सूची/पार्ट संख्या तथा नामकरण की सूचना सभी सम्बन्धित पक्षों को दी जाती है।

सी ओ डी आगरा के मामले में, जो कि इलैक्ट्रानिक उपस्कर तथा अतिरिक्त पुर्जे रखती है और जहां अप्रचलन की दर अपेक्षाकृत तेज है, समस्या ने गंभी रूप धारण कर लिया है। 10 मुहरबंद विवरण धारक प्राधिकारियों में ये केवल दो जिनके साथ डिपो व्यवहार करता है डिपो के अन्दर तैनात हैं और इनके पास भी पर्याप्त स्टाफ नहीं है तथा ये छोटी-छोटी पूछताछों का उत्तर देने में भी समर्थ नहीं है जिसके कारण डिपो को अधिप्राप्ति मामलों दूर-दराज स्थित पेरेन्ट मुहरबन्द विवरण धारक प्राधिकारियों को भेजने के लिए विवश होना पड़ता है।

2.8.5 उपस्कर की स्थिति की घोषणा तथा नियतकार्य सूचियों (ए एल) के प्रकाशन के बीच समय अन्तराल

लेखापरीक्षा ने पाया कि डी जी क्यू ए/ ए एच एसी पी द्वारा उपस्कर की स्थति को अप्रचलन में अथवा अप्रयुक्त घोषित करने तथा ऐसे उपस्करों के संबंधित वर्ग 'ख' अतिरिक्त पुर्जों के निपटान हेतु नियत-कार्य सूचियों के प्रकाशन के बीच विस्तृत समय अन्तराल रहा था। इन समय अन्तरालों, जो कि एक से आठ वर्ष तक की सीमा तक के थे, के कारण अवांछित अतिरिक्त पुर्जों के अधिक प्रावधान हो जाने से परिहार्य वित्तीय हानि का जोखिम था, विशेषकर एक ओर अप्रचलन वाले उपस्कर के बारे में और दूसरी ओर उपस्कर एवं उससे संबंधित अतिरिक्त पुर्जों के निपटान में विलम्ब के कारण। सी ओ डी आगरा में पाये गये ऐसे मामलों की कुछ बानगियां नीचे दी गयी हैं

सारणी 2.4 उपस्कर की स्थिति अप्रचलन में अथवा अप्रयुक्त रूप में घोषित होने तथा नियत कार्य सूचियों (ए एल्स) के प्रकाशन के बीच लिया गया समय

क्रम सं.	मद पार्ट संख्या/ नामावील	स्थिति	स्थिति/ नियत कार्य सूचि का डी जी क्यू ए द्वारा अनुमोदन	समय अन्तराल (वर्ष)
1	जैड 5-6665-000144 डिटेक्टिंग सेंट माईन 9-ए	ओ बी टी	एल/टी ई एल/सी क्यू ए (एल)-1884 दिनांक 19.5.95 तथा ए.एल.सी.क्यू.ए.(ए एल)/जैड/33 दिनांक 22.4.98	3
2	जैड 1/जैड ए -5650 रेडियो सैट आर 105 डी	ओ बी ई	एल/टी ई एल/ सी क्यू ए(एल)/ ए जी डी -1915 दिनांक 3.6.96 और ए एल सी क्यू ए(एल)/ जैड1/1438 दिनांक 29.4.98	2
3	जैड-5/6665-000001 डिटेक्टर माईन 7-ए	ओ बी टी	एल/टी.ई.एल./सी क्यू.ए.(एल) ए जी डी-1808 दिनांक 14.5.90 और ए.एल.सी क्यू.ए.(एल)/जैड-5/31 दिनांक 19.1.98	8
4	एक्स ई-1x बी-2911 जैन सैट डीज़ल ईंजन ए सी और जेन सेट 130 वी ए सी	ओ बी इ	एल/टी ई एल/सी आई पी/ए जी डी-25 दिनांक 27.2.87 और ए.एल.डी.जी.क्यू.ए. बंगलौर सं. 77956/जेन दिनांक 28.5.95	8

सी ए एफ वी डी किरकी में टी-54 तथा पी टी-76 टैंक क्रमशः नवम्बर 1994 और अप्रैल 1996 में अप्रयुक्त घोषित कर दिये गये थे। टी-54 के लिए मार्च 1995 से नवम्बर 1999 तक प्रकाशित ए एल अभी भी पूर्ण होना शेष थी।

पी टी -76 के मामले में ए एल का प्रकाशन नवम्बर 1996 में प्रारम्भ हो कर मार्च 2000 में पूर्ण हुआ।

2.8.6 अवास्तविक क्षति आंकड़े

सी ओ डी में प्रावधान उद्देश्यों हेतु अपनाए गए क्षति आंकडों में अन्तर-सोपानक स्टॉक स्थानांतरण भी सम्मिलित थे जोकि वस्तुतः खपत नहीं थी। प्रक्रिया में प्रयोक्ता स्तर पर खपत आंकडों को प्राप्त किये जा सकने की कोई सुविधा नहीं ह; जो कि यर्थाथ में, एक वास्तविक खपत है। इस कार्य-अभ्यास से संबंधित नीति के अन्तर्गत भंडार सूचि उपलब्धता तथा दृष्टिगतता के परिपेक्ष्य में, पुनः जांच की आवश्यकता होती है।

मदों हेतु मांगे वर्तमान स्टॉक से पूरी न हो सकने पर इनको निर्गमों में दर्ज किया जाता था। नियमों के अनुसार निर्गमों को प्रावधान उद्देश्यों हेतु दायित्वों के रूप में गिना जाता है। तथापि जबतक कि ऐसी मांगों के नवीनीकरण हेतु अनुरोध इस अवधि की समाप्ति से ठीक पहले प्राप्त नहीं होते, तीन वर्ष से अधिक के अदत्त निर्गम स्वतः रद्द माने जाते हैं। सी ए एफ वी डी किरकी में 133 पी आर एफ्स की नमूना जांच से पता चला कि 12 मामलों में, प्रावधान पुनरीक्षा के दौरान, दायित्व का पता लगाते समय निरस्त निर्गमों के 50 प्रतिशत भाग पर विचार नहीं किया गया था जिसके कारण 2.01 करोड़ रूपए की परिहार्य देयता रही। यह प्रक्रिया सी ओ डी आगरा में भी प्रचलित थी तथा लेखा परीक्षा द्वारा 10 मामलों की नमूना जांच में देखा गया कि 1997-2000 के दौरान 5.46 करोड़ रूपये की अतिरिक्त देयता रही। वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा के दौरान निरस्त निर्गमों के 50 प्रतिशत भाग को देयता के रूप में लेने के औचित्य को स्थापित करने के लिए पुनः जांच की आवश्यकता है। यह विशेषतया आवश्यक था क्योंकि आवश्यकता को या तो वैकल्पिक रूप से पूरा किया जा सकता था या फिर आवश्यकता बिल्कुल भी न होती जिससे पूर्वप्रभावी प्रावधान कार्रवाई अनावश्यक सिद्ध हो जाती।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सी ओ डीज द्वारा क्रेता सोपानकों के पक्ष में रखे जाने वाले निर्गमों के निरस्तकरण हेतु तथा क्षति आंकड़े अभिलेखित करने के लिए सी ओ डीज द्वारा जारी किये गए अनुपलब्धता प्रमाणपत्रों के प्रति निम्न सोपानकों द्वारा किए गए स्थानीय क्रयों को, क्रेता सोपानकों द्वारा सूचित नहीं किया जा रहा था। इस असफलता के परिणामस्वरूप अत्यधिक प्रावधान होता है। इस संबंध में, 6 एफ ओ डी द्वारा 12 लाख रूपयों के एम टी भण्डारों का क्रय किया जाना तथा इनकी बाबत सी ओ डी दिल्ली छावनी को सूचित न किया जाना, ऐसी असफलताओं के बारे में इंगित करता था।

2.8.7 एम एम एफ की यथार्थता

मासिक रख-रखाव संख्या (एम एम एफ) भावी आवश्यकताओं पर नियंत्रण रखने वाले किसी भी जाने-माने कारक (कारकों) द्वारा संशोधित किये जाने वाले पिछले औसत निर्गमों परआधारित एक मद की एक माह हेतु अनुमानित/ संगणनाकृत मांग होती है। चूंकि यह प्रावधान से संबंधित सभी संगणनाओं हेतु एक मूल संख्या होती है, इसकी संगणना में, यदि कोई, अयथार्थता होती है तो इसका सोपानी जलप्रपाति प्रभाव होता है और इसकी परिणति भारी अल्प/फालतू प्रावधान के रूप में होती है। एम एम एफ की संगणना जोकि अधिकांशतः साधारण औसत विधी के माध्यम से की जा रही है, वैटेड मूविंग एवरेजेस एवं चरघांताकी सरलीकरण[32] जैसी उच्च पूर्वानुमान लगाने में सहायक तकनीकों के प्रयोग के माध्यम से परिष्करण की गुंजाइश छोड़ती है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सी ए एफ वी डी किरकी में प्रावधान पुनरीक्षा के दौरान एम एम एफ को निकटतम निम्नतर पूर्णांक में परिवर्तित किया जा रहा था। ऐसी कार्रवाई हेतु विनियमों/ अनुदेशों के किसी भी प्रावधान में जिक्र नहीं था। सी ए एफ वी डी किरकी में 52 मामलों के एक नमूने के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि 13 मामलों में एम एम एफ को उच्चतर निकटतमता दी गई थी जिसके कारण देयता 41.12 लाख रूपये से बढ़ गई थी। डिपू ने बताया कि कुछ मामलों में देयता में वृद्धि अन्य मामलों की न्यूनीकृत देयताओं से, जिनमें निकटतमता निम्न ओर थी, संतुलित हो जाती। यह तर्क मान्य नहीं है क्योंकि कुछ मदों के बढ़ाये गए स्टॉक से किसी भी प्रकार से उन अन्य मदों हेतु मांगों की, जिनमें स्टॉक नीचे की ओर निकटतमता देने के कारण घट गया था, क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। अतः एम एम एफ में मांग की ठीक दो दशमलव तक निकटतया यथार्थ प्रायोजना की आवश्यकता थी। डिपू ने मई 2000 में पुनरीक्षा चक्र 2000-2001 से अनुपालन हेतु नोट करने के लिए इसे मान लिया।

2.8.8 बढ़ाये गये रखरखाव दायित्व तथा संशोधन कारक के कारण अधिक प्रावधान हुआ

1999-2000 के लिए थलसेना मुख्यालय द्वारा सी ओ डी दिल्ली छावनी को जारी किये गए एस पी आर डी में उनकी इंजन ओवरहॉल तथा परिणामी मार्ग-अयोग्य दशा के कारण निशान श्रेणी के वाहनों के रख-रखाव हेतु कम हुए दायित्व को सम्मिलित नहीं किया गया। लेखापरीक्षा द्वारा नमूना जांच में पता चला कि यदि मार्ग योग्य वाहनों की वास्तविक संख्या के संदर्भ में, वास्तविक रख-रखाव दायित्व पर विचार किया गया होता तो 33.64 लाख रूपये की देयता कम की जा सकती थी। इसी प्रकार, दो वर्ष की वारंटी वाले हाल ही में सम्मिलित किये गये वाहनों की रख-रखाव हेतु गणना की गयी

[32] अर्थ शब्दावली देखें।

थी। ऐसे प्रावधान की नमूना जांच में पता चला कि 67.92 लाख रूपये मूल्य की मदों[33] के प्रावधान को कम करने की गुजांइश थी।

सी ए एफ वी डी किरकी में लेखापरीक्षा ने एक ऐसी गणितीय त्रुटि नोट की जिसके कारण संशोधन कारक बढ़ गया था तथा जिसके परिणामस्वरूप 5.15 लाख रूपये मूल्य के भण्डारों का अधिक प्रावधान हुआ था।

संशोधन कारक, मूल प्रावधान कारकों में से एक है। इसकी गणना में किसी भी प्रकार की गलती से गंभीर प्रतिक्रियाएं होती है जिसके कारण अल्प/ अधिक प्रावधान होता है। इसलिए, इसके अपनाने से पहले 100 प्रतिशत पर्यवेक्षी जांच आवश्यक है। संगणनात्मक कार्य के लिए दोनों परिष्कृत फार्मूलों को लागू करने तथा संगणनात्मक यथार्थता सुनिश्चित करने के लिए, प्रावधान लिपिकों की एकाकी शैली में भी, कम्प्यूटरों का प्रयोग आवश्यक प्रतीत होता है। इसका आशय है कि प्रावधान स्टाफ कम्प्यूटर शिक्षित होना चाहिये।

2.8.9 वितरण स्टॉक[34]

उक्त विषय पर डी जी ओ एस के तकनीकी अनुदेशों के अनुसार इन अभिलेखों को संबंधित लेखा कार्ड के ठीक सामने रखना होता है तथा लेखा कार्डों पर " डी आई एस पी" मुद्रांकित किया जाता है। सी ए एफ वी डी किरकी विभिन्न एफ ओ डीज़/ ओ डीज़/ डी ओ यूज/ सी वी डी में धारित 400 मदों के संबंध में वितरण स्टॉक का रख-रखाव कर रहा है। वितरण अभिलेखों को लेखा कार्डों से पृथक रखा जा रहा था और इसका परिणाम ऐसे उदाहरण थे जिनमें प्रावधान पुनरीक्षा के दौरान वितरण स्टॉक के रूप में धारित स्टॉक शेष पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। लेखापरीक्षा द्वारा 40 वितरण अभिलेखों के एक नमूने की जांच से प्रकट हुआ कि 22 मामलों में 01 अप्रैल 1999 को आरम्भ किये जाने हेतु नियत प्रावधान पुनरीक्षा के दौरान, 2.36 करोड़ रूपये मूल्य की परिसंपत्तियों पर विचार नहीं किया गया। इनमें से नौ मामलों में जमा शेष थे और इसी लिये नयी अधिप्राप्ति नहीं की गयी, तथापि, 13 मामलों में अधिप्राप्ति कार्रवाई की गयी थी जोकि अधिक प्रावधान के एक तत्व के समान थी और जिसके परिणामस्वरूप 2.26 करोड़ रूपये का परिहार्य व्यय हुआ। लेखापरीक्षा, डिपो के इस दृष्टिकोण से कि क्योंकि इन वितरण स्टाक्स का वहां निर्गम करके जहां इनकी मांग थी, प्रयोग किये जाने के कारण केवल इसलिए कि इन " पेपर परिसंपत्तियों" पर प्रावधान उद्देश्यो के लिए विचार नहीं किया जा रहा था, कोई विपरीत प्रभाव नहीं पढ़ता था, सहमत नहीं है। चूंकि ये स्टॉक्स भी, भले ही ये विभिन्न स्थानों में भण्डारित हैं, सी ओ डीज की परिसंपत्तियां हैं, ऐसी परिसंपत्तियों की उपेक्षा करने का अर्थ वर्तमान

[33] इस मामले के विवरण के लिए परिशिष्ट 'घ' देखें।

[34] अर्थ शब्दावली देखें।

परिसंपत्तियों को कम करके आंकना तथा इसके द्वारा अधिप्राप्ति हेतु आवश्यकता को बढ़ाना होता है।

सी ओ डी कानपुर में, वितरण भण्डारों के संबंध में वितरण अभिलेखों का रख-रखाव भी नहीं किया जा रहा था तथा डिपो का मार्ग-दर्शन साधारणतया ऐसे ओ डी से प्राप्त आवधिक प्रतिवेदनों से जहां वितरण स्टॉक्स धारित थे, हो रहा था। इस प्रक्रिया से इन स्टॉक्स पर नियंत्रण रखने में कमी आती है तथा प्रावधान उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियाँ सम्मिलित नहीं हो पाती है।

2.8.10 विकेन्द्रीकृत युद्ध क्षति रिजर्व (डब्ल्यू डब्ल्यू आर)

नीति निर्देशों के अनुसार, डब्ल्यू डब्ल्यू आर के घटकों को, जोकि निचली फार्मेशन्स को विकेन्द्रीकृत होते हैं, अखिल भारतीय दायित्व के प्रति परिसंपत्तियों के रूप गिना जाता है। इसलिये यह अत्यावश्यक है कि प्रावधान पुनरीक्षा के समय, निचले सोपानकों द्वारा धारित ऐसी सभी परिसंपत्तियों की बाबत संबंधित सी ओ डी को सूचित किया जाए। लेखापरीक्षा ने पाया कि निचले सोपानों द्वारा धारित ऐसी परिसंपत्तियों की उपेक्षा की जा रही थी। इसके परिणामस्वरूप अधिक प्रावधान होने की संभावना है।

2.8.11 मांग प्रस्तुत करने में विलम्ब

अधिकतम सी ओ डी में आंतरिक लीड-समय अत्यधिक थे। डी जी ओ एस तकनीकी अनुदेश 040 के पैरा 136 के अनुसार अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति हेतु मांगें, दो माह के भीतर प्रस्तुत करनी होती हैं, तथापि मांगों को प्रस्तुत करने से पहले काफी समय लग जाता है। विलम्ब सी ए एफ वी डी किरकी में 2 वर्ष तक, सी ओ डी जबलपुर में 18 माह तक तथा सी ओ डी दिल्ली छावनी में 12 माह तक की सीमा के थे। सी ओ डी आगरा के मामले में, जहां मांगों की विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में स्थित मुहरबंद विवरण धारक प्राधिकारियों द्वारा विधीक्षा करानी पड़ती थी, विल्म्ब अनेक माह का रहा, जिससे अधिप्राप्ति प्रक्रिया पटरी से उतर गयी। इस विषय पर इस प्रतिवेदन के एक पृथक अध्याय 'बजट एवं अधिप्राप्ति' में विस्तृत क्रय से व्याख्या की गयी है।

जैसा कि नीचे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है, सी ओ डी दिल्ली छावनी में, पिछले चार वर्षों के दौरान वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय, मांग के अन्तर्गत मदों से संबंधित, औसतया, 38.8 प्रतिशत मामले संसाधन के अन्तर्गत रहें।

सारणी 2.5 सी ओ डी दिल्ली छावनी में 1995-99 के दौरान संसाधित किये जाने हेतु मांग के अन्तर्गत मदों की स्थिति

वर्ष	मांग के अन्तर्गत मदों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संसाधन के अन्तर्गत मदों की संख्या	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संसाधन के अन्तर्गत मदों की प्रतिशतता
1995-96	6869	2823	41.09
1996-97	4117	575	13.97
1997-98	3734	1119	29.96
1998-99	3537	2583	73.02
Total	18297	7100	38.80

स्टाक्स की समय पर प्रतिपूर्ति तथा प्रभावी भंडार सूची प्रबंधन हेतु, आदेश प्रस्तुत करने में तत्परता अत्यावश्यक है क्योंकि वर्तमान प्रणाली में ऐसे असामान्य विलम्बों, जोकि समग्र प्रावधान प्रणाली तथा बजटीय नियंत्रण को विकृत कर देते हैं, को समाहित करने हेतु कोई स्थान नहीं है। मांगों का विलम्ब से प्रस्तुतिकरण उपलब्धता को प्रभावित करता है तथा प्रयोक्ताओं की संतुष्टि में भी कमी लाता है।

2.8.12 मांगों का प्रस्तुत न किया जाना

अनेकों मामलों में प्रकट मांगों हेतु आपूर्ति आदेश नहीं थे। वार्षिक पुनरीक्षा के दौरान मांग के अन्तर्गत मदों में से, कुछ प्रतिशत मदों को अधिप्राप्ति कार्रवाई हेतु संसाधित नहीं किया गया था। सी ओ डी दिल्ली छावनी में स्थिति निम्न प्रकार थी:

सारणी 2.6 1995-99 के दौरान सी ओ डी दिल्ली छावनी में स्थगित रखी गयी मांग के अन्तर्गत मदों की प्रतिशतता।

वर्ष	मांग के अन्तर्गत मदों की संख्या	स्थगित रखी गयी मदों की संख्या (मांगें प्रस्तुत नहीं की गयी)	स्थगन की प्रतिशतता
1995-96	6869	582	8.47
1996-97	4117	204	5.00
1997-98	3734	528	14.14
1998-99	3537	678	19.17

लेखापरीक्षा का मत है कि बहुत कम मांगों के मामलों को छोड़कर, प्रकट मांगों के संबंध में अधिप्राप्ति कार्रवाई को रोके रखने के लिए या तो वित्तीय अर्थों में या संचालन अर्थों मे तर्कसंगत औचित्य होना चाहिए। किसी भी मामले में, भंडार सूचि में असंतुलनों से बचने तथा प्रयोक्ता संतुष्टि स्तरों में सुधार करने के लए ऐसे स्थगनों हेतु मानक निर्धारित करने की आवश्यकता है। सी ओ डी स्तर पर प्रकट मांगों के संबंध में

अधिप्राप्ति कार्रवाई न करने के कारण निचले सोपानकों में कमियां उत्पन्न हो जाती हैं जिससे स्थानीय क्रय करने की आवश्यकता पड़ जाती है।

लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि एम जी ओ ब्रांच की वित्तीय प्रबंधन नीति -1997 के जारी होने पर इंजनों, टायरों, बैटरियों जैसे वर्ग 'ख' भण्डारों तथा सी ओ डी/ डी डी जी ओ एस (जी एस एण्ड सी) के स्तरों पर प्रकट उच्च मूलय वाली जी एस एण्ड सी मदों की एक श्रेणी से संबंधित मांगों को उस स्तर पर दोनों, वर्गों 'क' एवं 'ख' भण्डारों के संबंध में अधिप्राप्ति हेतु विचार करने के लिए तैयार किये गये "प्राथमिकता अधिप्राप्ति योजना" के एक भाग के रूप में अधिप्राप्ति के लिए विचार करने हेतु थलसेना मुख्यालय को भेजा जा रहा था। लेखापरीक्षा ने महसूस किया कि यह प्रक्रिया, वर्ग 'ख' भण्डारों, जिसके संबंध में मांगें प्रकट होने पर उनका सामान्य संसाधन तथा अधिप्राप्ति कार्रवाई की जाती है, हेतु वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा की अवधारणा के विपरीत चलती है। सामान्य धारा से कुछ मदो को हटाने तथा इन्हें स्वाभाविक रूप में अधिप्राप्त किये जाने वाले बाकी के संबंधित अतिरिक्त पुर्जों को छोडकर, वर्ग 'क' उपस्करों की अधिप्राप्ति के साथ जोड़ने से भंडार सूचि धारणों में असंतुलन उत्पन्न हो जाना सम्भव था। ऐसी मदों के संबंध में अधिप्राप्ति कार्रवाई करने के लिए, प्राथमिकता अधिप्राप्ति योजना को अन्तिम रूप दिये जाने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप अधिप्राप्ति में विलम्ब होता है। आगे, चूँकि इन मदों हेतु बजटीय प्रावधान, वर्ग 'क' भण्डारां हेतु बजटीय प्रावधानों से पृथक होते हैं दो वर्गों के बीच परस्पर प्राथमिकीकरण नहीं किया जा सकता है। किसी भी मामले में, वर्तमान प्राश्रितता की रख-रखाव मांगों को नये पूँजीगत उपस्करों के अर्जन के साथ जोड़ने की प्रक्रिया ठोस प्रतीत नहीं हुई और इसकी पुनः जांच की आवश्यकता है।

2.8.13 निपटान हेतु प्रकट आधिक्यों को घोषित करने में असफलता

लेखापरीक्षा ने पाया कि डिपुओं की प्रवृति प्रकट आधिक्यों को बनाये रखने की थी जोकि उनकी "ठीक यदि" अभिवृति को दर्शाता था। इस विषय पर प्रतिवेदन[35] में अन्य स्थान पर विस्तार से व्याख्या की गई है।

2.8.14 पांच वर्ष के दायित्व के लिए प्रावधान के कारण भंडार सूची में अधिक संयम

सी ए एफ वी डी किरकी तथा सी ओ डी आगरा उन वाहनों/ उपस्करों के संबंध में, जिनके ओवरहॉल का उत्तरदायित्व उनके मरम्मत कार्यक्रम के अनुसार इलैक्ट्रिकल एण्ड मकैनिकल इंजिनियरिंग कोर (ई एम ई) का होता है, अगले पाँच वर्षों की ओवरहॉल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दायित्व निर्धारण की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। ओवरहॉल दायित्वों के अलावा, रख-रखाव के लिए भी, यदि मदें "मुक्त प्रवाह"[36]

[35] अधिशेष प्रबन्धन (निपटान) अध्याय देखें

[36] अर्थ शब्दावली देखें।

की श्रेणी में सम्मिलित नहीं थी, दायित्व अवधि को पांच वर्ष आंका गया था। एम जी ओ ब्रांच की वित्तीय प्रबंधन नीति 1997 के क्रियान्वयन का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, मामलों के संसाधन समय में कमी करना तथा इसके द्वारा अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति में और तेजी सुनिश्चित करना था। आगे, इस नीति को दोनों आयुध और ई एम ई में एक तीन वर्षीय रोल-ऑन आधार पर प्रावधान /योजना करने के सिद्धान्त पर चलाया जाता है। फोकस के इस पाँच वर्ष से तीन वर्ष के विस्थान के प्रकाश में, वर्तमान प्रक्रिया में संगत परिवर्तन करने की आवश्यकता थी। मामले को दिसम्बर 1999 में डी जी ओ एस द्वारा मंत्रालय के सामने लाया गया था परन्तु मंत्रालय ने यथा स्थिति जारी रखने के लिए निदेश दिया। मंत्रालय का यह निर्णय स्वयं मंत्रालय द्वारा ही अनुमोदित वित्तीय प्रबंधन नीति की भावना के विपरीत गया।

सी ए एफ वी डी किरकी में 1998 तथा 1999 के दोरान किये गये प्रावधान के 83 मामलों के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता लगा कि पाँच वर्षों हेतु किये गये प्रावधान में से 43 प्रतिशत अतिरिक्त पुर्जों का प्रावधान अन्तिम दो वर्षों के लिए किया गया था। चूंकि 1994-99 की अवधि के दौरान पता चली अतिरिक्त पुर्जों के प्रावधान हेतु औसत मांग 93.37 करोड़ रूपये की थी, अतः यदि दायित्व अवधि वर्तमान पाँच वर्ष के स्थान पर तीन वर्ष के लिए सीमित की गयी होती तो 40.15 करोड़ रूपये की निधियों के बहिर्गमन को रोका जा सकता था। इससे डिपो के कार्यभार को कम करने में तथा भंडार सूची को, भंडार सूची धारण लागतों में भारी कमी करने के अलावा, प्रबंध योग्य स्तर तक लाने में भी सहायता मिलेगी। सी ओ डी आगरा में, 1994-99 के दौरान अधिप्राप्ति पर औसत वार्षिक व्यय 85 करोड़ रूपये था, आवश्यकता को घटा कर तीन वर्ष करने से इस व्यय को 40 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है।

2.8.15 कार्यप्रणाली मे परिवंचना करके किये गये प्रावधान के मामले

सामान्य प्रावधान प्रक्रिया में आयुध द्वारा, मांग निर्धारण वास्तविक अधिप्राप्ति से पूर्व किया जाता है, तथापि मंत्रालय ने जुलाई 1999 से फरवरी 2000 के दौरान 153.63 करोड़ रूपये की लागत पर एक उपस्कर के कुछ अतिरिक्त पुर्जों के आयात हेतु तीन संविदायें कीं। लेखापरीक्षा ने पाया कि ये संविदांए महानिदेशक विद्युत एवं यांत्रिक इंजिनियरिंग (डी जी ई एम ई) द्वारा निर्धारित आवश्यकताओं के आधार पर की गयीं थीं। यद्यपि डिपो ने अगस्त 1999 में संविदाओं में से, 97.65 करोड़ रूपये की एक संविदा करने से पूर्व, ई एम ई द्वारा तैयार की गयी सूची की विधीक्षा कर दी, तो भी अक्तूबर 1999 में, इसने बताया कि ई एम ई की सिफारिशों के आधार पर अतिरिक्त पुर्जे अधिप्राप्त करने की प्रक्रिया ने डिपो की वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा को दर किनार कर दिया था और मत प्रकट किया कि इससे अधिक प्रावधान हो सकता था।

आई सी वी से संबंधित अतिरिक्त पुर्जों से संबंधित एक और अन्य मामले में, परियोजना 'व्हाइट लिलि' द्वारा आरम्भ की गयी अधिप्राप्ति कार्रवाई की परिणति, बिना आयुध सेवाओं के सहयोग से, 27.09 करोड़ रूपये के अतिरिक्त पुर्जो की अधिप्राप्ति की

संस्वीकृति में हुई। पुनरीक्षा के समय (मई 2000) इन भण्डारों के संबंध में अधिप्राप्ति कारवाई, संविदाकरण और प्राप्ति की विभिन्न अवस्थाओं में थी।

ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अपर्याप्त परस्पर क्रिया वाले प्रावधान एवं अधिप्राप्ति प्राधिकारियो का बहुमूल्य था, जिससे सी ओ डी के कमांडेन्ट्स, जो अकेले इन कार्यों हेतु उत्तरदायी होते हैं, का उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही कम हो जाती है इसके अतिरिक्त, अत्यधिक एवं अवांछित प्रावधान की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता था।

2.8.16 प्रावधान से संबंधित कार्य के कम्प्यूटरीकरण में विलम्ब

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिकतम डिपुओं में प्रावधान पुनरीक्षा का कार्य जिसमें संगणनात्मक कार्य की एक बड़ी मात्रा सम्मिलित होती है, हाथ से किया जा रहा था। इस संगणना में यथार्थता की बहुत अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें गलतियाँ बहुगुणित हो जाती हैं तथा परिणामतः निधियों की बाबत अनावश्यक वचनबद्धता हो सकती है। आगे हस्तेन संगणना में परिष्कृत भावी अनुमान लगाने वाली तकनीकों को जोकि अब बेहतर परिणामों हेतु उपलब्ध हैं, प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। अत्यधिक सारणीकरण तथा कठिन गणनाओं से कार्य नीरसता, कठिनता तथा सामान्यता की और प्रवृत होता है जिससे निर्णय से संबंधित आगमों, जोकि भावी अनुमान लगाने के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं, के लिए बहुत कम समय बचता है।

साथ-साथ, लेखापरीक्षा ने पाया कि सी ओ डी दिल्ली छावनी में, जहां आयुध भंडार सूची में स्वचालितकरण 1968 में आरम्भ हुआ था, सवचालित प्रावधान पुनरीक्षा के संबंध में पर्याप्त बग उन्मूलन नहीं किया गया था ताकि गलतियों को दूर किया जा सकता और यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि स्वचालित पुनरीक्षा के बाद प्रायः सभी मदों की हस्तन पुनरीक्षा की जा रही थी। यह असंगतता 1997 में आयुध निदेशक (निरीक्षण) द्वारा प्रकाश में लाये जाने के पश्चात् भी जारी रही। प्रयास के दोहरीकरण को दूर करने के लिए सिफ़ारिश की गयी थी।

इस विषय पर "कम्प्यूटरीकरण" पर एक पृथक अध्याय में आगे चर्चा की गयी है।

2.8.17 चयनात्मक भंडार सूची नियंत्रण

पैरेटो का सिद्धान्त "वाईटल फ्यू एण्ड ट्रिविअल मैनी"[37] सैन्य भण्डार सूची के मामले में भी समान रूप से सही सिद्ध होता है। निवेश की गयी निधियों को एक बड़ा अनुपात मदों की केवल एक छोटी सी प्रतिशतता के लिए है। यह लक्षण जिसने चयनात्मक भंडार सूची नियंत्रण के सभी कार्यों को सम्भव बनाया है, लागत, महत्वपूर्णता, संचलन

[37] सिद्धान्त के स्पष्टीकरण हेतु परिशिष्ट 'ड.' देखें।

पद्धति और उपलब्धता की सुलभता के आधार पर विभेदी प्रबन्ध हेतु विभिन्न प्रकार से भंडार सूची खण्डीकरण को अनुमेय करता है। इन नयी तकनीकों का अब व्यापार और विश्व भर की रक्षा सेवाओं में लगभग सार्वभौमिक तौर पर उपयोग हो रहा है। आयुध सेवाओं में इनको अपनाये जाने की आवश्यकता सुस्थापित तथा काफी लम्बे समय से प्रतीक्षित है।

थलसेना आयुध सेवायें ने अप्रैल 1984 में ही रक्षा मंत्रालय के अनुमोदन से सी ओ डी छियोकी में एक मार्गदर्शी परियोजना के माध्यम से यह प्रक्रिया अप्रैल 1984 में ही आरम्भ कर दी थी। तथापि यह क्रियान्वयन समस्याओं विशेषकर प्रावधान प्राधिकारी डी डी जी ओ एस (जी एस एंड सी) के डिपो से दूर स्थित होने तथा भंडार विवरण के प्रस्तुतिकरण में विलम्बों के कारण 1988 में समाप्त कर दी गयी थी। जून 1996 में सभी केन्द्रीय आयुध डिपुओं तथा सी ए एफ वी डी किरकी को तीन मुख्य उपस्करों की सभी मदों का ए बी सी विश्लेषण करने के लिए कर इस प्रयास को पुनर्जीवित किया गया था। डी डी जी ओ एस (जी एस एण्ड सी) को भी अपने उत्तरदायित्व वाली सभी मदों के सम्बन्ध में यह करना था। तथापि जून 1996 में जारी यह आदेश विभिन्न समस्याओं जो कि डिपुओं में विद्यमान अधिसंरचना के अन्तर्गत नहीं सुलझायी जा सकती थी, के कारण अगस्त 1997 में निरस्त कर दिया गया था। इन तकनीकों की आवश्यकता महसूस किये जाने के बाद से 16 वर्ष का समय बीत जाने के उपरान्त भी इनका औपचारिक प्रवर्तन अब तक लम्बित है। इन अतिवांछित कार्यप्रणालियों के प्रवर्तन में आने वाली समस्याओं पर कोई विचार किया गया था यह दर्शाने वाला भी कोई साक्ष्य नहीं था।

2.8.18 प्रावधान पर प्रभाव

विभिन्न केन्द्रीय आयुध डिपुओं में गत पांच वर्षों के दौरान वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षाओं में मद धारक मांगों की प्रतिशतता नीचे सारणी में दी गयी है:

सारणी 2.7 वर्ष 1994-99 के दौरान केन्द्रीय आयुध डिपुओं में पुनरीक्षा के अन्तर्गत पता लगी मद धारक मांगों की प्रतिशतता

वर्ष	सी ओ डी आगरा	सी ओ डी दल्ली छावनी	सी ओ डी जबलपुर	सी ओ डी कानपुर	सी ए एफ वी डी किरकी
1994-95	6.85	उपलब्ध नहीं	6.59	9.14	9.88
1995-96	6.46	11.30	11.85	8.58	17.47
1996-97	9.62	6.72	11.35	8.61	18.00
1997-98	10.16	6.09	10.81	9.03	12.70
1998-99	7.40	5.77	14.14	9.14	11.22

यह पद्धति प्रावधान तथा अधिप्राप्ति कार्रवाई में मार्गदर्शन हेतु भंडार सूची को तेजी से निगमित होने वाले, मंद निर्गमित होने वाले तथा निर्गमित न होने वाली भंडारों के रूप में वर्गीकरण की सुपरिचित तकनीक को लागू करने की सुगमता एवम् आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाती है।

लेखापरीक्षा ने सी ए एफ वी डी में कुछ उपस्करों से सम्बन्धित मंद निर्गमित होने वाली तथा निर्गमित न होने वाली 178 मदों का पता लगाया। इनमें से 58 मदों का इनकी आरम्भिक अधिप्राप्ति के समय से ही कोई निर्गम दर्ज नहीं किया गया था। शेष 120 के मामले में निर्गमन न्यून्तम था। किन्तु डिपो ने इन सभी मामलों में और अधिप्राप्ति कार्रवाई की थी जिसके परिणामस्वरूप अधिक प्रावधान हो गया था। यदि प्रावधान पुनरीक्षा के समय ही निर्गमन पद्धति का विश्लेषण किया गया होता तो इस व्यर्थ के व्यय से बचा जा सकता था।

आयुध सेवाएं ने चयनात्मक भंडार सूची नियंत्रण तकनीकों के आँशिक क्रियान्वयन में पुनरीक्षा चक्र में मद धारक मदों की शीघ्र पुनरीक्षा करने के साथ-साथ उच्च मूल्य की मांगों की, निर्णय लेने वाले[38] उपयुक्त स्तरों पर, संवीक्षा की प्रणाली को लागू किया है। लेखापरीक्षा ने देखा कि सी ओ डी आगरा, सी ओ डी दिल्ली छावनी तथा सी ओ डी जबलपुर में भी चयनात्मक भंडार सूची नियंत्रण के कुछ अथवा अन्य प्रकारों के प्रयास किये गये थे किन्तु ये प्रयास अलग-थलग, विखण्डित तथा असतत् थे जिनके सीमित परिणाम प्राप्त हुए थे।

इन तकनीकों को लागू करके पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सम्पूर्ण भंडार सूची को संचालन तथा वित्तीय दोनों आधारों पर प्रणालीबद्ध तरीके से वर्गीकृत किये जाने तथा प्रत्येक वर्ग के लिए भिन्न आवधिकता निर्धारित किये जाने की आवश्यकता है। इन प्रणालियों को लागू करके पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए सभी सम्बन्धित प्रावधानों को तद्नुसार पंक्तिबद्ध किया जाना चाहिये जिससे न केवल भंडार सूची में निवेश का वांछित स्तर बना रहेगा बल्कि इससे कुल कार्यभार भी कम होगा।

2.9 संस्तुतियां

पाई गई बाधाओं और की गई आपत्तियों को देखते हुए लेखा परीक्षा सिफारिश करता है कि:

(क) सेना आयुध सेवाओं को भण्डारण सूची के पूर्ण स्वचालित होने तक विद्यमान नियमों के अनुसार वर्तमान में भण्डारण सूची नियंत्रण के लिए प्रचलन में "आवधिक पुनरीक्षा प्रणाली" पुनरीक्षा कार्य आंकडों के साथ (आर ए एफ)

[38] जैसा कि सी ए एफ वी डी किरकी द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति के उत्तर में दर्शाया गया है।

"अंतरिम पुनरीक्षाओं" के प्रावधानों का पूरा उपयोग तथा "विशेष पुनरीक्षाओं" को जारी रखना चाहिए। मितव्ययता और लिपिकीय कार्यभार को कम करने को प्रभावित करने के लिए विभिन्न मदों का उनके वार्षिक उपयोग, संवेदनशीलता और उपलब्धता की आसानी के आधार पर निर्धारित विभिन्न अवधियों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

(ख) प्रावधान कार्रवाई के लिए समय पर पूरक प्रावधान पुनरीक्षा निर्देश यथासमय जारी करने चाहिए ताकि समयानुसार आगे बढ़ा जा सके और इस पर रक्षा मंत्रालय (वित्त) की अनुमति होनी चाहिए।

(ग) प्रावधान पुनरीक्षा प्रपत्रों का सृजन करने लेखानुगत करने ओर बंद करने की प्रणाली को विश्वसनियता से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसी तरह की जांच की पद्धति जो डिपु के सभी अभिलेखों की आवधिक जाँच को सुनिश्चित करे का, सख्ती से पालन करना चाहिए। प्रावधान पुनरीक्षा प्रपत्रों को उचित विषयसूची के साथ लेखायोग्य दस्तावेज बनाना चाहिए।

(घ) पुनरीक्षा अवधि के दौरान हुई असफलता को माफ करने के लिए सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति के साथ प्रावधान पुनरीक्षा प्रपत्रों की अनिवार्य पुनरीक्षा की जानी चाहिए।

(ड.) आयुध सेवाओं को वास्तविक उपभोक्ताओं से वास्तविक व्यर्थ आंकडें प्राप्त करने और उनके आधार पर भविष्य के प्रावधान के लिए प्रक्रिया खोजनी चाहिए।

(च) छोटी आयुध इकाईयों में उपलब्ध युद्ध में काम आने वाले सुरक्षित भण्डारों तथा विकेन्द्रीकृत तत्वों को वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा के दौरान बिना किसी अपवाद के परिसम्पत्तियों के रूप में लेना चाहिए।

(छ) जैसा कि केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी में पाया गया कि उन मामलों में जहां आवश्यकतायें पाई गईं परन्तु बाद में अधिप्राप्ति की कार्यवाई को रोक दिया गया, ऐसी प्रक्रिया के लिए उचित नीति दिशा निदेश बनाने की आवश्यकता है।

(ज) पाये गये अधिकों के बारे में सभी निर्णय या तो आप्रेशनल या वाणिज्यिक विचार या दोनों के आधार पर न्यायसंगत होने चाहिए तथा फाइलों में अभिलेखित होने चाहिए।

(झ) श्रेणी 'ख' की वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा के बीच निरोधाभास जो किसी मद की पुनरीक्षा पूर्ण होने के तथा प्राथमिकता अधिप्राप्ति योजना के तुरन्त बाद मांगों को लक्षित करने वाले, जिसमें केवल सभी पाई गई मांगों के आंकलन के

सम्बन्धित महत्व के बाद अधिप्राप्ति प्रक्रिया की शुरूआत की जाती है, के समाधान की आवश्यकता है। प्राथमिकता अधिप्राप्ति योजना से केवल श्रेणी 'क' की मदों को पूरा करना चाहिए।

(ट) प्रणाली के वर्गीकरण तथा स्तर उठाने को सुप्रवाही एवं गतिमान होना चाहिए।

(ठ) प्रणाली की कुल लागत प्रभाविकता को देखते हुए तकनीकी सहायता सहित मांग पत्रों को पुनरीक्षण प्रदान करने के लिए केन्द्रीय आयुध डिपुओं में विभिन्न मुहरबंद विवरण धारक प्राधिकारियों के स्वतः पूर्ण सैल को सम्भावना तलाशने की जांच करनी चाहिए।

(ड.) एम एम एफ के महत्वपूर्ण आंकडों को निकालने की प्रणाली आधुनिक तकनीकियों सहित भारित गतिमान औसतों और चरघांताकी सरलीकरण अपनाकर परिष्कृत करना चाहिए। प्रावधान स्टाफ को यथार्थता बढ़ाने और प्रक्रिया को गति देने के उद्देश्य से कंप्यूटरों का उपयोग करना चाहिए।

(ढ) प्रावधान स्टाफ को माल प्रबंधन के क्षेत्र की आधार भूत योग्यता होनी चाहिए और भण्डार रख-रखाव जो भण्डार उन्हें दिया जाना है में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्हें कम्प्यूटर ज्ञान[39] भी होना चाहिए।

(ण) स्थाई प्रावधान पुनरीक्षा निर्देश और एम जी ओ ब्रांच की 1997 की वित्तीय प्रबंधन कार्यनीति में पुर्जों के ओवरहॉल/ रख-रखाव की अधिप्राप्ति के समय से सम्बन्धित विरोधाभासों का समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

(त) आयुध भण्डारों के बारे में प्रावधान व अधिप्राप्ति की ऐजन्सियों की बहुलता की प्रभावी जांच किये जाने की आवश्यकता है। आयुध सेवाओं द्वारा मांग को पहले सुनिश्चित किये बिना किसी आयुध भण्डार की अधिप्राप्ति नहीं की जानी चाहिए।

(थ) प्रावधान कार्यों का उच्च प्राथमिकता पर कम्प्यूटरीकरण किया जाना चाहिए। केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी के अनुभवों को जहां मानवकृत प्रावधान पुनरीक्षा अनेक वर्षों से कम्प्यूटरीकृत प्रावधान पुनरीक्षा के साथ सहअस्तित्व में है और जहां कम्प्यूटरीकृत पुनरीक्षा के बाद मानवकृत पुनरीक्षा में अधिकांश मामलों में गलतियां पाई गई, प्रावधान पुनरीक्षा पैकेज को परिष्कृत व अंतिम रूप देने में प्रयोग किया जाना चाहिए। यह उस डिपू में मानवीय प्रणाली को समाप्त करेगा तथा सभी केन्द्रीय आयुध डिपुओं में कम्प्यूटरीकृत पैकेज अपनाने को बढ़ावा देगा। इस बीच आयुध सेवाएं एक संकट प्रणाली लागू करने पर विचार करे जिसमें केवल प्रावधान के संगठनात्मक पहलू को कम्प्यूटरीकृत करके शेष प्रावधान स्टाफ के निर्णय क्षेत्र पर छोड़ देना चाहिए।

---

[39] मानव संसाधन प्रबंधन पर अध्याय 6 भी देखें।

उचित अवस्थाओं पर मानवीय हस्तक्षेप सहित कार्य का न्यायसम्मत विभाजन समाधान में सहायता करेगा।

2.10 रक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा द्वारा की गई 16 सिफारिशों में से 11 पर एम जी ओ पूर्ण सहमत, दो पर आंशिक सहमत तथा शेष तीन पर असहमत था, मंत्रालय भी एम जी ओ के विचारों से सहमत था।

उपर्युक्त सिफारिशों पर एम जी ओ की प्रतिक्रिया को नीचे क्रमानुसार दिया गया है।

(क) सहमत हुआ। एम जी ओ ने पुनरीक्षा के लिए अवधि परिवर्तन का सुझाव दिया जैसे 'क', 'ख' और 'च' मदों के लिए छः मासिक, 'ख', 'ड.' और 'ड' मदों के लिए वार्षिक और 'ग', 'थ' व 'ध' मदों के लिए द्विवार्षिक, जो वार्षिक प्रचलित लागत, संवेदनशीलता और उपलब्धता की आसानी पर ध्यान देगा। कम्प्यूटरीकृत भण्डारण सूची नियंत्रण परियोजना पूर्ण होने पर इसे कार्यान्वित किया जाएगा।

(पैरा 2.9(क))

(ख) आंशिक रूप में सहमत होते हुए बताया कि रक्षा मंत्रालय (वित्त) द्वारा पूरक प्रावधान पुनरीक्षा निर्देशों का पुनरीक्षण एस पी आर डी को जारी करने में देरी का मुख्य कारण था और एस पी आर डी को यथा समय जारी करने को सुनिश्चित करने के लिए इसे पूरा किये जाने की आवश्यकता थी।

(पैरा 2.9(ख))

(ग) आंशिक रूप में सहमत होते हुए बताया कि प्रावधान पुनरीक्षा प्रपत्र स्थाई अभिलेख थे जिनकी सक्षम वित्तीय प्राधिकारी और आई और बी सी कक्ष द्वारा वित्तीय जांच की जानी चाहिए थी। विषयसूची के रख-रखाव और नये/ पुराने प्रावधान पुनरीक्षा प्रपत्रों में प्रलेखनों को अतः स्थापित करने या हटाने के लिए निर्देश विद्यमान हैं। इसलिए इनको लेखायोग्य दस्तावेज के रूप से वर्गीकरण की आवश्यकता नहीं थी।

(पैरा 2.9(ग))

(घ) सहमत हुआ और बताया कि सी ओ डी के कमान्डैन्ट, कारणों का स्पष्टीकरण देते हुये प्रावधान पुनरीक्षा न करने के लिए संबंधित अपर महानिदेशक आयुध सेवाएं से अनुमति प्राप्त कर सकते थे।

(पैरा 2.9(घ))

(ड.) सहमत हुआ और स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय आयुध डिपुओं/ इकाइयों की मांगों पर विचार करने की विद्यमान प्रणाली में इन्हें व्यर्थ के आँकड़े के रूप में लिया जाता है तथा इसके बाद माना जाता है कि ऐसी मांगें वास्तविक खपत की पुनःपूर्ति के लिए थीं। सबसे नीचे की इकाईयों से वास्तविक व्यर्थ आँकड़े लेने होगे और सी आई सी पी को कार्यान्वित करते समय भविष्य के लिए प्रावधान में सम्मिलित करने होंगे।

(पैरा 2.9(ड.))

(च) सहमत हुआ और कहा कि यद्यपि उचित निदेश उपलब्ध हैं फिर भी प्रणाली में हुई खामियों को दूर करने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिये जायेंगे।

(पैरा 2.9(च))

(छ) सहमत हुआ और बताया कि इसकी पूर्ति डिपुओं के कमान्डैन्टों के द्वारा जारी किये गये अंतरिम प्रावधान पुनरीक्षा निर्देशों से होती थी।

(पैरा 2.9(छ))

(ज) असहमत हुआ तथा बताया कि प्रत्येक मामले में निर्णय को अभिलेखित करने का कार्य बहुत अधिक हो जायेगा।

(पैरा 2.9(ज))

(झ) सहमत हुआ और सुझाव दिया कि ' एम जी ओ शाखा की वित्तीय प्रबन्धन 1997' को संशोधित करने की आवश्यकता है।

(पैरा 2.9(झ))

(ञ) स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि सी आई सी पी से स्तर बढ़ाने में गति मिलेगी यद्यपि इस कार्य प्रणाली का कम्प्यूटर के स्टैंड अलोन मोड के माध्यम से कम्प्यूटरीकरण के प्रयास किये जा रहे थे।

(पैरा 2.9(ञ))

(ट) सहमत नहीं हुआ, क्योंकि यह लागत प्रभावी नहीं होगा और कहा कि इससे अच्छा विकल्प यह होगा कि डब्ल्यू ए एन के माध्यम से सी आई सी पी को ए एच एस पी से जोड़ा ताये और यह उनके विचाराधीन था।

(पैरा 2.9(ट))

(ठ) सहमत हुआ कि आधुनिक तकनीक जैसे भारित गतिमान औसत व घातीय सरलीकरण के प्रयोग से एकदम सही भविष्यवाणी में मदद मिलेगी व यह कि सी आई सी पी के पूर्ण होने पर उसे अपना लिया जायेगा।

(पैरा 2.9(ठ))

(ड) सहमत हुआ और कुछ उपाय सुझाए जिससे प्रशिक्षण द्वारा विद्यमान स्टाफ की कार्यकुशलता में सुधार लाने के लिए कुछ उपाय सुझाए।

(पैरा 2.9(ड))

(ढ) सहमत नहीं हुआ और तर्क दिया कि डी जी ओ एफ/ पी एस यू द्वारा लिये गये अधिक लीड समय के कारण, पांच वर्ष के ओवरहॉल व रख-रखाव के लिए अतिरिक्त पुर्जों के प्रावधान करने की प्रणाली लागू रहनी चाहिए।

(पैरा 2.9(ढ))

(ण) सहमत हुआ और कहा कि आयुद्ध भंडारों की अधिप्राप्ति आयुध सेवाओं द्वारा मांगों की पुष्टि के उपरान्त ही की जानी चाहिए और प्रावधान व अधिप्राप्ति ऐजन्सियों की बहुलता से भी बचना चाहिए क्योंकि इससे अधिक/अवांछित अधिप्राप्ति को बढ़ावा मिलता है।

(पैरा 2.9(ण))

(त) सहमत हुआ और स्पष्ट किया कि सी ओ डी दिल्ली छावनी जिसमे कम्प्यूटरीकरण कुछ हद तक प्राप्त हुआ था, में कम्प्यूटर द्वारा किए गए कार्य की मानवीय जांच की पद्धति, कम्प्यूटर पर आंकड़े बनाने में गलती करने की प्रवृति के कारण जारी है। सी आई सी पी के लागू हो जाने पर आयुध को इस कठिनाई पर नियंत्रण करने की आशा है। तब तक उपयुक्त स्तरों पर मानवीय मध्यस्थता के साथ कार्य का उचित विभाजन हल प्रस्तुत कर सकता है।

(पैरा 2.9(त))

2.11 उपसंहार

लेखा परीक्षा ने नोट किया कि उसकी अधिकांश संस्तुतियाँ आयुद्ध सेवाएं/ मंत्रालय ने मान ली थीं। इसलिए इसका सुझाव है कि एक मानीटरन प्रणाली स्थापित की जाए जो प्रत्येक संस्तुति का विस्तार से अध्ययन करें ताकि इनको तेजी से कार्यान्वित किया जा सके। जहां तक पी आर एफ को जवाबदेही दस्तावेज़ बनाने की संस्तुति को स्वीकार न करने का प्रश्न है, लेखापरीक्षा का मानना है कि पी आर एफ को जवाबदेही दस्तावेज बनाना और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आयुद्ध ने स्वयं माना है कि पी आर एफ प्रावधान कार्य का स्थायी अभिलेख है व इसकी वित्तीय जाँच होनी चाहिए। पाये गये आधिक्यों को न दर्शाने के निर्णय का अभिलेख करने की आवश्यकता है क्योंकि ये निर्णय वित्तीय व सामरिक महत्व के हैं और इन मामलों में उत्तरदायित्व निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है। इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक मद के लिए अलग रिकार्ड रखा जाए क्योंकि इनका ग्रुप बनाया जा सकता है।

लेखा परीक्षा प्रबल संस्तुति करता है कि ओवरहॉल/रखरखाव के लिए अतिरिक्त पुर्जों की भंडारण अवधि को तुरंत विद्यमान पांच वर्ष से घटा कर तीन वर्ष या इससे कम कर दिया जाए। ई एम ई के पांच वर्षीय मरम्मत कार्यक्रम में, पहले वर्ष का कार्यक्रम पक्का है, दूसरे वर्ष का कार्यक्रम 'नियोजित' है और शेष केवल 'अनुमान' हैं।

यहां तक कि पक्के लक्ष्य भी कभी प्राप्त नहीं हुए थे जैसे कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन, वर्ष 1992 की संख्या 14 के पैरा 6.3 में टिप्पणी की गई थी, तो 'नियोजित' व 'अनुमान' लक्ष्यों को तो छोड़ ही दिया जाए। पांच वर्ष के अंतरिम कार्यक्रम को पूर्ति के लिए भण्डार का प्रावधान सी ओ डी में भंडार के संचय का एक मुख्य कारण है व इसमें अतिशीघ्र कटौती की आवश्यकता है। एम जी ओ शाखा की 1997 की वित्तीय प्रबन्धक कार्यनीति के अन्तर्गत थलसेना बेस कार्यशाला / अग्रिम बेस कार्यशाला ओवरहॉल के लिए पांच वर्ष के लिए अनुमान कार्यक्रमों के आधार पर कार्य न करके तीन वर्ष के अनुमोदित रोल-ऑन कार्यक्रम के आधार पर कार्य करेंगी। लम्बे लीड समय का यह अर्थ नहीं है कि पांच वर्ष के लिए अतिरिक्त पुर्जों का प्रावधान उचित है। इसका केवल यह अर्थ है कि मांग, चाहे कैसी भी हो यथासमय प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि अनुमत लीड समय के अन्त तक भण्डार पहुंच जाएं।

प्रावधान की कार्रवाई को रोकने के सम्बन्ध में मार्गदर्शक सिद्धान्तों का अभाव और अनिवार्य प्रावधान पुनरीक्षा को पूरा नहीं करने की अनदेखी करने जैसे मामलों में, इन्हें लागू करने को सुनिश्चित करती के लिए विनियमावली/ तकनीकी अनुदेशों में स्पष्ट प्रावधान सम्मिलित किये जाने चाहिए। लेखापरीक्षा यह महसूस करता है कि एकीकृत वित्त द्वारा एस पी आर डी की वैटिंग को समाप्त करने के सुझाव की प्रावधान प्रक्रिया को तेज करने की परस्पर विरोधी आवश्यकता और पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण की महती आवश्यकता को ध्यान में रखकर जांच की जानी चाहिए।

अध्याय 3 : बहुश्रेणीय प्रणाली (आपूर्ति श्रंखला प्रबंधन)

3.1 सार

थलसेना की आयुध भंडारों की आपूर्ति श्रृंखला एक बहुस्तरीय वितरण प्रणाली है जिसमें मध्य क्षेत्र में स्थित मुख्य डिपो, अन्य भंडार धारक यूनिटों के अलावा देशभर में फैली क्षेत्रीय एवम् फील्ड डिपुओं के माध्यम से पूरे देश में तैनात सैन्यबलों से जुडी हैं। थलसेना को वाँछित भंडारों एवम् अतिरिक्त पुर्जों की तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए हर समय सेना को तैयारी के उच्चतम स्तर पर रखना ही इस प्रणाली के पीछे का मूल दर्शन है। इस प्रणाली के मुख्य तल त्वरित प्रत्युत्तर एवम् उपलब्धता के आश्वासन का उच्च स्तर है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्तमान आपूर्ति श्रृंखला, जो कि अधिकतर स्वतंत्रता पूर्व के डिजाइन की है, सैन्यबलों की आवश्यकताओं के प्रत्युत्तर में धीमी थी। इसने बड़े भंडारों को भी अवरुद्ध कर दिया जिससे ये प्रणाली के स्तर पर छिप जाते हैं और इस कारण इनका आधिक्य में प्रावधान हो जाता है। यह श्रृंखला बहुत सख्त तथा चयनहीन है जिसमें सभी मदों की अधिप्राप्ति केन्द्रीय रूप से की जाती है तथा पुनः उसी चैनल के माध्यम से वितरण होता है । इसने देश के अधिकांश भागों में सामान्य सिविल उपयोग में आने वाले भंडारों की भारी मात्रा में तुरन्त उपलब्धता की भी उपेक्षा की।

प्रणाली के स्तरीकरण को समाप्त करके तथा क्षेत्रीय एवम् स्थानीय अधिप्राप्ति के कार्य क्षेत्र में वृद्धि करके श्रृंखला को लचीला बनाने तथा आधुनिक भारतीय सेना की आवश्यकता पूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली को प्रदान किये जाने की आवश्यकता थी।

3.2 सामान्य

थलसेना को वर्तमान में आयुध युद्धनीति सहायता केन्द्रीय आयुध डिपुओं (सी ओ डी), आयुध डिपुओं (ओ डी) तथा एडवान्स बेस आयुध डिपुओं (ए बी ओ डी) के माध्यम से प्रदान की जाती है । क्षेत्रीय आयुध डिपुएं (एफ ओ डी) तथा मंडलीय आयुध यूनिटें (डी ओ यू) संयुक्त रूप से पूरे देश में तैनात सैन्यबलों को आपूर्ति के स्त्रोत से जोड़ती हैं। भंडारण एवम् वितरण की इस बहुश्रेणीय प्रणाली, जो कि थलसेना की आपूर्ति श्रृंखला है, को परिशिष्ट 'ए' में रेखाचित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रणाली युद्ध पूर्व के डिजाइन पर आधारित है जिसमें सी ओ डी और ओ डी उस स्थल पर कार्यरत हैं जो

कि उस वक्त की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु चुने गये थे। तथापि स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त श्रृंखला में ए बी ओ डी तथा एफ ओ डी जोडी गयी थीं।

3.3 भूमिका तथा उत्तरदायित्व

सी ओ डी जो कि मदर डिपो की तरह कार्य करती हैं, इस आपूर्ति श्रृंखला में मुख्य स्त्रोत है और इन्हें वस्तु[1] आधार पर संगठित किया गया है जैसा कि प्रस्तावना अध्याय में चर्चा की गयी है। ये डिपुएं अखिल भारतीय प्रावधान करने तथा विशिष्ट रूप से निर्धारित भंडारों की सम्पूर्ण श्रेणी की आपूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं।

दूसरी ओर श्रेत्रीय ओ डी, ए बी ओ डी तथा एफ ओ डी मिश्रित डिपुएं[2] हैं जो उन पर आश्रित यूनिटों/ फार्मेशनों के रखरखाव के लिए सी ओ डी से आपूर्ति प्राप्त करती हैं। उनके निर्धारित चार्टरों की पूर्ति हेतु भंडार धारण को श्रेणी एवम् मात्रा में व्यवस्थित तथा सीमित रखा जाता है।

3.4 आयुध श्रेणियों में भंडार स्तर

विविध आयुध श्रेणियों में धारित भंडार का नीचे विस्तृत विवरण दिया गया है:

क) केन्द्रीय आयुध डिपू

(क) " रखरखाव भंडार" जिसे व्यवसायिक बातचीत में "चक्र भंडार" कहा जाता है। यह वे भंडार है जो प्रावधान अवधि में सेना की सामान्य रखरखाव आवश्यकताओं के लिए जरूरी होते हैं। इन भंडारों के स्तर को "महीनों की संख्या की आवश्यकता" कहा जाता है।

(ख) वार वेस्टेज रिजर्व सहित रिजर्व

(ग) "प्रयोज्यनीय अपूर्ण" उपस्करों सहित मरम्मत योग्य वर्ग 'क' भंडार

(घ) निर्धारित अथवा विनियोजित भंडार

(ड.) बीमा मदें[3]

---

[1] आयुध आपूर्ति मदों की सम्पूर्ण श्रेणी को विभिन्न वस्तुओं के रूप में समूहीकृत कर दिया गया है तथा विभिन्न वस्तु समूहों की जिम्मेदारी विभिन्न सी ओ डी को सौंपी गयी है। उदाहरण के लिए इलैक्ट्रानिक अतिरिक्त पुर्जों को एक वस्तु समूह में चिन्हित किया गया है और यह सी ओ डी आगरा का उत्तरदायित्व है।

[2] ये डिपुएं सी ओ डी से भंडार का आहरण करती हैं तथा सभी वस्तुओं का भंडार रखती हैं किन्तु मदों की संख्या (श्रेणी) तथा भंडार की मात्रा (मात्रा) दोनों सीमित होती हैं।

[3] ऐसी मदें जिनकी सामान्य रखरखाव तथा मरम्मत के लिए आवश्यकता नहीं होती किन्तु जिन्हें ऐसे विरल मामलों में जहाँ किसी मद को युद्ध योग्य अवस्था में लौटाना आवश्यक हो जाये वहाँ किसी

(च) अतिरिक्त धारित भंडार
(छ) निपटान की प्रतीक्षा में अतिरिक्त भंडार
(ज) मरम्मत योग्य वर्ग 'ख' भंडार
(झ) निस्तारण भंडार

ख) क्षेत्रीय आयुध डिपुएं तथा एफ ओ डी

क्षेत्रीय आयुध डिपुएं अपने आश्रितों के लिए अपने दायित्व की मदों का तीन माह का रखरखाव भंडार रखती हैं। देखने वाली बात यह है कि किसी प्रदत्त श्रेणी के लिए स्तर निर्धारित किये जाते है तथा ये उनके दायित्व की सभी मदों पर लागू होते हैं और इसका मद की लागत, महत्व अथवा उपलब्धता से कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

क्षेत्रीय आयुध डिपुएं, ए बी ओ डी तथा एफ ओ डी एक माह का स्टोर मार्जिन[4] (एस एम) तथ वार वेस्टेज रिजर्व का एक तत्व भी रखती हैं (कुल अखिल भारतीय वार वेस्टेज रिजर्व में से)। ये डिपुएं मरम्मत योग्य वर्ग 'ख' तथा निस्तारण भंडारों का भंडार भी रखती हैं।

3.5 पुनःपूर्ति प्रणाली

यह सम्पूर्ण प्रणाली इस तरह कार्य करती है कि निम्न श्रेणियाँ अपनी आवधिक, माध्यमिक अथवा विशेष पुनरीक्षा में पता लगी माँगों को उच्च श्रेणियों को प्रस्तुत करके अपने भंडार की पूर्ति करती हैं । ओ डी, ए बी ओ डी तथा एफ ओ डी के मामले में कुछ अपवादों को छोड़कर जहाँ तीन माह का लीड समय अनुमत किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के आधार पर प्रस्तुत कुछ चुनिंदा मदों को छोड़कर भंडारों की लगभग सम्पूर्ण श्रेणी लिए आपूर्ति श्रृंखला मदर डिपो से सीधे अन्तिम प्रयोक्ता तक जाती है, लीड समय दो माह का है।

3.6 प्रणाली की उत्तरदेयता

बहुश्रेणीय भंडारण एवम् वितरण प्रणाली, जिसमें सतत् पुनर्भरण के लिए पाइप लाइन स्टॉक के अलावा आश्रित निम्न श्रेणियों एवम् इकाइयों की सहज पहुंचे में पूर्व स्थित स्टॉक भी सम्मिलित है, का मूल्य उद्देश्य सही समय पर सही स्थान पर सही सामग्री की उपलब्ध्ता सुनिश्चित करना है।

महत्वपूर्ण उपस्कर को अक्रियाशील होने से बचाने के लिए प्रचुर सावधानी के तौर पर इनका भंडारण किया जाता है।

[4] शब्दावली देखें

तथापि लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्तमान श्रंखला में इतनी उत्तरदेयता नहीं थी जितनी कि वांछित थी । इसे लेखापरीक्षा द्वारा सी ओ डी कानपुर तथा सी ओ डी दिल्ली छावनी में एक विश्लेषण करके समझाया गया है।

सभी क्षेत्रीय आयुध डिपो, नयी बनी यूनिटें, रेजिमेन्टल सेन्टर तथा कानपुर की स्थानीय यूनिटें अपनी वस्त्र एवम् सामान्य भंडार मदों के लिए सी ओ डी कानपुर पर निर्भर हैं। सी ओ डी कानपुर पर निर्भर 13 आर ओ डी / ए बी ओ डी/ एफ ओ डी में से तीन अर्थात ओ डी फोर्ट इलाहाबाद, ए बी ओ डी 'भ' तथा ए बी ओ डी 'म' को सी ओ डी कानपुर द्वारा माँगपूर्ति के स्तर के विश्लेषण हेतु लेखापरीक्षा द्वारा चुना गया ।

यत्र - तत्र चुनी गयी 273 माँगों (चार प्रतिशत) के परिणाम को नीचे सारणीकृत किया गया है।

सारणी 3.1 ओ डी फोर्ट इलाहाबाद, ए बी ओ डी 'भ' तथा ए बी ओ डी 'म' की माँगों की पूर्ति के सम्बन्ध में सी ओ डी कानपुर की प्रतिक्रिया

माँग पूर्ति	**संख्या**	**प्रतिशत**
क) 22 दिन के अंदर पूरी की गयी माँगे (आदर्श)	11	4.03
ख) विलम्ब से पूरी की गयी मांगें (माह)		
1 तक	7	2.56
1 से अधिक और 3 तक	29	10.62
3 से अधिक और 6 तक	42	15.38
6 से अधिक और 12 तक	52	19.05
12 से अधिक और 24 तक	77	28.21
24 से अधिक और 36 तक	45	16.48
36 से अधिक और 48 तक	10	3.67
कुल	273	100

उपरोक्त से पता लगता है कि केवल चार प्रतिशत मांगें ही डिपो में सुलभ उपलब्ध भंडार में से माँगपूर्ति के लिए 22 दिन की प्राधिकृत समय सीमा में पूरी की गयी थीं।

आर ओ डी तथा अन्य प्रयोक्ता यूनिटों पर इस न्यून माँग-पूर्ति का प्रभाव देखने के लिए उपभोक्ता स्तर तक प्रयोक्ताओं की माँगपूर्ति पर आँकड़े एकत्रित करने एवम् उनके विश्लेषण के लिए आडिट ने ओ डी इलाहाबाद तथा एक डी ओ यू का दौरा किया । ओ डी इलाहाबाद पर दो निर्भर यूनिटें अर्थात् सैन्य अस्पताल इलाहाबाद तथा इन्फैन्ट्री डिवीजन आयुध यूनिट को चुना गया । इन यूनिटों द्वारा माँगी गई कुल 176 मदों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता लगाः

सारणी 3.2 सैन्य अस्पताल तथा एक डी ओ यू की माँगों की पूर्ति के सम्बन्ध में ओ डी इलाहाबाद की प्रतिक्रिया

माँग पूर्ति	**संख्या**	**प्रतिशत**
क) 22 दिन के अंदर पूरी की गयी माँगे (आदर्श)	15	8.52
ख) विलम्ब से पूरी की गयी माँगें (माह)		
1 तक	12	6.82
1 से अधिक और 3 तक	18	10.23
3 से अधिक और 6 तक	42	23.86
6 से अधिक और 12 तक	28	15.91
12 से अधिक और 24 तक	35	19.89
24 से अधिक और 36 तक	21	11.93
36 से अधिक और 48 तक	05	2.84
कुल	176	100

इसी प्रकार इन्फैन्ट्री डिवीजन आयुध यूनिट पर निर्भर 2 डिपुओं की संवीक्षा भी की गयी। इस संवीक्षा के परिणाम निम्न प्रकार हैं :

सारणी 3.3 दो आश्रित यूनिटों की माँग के प्रति एक डी ओ यू की प्रतिक्रिया

माँग पूर्ति	**संख्या**	**प्रतिशत**
क) 22 दिन के अंदर पूरी की गयी माँगे (आदर्श)	19	12.34
ख) विलम्ब से पूरी की गयी माँगें (माह)		
1 तक	28	18.18
1 से अधिक और 3 तक	25	16.23
3 से अधिक और 6 तक	35	22.73
6 से अधिक और 12 तक	33	21.43
12 से अधिक और 24 तक	08	5.19
24 से अधिक और 36 तक	04	2.60
36 से अधिक और 48 तक	02	1.30
कुल	154	100

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्राधिकृत समय सीमा में ओ डी इलाहाबाद माँगों के केवल 8.52 प्रतिशत की ही पूर्ति समय के अन्दर कर पाई तथा इन्फैन्ट्री डिवीजन आयुध यूनिट माँगी गई मदों की 12 प्रतिशत से अधिक की आपूर्ति नहीं कर पायी।

3.7 निर्गम समय नियंत्रण

प्रत्येक सी ओ डी में जहाँ पुनरीक्षा की गयी, निर्गम समय नियन्त्रण[5] असाधारण रूप से उच्च प्रतीत होता है। निम्नलिखित सारणी स्थिति को दर्शाती है:-

सारणी 3.4 पुनरीक्षाधीन डिपो द्वारा प्रयोक्ताओं की माँगों की पूर्ति में विलम्ब

(विलम्ब माह में)

डिपो का नाम	देखी गयी माँगे	आदर्श समय पूर्ण हुई माँगे	विलम्ब से पूरी हुई माँगे					
			<1	>1<3	>3<6	>6<12	>12<24	>24<36
सी ओ डी आगरा	145	3	61	73	8	0	0	0
सी ओ डी दिल्ली छावनी	235	0	10	131	61	30	3	0
सी ओ डी जबलपुर	399	0	6	214	146	33	0	0
सी ओ डी कानपुर	263	11	7	29	42	52	77	45
सी ए एफ वी डी किरकी	429	37	89	148	38	68	40	9
कुल	1471	51	173	595	295	183	120	54
प्रतिशतता		***3.46***	***11.76***	***40.45***	***20.05***	***12.45***	***8.15***	***3.68***

3.8 सामरिक माँगों के प्रति प्रत्युत्तरदायिता

सामरिक माँगों की पूर्ति के लिए सी ओ डी को सामान्य माँगों के लिए 22 दिन के प्रति 14 दिन का प्रतिक्रिया समय (निर्गम समय नियंत्रण) अनुमेय है। वर्तमान प्रणाली के साथ सामरिक माँगों के प्रति भी उत्तरदेयता मापने के लिए सी ओ डी दिल्ली छावनी में जून 1999 के दौरान प्राप्त हुई माँगों के साथ-साथ एक और आपरेशन से सम्बन्धित माँगों की नमूना जाँच की गयी। परिणाम निम्न प्रकार थे:-

सारणी 3.5 सी ओ डी दिल्ली छावनी द्वारा सामरिक माँगों को पूरा करने में हुआ विलम्ब

माँगकर्ता	नमूना आकार (माँगे)	आदर्श समय में पूर्ण हुई माँगे	विलम्ब दिनों में				
			5 तक	6-10	11-15	16-20	21-45
एफ ओ डी 'भ'	44	शून्य	शून्य	2	-	35	7
प्रतिशतता		-	-	4.5	-	79.6	15.9

[5] डिपो को प्रस्तुत माँग के प्रति भंडार निर्गम में लिया गया समय

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि एफ ओ डी 'भ' द्वारा जून 1999 में प्रस्तुत चुनिंदा सामरिक माँगों (संयोग से उसी दौरान एक ऑपरेशन हुआ) में से कोई भी 14 दिन की समय सीमा में पूरी नहीं हुई। लगभग 80 और 16 प्रतिशत चुनिंदा माँगे क्रमशः 16-20 तथा 21-45 दिन के विलम्ब से पूरी की गयीं।

सारणी 3.6 सी ओ डी दिल्ली छावनी द्वारा 'आपरेशन' विजय की मांगों को पूर्ण करने में हुआ विलम्ब

क्रम सं.	माँगकर्ता	नमूना आकार	आदर्श समय में पूर्ण हुई माँगे	विलम्ब दिनों में प्रतिशतता कोष्ठक में					विलम्ब माह में प्रतिशतता कोष्ठक में				
				5 तक	6-10	11-15	16-20	21-30	1	1-3	3-6	6-12	अनिश्चित काल[6]
1.	एफ ओ डी 'म'	16	3 (19)	-	-	-	-	4 (25)	-	9 (56)	-	-	-
2.	कवचित कार्यशाला 'क'	8	-	-	6 (75)	1 (12.5)	-	-	-	1 (12.5)	-	-	-
3.	कवचित कार्यशाला 'ख'	1	-	-	1 (100)	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	कवचित कार्यशाला 'ग'	12	-	-	-	-	-	-	-	9 (75)	-	-	3 (25)
5.	एफ ओ डी 'य'	7	-	-	शून्य	-	-	-	-	2 (28)	3 (43)	-	2 (29)
कुल		44	3	-	7	1	-	4	-	21	3	-	5
प्रतिशतता			*7*	-	*16*	*2*	-	*9*	-	*48*	*7*	-	*11*

एक आपरेशन से सम्बन्धित माँगों के मामले में केवल सात प्रतिशत माँगे ही अनुमेय 14 दिन की समय सीमा में पूर्ण हुई थीं। आगे विश्लेषण से पता लगता है कि 48 प्रतिशत चुनिंदा माँगे एक से तीन माह तक के विलम्ब से पूरी हुई थीं। जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है रोजमर्रा की माँगों की पूर्ति हेतु लेखा परीक्षा द्वारा आँका गया निर्गम समय नियन्त्रण विलम्ब भी चुने गये 40 प्रतिशत मामलों में एक से तीन माह का था। स्पष्ट है कि डिपो सामरिक और रोजमर्रा प्रकार की माँगों मे भेद नहीं करती।

इसके अतिरिक्त कवचित कार्यशाला 'ग' के मामले में 25 प्रतिशत चुने गये नमूने और एफ ओ डी 'य' के मामले में 29 प्रतिशत फरवरी 2000 तक डिपो में प्रेषण हेतु पड़े हुए थे।

डिपो ने विलम्ब का कारण पैकिंग सामग्री की अनुपलब्धता के कारण इसके स्थानीय क्रय की आवश्यकता, भाड़े पर सिविल परिवहन की अनुपलब्धता, रेलवे द्वारा बुकिंग पर

[6] फरवरी 2000 तक पैक्ड अवस्था में पड़े हुए थे।

लगाया गया प्रतिबंध और कुछ मामलों में माँगकर्त्ताओं द्वारा भंडार का ना उठाया जाना बताया।

सामरिक माँगों के प्रति प्रतिक्रिया समय के आँकलन के लिए सी ओ डी कानपुर में की गयी ऐसी ही एक संवीक्षा के परिणाम निम्न प्रकार थे :

सारणी 3.7 सी ओ डी कानपुर द्वारा एक आपरेशन की माँगों को पूरा करने में हुआ विलम्ब

क्रम सं.	माँगकर्ता	नमूना आकार	आदर्श समय के अन्दर निर्गमित	विलम्ब दिनों में				
				15 तक	16-30	31-60	61-90	> 90
1.	एफ ओ डी 'भ'	6	1	शून्य	शून्य	1	1	3
2.	एफ ओ डी 'म'	3	1	शून्य	1	शून्य	1	शून्य
		9	2	शून्य	1	1	2	3
	प्रतिशतता		22		11	11	22	34

लेखापरीक्षा का मत है कि दर्शाये गये अधिकांश कारण डिपो के नियंत्रण में थे और स्थिति इस तथ्य पर प्रकाश डालती है कि मात्र भंडार की उपलब्धता सामरिक माँग की भी पूर्ति हेतु इसके निर्गम की गारण्टी नहीं देती।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि बहुश्रेणीय वितरण प्रणाली धीमी है और इसे बनाने का उद्देश्य एवं संचालन पूरी तरह प्राप्त नहीं हो रहा था। अतः आपूर्ति के स्त्रोतों से सामग्री को उपभोग के बिन्दुओं तक त्वरित गति से पहुँचाने के उद्देश्य से प्रणाली की पुनः जाँच की आवश्यकता थी। श्रेणियों की श्रृंखला में कमी दर्शायी गयी है।

3.9 परिसम्पत्ति दृश्यता

विद्यमान नीति के अनुसार आयुध आपूर्ति श्रंखला के अन्तर्गत उच्च आयुध श्रेणी से निम्न श्रेणी को निर्गमित भंडारों को उपभोग[7] किया जाना मान लिया जाता है। सी ओ डी द्वारा क्षेत्रीय डिपुओं, ए बी ओ डी तथा एफ ओ डी को किये गये निर्गम, सी ओ डी वार्षिक प्रावधान पुनरीक्ष में परिसम्पत्ति नहीं रहते। इन भंडारों के लिए निम्न श्रेणियों द्वारा सी ओ डी को सूचित करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है और उस स्तर तक ये भंडार अभी तक उपभोग नहीं किये जाने तथा आयुध आपूर्ति श्रृंखला के अन्तर्गत होने के

[7] प्रावधान के अध्याय में इस विषय पर चर्चा भी देखें

बावजूद प्रणाली के लिए अदृश्य[8] हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आयुध सेवायें किसी निर्धारित समय पर किसी निर्धारित मदों के सैट के सम्बन्ध में अखिल भारतीय स्तर पर कुल मात्रा एवम् मूल्य के सम्बन्ध में बताने में अक्षम है इससे पाइपलाइन में भंडार दृश्यता की खराब आवश्यकता पर प्रकाश पड़ता है।

3.10 अवरूद्ध भंडार सूची

क्योंकि सी ओ डी द्वारा निम्न श्रेणियों को किये गये सभी निर्गमों को उपभोग मान लिया जाता है और क्योंकि सी ओ डी से अन्तिम प्रयोक्ता तक जोड़ने वाली सम्पूर्ण पाइपलाइन को उपलब्धता के आश्वासन की उच्च सीमा प्रदान करने के उद्देश्य से भरा रखना होता है अतः भंडार सूची पर वित्तीय परिव्यय विशेषतया युद्ध सम्बन्धी संवेदनशील उपस्कर के उच्च मूल्य के अतिरिक्त पुर्जों के सम्बन्ध में आधिक्य में हो जाते हैं। अतः इन श्रेणियों में लगाये जाने वाले अतिरिक्त पुर्जों की मात्रा तथा सीमा तय करते समय अत्यधिक सावधानी की आवश्यकता है।

आयुध सेवायें, जनरल स्टाफ जोकि अनुमेय मरम्मत अनुसूची (पी आर एस)[9] की सहमति देते हैं तथा ई एम ई जो मानक तैयार करती हैं, के परामर्श पर कार्य करते हुए वाँछित स्तर की सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक श्रेणी में अतिरिक्त पुर्जे रखती हैं। तथापि ऐसी भंडारण नीति में काफी यथार्थता की हद तक युद्ध के समय उपभोग दरों की पूर्वानुमान की क्षमता अन्तर्निहित है।

दुर्भाग्यवश ऐसे उपभोग का पूर्वानुमान निम्नलिखित कारणों से असम्भव है।

(क) माँग स्त्रोतों में बुरी तरह उतार-चढ़ाव आने के कारण शांति काल में भी पूर्वानुमान करने में कठिनाई

(ख) युद्ध समय के दौरान माँग स्तर युद्ध समय के क्रियाकलाप स्तरों (या टेम्पो) पर निर्भर करता है और इसका पूर्वानुमान केवल आकस्मिक परिदृश्य नियोजन का प्रयोग करके ही किया जा सकता है। तथापि एक वास्तविक आकस्मिकता का एक नियोजित परिदृश्य से मेल खाने की सम्भावनाएं कभी नहीं होती विशेषकर आज की सचल सैन्यबलों द्वारा अपूर्वघोषित युद्धक्षेत्र वातावरण बनाये जाने पर तो और भी नहीं।

---

[8] निम्न श्रेणी स्तर पर केवल वे ही भंडार जो उनके एम एस पी, छितरे भंडार तथा वार वेस्टेज रिजर्व के वितरित तत्व से अलग और ऊपर होते हैं, वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा के समय सी ओ डी को सूचित करना आवश्यक है और इन्हें प्रावधान उद्देश्यों के लिए खाते में रखा जाता है।

[9] विस्तृत विवरण के लिए मानक पर अध्याय देखें

(ग) शत्रु की बढ़ती हुई क्षमताएं मरम्मत, आपूर्ति एवम् परिवहन स्त्रोतों को भारी एवम् बढ़ता हुआ अपूर्वघोषित खतरा पैदा कर देती हैं।[10]

इन परिस्थितियों में प्रयोक्ताओं एवम् रखरखाव एजेन्सियों द्वारा इंजीनियरिंग सहायता सामग्री के भंडार के उच्चतर स्तर रखने और प्रदान करने की प्राकृतिक प्रवृति यद्यपि समझ में आने वाली बात है किंतु इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में भंडार सूची आधिक्य में अवरूद्ध हो जाती है।

3.11 परिवर्तित परिस्थितियाँ

सी ओ डी तथा बहुश्रेणीय वितरण प्रणाली की अवधारणा का सूत्रपात करने के समय की परिस्थितियों से आज की परिस्थितियाँ पूर्णतया भिन्न है इनमें से ये कुछ मुख्य हैः

(क) थलसेना की आज की वर्ग 'क' उपस्कर के धारण में विविध स्त्रोतों से बहुआयामीय, संवेदनशील शस्त्रों एवम् उपस्कर की एक वृहत श्रेणी सम्मिलित है जो कि अपनी अत्यधिक उच्च लागत के कारण बहुत थोड़ी संख्या में उपलब्ध है और इन्हें सामग्री सहायता सेवाओं से बहुत ही उच्चस्तरीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए थलसेना आज इतने अक्रियाशील/ कार्य अक्षम नहीं रख सकती जितने यह पुराने प्रकार के टैंक अथवा नई जनरेशन के टैंक अथवा बन्दूकें गनों को रख सकती थी।

(ख़) एक पूर्णतः विकसित औद्योगिक उत्पादन बेस तैयार होना जोकि अधिकांश देशज आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

(ग) अच्छी तरह से जोडते हुए वाणिज्यिक वितरण नैटवर्क का विकास दूर-दराज तथा सीमान्त क्षेत्रों को।

(घ) पूर्ण विकसित सूचना तकनीक प्रणाली की मदद से विविध वैज्ञानिक सामग्री प्रबन्धन तकनीकों का विकास

इन परिस्थितियों में आपूर्ति श्रृंखला में विभिन्न कड़ियाँ युक्त वर्तमान ढ़ाचों की, जिसके कारण प्रतिक्रिया में धीमापन आता है और इसके अलावा भंडार अवरूद्ध हो जाते हैं, पुनःरीक्षा[11] की आवश्यकता है।

---

[10] रैन्ड पाब्लिकेशन - आर 3768 - ए - डेवलपिंग रोब्स्ट सपोर्ट स्ट्रकचर फार हाई टेक्नालाजी सब सिस्टम्स पृष्ठ 3

[11] इस सम्बन्ध में आई आई एम अहमदाबाद के प्रोफेसर ए एच कारलो एवं प्रोफेसर पी आर शुक्ला द्वारा 1990 में किये गये अध्ययन की संस्तुतियाँ देखें जिन्हें श्री ए के घोष की 1996 में प्रकाशित

3.12 संस्तुतियाँ

(क) अपने औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति को देखते हुए तथा आयुध भंडार सूची[12] की मदों के वृहद अनुपात की सम्पूर्ण देश में फैले स्त्रोतों से देशज उपलब्धता के मद्देनजर सभी मदों की अधिप्राप्ति को केन्द्रीयकृत बनाये रखना अब संगत प्रतीत नहीं होता। न ही इनके वितरण के लिए किसी निर्धारित आपूर्ति श्रृंखला को अपनाने का कोई औचित्य है। यह मॉडल उस समय का है जब भारत में और ब्रिटिश झंडे तले ओवरसीज में तैनात सैन्य बलों की सहायता हेतु अधिकांश भंडार सूची मदें "होम कन्ट्री" से आती थीं और यह मॉडल हमारी आज की परिस्थितियों में उपयुक्त नहीं है।

(ख) आयुध सेवायें ने अपनी आपूर्ति की कुछ मदों के लिए पहले ही एक परिवहन मॉडल अपनाया है, जिसके आर्थिक एवम् प्रयोक्ताओं की सन्तुष्टि दोनों के ही सम्बन्ध में बहुत लाभकारी परिणाम आये हैं। इस मॉडल को अन्य मदों, विशेषकर जी एस एंड सी श्रेणी तथा देशज 'ख' वर्ग के वाहनों के अतिरिक्त पुर्जों के लिए लागू करने की संभावना का पता लगाये जाने की आवश्यकता है।

(ग) तथापि समग्र परिस्थिति में परिवर्तन के मानक से मेल खाने के लिए एक और मूलभूत परिवर्तन के लिए आयुध सेवाएं को अपनी भंडार सूची को अधिप्राप्ति एवम् भंडारण/ वितरण उद्देश्यों के लिए सहज उपलब्धता के आधार पर विभाजित करने के लिए विचार करना चाहिए।

(घ) क्रय में धन के बदले बेहतर मूल्य मिलने और प्रतिक्रिया समय में कमी लाने के लिए तथा प्रशासनिक लागत में कमी करने के लिए निम्न श्रेणियों की केन्द्रीय आपूर्ति पर निर्भर रहने के बजाय उन्हें अधिक प्राधिकार देने के लिए डिजाइन किये गये मॉडल के अनुसार उन्हें केन्द्रीकृत उपलब्धता, श्रेत्रीय उपलब्धता तथा स्थानीय उपलब्धता के आधार पर निम्न प्रकार विभाजित किया जाना चाहिये।

"इंडिया डिफेन्स बजट एन्ड एक्सपेन्डीचर इन ए वाइडर कान्टेक्सट" के पृष्ठ 253 पर उद्धृत किया गया है।

[12] डी डी जी ओ एस जी एस एंड सी के पास पी आर एफ की संख्या के अनुसार सी ओ डी कानपुर में इसकी 5893 मदों की कुछ भंडार सूची में केवल 17 आयातित मदें थीं। सी ओ डी दिल्ली छावनी के मामले में 65000 वर्तमान मदों में से हैवी ड्यूटी रिकवरी वाहनों से सम्बंधित लगभग 4000 मदों को छोड़कर सम्पूर्ण श्रेणी देशज मूल का था।

i) भंडार सूची का समूहीकरण

क) केन्द्रीय रूप से उपलब्ध करायी गयी मदें

इसमें वह मदें सम्मिलित होंगी जिन्हें केन्द्रीय रूप से अधिप्राप्त और वितरित किया जाना चाहिये इस श्रेणी में ये मदें शामिल होंगीः-

- सभी पूर्ण उपस्कर
- सरकार से सरकार के आधार पर विदेश से अधिप्राप्त सभी आयातित मदें
- डी जी ओ एफ आपूर्ति की सभी मदें
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आपूर्ति की सभी मदें
- सभी ऐसी मदें जो केवल रक्षा से सम्बन्धित है और जिनका कोई नागरिक उपयोग नहीं है
- सीमित उपलब्धता के कारण आयुध सेवायें द्वारा " केन्द्रीय रूप से भंडार की गयी" मदें

ख) क्षेत्रीय रूप से अधिप्राप्त मदें

इसमें केन्द्रीय एवम् स्थानीय रूप से अधिप्राप्त वर्गीकृत मदों के अलावा व्यापार आपूर्ति की सभी मदें शामिल होंगी । सामान्य भंडारों की अधिकांश मदें, वाणिज्यिक ' ख' वर्ग के वाहनों के अतिरिक्त पुर्जे और रिले, रेजिस्टर्स तथा चार्जिग और जनित्र सैटों के लिए अतिरिक्त पुर्जों जैसी सामान्य प्रयोक्ता इलैक्ट्रानिक एवम् इलैक्ट्रिक मदों की सीमित श्रेणी इस वर्ग में आयेगी।

ग) स्थानीय अधिप्राप्त मदें

व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाली दैनिक उपभोग की वस्तुएं जो देश के अधिकांश भागों में बाजार में सहज उपलब्ध हैं।

ii) अधिप्राप्ति एवम् आपूर्ति की व्यवस्था

सभी केन्द्रीयकृत अधिप्राप्त मदों के प्रावधान, अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति की प्रणाली को परिवहन मॉडल का अधिकतम उपयोग करके वर्तमान रूप में रखा जाना चाहिये।

जहाँ तक क्षेत्रीय अधिप्राप्त मदों का सम्बन्ध है उनके प्रावधान, अधिप्राप्ति एवम् वितरण का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्रीय /फील्ड डिपों के कमान्डेन्ट को सौंपा जाना चाहिये जिन्हें डी जी एस एंड डी की दर संविदा में सम्मिलित नहीं किया गया है तो जहां तक सम्भव हो मूल उपस्कर आपूर्तिकर्ता से दर संविदा करनी चाहिये। तथापि इसमें उपयुक्त डी जी क्यू ए कवर और आई एंड बी सी की आवश्यकता होगी। क्षेत्रीय अधिप्राप्ति की यह प्रभावशालिता ऐसे अतिरिक्त कवर की लागत से भी अधिक होगी।

सैन्य बलों द्वारा व्यक्तिगत उपयोग की कुछ मदों के सम्बन्ध में नकद भत्ता दिये जाने की प्रणाली पहले ही से चल रही है। ऐसी मदों की सीमा बढ़ायी जानी चाहिये तथा कुछ ए एस सी आपूर्ति मदों की अधिप्राप्ति के समान ही फार्मेशन कमाण्डर की शक्तियों के अधीन स्थानीय मदों की अधिप्राप्ति के लिए प्रणाली का समावेश किया जाना चाहिये।

3.13 रक्षा विभाग की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा द्वारा दी गई पाँच संस्तुतियों में से दो को एम जी ओ ने स्वीकार किया, एक को आंशिक रूप में माना और से असहमति दर्शाई जैसा कि नीचे दिया गया है। मंत्रालय ने भी एम जी ओ के दृष्टिकोण से सहमति प्रदान की।

(क) विकेन्द्रीकृत क्रय को स्वीकार नहीं किया और तर्क दिया कि केन्द्रीकृत क्रय के अपने कुछ फायदे हैं जैसे प्रतिस्पर्धात्मक दरों तथा मात्रा का प्राप्त होना, इसके अतिरिक्त मदों की भ्रामक आपूर्ति पर भी नियंत्रण रहता है।

(पैरा 3.12(क))

(ख) परिवहन मॉडल को उस सभी मामलों में जहां भंडार की मात्रा बहुत अधिक है और सीधे परिवहन की आवश्यकता है, लागू करने के लिए सहमत हुआ।

(पैरा 3.12(ख))

(ग) यह स्वीकार किया कि आम प्रयोग की मदों की आर ओ डी द्वारा अधिप्राप्ति की जा सकती थीं और प्रयोक्ता को जारी की जा सकती थीं, यहां यह वर्णन करना था कि आयुध "आन-लाइन" अधिप्राप्ति का समावेश करेगी सी आई सी भी के पूरे जा जाने पर ई-कामर्स में प्रवेश करेगी।

(पैरा 3.12(ग))

(घ) डी जी एस एण्ड डी दर संविदाओं में सम्मिलित नहीं की गयी मदों के लिए आर ओ डी/एफ ओ डी के कमान्डैन्टों को दर संविदा करने के लिए अनुमति दिये जाने की संस्तुति स्वीकार नहीं की।

(पैरा 3.12(घ))

(ड.) आंशिक रूप में स्वीकार किया और बताया कि छः मदों के लिए रोकड़ भत्ता दिया जा रहा था और इस सूची में पाँच और मदें जोड़ी जा रही थीं। एम जी ओ ने, तथापि, इस प्रस्ताव के विरोध में तर्क दिया क्योंकि यह सैनिकों के अहित में हो सकती थी।

(पैरा 3.12(ड.))

एम जी ओ ने लेखापरीक्षा की इस आपत्ति से भी असहमति प्रकट की कि वर्तमान आपूर्ति की श्रृंखला की प्रतिक्रिया धीमी थी और एक विशाल भंडार सूची को अवरूद्ध कर देती है तथा बताया कि थलसेना का एक बड़ा भाग उन क्षेत्रों में आतंकवादी कार्रवाईयों को रोकने के लिए तैनात थी जहां कोई उद्योग नहीं हैं, सिविल बाजार में बड़ी मात्रा में भ्रामक मदें बिकती हैं और थलसेना के लिए औद्योगिक विकास कोई महत्व नहीं है क्योंकि थलसेना के आपूर्ति के मुख्य स्त्रोत डी जो ओ एफ, पी एस यू, लघु उद्योग और हैंडलूम सैक्टर थे।

एम जी ओ ने सुझाव दिया कि डी जी एस एंड डी द्वारा की गई दर संविदा पर निर्भर रहने की अपेक्षा आयुध को दर संविदा (आर सी) करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मंत्रालय/एम जी ओ ने निर्गम में अधिक समय को रोकने और सामरिक माँगों के सम्बन्ध में भी डिपुओं की निलम्बित प्रतिक्रिया को बारे में कोई टिप्पणी नहीं की।

3.14 उपसंहार

लेखापरीक्षा अभी भी यह मत है कि विद्यमान आपूर्ति श्रृंखला की प्रतिक्रिया आमतौर पर धीमी थी जैसा कि इस अध्याय में तथा अध्याय 10 : प्रयोक्ता की संतुष्टि स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। क्योंकि यह प्रयोक्ता की संतुष्टि को प्रभावित करता है, इस प्रणाली के पूर्ण जाँच की आवश्यकता है। प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला में कमी करने की अति आवश्यकता है। डी जी ओ एस द्वारा दर संविदा करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा का मत है कि जबकि डी जी एस एंड डी द्वारा आर सी के संचालन करने की प्रणाली चालू रहनी चाहिए, सेना मुख्यालय या सी ओ डी स्तर पर आयुध केवल रक्षा सेवाओं के लिए आयुध मदों के लिए आर सी किया जा सकता है परन्तु जो मदों की क्षेत्रीय/ स्थानीय स्तर पर अधिप्राप्ति की जा सकती है उन्हें विकेन्द्रीकृत किया जा सकता है।

अध्याय 4 : मानक

4.1 सार

इलैक्ट्रिकल एवम् मैकेनिकल इंजीनियरिंग की कोर (ई एम ई) आयुध को आरम्भिक भंडारण, रखरखाव, मरम्मत तथा अतिरिक्त पुर्जों के सदैव के लिए क्रय मानक तैयार करती है और जारी करती है। क्योंकि वे भावी आवश्यकताएं दर्शाते हैं अतः इन्हें तैयार करने में बेहद सावधानी और यथार्थता की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा ने आरम्भिक भंडारण निर्देशिका जारी करने में बहुत अधिक विलम्ब (11 वर्ष तक) पाया। मानकों में प्रदत्त अतिरिक्त पुर्जों की वैधता के साथ-साथ वास्तविक उपभोग दर्शाता है कि वे हमेशा उच्च स्तर पर (92-100 प्रतिशत) थे जिसमें 25 एवम् 1000 प्रतिशत से भी ऊपर तक डिग्री का विचलन था और शून्य उपभोग के मामले भी थे। बी एम पी के कुछ भंडार, राडार 'ख' के अनिश्चित काल तक चलने की संभावना है। कुछ इलैक्ट्रानिक उपस्करों के सम्बन्ध में ओवरहॉल मानक भी दोषपूर्ण पाये गये थे। यद्यपि मानक वित्तीय प्रभाव डालते हैं तथापि मौजूदा प्रणाली में इनके वित्तीय अनुमोदन जैसे कि मंत्रालय द्वारा जाँच एवम् रक्षा मंत्रालय (वित्त) की सहमति का कोई प्रावधान नहीं है।

ई एम ई के अलावा, आयुध तथा वित्त को भी सम्मिलित करके मानकों का समय से प्रकाशन और नागरिक उपयोग के वाहनों/उपस्करों के रखरखाव/मरम्मत को बाह्य स्त्रोत से कराने आदि कुछ ऐसे विषय हैं जो विचार करने लायक थे।

4.2 सामान्य

मरम्मत श्रेणी के पास अथवा उसके करीब ही अतिरिक्त पुर्जों की सहज उपलब्धता उपस्कर का डाउन टाइम कम करती है तथा उसकी सामरिक रूप से तैयारी के आश्वासन स्तर को बढ़ाती है। इसी के साथ कई स्थलों पर अतिरिक्त पुर्जे रखने में लागत भी अन्तर्निहित है। एक बहुश्रेणीय भंडारण एवम् मरम्मत प्रणाली में जैसाकि सेना द्वारा संचालित हैं, अतिरिक्त पुर्जों की भंडार सूची के प्रभावी प्रबन्धन के लिए ऐसी नीतियों, कार्यप्रणाली तथा प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो एक ओर तो उपस्कर के डाउन टाइम की लागत, सामरिक और वित्तीय दोनों, तथा दूसरी ओर भंडार सूची में अवरूद्ध निधियों की लागत के बीच उचित सन्तुलन रख सके।

सेना का उपस्कर मरम्मत दर्शन 'अनुमत मरम्मत अनुसूचीं की अवधारणा पर आधारित है जो कि विभिन्न मरम्मत श्रेणियों में किये जाने योग्य मरम्मत की प्रकृति तथा स्तर उन

स्तरों पर सामरिक रूप से स्वीकार्य उपस्कर डाउन टाइम और सन्निहित मरम्मत/अतिरिक्त पुर्जे सहायता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित करता है।
तब अतिरिक्त पुर्जे सहायता प्रत्येक मरम्मत श्रेणी की रखरखाव आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुरूप व्यवस्थित की जाती है। मानक ऐसे साधन हैं जिनके माध्यम से ऐसी व्यवस्थित अतिरिक्त पुर्जे सहायता का पता लगाया जाता है।

इसके अतिरिक्त आयुध सेवाएं द्वारा ओवरहॉल आवश्यकताओं की पूर्ति तथा एक बारगी क्रय के लिए प्रावधान तथा अधिप्राप्ति की कार्रवाई को निर्देशित करने के लिए भी मानकों की आवश्यकता पडती है।

4.3 मानक-संक्षेप में

इलैक्ट्रानिक एवम् मैकेनिकल इंजीनियरिंग (ई एम ई) कोर आयुध सेवाएं को मानक जारी करके आरम्भिक भंडारण, रखरखाव, ओवरहॉल तथा सदैव क्रय के लिये निर्देशित करते हैं। मुख्यालय टेक्नीकल ग्रुप इलैक्ट्रिकल एवम मैकेनिकल इंजीनिरिंग (एच क्यू टी जी ई एम ई) द्वारा तैयार मानकों का प्रकार एवम् उनके उद्देश्य संक्षेप में नीचे दर्शाये गये हैं;

(क) आरम्भिक भंडारण निर्देशिका (आई एस जी)

यह सी ओ डी को किसी नये उपस्कर के प्रवर्तन की तिथि से लगभग चार वर्षो की अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रावधान के लिए मार्गदर्शन हेतु बनी है। यदि उपलब्ध हों तो आई एस जी के आधार पर 24 माह के रखरखाव हेतु अतिरिक्त पुर्जों की आरम्भिक अधिप्राप्ति की जाती है अन्यथा निर्माता द्वारा संस्तुत तथा एच क्यू टी जी ई एम ई सत्यापित अतिरिक्त पुर्जों की सूची (एम आर एल एस) मार्गदर्शन करती है। आई एस जी में आरम्भिक भरण 'आई एफ' के लिए मानक होते हैं अर्थात विभिन्न यूनिटों को आरम्भिक निर्गम, 25 प्रतिशत उपस्कर के प्रथम ओवरहाल के लिए ओवरहाल 'ओ' तथा रखरखाव 'एम' कॉलम के मानक होते हैं।

(ख) रखरखाव मानक (एम एस)

यह निम्न आयुध एवम् मरम्मत श्रेणियों द्वारा उस समय तक के लिए, जब तक कि इन स्तरों पर आगे प्रावधान की कार्रवाई के मार्गदर्शन हेतु पर्याप्त वेस्टेज अनुभव प्राप्त न हो जायें, भंडारण हेतु अतिरिक्त पुर्जों की श्रेणी एवम् मात्रा दर्शाता है। यह इन श्रेणियों के लिए सीओडी से अतिरिक्त पुर्जों की मात्रा के लिए प्राधिकार का कार्य करता है।

(ग) ओवरहाल मानक (ओ एस)

यह उपस्कर की बेस ओवरहाल के लिए मरम्मत हेतु अतिरिक्त पुर्जों की आवश्यकता को निर्धारित करता है। इसका उपयोग बेस कार्यशालाओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं के अग्रिम प्रावधान के लिए किया जाता है।

(घ) विशेष भंडारण निर्देशिका (एस एस जी)

यह एक ही बार में सीमित मात्रा में अधिप्राप्त किये जाने वाले उपस्करों के मामले में तैयार की जाती है। यह उन उपस्करों के लिए भी बनायी जाती है जिनके अतिरिक्त पुर्जों की उपलब्धता का स्त्रोत पितृ देश में उस उपस्कर का उत्पादन बन्द हो जाने के कारण खत्म हो जाने की सम्भावना होती है। यह मानक 'आजीवन काल अधिप्राप्ति' के निर्णयों को निर्देशित करते हैं।

4.4 प्रणाली लागू करने की आवश्यकता

मानक भावी आवश्यकताओं को दर्शाते हैं। मानक बनाते समय अत्यधिक सावधानी और सचेत रहने की आवश्यकता होती है क्योंकि आकलन में जरा सी भी गलती से उसी अनुपात में श्रेणी एवम् मात्रा दोनों में अवाँछित अतिरिक्त पुर्जों का भंडारण हो जायेगा अथवा कुछ अन्य मामलों में उपस्कर की मरम्मत के अतिरिक्त पुर्जों की उपलब्धता का वाँछित आवश्वासन स्तर कम हो जायेगा।

लागत प्रभावी अतिरिक्त पुर्जों का पैकेज तैयार करने में महत्वपूर्ण पुर्जों के गहन विश्लेषण तथा श्रेणी एवम् मात्रा निर्धारित करने के लिए एक यथार्थ मात्रापरक विधि का होना आवश्यक है। इकाई मूल्य के आधार पर उच्च मध्य एवम् कम लागत में, उपस्कर निर्माण के आधार पर महत्वपूर्ण, आवश्यक तथा वाँछनीय (वी ई डी) में तथा प्रत्याशित उपभोग दर के आधार पर संचलन प्रकार जैसे कि तेज, मंद एवम् अचल (एफ, एस, एन) में श्रेणीकरण इसके विकास के लिए आवश्यक घटक हैं।

मानकों के समय से प्रकाशित होने की आवश्यकता स्वतः प्रमाणित है।

4.5 प्रणाली का लागू करना

लेखापरीक्षा ने नमूना जाँच के दौरान प्रणाली को लागू करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित कमजोरियां पायीं।

4.5.1 आरम्भिक भंडारण निर्देशिकाएं

(क) प्रकाशन में विलम्ब

आदर्श रूप से आई एस जी मुख्य उपस्कर के लिए आदेश देते समय उपलब्ध होनी चाहिये ताकि पैकेज के भाग के रूप में वाँछित श्रेणी और मात्रा में अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति की जा सके। तथापि आई एस जी के प्रकाशन में सदैव विलम्ब हुआ जैसा कि नीचे की सारणी में दर्शाया गया है:

सारणी 4.1 आरम्भिक भंडारण निर्देशिकाओं के प्रकाशन में विलम्ब (आई एस जी)

क्रम संख्या	डिपो का नाम	उपस्कर का नाम	उपस्कर के प्रवर्तन का वर्ष	आई एस जी के प्रकाशन का वर्ष	विलम्ब
1	सी ओ डी आगरा	टेलीफोन 'क'	अप्रैल 1990	अप्रैल 1992	2 वर्ष
2.	सी ओ डी आगरा	रेडियो सैट 'क'	फरवरी 1990	जुलाई 1996	5 वर्ष 3 माह
3.	सी ओ डी दिल्ली छावनी	मारुति जिप्सी 413	मार्च 1998	अक्तूबर 1999	1 वर्ष 6 माह
4.	सी ए एफ वी डी किरकी	शस्त्रप्रणाली 'क'	1996	मई 1999	3 वर्ष
5.	सी ए एफ वी डी किरकी	शस्त्रप्रणाली 'ख'	1989	अभी प्रकाशित होनी है	11 वर्ष

(ख) उपस्कर के प्रवर्तन के उपरान्त भी आई एस जी का प्रकाशित न होना

सी ओ डी आगरा के उपस्कर के प्रवर्तन के बाद भी आई एस जी के प्रकाशित न होने के कुछ मामले नीचे दिये गये हैं;

सारणी 4.2 सी ओ डी आगरा के उत्तरदायित्व की कुछ इलैक्ट्रानिक मदों के प्रवर्तन के उपरान्त भी आई एस जी का प्रकाशित न होना

क्रम संख्या	उपस्कर का नाम
1.	फील्ड सिफर उपस्कर
2.	रेडियो रिसीवर
3.	हाथ में रखे जाने वाला दिशा दर्शक
4.	चालक रहित लक्ष्य एयरक्राफ्ट प्रणाली
5.	एकीकृत निरीक्षण उपस्कर
6.	हाथ में रखे जाने वाला थर्मल इमेजर
7.	टेलीस्कोप साइटिंग

यह विचार करते हुए कि जब कोई नया उपस्कर सेवाओं में लगाया जाता है तो इसके रखरखाव तथा आरम्भिक सेवा काल के दौरान मरम्मत के लिए आवश्यक अतिरिक्त पुर्जे आई एस जी के अनुसार होंगे और स्पष्टतया इसके अभाव में अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति बिना किसी वैज्ञानिक पूर्व घोषणा के होगी तथा इससे या तो अधिक या कम प्रावधान होने की सम्भावना है।

तथापि एम.जी.ओ. ने सितम्बर 2000 में बताया कि मद क्रम संख्या 1 के लिए आई.एस.जी. मार्च 1996 में प्रकाशित की गई थी तथा क्रम संख्या 3,4 एवं 5 के संबंध में आई.एस.जी. प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं थी। शेष मामलों में आई.एस.जी. तैयार की जा रही थी । इस तथ्य से कि मार्च 1996 में ही प्रकाशित आई.एस.जी. के बारे में डिपू अनभिज्ञता इसके प्रकाशन के चार वर्षों के पश्चात् भी उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि कुछ मामलों में किसी आई.एस.जी. का आवश्यकता नहीं थी, से सन्देह उत्पन्न हुआ कि प्रावधान के लिए उत्तरदायी एजेंसी को ऐसी अति महत्वपूर्ण सूचना भेजने की प्रक्रिया की पर्याप्तता संदेहास्पद थी ।

(ग) संशोधनों में अनावश्यक विलम्ब

सामान्यतः आई एस जी चार वर्ष की अवधि के लिए वैध होती है किन्तु कुछ मामलों में यह छह वर्ष तक भी हो सकती है। दूसरे शब्दों में आई एस जी का अधिकतम संभावित उपयोग छः वर्ष है। आई एस जी में इस छह वर्ष की अवधि के उपरान्त कोई संशोधन जारी करना तर्क से परे है तथापि ब्रिजिंग सैट पीएमपी, ब्रिजिंग सैट पी एम एस और गन 'क' के मामले में जो कि क्रमशः 1974, 1975 तथा 1986 में सेवाओं में प्रवर्तित की गयीं थीं आई एस जी 1993, 1991 तथा 1994 के दौरान निम्न प्रकार संशाधित किये गये थेः-

सारणी 4.3 सी ओ डी जबलपुर के उत्तरदायित्व के उपस्करों की आरम्भिक भंडारण निर्देशिकाओं (आई एस जी) में अनावश्यक विलम्ब से संशोधन

क्रम सं.	डिपो का नाम	उपस्कर का नाम	उपस्कर के सेवा में प्रवर्तित होने का वर्ष	आई एस जी का प्रकाशन वर्ष	आई एस जी के संशोधित होने का वर्ष	विलम्ब (वर्ष)
1.	सी ओ डी जबलपुर	ब्रिजिंग सैट पी एम पी	1974	1975	1993	18
2.	सी ओ डी जबलपुर	ब्रिजिंग सैट/पद/पी/एस	1975	1975	1991	16
3.	सी ओ डी जबलपुर	गन 'क'	1986	1988	1994	06

एम.जी.ओ. ने सितम्बर 2000 में बताया कि संशोधन जारी करने की आवश्यकता उन्नत करने, घटकों के अप्रचलन होने और उत्पादन में सुधार जैसे आकस्मिक परिस्थितियों के कारण उत्पन्न हुई थी । तथापि यह इन मानकों की वैद्यता से संबंधित प्रावधानों के अनुसार नहीं थी ।

(घ) अवास्तविक मानक

आई एस जी के 'एम' कालम में दर्शाये गये अतिरिक्त पुर्जे वास्तविक खपत से कितना मेल खाते हैं, इसका आकलन करने के उद्देश्य से लेखापरीक्षा ने तीन वर्षों के लिए रखरखाव में अतिरिक्त पुर्जों की वास्तविक खपत का विश्लेषण किया तथा इसकी आई एस जी में प्रदत्त मानकों से तुलना की। इसमे भारी भिन्नता का पता लगा जिसे नीचे सारणीकृत किया गया है;

सारणी 4.4 सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी तथा सी ए एफ बी डी किरकी में उपस्कर की अवास्तविक आरम्भिक भंडारण निर्देशिकाएं (आई एस जी)

डिपो का नाम	वाहन /उपस्कर	नमूना आकार	खपत नमूने की आई एस जी से तुलना					
			आई एस जी से अधिक		आई एस जी के बराबर		आई एस जी से कम	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
सी ओ डी आगरा	राडार 'क'	47	3	6	0	-	44	94
सी ओ डी आगरा	रेडिया सैट 'ख'	30	1	3	0	-	29	97
सी ओ डी आगरा	राडार 'ख'	16	0	-	0	-	16	100
सी ओ डी दिल्ली छावनी	मारुति जिप्सी 410	25	1	4	0	-	24	96
सी ए एफ वी डी किरकी	टैंक 'क'	50	5	10	0	-	45	90
सी ए एफ वी-डी किरकी	शस्त्रप्रणाली 'ग'	25	1	4	1	4	23	92

लेखापरीक्षा द्वारा वास्तविक वेस्टेज तथा मानकों में प्रदत्त वेस्टेज की भिन्नता के विश्लेषण से पाया कि यह भिन्नता मात्रा में बहुत अधिक थी जैसाकि नीचे सारणी में दर्शाया गया है:

सारणी 4.5 आरम्भिक भंडारण निर्देशिकाओं (आई एस जी) में मानकीकृत मात्रा और अतिरिक्त पुर्जों की खपत में भिन्नता की डिग्री

डिपो का नाम	वाहन/उपस्कर	कुल मदें	भिन्नता वाली कुल मदें	खपत और मानकीकृत मात्रा में भिन्नता का प्रतिशत (मदें)						
				25 तक	>25 -50	>50-100	>100-500	>500-1000	>1000	शून्य खपत
सी ओ डी आगरा	राडार 'क'	47	47	शून्य	शून्य	शून्य	2	शून्य	2	43
	राडार 'ख'	16	16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	16
	रेडियो सैट'ख'	30	30	3	1	शून्य	5	5	13	3
सी ओ डी दिल्ली छावनी	मारूति जिप्सी 410	25	25	शून्य	2	1	6	4	12	शून्य
सी ए एफ वी डी किरकी	टैंक 'क'	50	50	5	2	7	11	8	12	5
	शस्त्रप्रणाली 'ग'	25	24	शून्य	शून्य	शून्य	11	2	11	शून्य

लेखापरीक्षा ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया कि इसमें कुछ अतिरिक्त पुर्जे योद्धी प्रकार के उपस्करों से सम्बन्धित थे और शांति काल वैस्टेज तथा युद्ध समय की आवश्यकताओं के बीच किसी सही सह-सम्बन्ध के अभाव की भी सम्भावना थी। तथापि यह तथ्य कि मारुति जिप्सी के मामले में भी भिन्नता मौजूद होना, जो कि एक वाणिज्यिक वाहन है जिसका शांतिकाल में पूरा दोहन किया जाता है, यह दर्शाता है कि अधिक भंडारण एक वैज्ञानिक संकल्प न होकर एक प्रकृतिगत कार्यवाही ज्यादा है।

आई सी वी वाहनों के मामलें में कम तकनीकी मदों जैसे कि रबर होजिस तथा सीट कुशन के लिए आई एस जी में कम भंडारण काल के लगभग अतिव्ययी मानक होने के कारण जुलाई/अगस्त 1990 के दौरान इनका अधिक प्रावधान हो गया। निर्गम अनुभव भंडार स्तरों से बहुत कम रहा जिसके परिणाम स्वरूप 1.69 करोड़ रुपए मूल्य के रबर होजिज तथा 1.07 करोड़ रुपए लागत के सीट कुशन अधिप्राप्ति के एकदशक बाद भी सी ए एफ वी डी किरकी में मूल्यवान वातानुकूलित भंडारण स्थान को घेरे हुए बिना किसी उपयोग के पड़े हुए थे और इस प्रक्रिया में इन पर भारी आवर्ती व्यय हो रहा था।

उपस्करों के सेवाओं में प्रवर्तन के आरम्भ में ही आई एस जी के एक ओवरहॉल ('ओ') कॉलम को सम्मिलित करते हुए 25 प्रतिशत उपस्करों के ओवरहॉल के लिए अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए आवरण संस्वीकृति में तार्किकता का अभाव है। इस तथ्य के प्रकाश में देखते हुए कि सामान्यतः वाहनों/ उपस्करों का पहला ओवरहाल प्रवर्तन के 8 से 10 वर्ष बाद किया जाता है, यह जल्दी की गयी अधिप्राप्ति अनौचित्यपूर्ण प्रतीत होती है। जैसा कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की वर्ष 2000[1] की रिपोर्ट संख्या 7 के पैरा 19 में बताया गया था कि आई सी वी जो कि वर्ष 1977 में सेवाओं में प्रवर्तित किया गया था, के लिए 22 वर्ष पश्चात भी ओवरहॉल सुविधाएं तैयार नहीं हो पायी थीं। कभी-कभी वाहनों के ओवरहॉल का उत्तरदायित्व भी सेना पर नहीं रहता जैसे कि टैंक 'क' के मामले में सेवाओं में प्रवर्तन के 13 वर्ष बाद अर्थात 1993 में मंत्रालय ने इनके ओवरहॉल का कार्य महानिदेशक आयुध फैक्टरियाँ (डी जी ओ एफ) को सौंपने का निर्णय लिया था। यह तथ्य कि, उपस्कर के प्रथमतः प्रवर्तन होने से इसके ओवरहॉल के लिए तय अवधि के बीच की अवधि में मुख्य नीति और क्रियान्वयन स्तर में परिवर्तन भी हो सकते थे, आरम्भिक अधिप्राप्ति के एक भाग के रूप में ओवरहॉल के लिए अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति के लिए नीति बनाते समय भुला दिया गया प्रतीत होता था। ये कारक भी आयुध भंडार सूची में अवाँछित भंडारों के संग्रहण में योगदान करते हैं।

(ङ) मानकों में सामयिक कटौती से 37.02 करोड़ रुपए की बचत

मुख्यालय टी जी ई एम ई ने राईफल के लिए जुलाई 1995 में आई एस जी प्रकाशित की और इन मानकों के निर्देशानुसार सी ओ डी जबलपुर ने 37.20 करोड़ रुपए की लागत पर अतिरिक्त पुर्जों की 109 मदों की अधिप्राप्ति के लिए अप्रैल 1997 में एक

[1] संलग्नक - ङ देखें ।

मांग पत्र डी जी ओ एफ को प्रस्तुत किया। माँगपत्र पर गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रक, लघुशस्त्र सी क्यू ए (एस ए) ईशापुर द्वारा उठायी गयी कुछ आपत्तियों ने डिपो को सचेत किया और उन्होंने महसूस किया कि वेस्टेज पैटर्न के अनुसार कुछ मदों के प्रावधान की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मरम्मत के लिए इनकी आवश्यकता ही नहीं थी। डिपो ने यह भी महसूस किया कि कुछ अन्य मदों की भी तत्काल आवश्यकता नहीं थी। इसने ई एम ई को आई एस जी में संशोधन के लिए प्रेरित किया तथा जुलाई 1998 में आवश्यकता के मानक घटाकर एक दशम भाग कर दिये गये। इसके प्रभाव से डिपों को माँगपत्र की मदों की 37.20 करोड़ रुपए की लागत को घटाकर 0.18 करोड़ रुपए करने में मदद मिली और कुल 37.02 करोड़ रुपए कम हो गये। यह मामला इन मानकों को तैयार करते समय चरम सावधानी बरतने की आवश्यकता तथा मानक तैयार करने की प्रक्रिया में आयुध प्रतिनिधियों के साथ-साथ ए एस एच एस पी को भी सम्मिलित करने की वाँछनीयता पर प्रकाश डालता है।

(च) दोषपूर्ण मानकों के कारण अधिक भंडारण

डिपों में कुछ भण्डारों के भंडारधारण की नमूना जांच से पता लगा कि कुछ भंडारों के स्टाक, स्थापित वेस्टेज पैटर्न के अनुसार सदियों तक चलेंगे;

सारणी 4.6 दोषपूर्ण मानकों के कारण आधिक्य में हुए भंडार का क्रमिक स्तरीकरण

(मूल्य - करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	डिपो का नाम	उपस्कर का नाम	नमूना आकार	स्टॉक का मूल्य	स्टॉक पर्याप्तता की सीमा (वर्षों में)
1.	सी ओ डी आगरा	रेडियो सैट 'ग'	12	8.10	9 से 303
2.	सी ओ डी आगरा	राडार 'ख'	16	0.63	अनन्तकाल
3.	सी ओ डी आगरा	रेडियो सैट 'ख'	30	0.05	0 से 194
4.	सी ओ डी जबलपुर	आर्टिलरी मदें	21	0.36	290 से 1354
5.	सी ओ डी जबलपुर	लघुशस्त्र	13	0.46	25 से 134
6.	सी ए एफ वी डी किरकी	टैंक 'क'	54	3.24	18 से 8683
7.	सी ए एफ वी डी किरकी	आई सी वी	50	0.49	अनन्तकाल

उपर उल्लिखित टैंक 'क' की 54 मदों में से 1.15 करोड़ रुपए लागत की तीन मदें पहले ही अपना भंडारण काल पार कर चुकी हैं इसके परिणामस्वरूप सरकार को स्पष्टतः हानि हुई है।

उपरोक्त सभी मामलों में दोषपूर्ण मानकों के कारण अधिक प्रावधान हुआ था।

4.5.2 ओवरहॉल मानक

(क) अवास्तविक मानकः

सी ओ डी आगरा द्वारा रेडियो उपस्कर लाइन उपस्कर, पावर उपस्कर तथा उपकरणों के ओवरहाल मानकों में सम्मिलित अतिरिक्त पुर्जों की अवास्तविक श्रेणी एवम् मात्रा के मामलों की जून 1999 में सूचना दी गयी जो कि निम्न प्रकार हैः-

सारणी 4.7 सी ओ डी आगरा के उत्तरदायित्व के कुछ इलैक्ट्रानिक उपस्करों के अवास्तविक ओवरहॉल मानक

क्रम संख्या	वर्ग	मद	मानक सन्दर्भ	मदों की संख्या जिनके लिए मानक बनाये गये	उन मदों की संख्या जिनकी ओवरहॉल कार्यक्रम के लिए माँग नहीं की गयी (1999-2001)	
					संख्या	प्रतिशत
1.	रेडियो	रेडियो सैट 'घ'	टीएल/एफ/795/1 निर्गम 1 दिनांक जुलाई 1983	790	719	91
2.	रेडियो	रेडियो सैट 'ग'	टी एल/एफ 805/ 4/आईएसजी सं.1 जून 1987	339	276	81
3.	रेडियो	रेडियो सैट 'ड.'	टी एल/एफ 805/ 2/आईएसजी सं.1	398	311	78
4.	लाइन उपस्कर	लाइन उपस्कर 'क'	टी एल/टी-335/ 4/आईएसजी सं.1 जनवरी 1992	246	174	70
5.	लाइन उपस्कर	लाइन उपस्कर 'ख'	टीएल/यू/775/1 आईएसजी सं.1 जनवरी 1983	499	431	86
6.	लाइन उपस्कर	लाइन उपस्कर 'ग'	टीएल/टी/105/9 एसजी (एस एल)सं.1 आई एस जी 3/93	51	25	49
7.	पावर उपस्कर	पावर उपस्कर 'क'	पीडब्ल्यू/सी 185/4 ओ एस सं.1 फरवरी 1997	467	353	76
8.	पावर उपस्कर	पावर उपस्कर 'ख'	टीएल/एफ185/4 आई एस जी सं.1 जारी फरवरी 1997	467	307	66
9.	पावर उपस्कर	पावर उपस्कर 'ग'	पी डब्ल्यू/सी185/6 जनवरी 1982 की आई एस जी सं.1	419	266	63
10.	उपकरण	उपकरण 'क'	आईएस/डी165 ओ एस सं.1 जारी 1 सितम्बर 1984	64	57	89
11.	उपकरण	उपकरण 'ख'	आई एस/बी 235 ओ एस सं.1 जारी 2 नवम्बर 1992	127	68	54
12.	उपकरण	उपकरण 'ग'	आई एस/1345/1 आईएस जी सं.1 जारी 1 मार्च 1990	158	78	49

एम.जी.ओ. ने सितम्बर 2000 में बताया कि ओवरहॉल मानकों को तैयार करने और प्रकाशित करने के दौरान फालतू पूर्जो के कम उपयोग के बारे में विचार किया जा रहा था । लेखापरीक्षा में देखा गया कि इस प्रकार के ऊपचारी उपायों को बहुत देर हो चुकी थी और जो किया जा चुका है उसको वापस नहीं लिया जा सकता था । उदाहरण के लिए उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 पर मद के लिए 'ओ' कालम के साथ आई.एस.जी. जुलाई 1983 में प्रकाशित की गई थी। जबकि ओवरहॉल के लिए मानक 16 वर्ष उपरान्त अर्थात् अक्टूबर 1999 में प्रकाशित किए गये थे ।
स्पष्टतया ओवरहॉल मानक अवास्तविक रूप से उच्च है। यह भी ई एम ई द्वारा तैयार मानकों के अतिव्ययी होने का एक और संकेतक है। इससे अवांछित भंडारों की अधिप्राप्ति चरम स्तर तक पहुंच सकती है।

(ख) मारुति इंजनों के ओवरहाल मानकों में दोष

मारूति इंजनों का ओवरहॉल थलसेना बेस कार्यशाला में न कराने का निर्णय होने के उपरान्त थलसेना मुख्यालय ने मारुति जिप्सी वाहन के लिए 1.94 करोड़ रुपए की लागत पर किट्स सहित 1010 अर्द्ध-इंजनों[2] के लिए दिसम्बर 98/अगस्त 99 में है, मै. मारुति उद्योग लिमिटेड (एम यू एल) के साथ एक संविदा की।

संविदा के अन्तर्गत एम यू एल की हाफ इंजन (असेम्बली) सीधे फिट करने के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाओं को आपूरित करने हैं। इसका उद्देश्य वाहनों का डाउन टाइम घटाना और मरम्मत की लागत कम करना है।

लेखापरीक्षा में पता लगा कि यद्यपि मारूति इंजन के ओवरहॉल मानकों में अर्द्धइंजन अवधारणा में 40 मदों के प्रति 90 मद उपलब्ध कराए गए थे। अर्द्ध इंजन अवधारणा के अन्तर्गत सामान्य आवश्यकता के आधार पर ओवरहॉल में पुर्जो के बदलने के लिए अतिरिक्त पुर्जो की कम आवश्यकता के प्रति अर्द्ध इंजन अवधारणा में सिलेन्डर ब्लाक पिस्टन स्टैन्डर्ड जैसे मंहगे मदों और मांगे नहीं गए मदों के लिए 100 प्रतिशत प्रतिस्थापन के कारण अतिरिक्त पुर्जो की लागत अधिक थी। यह मामला समग्र प्रणाली लागत के अलावा अतिरिक्त पुर्जो की अधिप्राप्ति एवम् उनके रखने के पैटर्न पर अनुमत मरम्मत अनुसूची में परिवर्तन के प्रभाव को दर्शाता है। इसके अलावा मारूति वाहन, जिसकी देश के अधिकांश भागों में कहीं भी मरम्मत करायी जा सकती है, के सम्बन्ध में पी आर एस में इस परिवर्तन की आवश्यकता पुनः जांच को आमंत्रित करती है, क्योंकि इसके कारण बेस कार्यशालाओं और आयुध सोपानों में स्थापना आकार में कमी आएगी।

---

[2] अर्द्ध इंजन का अर्थ है वाहन के डाउन टाइम को कम करने तथा मितव्ययता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इंजन के पूरे सैट के स्थान पर केवल कुछ महत्वपूर्ण पुर्जो का प्रतिस्थापन।

(ग) अवाँछित मदों को ओवरहॉल मानकों में बनाये रखना।

512 ए.बी.डब्ल्यू वर्कशाप ने ओवरहाल मानकों में टैंक 'ख' की ऐसी 812 मदें चिन्हित की थीं जिनकी ओवरहॉल में आवश्यकता नहीं थी। तथापि रखरखाव सलाहकार समूह (मैग-15) की संस्तुति पर इन्हें मानकों में ही बनाये रखा गया। जबकि बेस कार्यशाला जो ओवरहॉल का कार्य करती हैं, इसकी आवश्यकता महसूस नहीं कर रही थी तो ऐसी स्थिति में इन मदों को ओवरहॉल मानकों में बनाये रखने का कोई औचित्य नहीं था। इन मदों के 5 प्रतिशत जो कि संख्या में 42 बनता है, की लेखापरीक्षा जाँच से पता लगा कि स्टॉक में इन मदों की लागत 58.44 लाख रुपए थी जो दर्शाती है कि भारी राशि इन मदों में अवरुद्ध पड़ी हुई थी।

इसके विपरीत जब सी ओ डी जबलपुर ने सितम्बर 1997 में इस ओर ध्यान दिलाया कि जनवरी 1997 में गन 'ख' के ओवरहॉल मानकों में किये गये एक संशोधन के प्रभाव से एक मद के मानक 10 गुना बढ़ गये हैं तो एम ए जी-8 ने तुरन्त इस सुझाव पर कार्रवाई की। गलती को सुधारने के लिए तुरन्त ही ओवरहॉल मानकों में संशोधन कर दिया गया।

सी.ए.एफ.वी.डी. किरकी ने भी दोषपूर्ण मानकों के कारण टैंक 'ख' के लिए आवश्यकता से अधिक अधिप्राप्त की गयी 4.61 करोड़ रुपए की मदों को चिन्हित किया था।

4.5.3 मानकों के लिए वित्तीय अनुमोदन का अभाव

लेखापरीक्षा ने पाया कि ई एम ई द्वारा तैयार किये गये मानक वित्तीय रूप से अनुमोदित नहीं थे। क्योंकि मानक आयुध का अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति एवम् प्रावधान करने में मार्गदर्शन करते हैं एवम् इनके बहुगुणक प्रभाव से मुख्य वित्तीय परिव्यय होते हैं अतः यह उचित ही होगा कि सर्वप्रथम रक्षा मंत्रालय वित्त द्वारा मानकों को पूरी तरह सत्यापित करके सहमति प्रदान की जाये। मानक तैयार करते समय भी वित्त के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने पर भी विचार किया जाना चाहिये।

4.6 संस्तुतियाँ

(क) ***एच क्यू टी जी ई एम ई को मानकीकरण तथा श्रेणीकरण को प्रभावित करने वाले सभी संभावित पहलुओं पर अतिरिक्त सावधानी एवम् सतर्कता बरतनी चाहिये। मानक तैयार करते समय मुहरबन्द विवरणधारक प्राधिकारियों, आयुध एवम् वित्त की भागीदारी पर विचार किया जाना चाहिये। मूल उपस्कर निर्माताओं के साथ भी अधिक अर्थपूर्ण वार्ता किये जाने की आवश्यकता है।***

(ख) आई एस जी अवसर मिलते ही यथाशीघ्र हो सके तो उपस्कर के सेवा में प्रवर्तन के एक वर्ष के भीतर ही, जब तक कि सामान्यतः मूल उपस्कर की समाश्वासन अवधि समाप्त होती है, तैयार की जानी चाहिये।

(ग) ऐसे वाहनों और उपस्करों जिनका ओवरहाल उनके प्रवर्तन के आठ से दस वर्षों के बाद किया जाना है, के लिए प्रवर्तन की अवस्था में ही उनके ओवरहॉल के लिए वाँछित अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति को रोका जाना चाहिये, यदि आवश्यक ही हो तो अपवाद स्वरूप पायलट ओवरहॉल के लिए सीमित मात्रा में अधिप्राप्ति की जानी चाहिये।

(घ) एक बार ओवरहाल मानक प्रकाशित हो जाने के बाद वास्तविक अनुभव के आधार पर उन्हें परिष्कृत करने के लिए निर्धारित अवधियों पर उनकी सम्पूर्ण पुनरीक्षा की जानी चाहिये।

(ड.) सहज उपलब्ध अतिरिक्त पुर्जों के अनावश्यक भंडारण को रोकने तथा निर्माता द्वारा सेना को अतिरिक्त पुर्जों की भारी मात्रा डम्प करने की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए निर्माता द्वारा संस्तुत अतिरिक्त पुर्जों की सूची (एम आर एल एस) में मदों की श्रेणी की सम्पूर्ण संवीक्षा की जानी चाहिये।

(च) शान्त स्टेशनों विशेषकर ऐसे स्टेशनों में जहां प्राधिकृत सर्विस केन्द्र मौजूद हों, वहां वाहनों उपस्करों के रखरखाव का कार्य सिविल तौर पर कराने के लिए बाह्य स्त्रोतों की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिये।

4.7 रक्षा विभाग की प्रतिक्रिया

एम.जी.ओ. ने 6 में से 5 संस्तुतियाँ स्वीकार कर ली और एक को आंशिक रूप में स्वीकार किया ।

उपरोक्त संस्तुतियों के लिए एम.जी.ओ. की प्रतिक्रिया का सार क्रमवार निम्न प्रकार हैः

(क) आंशिक रूप में स्वीकार किया और कहा कि भंडार सूची के प्रकार और मानकीकरण को प्रभावित करने वाले सभी संभावित तथ्यों पर समूचित ध्यान दिया जा रहा था । मानकों में मदों की प्रकार को सम्मिलित करने के लिए ओ.ई.एम. के साथ एम.आर.एल.एस. पर विस्तृत चर्चा की जा रही थी और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर मात्रा निर्धारित की जा रही थी । वित्त को छोड़कर ए.एच.एस.पी. और आयुध को मानकों को तैयार करने में सम्मिलित करने का सुझाव स्वीकार कर लिया गया था ।

(पैरा 4.6 (क))

(ख) स्वीकार किया और निर्धारित तिथि को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया ।

(पैरा 4.6 (ख))

(ग) स्वीकार किया और बताया कि मुख्यालय टी.जी.ई.एम.ई. ने अभी हाल में प्रकाशित आई.एस.जी. में पायलट ओवरहॉल के लिए सीमित मात्रा को छोड़कर 'ओ' कालम को सम्मिलित करना बन्द कर दिया था तथा पायलट ओवरहॉल के बाद ओ.एच. मानक तैयार किए जाते थे ।

(पैरा 4.6 (ग))

(घ) स्वीकार किया और बताया कि अनुभव के आधार पर ओवरहॉल मानकों की पुनरीक्षा के लिए अनुदेश उपलब्ध थे ।

(पैरा 4.6 (घ))

(ड.) स्वीकार किया और कहा कि ऐसा पहले से ही किया जा रहा था ।

(पैरा 4.6 (ड.))

(च) स्वीकार किया और बताया कि उच्च वार्षिक रखरखाव लागत के दृष्टिगत दीर्घ काल में अधिकृत सेवा केन्द्रों के माध्यम से मरम्मत मितव्ययी नहीं होगी ।

(पैरा 4.6 (च))

4.8 उपसंहार

जैसा कि लेखापरीक्षा ने बताया है और आयुध ने भी अनुभव किया है कि विगत में अयथार्थ मानकों के कारण अनावश्यक भंडारों की अधिप्राप्ति हुई थी । मानकों के तैयार करने में अधिक सावधानी बरतने और ध्यान देने की आवश्यकता है । मानक तैयार करने के लिए 1978 में प्रकाशित ई.एम.ई. मानकों की विनियमावली से ई.एम.ई. का मानकीकरण सैल का मार्गदर्शन होता है और परिवर्तित आवश्यकताओं के संदर्भ में इन विनियमावली की पुनरीक्षा होनी शेष है । मानकों के तैयार करने में वित्त के प्रतिनिधि का होना यद्यपि एम.जी.ओ. ने अस्वीकार कर दिया है, पैराग्राफ 4.5.3 में दिए गए कारणों के दृष्टिगत मंत्रालय के द्वारा अपने एकीकृत वित्त के साथ परामर्श करके विचार करने की आवश्यकता है ।

आई.एस.जी. से कालम 'ओ' का निकालना सही दिशा में एक कदम था तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए कि पायलट ओवरहॉल के आधार पर भी ओवरहॉल अतिरिक्त पुर्जे उपस्कर की लाईफ साईकिल में बहुत पहले अधिप्राप्ति नहीं किए गए हैं और फिर अनेक वर्षों के लिए अप्रयोजनीय रहते हैं, विनियमावली में संशोधन की आवश्यकता है ।

वास्तविक ओवरहॉल के दौरान प्राप्त अनुभवों के परिणामस्वरूप मानकों में समय-समय पर संशोधनों के साथ निर्धारित अवधि में ओवरहॉल मानकों की विस्तृत पुनरीक्षा को अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है ।

बाहर के स्त्रोतों से कराई गई मरम्मत/सिविल में उपयोग किए जा रहे उपस्करों/वाहनों की मरम्मत की प्रभावी लागत का उचित लागत लाभ अध्ययन के साथ विश्लेषण की आवश्यकता है ।

अध्याय 5 : बजट तथा अधिप्राप्ति

5.1 सार

सेना ने 1994-99 की अवधि में औसत तौर पर भंडारों के क्रय पर 5130 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय किया। इनमें से 3373 करोड़ रुपए अर्थात लगभग दो तिहाई आयुध क्रयों पर हुआ था। अधिप्राप्ति में शीघ्रता के लिए आर्मी स्टाफ के वाईस चीफ को 25 करोड़ रुपए से लेकर केन्द्रीय आयुध डिपुओं के कमाण्डेंटों की 25 लाख रुपए तक की वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं।

लेखा परीक्षा ने पाया कि क्रय तथा बजटीय नियंत्रण के लिए विद्यमान आन्तिरक जांच प्रणाली अपर्याप्त थी और इसमें अधिक प्रावधान होने तथा निधियों की अनावश्यक वचनबद्धता का भी जोखिम था। अधिप्राप्ति मांगों की आन्तरिक प्रक्रिया बहुत अधिक धीमी तथा त्रासदीपूर्ण है, डिपुओं में कुछ मामलों में तो आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने में निर्धारित पुनरीक्षा की तिथि से दो माह तक के आन्तरिक लीड समय की अपेक्षा तीन वर्ष तक का लम्बा समय लिया। जिससे कि पूरी प्रणाली ही अस्त व्यस्त हो गयी है । लीड समय जो कि व्यापार से सीधे क्रय के मामलों में 21 माह तथा डी.जी.ओ.एफ. आपूर्ति मदों के सम्बन्ध में 42 माह हैं, बहुत पुराने हैं । व्यापार से आपूर्तियों में काफी कम प्रतिक्रया समय की उत्साहजनक प्रवृति दिखती है और डी.जी.ओ.एफ. इन लीड समयों में अधोगामी संशोधन करने की आवश्यकता दर्शाकर ऐसा करने में सक्षम है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारी मात्रा में अग्रिम एक मामले में 400 करोड़ से भी अधिक एकत्रित करने के बावजूद आपूर्तियों में दोषी पाये जाने के खेदजनक मामले भी लेखापरीक्षा में पाये गये, इसमें लेखा परीक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उत्तर दायित्व सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता का सुझाव देती है।

बजटीय नियंत्रणों,अधिप्राप्ति माँगों पर समय से कार्यवाही और आपूर्ति एजेंसियों की वृहत जिम्मेदारो तय करने के अलावा अधिप्राप्तियों के लीड समय को कम करने की पुनरीक्षा आवश्यक है।

5.2 सामान्य

सेना में अधिप्राप्ति सामग्री प्रबन्धन को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है क्योंकि यह अन्य बातों के साथ-साथ भंडारण सूची की महत्वपूर्ण मदों के स्त्रोत एवम् अधिग्रहण से सम्बन्धित हैं जिसके भारी वित्तीय परिव्यय सन्निहित है। आयुध भंडारों सहित भंडारों की अधिप्राप्ति सेना बजट में श्रम शक्ति बजट के बाद व्यय की दूसरी सबसे बड़ी मद है और

यह वर्ष 1994-99 के दौरान लगभग औसत रूप से 5130 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष रहा है जो कि कुल बजट का 32 प्रतिशत है।

सेना में अतिरिक्त पुर्जों की अधिप्राप्ति एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसकी मुख्य मदें जैसे कि बन्दूकें और टैंक विभिन्न मूल के होते हैं तथा तकनीकी उन्नति और परिवर्तनशील आपत्ति अनुभवों के परिणामस्वरुप उनकी बनावट लगातार बदलती रहती है। यह उनकी अतिविशिष्ट प्रकृति, कठोर विशिष्टताओं तथा आपूर्तियों के सीमित स्त्रोतों के कारण और भी जटिल हो जाती हैं । अतः जो अधिप्राप्तियों करने में सम्मिलित होते हैं उन्हें बदलती परिस्थितियों तथा आपूर्ति स्त्रोतों के बारे में बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता होती ताकि अधिप्राप्ति वास्तविक आवश्यकताओं के प्रति नियमित रुप से होती रहे।

5.3 बजट

5.3.1 आबंटन तथा व्यय

वर्ष 1994-1999 के दौरान वर्ग 'क' प्रकार के भंडारों सहित आयुध भंडारों की अधिप्राप्ति पर आबंटन एवम् व्यय निम्न प्रकार थाः-

सारणी 5.1 वर्ष 1994-99 के दौरान आयुध भंडारों की अधिप्राप्ति पर बजट आबंटन तथा व्यय

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	आबंटन	व्यय	पूर्व कॉलम में सम्मिलित डी.जी.ओ.एफ. से क्रय	डी.जी.ओ.एफ. से क्रय का प्रतिशत	आधिक्य/बचत (+)/(-)
1994-95	2713.15	2642.54	1742.81	66.0	(-) 71.21
1995-96	3091.79	3077.50	1907.13	62.0	(-) 14.29
1996-97	3456.99	3256.90	1974.33	61.0	(-) 200.09
1997-98	3979.93	4039.40	2645.71	65.0	(+) 59.47
1998-99	5115.22	3847.90	2337.15	61.0	(-) 1267.32

एक वर्ष को छोड़कर बाकी सभी वर्षों में निधियों का समर्पण हुआ है जो दर्शाता है कि आयुध सेवाओं को उनकी माँगों की पूर्ति हेतु निधियों की कमी नहीं थी।

ग्राफ - 4
1994-99 के दौरान आयुध भंडारों की अधिप्राप्ति पर बजट प्रावधान और व्यय

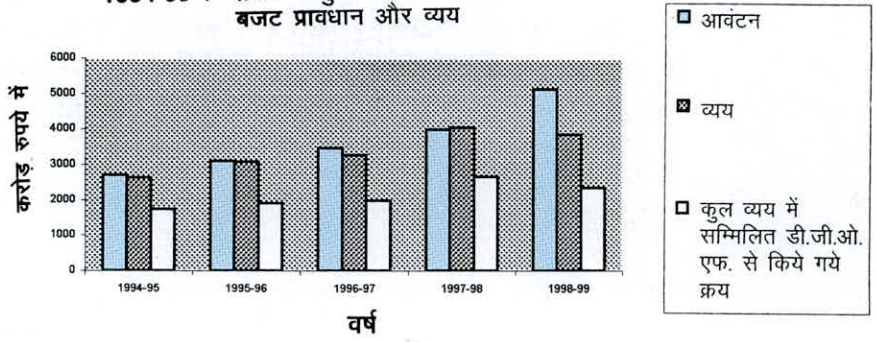

5.3.2 निधियों का उप-आबंटन

सेना में बहुत से अधिकारियों को वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त है जो प्रावधान पुनरीक्षाओं के आधार पर क्रय करते हैं । आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ को 25 करोड़ रुपए से लेकर कमाण्डेंटों की 25 लाख रुपए की भिन्न-भिन्न वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गयी हैं। डी.जी.ओ.एस. के बजटीय भाग में से प्रत्येक डिपो को उप-बटवारा किया जाता है। डिपुओं से सम्बन्धित बंटवारे एवम् व्यय की पुनरीक्षा निम्न प्रकार है:-

सारणी 5.2 वर्ष 1994-99 के दौरान पुनरीक्षाधीन केन्द्रीय आयुध डिपुओं से सम्बन्धित बजट बंटवारा और व्यय

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	सी.ओ.डी. आगरा		सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी		सी.ओ.डी जबलपुर		सी.ओ.डी. कानपुर सी.पी. सैल		सी.ए.एफ.वी.डी. किरकी	
1994-95	64.27	63.19	36.00	35.07	3.30	3.29	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	29.00	23.75
1995-96	90.85	90.72	47.75	42.70	2.00	0.59	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	23.00	14.08
1996-97	89.93	87.83	47.11	42.71	4.50	1.43	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	10.00	10.08
1997-98	89.80	84.07	37.70	34.24	4.38	2.32	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	10.00	8.86
1998-99	99.33	102.41	50.00	46.24	4.00	3.60	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	28.49	27.95

5.4 अधिप्राप्ति हेतु प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियाँ

रक्षा मंत्रालय द्वारा 1997 में प्रकाशित तथा अगस्त 1999 में संशोधित वित्तीय प्रबन्धन नीति में प्रावधान के आधार पर अधिप्राप्ति हेतु आयुध अधिकारियों की प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियाँ निम्न प्रकार थेः-

सारणी 5.3 आयुध भंडारों की अधिप्राप्ति हेतु वित्तीय शक्तियों का प्रत्योजन

(करोड़ रुपए में)

सक्षम वित्तीय प्राधिकारी	आई.एफ.ए./सी.डी.ए. से परामर्श किये बिना	रक्षा मंत्रालय (वित्त) आई.एफ.ए./सी.डी.ए. से परामर्श करके
वी.सी.ओ.ए.एस.	--	25
डी.जी.ओ.	--	5
डी.जी.ओ.एस. (लेफ्टि-जनरल)	2	3
अपर डी.जी.ओ.एस. (मेजर जनरल)	1.5	--
डी.डी.जी.ओ.एस. (जी.एस.एंड सी.)	0.50	--
सी.ओ.डी./सी.ए.एफ.वी.डी.के कमाण्डेंटस	0.25	--

अधीनस्थ अधिकारियों को बढ़ी हुई वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन के पीछे उद्देश्य निष्पादन में दक्षता लाने तथा आबंटित स्त्रोतों के उपयोग तथा प्राप्त की गयी आउट पुट में तालमेल स्थापित करना था।

एक लाख रुपए से अधिक मूल्य की सभी अधिप्राप्तियों के मामलों में यह निविदा क्रय समिति के माध्यम से किया जाता है जिसके गठन का निर्णय वित्तीय शक्तियों के अनुसार किया जाता है। कमाण्डेंटों को 25 लाख रुपए तक की लागत की मदों की अधिप्राप्ति की शक्तियाँ प्रत्यायोजित होने के बाद भी 10 लाख रुपए से अधिक के क्रयों में थल सेना मुख्यालय स्थित भंडार सूची एवं बजट नियंत्रण (आई एंड बी सी) की पूर्व सहमति लेना आवश्यक है। स्थानीय आई एंड बी सी सैल को आदेश प्रस्तुत करने से पूर्व माँगों के सत्यापन के संदर्भ में 10 लाख रुपए तक की सीमित शक्तियाँ 1987 में निर्धारित की गयी थीं ।

आई एंड बी सी सैल के बनने से पूर्व 1977 तक प्रावधान अभिलेखों की जांच केन्द्रीय आयुध डिपुओं से सम्बद्ध उप सहायक वित्तीय परामर्शदाता (आयुध) द्वारा की जाती थी। एक अप्रैल 1977 से डी.ए.एफ.ए.(ओ) का दायित्व आयुध द्वारा ले लिया गया तथा विभिन्न केन्द्रीय आयुध डिपुओं में आई एण्ड बी. सैल स्थापित किये गये तथा केन्द्रीय प्रावधान (सी.पी.) सैल बनाया गया। उद्देश्यों की प्राप्ति एवम् अधिक प्रावधान से बचने के लिए ये सैल डी.डी.जी.ओ.एस. (भंडार सूची एवम् बजटीय नियंत्रण) के

माध्यम से डी.जी.ओ.एस. के प्रशासनिक नियंत्रण में बाहरी स्टाफ के रुप में कार्य करने के लिए बनाये गये थे।

बजटीय नियंत्रण के उद्देश्य से इन सैलों को बजट आबंटन के साथ-साथ व्यय पर भी कड़ी निगरानी रखनी होती थी । सैल किसी भी प्रकार के त्वरित अथवा मंद व्यय के रुझान की सूचना डिपुओं को देने के साथ-साथ, बजट आबंटन के प्रति मांगों के निरस्तीकरण, उनमें कमी अथवा पूरक मांगों के बजटीय प्रभाव का भी आंकलन करती है। आई एंड बी.सी. सैलों के कार्य पर रक्षा मंत्रालय (वित्त) का निर्धारित नियंत्रण एवम् निरन्तर जांच सन्निहित है।

5.5 आपूर्तियों के स्त्रोत

रक्षा भंडारों के मुख्य आपूर्ति स्त्रोत निम्न प्रकार हैः-

(क) महानिदेशक आयुध फैक्टरियाँ : रक्षा सेवाएं के लिए वांछित भंडारों के उत्पादन एवम् आपूर्ति के लिए यह एक समर्पित एजेंसी है। वे अस्त्रों, शस्त्रों, टैंकों, जनरल स्टोर वस्त्रों, वाहनों तथा गोलाबारुद की एक बड़ी श्रेणी की आपूर्ति करती है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम : रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विशेषकर इलैक्ट्रानिक सामानों, संचार उपस्करों, मिसाइलों, भारी एवम् विशेष प्रकार के वाहनों, हेलीकॉप्टरों एवम् उड्डयन भंडारों की श्रेणी उपलब्ध कराती है।

(ग) व्यापार : भारत में निजी क्षेत्र की कम्पनियाँ रक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भंडारों की एक बड़ी श्रेणी का उत्पादन करती है। इसके अतिरिक्त आयातित मदों के देशजीकरण में भी भाग लेती है।

(घ) आयात : वांछित मदों का देशजीकरण होने तक उपस्करों एवम् अतिरिक्त पुर्जों का आयात आवश्यक बना रहता है।

(ड.) ई.एम.ई./डिपू : ई.एम.ई. मरम्मत वचनबद्धता को पूर्ण करने के लिए आवश्यकता के आधार पर अपनी कार्यशालाओं में मदों का निर्माण करते है। कुछ निर्माण आयुध स्टॉक उद्देश्य हेतु भी किया जाता है/ केन्द्रीय आयुध डिपुएं सीमित रुप से निम्न तकनीक की वस्तुओं का निर्माण करती हैं।

5.6 अधिप्राप्ति एजेंसियाँ

आयुध भंडारों की अधिप्राप्ति में सम्मिलित मुख्य एजेंसियाँ निम्न हैं

(क) **डी.जी.एस एंड डी. :** केवल रक्षा विभाग के उपयोग की मदों को छोड़कर रक्षा मदों सहित यह सभी सरकारी विभागों के लिए केन्द्रीय अधिप्राप्ति एजेंसी है। डी.जी.एस एण्ड डी. निर्माताओं/ आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ दर/चालू संविदाएं करते हैं जो रक्षा विभाग के लिए कार्य करती है।

(ख) **रक्षा उत्पादन एवम् आपूर्ति विभाग (डी.डी.पी.एस.)** : डी.डी.पी.एस. विकासात्मक प्रकृति की मदों, विशेषकर उनका जिनका देशजीकरण किया जाता है की अधिप्राप्ति करता है। इस उद्देश्य में डी.जी.क्यू.ए. इस विभाग की मदद करता है। स्वतन्त्र सतत उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति के दो स्त्रोत स्थापित हो जाने तक डी.जी.क्यू.ए. के माध्यम से विकासात्मक प्रकृति की मदों की अधिप्राप्ति की जाती है।

(ग) **विभागों के अध्यक्ष :** विभागों के अध्यक्ष जैसे कि डी.जी.ओ.एस. रक्षा और सिविल उपयोग की सामान्य मदों तथा प्रत्यायोजित शक्तियों के अन्तर्गत केवल रक्षा उपयोग की मदों की अधिप्राप्ति करते हैं ।

(घ) **थलसेना मुख्यालय (पी.पी.ओ.)** : एम.जी.ओ. ब्रांच के अन्तर्गत उपमहानिदेशक अधिप्राप्ति प्रगति संगठन भंडारों के आयात निर्यात का कार्य देखते हैं।

(ड.) **केन्द्रीय आयुध डिपुएं** : कमाण्डेंटों को भी समय-समय पर निर्धारित सीमाओं में सीधे, स्थानीय और नगद क्रय की शक्तियाँ प्रदान की गयी हैं।

ऐसे आयुध भंडारों जो वी.सी.ओ.ए.एस. की वित्तीय शक्तियों से परे हैं, की अधिप्राप्ति के लिए संस्वीकृति एवम् संविदा करने की शक्तियाँ रक्षा मंत्रालय के पास हैं।

5.7 निरीक्षण एजेंसियां

अधिप्राप्त की जा रही मदों के निरीक्षण एवम् स्वीकार करने की एक मात्र एजेंसी मुहरबंद विवरण धारक प्राधिकारी है। इसका एकमात्र अपवाद कम मूल्य की मदें हैं अर्थात् स्थानीय क्रय के मामलों में एक लाख रुपए तक लागत की मदें और सीधे क्रय के

मामले में 50,000 रुपए तक की मदें। इन मामलों में क्रय करने वाले डिपुओं के आयुध अधिकारी निरीक्षण कर सकते हैं।

5.8 लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

लेखा परीक्षा ने प्रणाली, प्रक्रिया और प्रेक्टिस की पुनरीक्षा के दौरान कुछ कमियां और कमजोरियां पायी जो आगे के पैराग्राफों में दी गयी है

(क) भंडार सूची एवम् बजटीय नियंत्रण सैल

i) प्रशासनिक नियंत्रण के साथ-साथ निभायी गयी भूमिका का महत्व

वर्तमान ढांचे में सेना मुख्यालय तथा डिपू स्थित आई एण्ड बी.सी. अधिकारी डी डी जी आई एण्ड बी सी के माध्यम से डी.जी.ओ.एस. के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। उस प्रवृति को बनाये रखने, जिसके लिए डी.ए.एफ. ए. (ओ) को बन्द करके इन्हें बनाया गया था, तथा प्रावधान अभिलेखों की किसी आन्तरिक लेखा परीक्षा के अभाव के तथ्य के दृष्टिगत इन सैलों का आयुध के अध्यक्ष के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करने के पुनः जांच किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि प्रावधान अभिलेखों की प्रभावी संवीक्षा में विफलता के फलस्वरुप, अधिक अथवा कम प्रावधान हो सकता है जिसमें भारी वित्तीय तत्व सन्निहित होगा। इन सैलों को कुछ स्वतंत्रता दिये जाने की आवश्यकता है जिसकी संभाव्यता पर अलग से अध्ययन किया जा सकता है।

उपरोक्त तर्क के समर्थन में आई एण्ड बी.सी. सैल द्वारा व्यय को कम करने में निभायी गयी भूमिका यहां उल्लेख करने लायक है। सी.ए.एफ.दी.डी. किरकी में प्रावधान करने के मामले में सम्बन्धित आई एंड बी.सी. सैल द्वारा सत्यापन के दौरान मांगों में मात्राओं को काफी सीमा तक घटाकर बचतें करायी जैसा कि नीचे दिया गया है:-

सारणी 5.4 आई एंड बी सैल द्वारा सी ए एफ वी डी किरकी में डिपुओं द्वारा मांगों में प्रदर्शित मदों की मात्राओं में कमी करके करायी गयी बचत

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	कुल सत्यापित मदें	सत्यापित मदों का कुल मूल्य	की गयी कमी	
			संख्या	मूल्य
1994-95	15706	78.11	194	1.82
1995-96	19921	54.46	331	3.92
1996-97	16725	103.86	312	5.31
1997-98	12520	132.29	272	8.60
1998-99	11067	86.13	499	28.17

ii) वित्तीय शक्तियों में असमानता

एम.जी.ओ. ब्रांच 1997 को वित्तीय प्रबन्धन नीति के अन्तर्गत सी.ओ.डी. के कमान्डेंटों को सीधे क्रय/टी पी सी मदों के सम्बन्ध में प्रावधान पुनरीक्षा के आधार पर 25 लाख रुपए तक के आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने की वित्तीय शक्तियां प्राप्त हैं। तथापि इन डिपुओं से सम्बद्ध आई एंड बी.सी. सैलों को केवल 10 लाख रुपए मूल्य तक की मांगों का सत्यापन करती है तथा इससे अधिक के प्रस्ताव सत्यापन हेतु थलसेना मुख्यालय को प्रेषित किये जाते हैं। ऐसे मामलों में सेना मुख्यालय द्वारा अधिप्राप्ति में औसतन तीन माह का विलम्ब हुआ जैसाकि सी.ओ.डी.दिल्ली छावनी तथा सी.ए.एफ.वी.डी. किरकी में देखा गया।

क्योंकि 1997 की वित्तीय प्रबन्धन नीति का उददेश्य निष्पादन में दक्षता, वित्तीय नियंत्रण लागू करना तथा आबंटित स्त्रोतों के उपयोग और लक्ष्यों/प्राप्त उपलब्धि में तालमेल स्थापित करना था अतः आई एंड बी. सैल को मांगों के सत्यापन हेतु समतापरक शक्तियां दिया जाना आवश्यक है। समान शक्तियों के बिना कमाण्डेंटों की शक्तियों को बढ़ाने का उद्देश्य ही पूरा नहीं हो रहा है।

(ख) वितरकों का पंजीकरण

आयुध को भंडारों की आपूर्ति का मुख्य स्त्रोत 39 आयुध फैक्टरियों का सीमित औद्योगिक बेस तथा 8 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है। तथापि निजी सेक्टर भी जनरल स्टोर्स, वस्त्र घटकों, अतिरिक्त पुर्जों तथा कुछ मुख्य उपस्करों की आपूर्ति करके अपना योगदान करता है। स्वस्थ प्रतियोगिता तथा शीघ्र प्रत्युत्तर समय लाने के लिए निजी सेक्टर में एक विस्तृत वितरक बेस का विकास किये जाने की आवश्यकता है। डी.जी.क्यू.ए. रक्षा उपयोग में आने वाली मदों के विकास एवम् देशजीकरण कार्यक्रम में भारतीय उद्योगों को समन्वित करता है। इन मदों के सफल उत्पादन और आपूर्ति के बाद इन फर्मों को ऐसी मदों के वितरक के रुप में स्वतः ही पंजीकृत मान लिया जाता है।

तथापि प्राइवेट सैक्टर में ऐसी बहुत सी उत्पादन एजेंसियां हैं जो सामान्य प्रयोक्ता मदों की आपूर्ति में सक्षम हैं, किन्तु वर्तमान प्रणाली में उनका दोहन नहीं किया जा रहा है। आयुध के पास वर्तमान में अखिल भारतीय स्तर पर आयुध मदों के लिए वितरकों के केन्द्रीय रुप से पंजीकरण के लिए कोई प्रणाली नहीं है यद्यपि विधिक रुप से केवल पंजीकृत फर्मों के ही प्रस्ताव स्वीकृत किये जा सकते हैं। वर्तमान में केन्द्रीय आयुध डिपुओं द्वारा डी.जी.एस एंड डी. तथा डी.जी.क्यू.ए. की पंजीकृत आपूर्तिकर्त्ताओं की सूची को संदर्भित करने के अलावा स्थानीय क्रयों के लिए वितरकों का पंजीकरण किया जा रहा है। डिपुएं समय-समय पर विज्ञापन देकर वितरकों के पंजीकरण के डाटा बेस को अद्यतन नहीं करतीं। आयुध में हो रहे स्वचालन के साथ ऐसे डाटा बेस का सृजन जो सभी क्रय एजेंसियों की पहुंच में हो, से कोई समस्या पैदा नहीं होगी।

आयुध अधिकारियों को प्रत्यायोजित बढ़ी हुई शक्तियों के साथ यह आयुध का दायित्व है कि तेजी से निर्गमित होने वाले तथा मंहगे भंडारों के लिए थलसेना मुख्यालय में वितरकों को पंजीकृत करने के अलावा क्षेत्रीय पंजीकरण करने के अलावा क्षेत्रीय पंजीकरण भी करें। इसके अतिरिक्त डिपुओं को एक जैसी मदों जैसे एम.टी. अतिरिक्त पुर्जों का कार्य करने वाली मदों के सम्बन्ध में, उनके पास पंजीकृत वितरकों की सूची का अन्य डिपुओं के साथ आदान-प्रदान भी करना चाहिए। व्यापार से भावी आपूर्तिकर्त्ताओं की अधिकतम भागीदारी को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य होना चाहिए। इससे अपंजीकरण के आधारपर न्यूनतम स्वीकार्य प्रस्ताव के अस्वीकरण को कम करने में सहायता मिलेगी।

(ग) लम्बी आन्तरिक अवधि का प्रावधान (आई.पी.)/अधिप्राप्ति लीड समय

अन्तरिम अवधि महीनों में वह अनुमानित औसत अवधि दर्शाती है जो प्रावधान प्राधिकारी द्वारा मांग प्रस्तुत करने की तिथि और परेषिति स्थापना में भंडारों की वास्तविक प्राप्ति के बीच की अवधि होती है। वर्तमान प्रावधान नीति में अधिप्राप्ति प्रक्रिया में लम्बी अन्तिम अवधियों (लीड समयों) का प्रावधान है। वर्तमान प्रणालियों में निम्न प्रकार अन्तरिम अवधियां अनुमेय हैं

डी.जी.ओ.एफ.	-	42 महीने
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	-	36 महीने
व्यापार (सीधे क्रय)	-	21 महीने
व्यापार (स्थानीय क्रय)	-	9 महीने

सी.ए.एफ.वी.डी. किरकी में 200 मामलों में एक नमूने की लेखा परीक्षा विश्लेषण से पता लगा कि 34 मामले सतत निर्गम की श्रेणी में आते थे। डिपू ने इन मामलों में 21 माह का आन्तरिक समय लिया क्योंकि ये सीधे क्रय की श्रेणी में आते थे। तथा डिपू द्वारा प्रस्तुत अधिकांश आदेशों में व्यापार द्वारा 12 माह के अन्दर मदों की आपूर्ति हो सकती थी जैसा कि इस अध्याय में एक अन्य स्थान पर दिया गया है। इससे 2.97 करोड़ रुपए की निधियां अवरुद्ध हो गयीं। इनकी सतत निर्गम की अपनी प्रकृति के कारण आन्तरिक समय घटाकर 9 माह किया जा सकता था। सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी 50 चुनिंदा मामलों में आपूर्तियां होने की तरीके के विश्लेषण से प्रकट हुआ कि बाजार से आपूर्तियां तेजी से हुई थीं यद्यपि इन मदों के प्रावधान के मामले में 21 माह की अन्तरिम अवधि अनुमेय थी। इन मामलों में लेखापरीक्षा ने 1.24 करोड़ रुपए की राशि के अधि-प्रवाह का आंकलन किया।

सी.ए.एफ.बी.डी. किरकी तथा सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी में 187 आपूर्ति आदेशों में आपूर्तियां करने के तरीके के विश्लेषण ने दर्शाया कि 74 मामलों में आपूर्तियां 3 माह में 86 मामलों में छः माह तक, 23 मामलों में 12 माह हो गयी थी तथा शेष में 12 माह से

अधिक का समय लगा। इस प्रकार साल दर साल बाजार से आपूर्ति तरीका, शीघ्र आपूर्ति का उत्साहजनक रुझान दर्शा रहा था। स्पष्ट है कि मदें सिविल में अतिन्यून उपयोगी और जटिल विशिष्टताओं वाली होने के तथ्य के बावजूद भारतीय उद्योग सेना की मांगों की पूर्ति हेतु पर्याप्त रुप से तैयार थीं। आयुध में भंडार सूची धारण को घटाने के उद्देश्य से अन्तरिम अवधियों में अधोगामी संशोधन हेतु पुनरीक्षा की आवश्यकता है।

अधिप्राप्ति लीड समय सामग्री की आवश्यकता के चिन्हांकन और आदेशित सामग्री के आगम तक के समय का अन्तराल है। अधिप्राप्ति लीड समय में अवधि और भिन्नता से भंडार सूची संबद्धता तथा मांग का पूर्व आंकलन[1] सीधे प्रभावित होता है। 42 माह तक की लम्बी अन्तरिम अवधि होने जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, के अतिरिक्त स्टॉक समाप्त होने की स्थिति से बचने के लिए आयुध सेवाएं 12 माह की रख-रखाव अवधि हेतु स्टॉक रखने के लिए प्रचुर सावधानी बरतता है।

आन्तरिक लीड समय आवश्यकता से स्थापित होने से आपूर्ति आदेश दिये जाने तक का समयान्तराल होता है तथा बाह्य लीड समय वह होता है जो कि आपूर्तिकर्त्ता आदेशित मात्रा को आपूरित करने में लेता है। प्रावधान पुनरीक्षा पूर्ण होने तथा मांगपत्र प्रस्तुत करने के बाद वर्तमान प्रावधानों में मामले पर कार्रवाई के लिए दो माह का आन्तरिक लीड समय निर्धारित किया गया है। पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित चुनिंदा 187 आपूर्ति आदेशों के अध्ययन के अलावा लेखा परीक्षा ने आवश्यकता स्थापित होने तथा आपूर्तियां होने के बीच गुजरे समय को आन्तरिक एवम् बाह्य लीड समय समूहों में रखकर विश्लेषण किया।

इस विश्लेषण को पुनः आपूर्ति स्त्रोतों अर्थात व्यापार, पी.एस.यू., डी.जी.ओ.एफ. तथा डी.जी.क्यू. द्वारा बाजार में प्रस्तुत आदेशों के आधार पर समूहीकृत किया गया।

(i) व्यापार

चार आयुध डिपुओं में अर्थात सी.ओ.डी. आगरा, सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी, सी.ओ.डी. जबलपुर तथा सी.ए.एफ.बी.डी. में आयुध द्वारा 1994-99 के दौरान बाजार में प्रस्तुत आपूर्ति आदेशों में से बेतरतीब रुप से चुने गये एक नमने के विश्लेषण को नीचे सारणीकृत किया गया है:

[1] श्री.ए के घोष द्वारा इंडियाज़ डिफेन्स बजट एण्ड एक्सपैन्डीचर मैनेजमेन्ट इन-वाईडर कन्टेक्स्ट-1996 पृ-253

(क) आन्तरिक लीड समय

सारणीः 5.5 सी.ओ.डी. आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर तथा सी.ए.एफ.बी.डी., किरकी द्वारा बाजार में आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने में लिया गया समय

(समय माह में)

डिपो का नाम	नमूना आकार	लिया गया समय			
		6	7-12	13-24	25-36
सी.डी.ओ.आगरा	20	10	6	4	--
सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी	22	--	3	19	--
सी.ओ.डी. जबलपुर	8	शून्य	शून्य	8	--
सी.ए.एफ.बी.डी. किरकी	42	शून्य	1	25	16
योग	92	10	10	56	16
प्रतिशतता	-	11	11	61	17

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सी.ओ.डी. जबलपुर से चुने गये सभी मामलों में आन्तरिक लीड समय 13-24 माह था और ऐसा ही सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी के 86 प्रतिशत मामलों में और सी.ए.एफ.बी.डी.के 60 प्रतिशत मामलों में था। चुने गये नमूना मामलों में डिपू ने औसतन 13-24 माह का समय लिया।

आन्तरिक लीड समय के किये गये एक विश्लेषण में आई.एण्ड बी. सैल द्वारा मांग के सत्यापन और डिपू द्वारा मांग पत्र प्रस्तुत करने के बीच अनुमेय 15 दिनों के लीड समय के प्रति हुए अत्यधिक विलम्ब का पता लगा। विवरण नीचे दिया गया हैः-

सारणी 5.6 आई.एंड बी.सैल द्वारा मांगों के सत्यापन तथा सी.ओ.डी. आगरा दिल्ली छावनी, जबलपुर तथा सी.ए.एफ. बी.डी. किरकी द्वारा उन्हें प्रस्तुत करने में लिया गया समय

(समय माह में)

क्रम सं.	**डिपो का नाम**	**नमूना आकार**	**आई एंड बी.सैल द्वारा सत्यापन से लेकर मांग पत्र प्रस्तुत करने तक लगा समय**				
			3 तक	4-6	7-12	13-24	25-36
1.	सी.ओ.डी. आगरा	20	12	7	1	शून्य	शून्य
2.	सी.ओ.डी.दिल्ली छावनी	22	22[2]	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	सी.ओ.डी.जबलपुर	8	शून्य	3	5	शून्य	शून्य
4.	सी.ए.एफ.वी.डी. किरकी	42	15	6	4	10	7
	योग	92	49	16	10	10	7
	प्रतिशतता		53.2	17.4	10.9	10.9	7.6

[2] चुनी गयी 22 मांगों में से केवल 2 पर ही 15 दिनों की अनुमेय सीमा में कार्रवाई हुई।

उपरोक्त सारणी दर्शाती है कि चुने गये मामलों में से 47 प्रतिशत मामलों में अनुमेय 15 दिन के लीड समय के प्रति आई.एण्ड बी. सैल द्वारा मांगपत्र के सत्यापन करने और मांगपत्र प्रस्तुत करने के बीच 4-36 माह का समय लगा। यद्यपि, एस.पी.आर.डीस की विलम्ब से प्राप्ति यदि कोई हो तो, वह भी प्रावधान पुनरीक्षा की अवस्था तक के विलम्ब के लिए उत्तरदायी हो सकती है किन्तु इसके बाद के विलम्ब का औचित्य प्रमाणित करना आवश्यक है।

इसके आगे मांगपत्र प्रस्तुत करने तथा डिपू द्वारा आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने के बीच लगे समय के विश्लेषण को नीचे दर्शाया गया है:-

सारणीः 5.7 सी.ओ.डी. आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर तथा सी.ए.एफ.बी.डी. किरकी द्वारा मांगपत्र प्रस्तुत करने तथा आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने के बीच लगा समय

(समय माह में)

क्र. सं.	डिपू का नाम	नमूना आकार	मांग पत्र से आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने के बीच लगा समय			
			3 तक	4-6	7-12	13-24
1	सी.ओ.डी. आगरा	20	15	1	3	1
2	सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी	22	7	13	2	शून्य
3	सी.ओ.डी. जबलपुर	8	1	शून्य	6	1
4	सी.ए.एफ.बी.डी. किरकी	42	41	शून्य	1	शून्य
	योग	92	64	14	12	2
	प्रतिशतता		70.0	15.0	13.0	2.0

(ख) बाह्य लीड समय

सारणीः 5.8. सी.ओ.डी. आगरा, सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी,सी.ओ.डी. जबलपुर तथा सी.ए.एफ.बी.डी. किरकी द्वारा प्रस्तुत आदेशों के प्रति व्यापार द्वारा लिया गया समय

(समय माह में)

डिपू का नाम	नमूना आकार	लिया गया समय				
		3 तक	4-6	7-12	13-24	>24
सी.ओ.डी. आगरा	20	3	4	6	6	1
सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी	36	1	15	16	4	शून्य
सी.ओ.डी. जबलपुर	8	शून्य	2	4	2	शून्य
सी.ए.एफ.बी.डी. किरकी	74	40	18	13	3	शून्य
योग	138	44	39	39	15	1
प्रतिशतता		32	28	28	11	1

ऊपर उल्लिखित आँकड़े दर्शाते हैं कि 88 प्रतिशत भंडार आदेशों की आपूर्ति 12 माह के अन्दर हो गयी थी। इससे यह भी पुष्टि होती है कि अनुमेय लीड समय का अधिकांश भाग तो डिपू में ही बीत जाता है। सभी डिपुओं में बाजार द्वारा व्यक्त शीघ्र प्रतिक्रया के दृष्टिगत आन्तरिक लीड समय को कम करके कुल अन्तिरम लीड समय को घटाने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार करना आवश्यक है।

लेखा परीक्षा ने सी.ओ.डी. कानपुर के उत्तरादायित्व वाली मदों अर्थात वस्त्रों एवम् जनरल स्टोर की मदों के बाजार से आपूर्ति निष्पादन का भी अलग से विश्लेषण किया क्योंकि बाजार इन मदों का एक मुख्य आपूर्ति स्त्रोत है। सी.पी. सैल द्वारा 1994 से 1999 के दौरान प्रस्तुत 179 आदेशों के लेखा परीक्षा विश्लेषण से पता लगा कि आन्तरिक लीड समय असामान्य रुप से अधिक था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

(ग) आन्तरिक लीड समय

सारणी 5.9. केन्द्रीय प्रावधान सैल,थलसेना मुख्यालय द्वारा बाजार में आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने में लिया गया समय

(समय माह में मूल्य - लाख रुपयों में)

विवरण	योग	लिया गया समय					
		6-12	13-24	25-36	37-48	49-60	>60
आदेशों की संख्या	179	109	46	18	3	2	1
प्रतिशतता		60.90	25.70	10.5	1.68	1.12	0.55
आदेशों का मूल्य	2796.53	1903.86	775.83	80.54	30.21	3.95	2.14

जबकि चुने गये 61 प्रतिशत मामलों में 6-12 माह का समय लगा था, 34 प्रतिशत मामलों में 13 से 36 माह का समय लगा जिसका औचित्य सिद्ध करने और समय घटाने की आवश्यकता है।

उपरोक्त नमूने के 50 प्रतिशत अर्थात 90 मामलों के सम्बन्ध में बाह्य लीड समय के विश्लेषण से पता चला कि चुने गये मामलों में से 48 प्रतिशत आदेशों के प्रति दो वर्ष में आपूर्ति हो गयी थी। विवरण निम्न प्रकार है,

(घ) बाह्य लीड समय

सारणी 5.10 बाजार द्वारा सी ओ डी कानपुर की जी एस एण्ड सी मदों की आपूर्ति हेतु लिया गया लीड समय

(समय माह में मूल्य- लाख रुपये में)

विवरण	योग	लिया गया समय					
		1तक	>1-2	>2-3	>3	अभी भी आपूरित होना है	निरस्त
आपूर्ति आदेशों की संख्या	90	27	16	8	1	32	6
प्रतिशतता	100	30	18	9	1	35	7
मूल्य	1097.6	464.4	229.7	81.5	14.7	285.1	22.2

जी.एस. एंड सी. मदों के मामले में सिविल उद्योग द्वारा की गयी प्रगति पर विचार करते हुए भावी आपूर्तिकर्त्ताओं का पता लगाने में तथा आदेश प्रस्तुत करने में होने वाली असमान्य देरी को परिहार्य करने की आवश्यकता है। यह डिपू/सी.पी.सैल में अकुशल अधिप्राप्ति प्रबन्धन के लक्षण थे विशेषकर जबकि भंडार जटिल तकनीकी विशिष्टताओं वाले भी नहीं है क्योंकि बाजार से कार्य कराने की कार्य प्रणाली को अपनाने की संभावना जो अधिप्राप्ति एजेंसियों के अधिप्राप्ति को गतिशील बनाने के प्रयासों को निष्फल कर देती है, को दरकिनार नही किया जा सकता, लेखापरीक्षा ने इस असंगत स्थिति जो कि उस नए बनते रुझान के विपरीत है, जहाँ अन्य श्रेणियों में भंडार अधिक तकनीकी प्रकृति के होने के बावजूद आपूर्तियां 12 माह में हो गयीं, के स्वतंत्र अध्ययन की संस्तुति की।

(ii) डी.जी.ओ.एफ.

सी.ओ.डी. जबलपुर में, जोकि अपनी आपूर्तियों के लिए मुख्यतः डी.जी.ओ.एफ. पर आश्रित है, डी.जी.ओ.एफ. मदों की आपूर्ति के सम्बन्ध में लीड समय का विश्लेषण किया गया। वर्ष 1994-99 के दौरान प्रस्तुत मांगपत्रों के एक नमूने के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता लगा कि डिपू मांगपत्र प्रस्तुत करने में पुनरीक्षा की तिथि से दो माह तक के निर्धारित समय का पालन नहीं कर रही थी तथा आन्तरिक लीड समय इस प्रकार थेः-

(क) आन्तरिक लीड समय

सारणी 5.11 सी.ओ.डी. जबलपुर द्वारा डी.जी.ओ.एफ. को आदेश प्रस्तुत करने में लिया गया समय

(देरी महीनों में)

नमूना आकार	दो माह में	देरी से प्रस्तुत किये गये मांगपत्र		
		6 तक	7-12	12 से अधिक
37	7	19	2	9
प्रतिशतता	19	51	6	24

डिपू द्वारा मांगपत्र के प्रस्तुतिकरण में किये गये विलम्ब के अलावा, डी.जी.ओ.एफ. ने 42 माह की लम्बी अवधि अनुमेय होने के बावजूद भी आपूर्तियों में विलम्ब किया जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान पता लगा। विवरण निम्न प्रकार है:-·

(ख) बाह्य लीड समय

सारणी 5.12 सी.ओ.डी. जबलपुर के दायित्व वाली मदों की आपूर्ति में डी.जी.ओ.एफ. द्वारा लिया गया समय

(विलम्ब वर्षों में)

नमूना आकार		देरी से प्राप्त हुए			
		1 तक	>1-3	>3-5	बकाया
37	23	6	2	1	5
प्रतिशतता	62	16	5	3	14

उपरोक्त सारणी से यह देखा जा सकता था कि डी.जी.ओ.एफ. को प्रस्तुत मांगों में से 14 प्रतिशत बकाया थीं। जबकि सबसे पुराना मांगपत्र सितम्बर 1991 का थी, वहीं हैन्डल, बुशिंग सील रबर और डायनमोमीटर जैसी मदें भी बकाया थीं।

उपरोक्त विवरण प्रकट करता था कि आयुध सेवाएं तथा आयुध फैक्टरियां दोनों ही आपूर्तियों के क्रियान्वयन में विलम्ब करती है। इसे मिलकर हल किये जाने की आवश्यकता थी।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

आपूर्ति के स्त्रोत के रुप में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित लीड समय का सी.ओ.डी. आगरा में विश्लेषण किया गया जोकि इन स्त्रोतों से अधिकतम मदें प्राप्त करता है। इस डिपू में लीड समय विश्लेषण के परिणाम निम्न प्रकार थे:-

(क) आन्तरिक लीड समय

सारणी 5.13 सी.ओ.डी. आगरा द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को आदेश प्रस्तुत करने में लिया गया आन्तरिक लीड समय

(समय माह में)

विवरण	नमूना	आदेश प्रस्तुत करने में लिया गया समय			
		0-3	4-6	7-12	13-24
आपूर्ति आदेशों की संख्या	18	6	5	5	2
प्रतिशतता		33	28	28	11

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, चुने गये 67 प्रतिशत नमूनों में आन्तरिक लीड समय 4 से 24माह तक था। रोचक तथ्य यह है कि 11 प्रतिशत मामलों में यह 13 से 24 माह था।

(ख) बाह्य लीड समय

सारणी 5.14 सार्वजनिक क्षेत्र के उपब्रङ्गमों द्वारा सी.ओ.डी. आगरा के दायित्व वाली मदों की आपूर्ति में लिया गया बाह्य लीड समय

(समय वर्षों में)

नमूना आकार	आपूर्ति में लिया गया समय			
	एक तक	1-2	2-3	बकाया
30	12	14	2	2
	40.0	47.0	6.5	6.5

यदि भंडार सूची को कम करने तथा प्रयोक्ता संतुष्टि में वृद्धि को सपङ्गल बनाना है तो आन्तिरक व बाह्य लीड समय, जोकि दोनों ही बहुत अधिक थे, को कम किया जाना आवश्यक है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपब्रङ्गम उनसे मांगे गये भंडारों की आपूर्ति हेतु भारी मात्रा में अग्रिम लेते हैं और फिर भी उनकी आपूर्तियों में विलम्ब करते हैं, इस तथ्य पर आगामी पैराग्राफ बकाया आगरा में चर्चा की गयी है।

(घ) डी.जी.क्यू.ए. तथा देशजीकरण

(i) आन्तरिक एवम् बाह्य लीड समय

एक मुख्य भूमिका जो डी.जी.क्यू.ए. निभाता है वह आयातित उपस्करों/वाहनों के संचालन और रख-रखाव में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए इनसे सम्बन्धित भंडारों का देशजीकरण है। देशजीकरण की प्रक्रिया में अथवा देशजीकृत किये जा चुके भंडारों की

अधिप्राप्ति डी.डी.पी.एस. के संविदा क्रय अधिकारी (सी.पी.ओ.)द्वारा तब तक की जाती है जब तक कि दो विभिन्न आपूर्तिकर्त्ता दो आपूर्ति आदेशों प्रति प्रत्येक के लिए भंडार आपूरित नहीं कर देते। जून 1999 में जारी किये गये आदेशों के अनुरूप यदि पहली आपूर्ति पूरी हो जाने के बाद पाँच वर्षों के दौरान दूसरा स्त्रोत विकसित नहीं हुआ है तो मद को मुक्त-प्रवाह माना जाता है। मुक्त-प्रवाह घोषित किये जाने के पश्चात् आयुध को इन्हें सीधे क्रय (डी पी) की अनुमति दे दी जाती है। वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा की अवस्था से ही देशजीकरण हेतु भंडारों की पहचान की प्रक्रिया को अगले पैराग्राफ में संक्षेप में बताया गया है।

एक मुख्य उपस्कर/वाहन से सम्बन्धित वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा पूर्ण होने पर सम्बन्धित सी.ओ.डी.द्वारा एक ड्राफ्ट डिपू सूची तैयार करके डी.जी.क्यू.ए., डी.जी.ओ.एफ. मुख्यालय बेस कार्यशाला, एम.ए.जी. तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विचारार्थ अग्रेषित की जाती है। इसके बाद सी.ओ.डी. में एक तकनीकी उपसमिति की बैठक आयोजित की जाती है जहाँ उपरोक्त सभी एजेंसियों के प्रतिनिधि नमूने के निरीक्षण का अवसर पाते हैं तथा देशजीकरण की संभाव्यता पर विचार करके उसके स्त्रोत की पहचान करते हैं। तदोपरान्त डी.जी.क्यू.ए. के माध्यम से देशजीकरण कराने के उद्देश्य से समिति द्वारा चिन्हांकित सभी मदों को सम्मिलित करके एक अन्तिम डिपू सूची (एफ.डी.एल.) तैयार की जाती है। डी.डी.पी.एस. देशजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सूचीबद्ध मदों की अधिप्राप्ति करता है। ऐसी एफ.डी.एल. की वैधता दो वर्ष होती है।

अधिकांशतः एफ.डी.एल. की सभी मदें डिपू में उपलब्ध नहीं होतीं और यहां तक कि वे आपूर्ति आदेशों के दो वर्ष के समय-ढांचे में भी नहीं आती। ऐसे मामलों में अधिप्राप्ति में लगे लीड समय की सी.ए.एफ.डी.किरकी में लेखा परीक्षा में जांच की गयी थी। विश्लेषण किये गये 50मामलों के एक नमूने में लेखा परीक्षा ने आन्तरिक और बाह्य दोनो लीड समयों में विलम्ब पाया।

सारणीः 5.15 अन्तिम डिपो सूची तैयार होने तथा डी.डी.पी.एस. द्वारा आपूर्ति आदेश देने के बीच बीते समय का विश्लेषण

(समय वर्षों में मूल्य -लाख रुपयों में)

परिमापक	योग	प्रस्तुत किये गये आपूर्ति आदेशों की संख्या				
		1 तक	1-2	2-3	>3	बकाया
एफ.डी.एल. तैयार होने तथा आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने के बीच व्यतीत हुआ समय	50	31	12	3	4	शून्य
मूल्य	268.24	172.53	54.65	15.39	25.67	

सारणी 5.16 डी.डी.पी.एस. द्वारा आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने और उनके क्रियान्वयन के बीच व्यतीत हुआ समय

(समय वर्षों में मूल्य - लाख रूपयों में)

परिमापक	योग	प्रस्तुत आपूर्ति आदेशों की संख्या				
		1 तक	1-2	2-3	>3	बकाया
आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने तथा आपूर्तियां होने के बीच व्यतीत हुआ समय	50	9	14	10	7	10
	268.24	41.52	84.20	37	33.63	71.89

लेखा परीक्षा इस बात को मानती है कि देशजीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। तथापि यह एक प्राथमिकता का क्षेत्र है और केवल साध्य मामले ही एफ.डी.एल. में सूचीबद्ध किये जाते हैं, अतः आपूर्ति आदेश देने में लगने वाले समय को कम किये जाने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने सी.ए.एफ.बी.डी. किरकी में आगे पाया कि डी.डी.पी.एस. द्वारा अप्रवाही मदों की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत किये गये आदेश काफी समय से बकाया थी। 1 जून 2000 को तीन वर्ष से अधिक से बकाया आपूर्ति आदेश निम्न प्रकार हैः-

सारणी 5.17 डी.डी.पी.एस. द्वारा अप्रवाही मदों की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्तुत क्रियान्वयन हेतु बकाया आपूर्ति आदेश

मुख्य उपस्कर	बकाया आपूर्ति आदेशों की संख्या	सबसे पुराने आपूर्ति आदेश की तिथि
टैंक 'ख' एवम् अन्य	156	फरवरी 1991
टैंक 'क'	17	जुलाई 1987
आई सी वी/शस्त्र प्रणाली 'ग'	32	सितम्बर 1986

उपरोक्त विलम्बों के कारण डिपू की प्रयोक्ताओं की मांग पूरी करने की योग्यता प्रभावित होती है। डी.डी.पी.एस. को अप्रवाही मदों के देशजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता है। सतत प्रवाही मदों को यथाशीघ्र स्थापित करके इन्हें आयुध को स्थानान्तरित किये जाना चाहिये ताकि अधिप्राप्ति में विलम्ब से बचा जा सके।

(ii) अतिरिक्त पुर्जों का देशजीकरण

सी.ओ.डी. जबलपुर के दायित्व वाले अतिरिक्त पुर्जों के देशजीकरण की प्रगति के विश्लेषण से पता लगा कि देशजीकरण के लिए मदों के क्रियान्वयन की प्रतिशतता अत्यन्त ही कम है जैसा कि नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता था।

सारणी 5.18 डी.डी.पी.एस. द्वारा सी.ओ.डी. जबलपुर के दायित्व वाले अतिरिक्त पुर्जों के देशजीकरण में गिरावट

वर्ष	देशजीकरण हेतु दर्शाये गये मामले	मदों की संख्या जिनके लिए आपूर्ति आदेश		निर्धारण के प्रति क्रियान्वयन स्तर की प्रतिशतता
		प्रस्तुत किये गये	पूर्ण हो गये	4.2
1994-95	2654	119	112	9.48
1995-96	1287	266	122	0.32
1996-97	321	5	1	0.56
1997-98	717	6	4	0.56
1998-99	711	32	4	

अतिरिक्त पुर्जों के देशजीकरण की मंद प्रगति के प्रत्यक्षतः ड्राइंगों, विशिष्टताओं और नमूनों की अनुपलब्धता, मुहरबंद विवरण धारक प्राधिकारियों द्वारा ड्राइंगों के बनाने में अक्षमता, समानरुपता स्थापित करने में विलम्ब, उच्च दरें, न्यून मात्राएं, ऐसी मदें जिनका कोई नागरिक उपयोग न हो, लगातार विकासात्मक असफलताएं, अकुशल निरीक्षण प्रक्रिया तथा तकनीकी ज्ञान का अभाव है।

लेखा परीक्षा संस्तुति करती है कि अतिरिक्त पुर्जों के देशजीकरण हेतु एक समयबद्ध कार्यक्रम होना चाहिए तथा सभी सम्बन्धित एजेंसियों जैसे कि ई.एम.ई., डी.जी.क्यू.ए., केन्द्रीय आयुध डिपुओं तथा डी.जी.ओ.एफ. एवम् उद्योगों में सतत पारस्परिक तालमेल होना चाहिए प्रगति के मानीटरन एवम् पुनरीक्षा के लिए तकनीकी समिति को और अधिक बैठकें करनी चाहिए।

उपरोक्त विश्लेषण से पता लगता था कि डिपुओं द्वारा लिया गया प्रशासनिक लीड समय बहुत अधिक है। यद्यपि व्यापार अन्य स्त्रोतों जैसे कि पी.एस.यू. तथा डी.जी.ओ.एफ. इत्यादि की तुलना में बेहतर निष्पादन दर्शाता रहा है तथापि इसका मदों की अन्य विभिन्न श्रेणियों के लिए सततता के आधार पर प्रभावी उपयोग किया जाना चाहिये। अन्य श्रेणियों जैसे कि पी.एस.यू. तथा डी.जी.ओ.एफ. द्वारा लिये गये लम्बे लीड समय की पुनरीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि लम्बे अधिप्राप्ति लीड समय से भंडार धारण स्तरों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। भारतीय प्रबन्धन संस्थान अहमदाबाद

द्वारा 1990 में ए.ओ.सी. में अपनाये जा रहे भंडार सूची प्रबंधन के अध्ययन [2] में निष्कर्ष दिया कि इस प्रकार का लीड समय व्यवहार अधिप्राप्ति प्रक्रिया, छितराये हुए उत्तरदायित्व और अकुशल सूचना प्रणाली नियंत्रण का सीधा परिणाम है। यह एक ऐसा आभास देता है कि ए.ओ.सी. महत्वपूर्ण सामग्री प्रबन्धन क्रिया-कलापों की बजाय भण्डारण और नियंत्रण क्रिया-कलापों की ओर उन्मुख है।

(ड.) बकाया आगम

जैसा कि ऊपर चर्चा की गयी है कि एक ओर तो बाजार ने उन्हें अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति हेतु दिये गये आदेशों के प्रति उत्साहजनक रुझान दर्शाया वहीं मांगों की पूर्ति हेतु डी.जी.ओ.एफ/पी.एस.यू. द्वारा आपूर्तियों का निष्पादन उत्साहजनक नहीं था। सी.ओ.डी.जबलपुर में नमूना जांच से पता लगा कि डी.जी.ओ.एफ. ने उन्हें प्रस्तुत मांगपत्रों के एक तिहाई की आपूर्ति अनुसूची को पूरा नहीं किया। सी.ओ.डी. आगरा में 1992-98 के दौरान एक विशेष राडार के लिए भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल.) पर प्रस्तुत 58 मांगपत्रों के प्रति अप्रैल 2000 में यह 265 मदों के लिए बकाया थी। यह इस तथ्य के बावजूद है कि पी.एस.यू. आदेश के साथ ही 20 प्रतिशत अग्रिम प्राप्त करने और तद्नन्तर चरणों में भुगतान प्राप्त करने की अनुग्रही भुगतान शर्तों का लाभ भी उठाते थे। इस विषमता की ओर ध्यान देकर सुधारात्मक कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि डी.जी.ओ.एस.ने नवम्बर 1999 में यह कहते हुए अपनी चिन्ता व्यक्त की थी कि सेना द्वारा आपूर्तियों के लिए 412.39 करोड़ का अग्रिम प्रदान करने तथा परिदान अनुसूची के अनुपालन की आवश्यकता पर जोर दिये जाने के बावजूद भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी.ई.एल.) द्वारा सेना के मांगपत्रों के प्रति 102.35 करोड़ रुपए के भंडारों की आपूर्ति करना अभी भी बाकी था।

(च) डी.जी.ओ.एफ. की अमितव्ययी दरें

डी.जी.ओ.एफ.द्वारा थल सेना की मांगों पर कार्यवाही करने के लिए अनावश्यक रुप से लम्बे समय के अलावा दरें भी निजी सेक्टर द्वारा निवेदित दरों की तुलना में अस्वीकार्य रुप से उच्च थी। सी.ओ.डी. जबलपुर में जहां व्यापार और डी.जी.ओ.एफ. दोनों की दरें उपलब्ध थीं, 12 मामलों के एक नमूने के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि डी.जी.ओ.एफ. की दरें अत्यधिक ऊंची थीं तथा बाजार से क्रय करके डिपू ने 1.21 करोड़ रुपए की बचत की।

---

[2] इस सम्बन्ध में आई आई एम अहमदाबाद के प्रौफेसर ए एच कार्लो तथा पी आर शुक्ला द्वारा 1990 में किये गये अध्ययन जिसे श्री ए के घोष द्वारा 1996 में "इंडियास डिफेंस बजट एण्ड एक्सपेंडिचर इन वाइडर कन्टेक्सट" में पृष्ठ 254 पर पुनः उद्धृत किया गया, द्वारा दी गयी संस्तुतियों का सन्दर्भ दिया जा सकता है।

सी ओ डी कानपुर में भी लेखापरीक्षा ने बाजार दरों की तुलना में डी.जी.ओ.एफ. की अव्यवहारिक दरों का एक और मामला देखा जिसमें 16 मामलों के एक नमूने में दरें 33.4 से 162.0 प्रतिशत तक उच्च थीं।

डी जी ओ एफ को अपनी दरें बाजार के तुलनात्मक और प्रतियोगीपरक बनाने के लिए जोर दिये जाने की आवश्यकता है।

(छ) सी ओ डी कानपुर में अस्वीकृत भंडारों का संग्रह

बाजार से भंडारों के क्रय की नियम एवम् शर्तों में भंडारों के प्रेषण के प्रमाण के आधार पर सम्बन्धित मुहरबन्द विवरण धारक प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के पश्चात् भंडारों के मूल्य के 95 प्रतिशत तक के भुगतान की अनुमति होती है। ऐसे मामलें भी होते है जबकि परोषिति द्वारा प्राप्त भंडार दोषों के कारण आंशिक अथवा पूर्णतया अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। जैसा कि डी जी क्यू ए ने मई 1992 में स्वीकार किया है कि विवाद अथवा प्रक्रिया तथा प्रावधानों के बारे में अपर्याप्त ज्ञान के कारण इन मामलों निपटान में अनावश्यक रूप से लम्बा समय लगता है।

सी ओ डी कानपुर ने फरवरी 2000 में सूचित किया कि 55.61 लाख रूपए की लागत वाली भंडार सूची के ऐसे कुल 85 मामले निपटान हेतु लम्बित पड़े थे जो पुराने 1981 तक के थे। ऐसे दोषपूर्ण भंडारों की बाबत पहले ही किये जा चुके भुगतान में से ऐसे अस्वीकृत/कम प्राप्त हुए भंडारों की लागत वसूल न होने के अतिरिक्त ये दोषपूर्ण भंडार डिपू में भंडारण स्थान को घेरे हुए थे। लेखापरीक्षा ने देखा कि डिपू ऐसे मामलों के तेजी से निपटान के मानीटरन हेतु कोई अभिलेख नहीं रख रहा था और इसी के कारण उनका प्रबन्धहीन स्थिति में संग्रह हो रहा था। डिपू ऐसे बने मामलों तथा अन्तिम निपटान किये गये मामलों के साथ-साथ बकाया की बिल्कुल यथार्थ स्थिति बताने में सक्षम नहीं था तथ्यों से यह स्पष्ट है कि, लेखापरीक्षा द्वारा यह पूछे जाने पर कि जबकि 1997 में डिपू द्वारा सूची में 171 मामले दर्शाये गये थे तो फरवरी 2000 में 85 मदों के आंकड़े किस प्रकार दर्शाये गये थे और तब से निपटान किये गये मामलों का कोई अभिलेख नहीं था तो डिपू कोई विश्वसनीय उत्तर नहीं दे सका। डिपू ने मात्र यही बताया कि अधिकांश मदें कम मूल्य की होने के कारण इनका निपटान कर दिया होगा। डिपू ने यह भी बताया कि सम्बन्धित र ले नि/ भु. एवम् ले.अ. की अस्वीकृत भंडारों के मूल्य की वसूली हेतु सूचित किया जा रहा था किन्तु र.ले.नि./ भु. एवम् ले.अ. से इसकी पुष्टि नहीं हो रही थी। वसूली की पुष्टि होने तक निपटान की कार्यवाही सम्भव नहीं थी।

लेखापरीक्षा का मत है कि इस सम्बन्ध में विद्यमान प्रावधान प्रभावी नहीं है जहां इतनी एजेन्सियां सम्मिलित हों वहां ऐसी स्थिति पैदा करने वाली परिस्थितियों पर उच्च स्तरीय विचार करके ऐसी स्थिति से बचने के लिए किसी पद्धति का पता लगाया जाना चाहिये

था। डिपू को ऐसे मामलों को दर्ज करने से लेकर मानीटरन तथा उनके निपटान तक के लिए उचित अभिलेख रखने चाहिये।

(ज) मदों के निर्माण एवम् परिदान के लिए तैयारी से पूर्व निरीक्षण

लेखापरीक्षा ने दो ऐसे मामले पाये जहां एक निरीक्षण एजेन्सी अर्थात् गुणवत्ता आश्वासन नियंत्रक (सी सी क्यू) अवाडि ने मदों के परिदान हेतु तैयार होने से पूर्व ही निरीक्षण टिप्पणियां जारी कर दीं। आयुध फैक्टरी अर्थात भारी वाहन फैक्टरी अवाडि (एच वी एफ) ने ऐसी निरीक्षण टिप्पणियों के आधार पर थलसेना से भुगतान प्राप्त किया। ऐसी प्रथम घटना में सी क्यू ए अवाडि ने थलसेना से वर्ग 'क' के 60 वाहनों के आदेश पर मार्च 1994 में एच वी एफ अवाडि की निरीक्षण टिप्पणियां स्वीकृत कीं। इन निरीक्षण टिप्पणियों के आधार पर एच वी एफ ने इन वाहनों के लिए सेना से 197.56 करोड़ रूपए प्राप्त किए जिनका पृथक निरीक्षण टिप्पणियों के अन्तर्गत 386 से 757 दिनों तक की देरी से परिदान किया गया । दूसरे मामले में सी क्यू ए ने मार्च 1995 में 69 वाहनों के लिए निरीक्षण टिप्पणियां जारी कीं जिनके आधार पर आयुध फैक्टरी ने सेना से 220.76 करोड़ रूपए प्राप्त किये। वाहनों का परिदान पृथक निरीक्षण टिप्पणियों के अन्तर्गत 319 से 1030 दिनों तक की विलम्ब से किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस अनियमितता की ओर बताये जाने पर मंत्रालय ने फरवरी 2000 में यह स्वीकार किया कि निरीक्षण टिप्पणियां अन्तिम निरीक्षण एवम् परिदान के उपरान्त ही जारी की जानी चाहिए थी तथा सी क्यू ए अवाडि को वाहनों के सभी प्रकार से स्वीकार्य होने और परिदान हेतु वास्तव में तैयार होने से पूर्व निरीक्षण टिप्पणी स्वीकृत न करने के लिए आवश्यक निर्देश भी जारी किये गये थे। मंत्रालय को उन परिस्थियों को सुनिश्चित करने को आवश्यकता है जिनके अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया से विचलन होने दिया गया था।

(झ) एक अनुमोदित न की गई मद की अधिप्राप्ति

अधिप्राप्ति की विद्यमान प्रमाणी में अधिप्राप्त की जाने वाली मदों के अनुमोदित विशिष्टताओं के अनुरूप होना सुनिश्चित करने के लिए मुहरबन्द विवरण धारी प्राधिकारियों को सम्बद्ध करने का प्रावधान है। तथापि डी जी ओ एस ने मुहरबन्द विवरण धारक प्राधिकारियों को चेतावनी की उपेक्षा करते हुए एक ऐसी मद की अधिप्राप्ति की जो विशिष्टताओं को पूरा नहीं करती थी। मामला निम्न प्रकार है:

रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 1994 में सेना में प्रयोग किये जाने वाले ताम चीनी मगों के स्थान पर स्टील के मगों का उपयोग आरम्भ करने का अनुमोदन दिया। सेना की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ये स्टील मग रक्षा सामग्री एवं भंडार तथा विकास स्थापना द्वारा बनाये गये थे। विशिष्टताओं में मुख्य तथ्य यह थे कि यह एकल तह तथा हैंडल में फिनोलीक रेजिंग की ढ़ली हुई दो तहों में होगा और बाह्य सतह पर चमक को

बचाने के लिए सैंड बलास्टिंग द्वारा मैट फिनिशिंग से जुड़ा होगा। मार्च 1995 से सितम्बर 1997 के दौरान डी जी ओ एस ने 64.95 रूपये प्रत्येक की दर पर 6,10,145 मगों की अधिप्राप्ति की। तथापि जिन मगों के लिए आदेश दिया गया था उनको विशिष्टताओं डी एम एस आर डी ई द्वारा विकसित तथा मंत्रालय द्वारा प्रवर्तन के लिए अनुमोदित मगों से इस बात में भिन्न थी कि इनमें मैट फिनिश नहीं थी जोकि फील्ड एरिया में चमक को छुपाने के लिए एक मुख्य साधन है तथा यह मग एकल तह के स्थान पर दोहरी तह का था जिससे इसकी इकाई लागत प्रभावित होती थी जैसा कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि डी एम एस आर डी ई द्वारा आंकलित 50 रूपये के प्रति 64.95 रूपये प्रति की लागत पर इनकी अधिप्राप्ति की गई थी। मुहरबन्द विवरण धारक प्राधिकारियों अर्थात सी क्यू ए, जी एस कानपुर में डी जी ओ एस द्वारा चेताने के बावजूद अनुमोदित विशिष्टताओं की उपेक्षा करके 1995-1997 के दौरान 3.96 करोड़ रूपये का व्यय करके सेना में एक अनुमोदित न की गई मद का प्रवतन किया गया।

यद्यपि यह लेखा परीक्षा द्वारा पाई गयी एक छिट पुट घटना थी तथापि इस प्रकार का विचलन, सेना भण्डार, सूची में अनुमोदित न की गई मदों के लिए एक द्वार खोलकर स्थापित व्यवस्था को नष्ट कर सकता है।

5.9 संस्तुतियां

(क) कमांडेन्टों की वित्त शक्तियों के साथ ताल-मेल बताने के लिए स्थानीय आई एण्ड सैल की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाने पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान प्रणाली के विकल्प के रूप में थलसेना मुख्यालय स्थित दस लाख रूपये की लागत से अधिक के मामलों में विलम्ब परख पूर्व सत्यापन की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर, थल सेना मुख्यालय स्थित उप महानिदेशक आई एण्ड वी सी, आई एण्ड बी सी सैलों की गतिविधियों पर चौकसी के लिए आई एण्ड बी सी सैलों के आवधिक निरीक्षण के दौरान इनकी पश्च समीक्षा की जा सकती है। प्रशासनिक रूप से उन्हें वास्तव में भण्डार सूची तथा बजट नियंत्रण के वांछित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आयुध के पृथक रखा जाना चाहिए।

(ख) स्वस्थ प्रतियोगिता पैदा करने और रक्षा भण्डारों के उत्पादन हेतु उद्योगों की उत्साह जनक सक्रिय भागेदारी सुनिश्चित करने के लिए आयुध को विस्तृत वितरक आधार तैयार करना चाहिए।

(ग) बाजार द्वारा आपूर्तियों के लिए विद्यमान 21 माह के अंतरिम समय की पुनरीक्षा करने और डिपू द्वारा अनुभव की गई शीघ्र प्रतिक्रया के दृष्टिगत इस घटाये जाने की आवश्यकता है। आयुध/मंत्रालय वित्त जिस भी आंतरिक लीड समय पर नियंत्रण रखते हैं उसे घटाये जाने तथा प्रत्येक गतिविधि के लिए समय निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है।

(घ) डी जी ओ एफ को आयुध द्वारा मांग की गई मदों की आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रतिक्रिया समय को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है तथा 42 माह के लम्बे वर्तमान लीड समय को घटाये जाने की आवश्यकता है।

(ड़) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपना उत्पादन और परिदान अनुसूची को बेहतर बनाने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान का 36 माह का अंतरिम समय का प्रावधान बहुत अधिक हैं। ऐसे मामलों में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम परिदान अनुसूची का मालन नहीं करते वहां देर से आपूरित भाग के लिए भुगतान किए अग्रिम पर आयुध द्वार वाणिज्यिक ब्याज दर लगाई जानी चाहिए।

(त) डी जी क्यू ए को देशजीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा देशजीकरण उद्योगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

(थ) सी ओ डी कानपुर के उत्तरदायित्व वाली सामान्य भण्डारों एवं वस्त्र मदों के सम्बन्ध में प्रस्तुत आदेशों की आपूर्तियों तथा आपूर्ति आदेशों को अन्तिम रूप देने में असाधारण विलम्ब के कारणों की जांच की जानी चाहिए, तथा यदि कोई कमियां है तो उन्हें पूरा किया जाना चाहिए।

(द) डी जी ओ एस तथा पी एस यू को अपनी दरें बाजार दरों के प्रति प्रतियोगी एवम् तुलनात्मक बनाई जानी चाहिए।

(ध) ऐसे मामलों में जहां भण्डारों के लिए आपूर्तिकर्त्ता को 95 प्रतिशत भुगतान कर दिया गया हो और भण्डार कम अथवा दोषपूर्ण अवस्था में प्राप्त हुए हो वहां ऐसे मामलों में अनावश्यक संग्रह से बचने के लिए मामलों में तेजी अनुवर्ती कार्रवाई की जानी चाहिए।

5.10 रक्षा विभाग की प्रतिक्रिया

लेखापरीक्षा की नौ संस्तुतियों में से एम जी ओ ने छः स्वीकार कीं और तीन आंशिक रूप में स्वीकार कीं। मंत्रालय भी एम जी ओ के विचारों से सहमत हुआ।

उपरोक्त संस्तुतियों के लिए एम जी ओ की प्रतिक्रिया क्रम वार नीचे दर्शाई गई हैं।

(क) आंशिक रूप में सहमत हुआ और कहा कि सी एफ ए की वित्तीय शक्तियों और आई एंड बी सी कार्यकर्त्ताओं की विधीक्षा शक्तियों में असंगति के कारण प्राधिकार के विकेन्द्रीकरण और त्वरित अधिप्राप्ति के सही सिद्धान्त की प्राप्ति नहीं हुई। आई एंड बी सी कार्यकर्त्ताओं के प्रशासनिक नियंत्रण की वर्तमान

प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आई एंड बी सी को डिपुओं के कमान्डेन्टों से पृथक प्रशासनिक स्वतंत्रता प्राप्त है और थलसेना मुख्यालय में डी डी जी ओ एस (आई एंड बी सी) डी जी ओ एस के सीधे नियंत्रण में है।

(पैरा 5.9(क))

(ख) आंशिक रूप से सहमत हुआ कि आयुध अधिप्राप्ति की पेचीदी प्रक्रिया जो ख्याति प्राप्त औद्योगिक धरानों को निरूत्साह करती है, को सरल बनाकर रक्षा भंडारों के उत्पादन में उद्योगों को भाग लेने के लिए उत्सहित करना चाहिए। तथापि आयुध डिपुओं के पास केन्द्रीय अधिप्राप्ति के लिए विक्रेताओं का पंजीकरण करने के लिए मानवशक्ति और निपुणता उपलब्ध नहीं है। अतः आयुध द्वारा विक्रेताओं का विस्तृत आधार तैयार करने की अपेक्षा, विक्रेताओं के पंजीकरण का कार्य डी जी क्यू ए द्वारा ही जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए।

(पैरा 5.9(ख))

(ग) आंशिक रूप से स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि डी जी ओ एस के तकनीकी अनुदेश के द्वारा अनुमत दो महीने का लीड समय उस स्थिति में लागू होता है तब वित्तीय मंजूरी के उपरान्त अधिप्राप्ति के लिए मांग पत्र डी जी एस एंड डी पर प्रस्तुत किये जाते थे और आयुध के द्वारा अधिप्राप्ति के मामले में यह अवधि अपर्याप्त थी। अधिक से अधिक लीड-समय को 3-4 महीनों से कम किया जा सकता था। इसके अतिरिक्त लीड समय को कम करना उसी स्थिति में संभव होगा जब सर्वाधिक मदों के लिए दर संविदा की जाए और ऐसा करने से अन्तरिम अवधि 21 महीनों से घटकर 9 महीने रह जायेगी।

(पैरा 5.9(ग))

(घ) सहमत हुआ और कहा कि विकसित मदों के लिए लीड समय वर्तमान 42 महीनों से घटाकर 24/30 महीने कर देना चाहिए बशर्ते डी जी ओ एफ ऐसा करने के प्रति आश्वस्त है।

(पैरा 5.9(घ))

(ड.) सहमत हुआ परन्तु सूचित किया कि कुछ मामलों में आपूर्ति की धीमी गति का आपूर्तियों के कार्यान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता था। साथ ही अग्रिम भुगतान पर ब्याज वसूली तथा परिदान सारणी का पालन न करने अथवा आपूर्ति करने में विफल होने पर परिसमापन क्षतियाँ वसूली के सम्बन्ध में पी एस यू को व्यापारिक आपूर्तिकर्त्ताओं के समान समझना चाहिए।

(पैरा 5.9(ड.))

(च) सहमत हुआ और कहा कि शस्त्रों की संवेदनशील मदों और श्रेणी 'क' वाहनों के मामले में यह अधिक उपयुक्त था।

(पैरा 5.9(च))

(छ) इस प्रकार के विलम्बों से बचने की आवश्यकता बताते हुए सहमत हुआ और स्पष्ट किया कि आपूर्ति आदेशों को अन्तिम रूप देने में देरियाँ खुली निविदायें आमंत्रित करने में समय लगने, निविदा क्रय समिति की बैठकें करके और वित्त द्वारा वैटिंग कराने के कारण होती है। इन देरियों को दर संविदायें करके और खुली निविदा आमंत्रित करने, वित्त द्वारा वैटिंग करने आदि की प्रक्रिया को सरल और समयबद्ध बनाकर कम किया जा सकता है। आपूर्ति के क्रियान्वयन में देरी खादी एवं ग्राम उद्योग कमीशन/ लघु उद्योग सैक्टर पर आदेश प्रस्तुत करने के कारण थी, ये निष्पादन की अपेक्षा अधिक आदेश स्वीकार करना चाहते हैं। इन फर्मों पर शेष आदेशों के बारे में सरकारी अनुदेशों के अनुसार कार्रवाई की जा रहीं थीं।

(पैरा 5.9 (छ))

(ज) सहमत हुआ और कहा कि डी जी ओ एस/ पी एस यू की दरें बहुत ऊँची हैं और इसलिए थलसेना को इसके बजट के एक बहुत बडे भाग के धन का बहुत कम मूल्य मिलता है क्योंकि ए ओ सी भंडार बजट का 70 प्रतिशत डी जी ओ एस/ पी एस यू से क्रय पर खर्च होता है।

(पैरा 5.9(ज))

(झ) सहमत हुआ और कहा कि इस रोग के उपचार के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि डिपुओं में भंडारों की भौतिक सुपुर्दगी पर पूरा भुगतान जारी किया जायेगा।

(पैरा 5.9(झ))

5.11 उपसंहार

आई एंड बी सी को संगत शक्तियाँ प्रदान करने के लिए मंत्रालय को कार्रवाई करनी चाहिए। वर्ष 1998-99 में सी ए एफ वी डी किरकी में आई एंड बी सी द्वारा सराहनीय कार्य के मद्देनजर लेखापरीक्षा अभी भी मानता है कि इन सैलों की कार्य प्रणाली पर रक्षा मंत्रालय (वित्त) का प्रणाली विस्तृत निकट का नियंत्रण होना चाहिए। रक्षा भंडारों के उत्पादन और आपूर्ति में अधिकाधिक उद्योगों के सम्मिलित होने के लिए मंत्रालय को इस पेचीदी कही जाने वाली प्रक्रिया को सरल बनाने के उपाय करने चाहिए। आयुध भंडासें विशेषकर मुक्त प्रवाह प्रकृति के उत्पादन और आपूर्ति में बाजार को आमंत्रित करके विक्रेताओं का आधार बढ़ाने के मामले को डी जी क्यू ए पर न छोड़कर, आयुध सेवाओं द्वारा इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि डी जी क्यू ए तो निरीक्षण के

माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए जुड़ा हुआ ही है। आपूर्ति की सुनिश्चितता के लिए सुरक्षा जमा/ बैंक गारंटी प्राप्त करने से बोली में काल्पनिक आपूर्तिकर्ताओं से बचा जा सकता है। आयुध के लिए विक्रताओं के विस्तृत आधार का बहुत महत्व है जो विभिन्न प्रकार और उद्गम के चार लाख से अधिक मदों मे कारोबार करते हैं।

आन्तरिक और बाह्य लीड-समय को कम करने, देशजीकरण को बढ़ाने और डी जी ओ एस/ पी एस यू की दरों को निजी क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धात्मक बनाने जैसे प्रश्नों पर उचित स्तर पर चर्चा होनी चाहिए जिसमें सम्बन्धित सभी एजेन्सियाँ भाग लें और घटी हुई अन्तरिम अवधि के द्वारा कम निवेश करने और डी जी ओ एस/ पी एस यू से क्रय पर आयुध बजट से व्यय किये गये धन का बेहतर मूल्य प्राप्त होने को सुनिश्चित किया जाये। लेखा परीक्षा का मानना है कि घटे हुए प्रतिक्रिया समय के द्वारा बाजार के सुधरे हुये निष्पादन से कुल अन्तरिम अवधि में पर्याप्त कमी करने का मौका मिलेगा। साथ ही आयुध सेवाओं को भी अपनी प्रक्रिया/ पद्धति में सुधार करके आन्तरिक लीड समय को न्यूनतम करने का प्रयास करना चाहिए।

दर संविदाओं को अंतिम रूप देने के विषय में लेखापरीक्षा का मत इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 के पैराग्राफ 3.14 में दिया गया है।

अध्याय 6 : मानव संसाधन प्रबंधन

6.1 सार

आयुध सेवाओं में लगभग 1.29 लाख कार्मिकों का कार्यबल नियुक्त है। केन्द्रीय आयुध भंडारों में असैनिकों के प्रति सैनिकों का अनुपात 80: 20 होता है जबकि युद्ध क्षेत्र में इसके विपरीत हो जाता है। असैनिक संवर्ग जो औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक कार्मिकों को मिलाकर बना है केन्द्रीय आयुध भण्डारों की 80 प्रतिशत स्थापना का प्रतिनिधित्व करता है, प्रावधान, अधिप्राप्ति, मांग पत्रों की जांच और भंडारों के प्रबन्धन के साथ-साथ भौतिक हस्तन जैसे संवेदनशील कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा की न्यूनतम योग्यता के साथ लिपिक एवं भण्डार का रखरखाव करने वाले कर्मचारियों की स्थानीय भर्ती की जाती है। प्रवेश प्रशिक्षण के लिए किसी ढ़ाँचागत प्रबंधन के अभाव में प्रारंभिक कार्यज्ञान कार्य करते हुए ही प्राप्त किया जाता है। सामग्री प्रबंधन कालेज जबलपुर द्वारा दिये गये प्रशिक्षण के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग दो तिहाई असैनिक कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल में बिना कोई प्रशिक्षण प्राप्त किये ही सेवानिवृत हो जायेंगे। पॉचवे वेतन आयोग की भर्ती के लिए अहर्ताएं नियत करने वाली सिफारिशें जो कर्मचारियों की तकनीकी सक्षमता में सुधार करतीं कर्मचारियों के प्रतिरोध के कारण कार्यान्वित नहीं की जा सकीं।

मानव शक्ति प्रतिमानों का संशोधन एक अखिल भारतीय भर्ती बोर्ड के माध्यम से संभरक संवर्गों के चयन और प्रशिक्षण की व्यवस्था मानव संसाधन प्रबंधन व इनकी उपयोगिता को थलसेना आयुध कोर की सहायता के लिए प्रभावी बना सकते थे।

6.2 सामान्य

समग्र लाभकारिता में योगदान के कारण सामग्री प्रबंधन अधिकांश संगठनों में एक प्रमुख कार्य के रूप में उभर कर आया है।

भण्डार सूची प्रबंधन जो कि सामग्री प्रबंधन का एक सब-सैट है, सामान्य व्यवसायिक वातावरण में भी जहां भण्डार सूचियां थल सेना द्वारा रखी गई की तुलना में ना तो इतनी विभिन्नता वाली होती हैं और न ही इतनी अधिक मात्रा में हैं, एक पेचीदा कार्य है। फिर भी दुनियाभर के व्यवसायों में उच्च योग्यता वाले कुछ प्रबंधक इसमें कार्यरत है क्योंकि इसे "लाभ का स्त्रोत" की पहचान मिल चुकी है।

आयुध सेवाओं के मानव संसाधन, थल सेना के माल-प्रबंधकों जिसमें लगभग 1500 अधिकारी, 27750 सेवा कार्मिक तथा एक लाख असैनिक कर्मचारी नियुक्त[1] हैं के भर्ती से सम्बन्धित मानदंडों जो उनके सतत व्यवसायिक विकास के लिए सुस्थापित हैं के पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता है। ऐसा विशेषकर इसलिए है क्योंकि पिछले पचास वर्षों से कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है जबकि उनके उत्तरदायित्वों की प्रकृति एवं व्यवसाय के साधनों में बहुत परिवर्तन हो चुका है।

6.3 मानवशक्ति रूपरेखा

सेना आयुध सेवाएं एक मिली-जुली स्थापना है जो थल सेना आयुध कोर के सैनिकों तथा लिपिकीय एवं भण्डार का रख-रखाव करने वाले असैनिक कर्मचारियों को मिला कर बनती है। इनके अतिरिक्त बड़ी संख्या में औद्योगिक कार्मिकों का बड़ा श्रमिक बल है। कोर का नेतृत्व कुछ असैनिक अधिकारियों के साथ मुख्यतः सेवा अधिकारियों द्वारा किया जाता है। योद्धाओं और असैनिकों की नियुक्ति की पद्धति को इस तरह नियमित किया गया है कि असैनिकों का अनुपात नीचे के सोपानों में कम हो जाता है। असैनिकों के प्रति सैनिकों का अनुपात जो केन्द्रीय आयुध भण्डारों में 80: 20 होता है, युद्ध क्षेत्र में इसके विपरीत हो जाता है। मानव शक्ति विवरण नीचे दिया गया है ;

सारणी 6.1 मानवशक्ति - अधिकारीगण[2]

31 मार्च को	सी ओ डी आगरा		सी ओ डी दिल्ली छावनी		सी ओ डी जबलपुर		सी ओ डी कानपुर		सी ए एफ वी डी किरकी	
	सेवा ए/ई	असैनिक ए/ई	सेवा ए/ई	असैनिक ए/ई	सेवा ए/ई	असैनिक ए/ई	सेवा ए/ई	असैनिक ए/ई	सेवा ए/ई	असैनिक ए/ई
1995	37 31	13 9	32 29	19 11	42 37	17 10	25 19	13 9	23 13	16 6
1996	37 28	13 8	32 31	19 10	42 36	17 10	25 20	14 9	21 19	17 6
1997	37 32	13 10	32 31	19 15	42 30	17 15	25 17	14 12	22 21	17 9
1998	37 25	13 8	32 28	19 13	42 32	17 11	25 20	16 11	22 20	16 9
1999	37 23	13 8	32 31	19 15	42 31	17 12	25 19	14 12	22 22	18 9
औसत	37 28	13 9	32 30	19 13	42 33	17 12	25 19	14 11	22 19	17 8
कमी	9	4	2	6	9	5	6	3	3	11
कमी की प्रतिशतता	24	31	6	32	21	29	24	21	14	65

ए-अधिकृत, ई-प्रभावी, एस ई आर - सेवा, सी आई वी - असैनिक

[1] ए ओ सी का वार्षिक प्रतिवेदनः 1996-97

[2] 31 मार्च 1999 को पांच डिपुओं में कुल अधिकृत संख्या 239 (सैन्य 158 असैनिक 81)

सारणी 6.2 मानवशक्ति - अधिकारी पद से नीचे[3]

31 मार्च को	सी ओ डी आगरा		सी ओ डी दिल्ली छावनी		सी ओ डी जबलपुर		सी ओ डी कानपुर		सी ए एफ वी डी किरकी	
	सेवा ए/ई	असैनिक ए/ई	सेवा ए/ई	असैनिक ए/ई	सेवा ए/ई	असैनिक ए/ई	सेवा ए/ई	असैनिक ए/ई	सेवा ए/ई	असैनिक ए/ई
1995	372 337	3725 2960	710 652	3595 2808	825 739	3946 2592	329 319	3685 2764	297 277	2267 1915
1996	372 340	3725 2983	710 614	3594 2750	825 717	3946 2555	329 302	3685 2739	297 243	2292 1891
1997	371 307	3692 2971	710 637	3594 2761	825 657	3565 2511	303 283	3680 2719	297 249	2292 1893
1998	372 333	3456 2679	710 618	3594 2734	825 683	3545 2540	303 306	3680 2602	297 305	2088 1901
1999	370 333	3143 3063	710 630	3594 2739	825 721	3327 2404	303 296	3245 2208	307 292	2240 1896
औसत	371 330	3548 2931	710 630	3594 2758	825 703	3666 2520	313 301	3595 2606	299 273	2236 1899
कमी	41	617	80	836	122	1146	12	989	26	337
कमी की प्रतिशतता	11	17	11	23	15	31	4	28	9	15

प्रत्यक्षतया पुनरीक्षित सभी डिपुओं में कार्मिकों का मुख्य वर्ग असैनिकों से मिलकर बना है जिनकी संख्या अधिकारी पद से नीचे के कार्मिकों की अधिकृत संख्या के 86 प्रतिशत का तथा कुल संख्या के 85 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है। (डिपुओं में भर्ती पद्धति असैनिकों के प्रति सैनिकों का अनुपात 80 : 20 के नियोजित प्रतिमानों पर आधारित है।

i) सेना संवर्ग

सेना आयुध कोर के सैनिक कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण व नियुक्ति सेना नियुक्ति प्रशिक्षण और स्टाफिंग नीतियों के अनुसार की जाती है। यहाँ इस संवर्ग के लिए सुविकसित पाठ्यक्रमों के साथ नियमित प्रशिक्षण कोर्स और कैरियर की उन्नति के लिए साधन उपलब्ध हैं। अधिकारीगण केवल सामग्री प्रबंधन के कार्य में ही प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते बल्कि भंडार प्रबंधन नियमों में भी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं जिसे उन्हें कार्य और आपरेशनल स्तरों पर दिया जाता है। सामग्री प्रबंधन कालेज जबलपुर जो इस क्षेत्र में प्रमुख प्रशिक्षण स्थापना है, विश्वविद्यालय से संबद्ध है जहां इन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है, इस क्षेत्र में अद्यतन विकास के साथ विशेष निर्देशों को अपनाता है।

[3] 31 मार्च 1999 को 5 डिपुओं में कुल अधिकृत संख्या 18064 (सैन्य 2515+असैनिक 15549)

अधिकारियों के अलावा दूसरे सेवा कर्मियों को सेना आयुध कोर केन्द्र सिकन्दराबाद और सामग्री प्रबंधन कालेज जबलपुर में प्रशिक्षित किया जाता है जहां पहले वाला उनकी आधारभूत सैन्य और कार्य प्रशिक्षण पर ध्यान देता है वहीं बाद वाला उनकी व्यवसायिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता पूरी करता है।

सभी रूप में यह प्रणाली जो महानिदेशक सैन्य प्रशिक्षण और महानिदेशक आयुध सेवाएं दोनों की सतत पुनरीक्षा के आधीन रहती है, समकालीन और परिणामजनक है।

ii) असैनिक संवर्ग

असैनिक संवर्ग जिसमें औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक कार्मिक सम्मिलित हैं केन्द्रीय आयुध डिपुओं में लगभग 80 प्रतिशत स्थापना की संरचना करता है। गैर-औद्योगिक कार्मिक मुख्यतया स्टोरकीपर श्रेणी में होते हैं जो भण्डारों के संरक्षक के रूप में भंडारों की प्राप्ति करने, बिनिंग, भण्डारण, संरक्षण और मांग पर उनके निर्गम का उत्तरदायित्व निभाते हैं।

असैनिक अधिकारियों को छोडकर असैनिक स्टाफ किसी आयुध स्थापना का अधिकांश स्थाइ बल होता है। असैनिक कर्मचारी अपने व्यवसाय के उत्तरदायित्व का ज्ञान कार्य पर रहते हुये प्राप्त करते हैं। असैनिक स्टोरकीपर और लिपिकीय स्टाफ की भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता टंकण ज्ञान के साथ वरिष्ठ माध्यमिक श्रेणी या इसके समकक्ष होती है।

6.4 लेखा परीक्षा आपत्तियाँ

लेखा परीक्षा में पाया गया कि डिपुओं के असैनिक स्टाफ की भर्ती, प्रबन्ध और विशाल मानव संसाधन के प्रशिक्षण के लिए प्रचलित प्रणाली की पुनरीक्षा की आवश्यकता है।

(क) भर्ती नीति

लिपिकीय एवं भण्डार का रख-रखाव करने वाला स्टाफ किसी डिपू का मुख्य अंग होता है। आयुध सेवाएं एक सामग्री प्रबन्धन संगठन होने के कारण इसके संचालन में भण्डार का रख-रखाव व भण्डार को लेखांकन करने वाला स्टाफ केन्द्रीय भूमिका निभाता है। वर्तमान प्रणाली में डिपू घोषित रिक्तियों के आधार पर स्थानीय नियुक्ति करते हैं। क्षेत्रीय रोजगार कार्यालयों द्वारा प्रत्याशियों के नाम भेजे जाते हैं और एक अधिकारियों का बोर्ड लिपिकीय एवं भण्डार का रख-रखाव करने वाले स्टाफ का चयन करता है।

आयुध सेवाओं के भण्डार का रख-रखाव करने वाले संवर्ग में श्रेणी और उनके भर्ती के तरीके निम्न हैं :

सारणी 6.3 आयुध सेवाओं के भण्डार का रख-रखाव करने वाले विभिन्न स्टाफ की नियुक्ति की विद्यमान पद्धति

संवर्ग	**नियुक्ति की पद्धति**
स्टोर कीपर[4]	वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा की न्यूनतम योग्यता के साथ 90 प्रतिशत सीधी भर्ती 10 प्रतिशत वर्ग 'ध' की प्रोन्नति से
वरिष्ठ स्टोरकीपर	प्रोन्नति
भण्डार पर्यवेक्षक	प्रोन्नति
वरिष्ठ भण्डार पर्यवेक्षक	प्रोन्नति
असैनिक आयुध अधिकारी (भण्डार)	75 प्रतिशत प्रोन्नति से 25 प्रतिशत सीधी भर्ती[5] से
वरिष्ठ असैनिक आयुध अधिकारी (भण्डार)	प्रोन्नति
असैनिक स्टाफ अधिकारी (भण्डार)	प्रोन्नति
वरिष्ठ असैनिक स्टाफ अधिकारी	प्रोन्नति
प्रधान असैनिक स्टाफ अधिकारी (भण्डार)	प्रोन्नति

उपर्युक्त से यह पता लगा कि वर्तमान में असैनिक संवर्ग लगभग पूरी तरह विभागीय प्रोन्नति वाले पर्यवेक्षक स्टाफ और अधिकारियों का है जिन्होंने अपनी सेवा दसवीं कक्षा की आधारभूत शैक्षणिक योग्यता के साथ शुरू की थी।

उनके कार्यों की प्रकृति और संवेदनशील एवं मंहगे उपस्करों के प्रबन्धन पर उनके निष्पादन के प्रभाव को देखते हुए यह महसूस किया गया कि इस संवर्ग के कार्मिकों की भर्ती के प्रतिमानों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए। स्टोर कीपर भण्डार सूचियों के रख-रखाव, प्राप्ति/ निर्गमन के कार्य के अलावा उनकी सुरक्षा तथा उपयोग योग्य रखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिपिकीय स्टाफ मरम्मत करवाने और अनुपयोगी एवं अधिक भण्डार के निपटान के अतिरिक्त प्रावधान व अधिप्राप्ति के कार्य का निष्पादन करते हैं। इन कार्यों के लिए कम्प्यूटर ज्ञान के अतिरिक्त तकनीकी कार्य ज्ञान का पूर्वानुमान लगाने के अच्छे ज्ञान वाले कार्मिकों की आवश्यकता है। इन कर्त्तव्यों के अतिरिक्त उन्हें हस्त शिल्पियों सहित औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक मानव-शक्ति से कार्य कराना होता है जो पर्यवेक्षण एवं अंतर्कामिक निपुणता को बहुत महत्वपूर्ण बनाता है। सामग्री एवं मानव संसाधन प्रबन्धन के किसी आधारभूत जानकारी के बिना प्रत्याशियों की भर्ती के लिए वर्तमान प्रणाली में वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है।

---

[4] वर्ग 'ग' पद

[5] इस श्रेणी में सीधी भर्ती जो 1978 में शुरू की गई थी। 1982 में बंद कर दी गई थी। इसके बाद इस श्रेणी में कोई सीधी भर्ती नहीं की गई।

पाँचवे वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने मई 1998 में अभियांत्रिकी में डिप्लोमा/ डिग्री रखने वाले भण्डार पर्यवेक्षक के 25 प्रतिशत पदों की सीधी भर्ती आरक्षित करके भर्ती का स्तर सुधारने की शुरूआत की। स्टाफ के प्रतिरोध के कारण इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। असैनिक आयुध अधिकारियों की सीधी भर्ती भी जिसे 1978 में शुरू किया गया था 1982 से निलम्बित पड़ी है।

(ख) प्रशिक्षण

एक दक्ष एवं समर्पित कार्यबल के विकास में प्रशिक्षण केन्द्रीय भूमिका निभाता है। सेना आयुध सेवाओं की विनियमावली एक डिपू के उप कमान अधिकारी को डिपू के सभी कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायी ठहराती है। महानिदेशक आयुध सेवाएं, आयुध सेवाओं में प्रशिक्षण मार्गदर्शन के लिए नीतिगत दस्तावेज के रूप में वार्षिक तकनीकी प्रशिक्षण निर्देश जारी करता है। इनको प्रशिक्षण कार्यक्रम में रूपान्तरित करने की आवश्यकता थी। जबकि लेखा परीक्षा में पुनरीक्षित किसी भी डिपू में समर्पित प्रशिक्षण सुविधा नहीं थी। डिपू कर्मियों को जो मामूली सा प्रशिक्षण दिया जाता है, वह सामग्री प्रबन्धन कालेज जबलपुर या उसकी व्यवस्था के अधीन दिया जाता है। वर्ष 1994-99 के दौरान दिये गये प्रशिक्षण का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

सारणी 6.4 सामग्री प्रबन्धन कालेज जबलपुर द्वारा वर्ष 1994-99 के दौरान प्रशिक्षित किये गये कार्मिकों की संख्या

श्रेणी	सी ओ डी आगरा		सी ओ डी दिल्ली छावनी		सी ओ डी जबलपुर		सी ओ डी कानपुर		सी ए एफ वी डी किरकी	
	कुल संख्या	प्रशिक्षितों की संख्या	कुल संख्या	प्रशिक्षितों की संख्या	कुल संख्या	प्रशिक्षितों की संख्या	कुल संख्या	प्रशिक्षितों की संख्या	कुल संख्या	प्रशिक्षितों की संख्या
असैनिक अधिकारी	9	0	13	0	12	0	11	0	8	0
प्रतिशतता		0		0		0		0		0
असैनिक अराजपत्रित अधिकारी	1260	13	1204	14	953	12	830	12	760	7
प्रतिशतता		1.03		1.16		1.26		1.45		0.92

उपर्युक्त सारणी से यह देखा जा सकता है कि बहुत कम असैनिक कार्मिकों ने ढांचागत प्रशिक्षण प्राप्त किया है तथा प्रशिक्षण की वर्तमान दर से सभी असैनिक कार्मिकों को अल्पमात्रा में एक औपचारिक प्रशिक्षण लेने में भी चार दशकों से अधिक समय लगेगा। लगभग दो तिहाई स्टाफ अपने समस्त सेवा काल में बिना कोई प्रशिक्षण प्राप्त किये सेवा निवृत हो जायेगा।

(ग) मानवशक्ति लागत

इन डिपुओं को चलाने के लिए मानवशक्ति पर 106 करोड रूपये वार्षिक औसत से खर्च किया जाता था। धन का श्रेष्ठतम मूल्य प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इन कार्मिकों को बहुत प्रभावी ढ़ंग से नियुक्त किया जाये। लेखा परीक्षा ने केन्द्रीय आयुध डिपू कानपुर में पाया कि सामग्री भण्डार उप डिपू (एम एस एस डी) में नियुक्त कुल 318 हस्त शिल्पियों में से केवल 11 को प्रभावी कार्य पर नियुक्त किया गया था जहां बेकार मानवशक्ति (307 व्यक्ति) पर वार्षिक 1.55 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे थे। जबकि डिपू की कुल संख्या में 989 कार्मिकों की कमी थी। यह स्थिति दर्शाती है कि मानवशक्ति का उपयोग/नियुक्ति लाभकारी ढ़ंग से नहीं की गई। वापसी भण्डार उप-डिपुओं (आर एस एस डी) / एम एस एस डी) में नियुक्त मानवशक्ति की तुलना में अप्रभावकारी लागत इस प्रतिवेदन के 'मरम्मत योग्य भंडार' अध्याय में अलग से चर्चा की गयी है।

(घ) स्टाफ अधिकृत करने के लिए प्रतिमान

सेना मुख्यालय ने विभिन्न भण्डारों के रख-रखाव व भण्डार लेखांकन कार्य के लिए स्टाफ की आवश्यकता के आँकलन के लिए 1956 में प्रतिमान निर्धारित किये थे। औद्योगिक कार्मिकों के लिए प्रतिमान 1982 में निर्धारित किये गये थे। सेना मुख्यालय में एक समिति, सेना स्थाई स्थापना समिति, सेना की सभी प्रकार की स्थापनाओं को अनुमति देने व जांचने के लिए अधिकृत हैं जो सभी केन्द्रीय आयुध डिपुओं की मानवशक्ति आवश्यकताओं की आवधिक (चार वर्ष में एक बार) पुर्नरीक्षा करती हैं। औद्योगिक कर्मचारियों के मामले में उप कमान अधिकारी की अध्यक्षता मे डिपू मानव शक्ति समिति वार्षिक पुनरीक्षा करती हैं। इन आवधिक पुनरीक्षाओं का उद्देश्य वास्तविक कार्य भार जिसमें सभी कार्मिकों का पूरी तरह उपयोग किया गया हो, दोहरे कार्य से बचा गया हो और कार्मिक के पद को उत्तरदायित्व निर्वाह या वांछित तकनीकी ज्ञान के द्वारा न्यायसंगत करने के लिए एक संतुलित स्थापना सुनिश्चित करना है।

6.5 संस्तुतियां

(क) भर्ती नीति

प्रणाली की जांच और इसके संचालन में सम्मिलित विभिन्न कार्य प्रणालियों के साथ क्रिया-प्रतिक्रिया पर लेखा परीक्षा का विचार है कि कंप्यूटरीकृत भण्डार सूची नियंत्रण, प्रणाली जैसे बदलते परिदृश्य में भर्ती की वर्तमान प्रणाली की पुनर्जांच की आवश्यकता है।

यह देखते हुये कि संभरक संवर्गों (भण्डार का रख-रखाव व लिपिकीय) का चयन क्षेत्र के रोजगार कार्यालयों द्वारा भेजे गये प्रत्याशियों में से होता है यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि किसी डिपू विशेष द्वार भर्ती किये गये कार्मिक साधारणतया डिपू के आसपास के क्षेत्र से आते हैं। इसके परिणामस्वरूप डिपू देश के अन्य क्षेत्रों से दूसरे योग्य प्रत्याशियों की उम्मीदवारी का आंकलन करने का अवसर खो देते हैं।

प्रणाली की आवश्यकताओं और दूसरे संगठनों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, रेलवे और वित्तीय संस्थाओं में प्रचलित प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए लेखा परीक्षा भर्ती नीतियों में परिवर्तन की सिफारिश करता है। उदाहरण के लिए रेलवे में सहायक स्टोर कीपरों के पदों के लिए अभियांत्रिकी डिप्लोमा की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाले प्रत्याशियों की भर्ती रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा की जाती है और उन्हें वजीफा के साथ 6 माह का अनिवार्य प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी तरह की व्यवस्था डाक विभाग में विद्यमान है।

(ख) प्रशिक्षण

(i) भर्ती नीति विवरण 'सभी के लिए प्रशिक्षण' को सामने रखकर विकसित किया जाना चाहिए। यह इस तरह नियोजित की जानी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति को सेवा में कुछ समय बिताने के तुरंत उपरान्त कैरियर विकास के साधन के रूप में विशेष अथवा रिफ्रैशर पाठ्यक्रम पर प्रति नियुक्त किया जाये जो संगठनात्मक एवं व्यक्तिगत दोनों हितों को पूरा करेगा।

(ii) लिपिकीय और भण्डार के रख-रखाव के कार्यों से सम्बन्धित असैनिक कार्मिकों को सेवा कार्मिकों के समान विभागीय एवं तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाये।

(iii) कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन, निपुणता और ज्ञान के संदर्भ में प्रशिक्षण आवश्यकताओं को चिन्हित करने वाली प्रणाली लागू की जानी चाहिए।

(iv) प्रशिक्षण प्रारम्भ में ही अर्थात भर्ती के तुरंत बाद और इसके बाद विशेषज्ञता के लिए दिया जाना चाहिए।

(ग) प्रतिमानों का संशोधन

1956 में निर्धारित किये गये प्रतिमान कार्यालय और सामग्री के रख-रखाव के कार्यों के स्वचालीकरण की सम्भावना के साथ अप्रचलित हो गये हैं, उचित अध्ययन करके इनका पुनः अवलोकन आवश्यक है।

6.6 रक्षा विभाग की प्रतिक्रिया

एम जी ओ ने उपरोक्त सभी संस्तुतियों को स्वीकार किया।

उपरोक्त संस्तुतियां पर एम जी ओ की प्रतिक्रिया को क्रमवार नीचे संक्षेप में दिया गया है:

(क) स्वीकार किया तथा कहा कि भविष्य में लिपिकीय संवर्ग में प्रवेश के लिए न्यूनतम 'ओ' स्तर की कम्प्यूटर योग्यता और सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। विज्ञापन के माध्यम से आवेदन-पत्र मांगने की प्रक्रिया लागू कर दी गई है ।

(पैरा 6.5 (क))

(ख) स्वीकार किया और कहा कि सभी असैनिक कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए और उनकी पदोन्नति इन प्रशिक्षणों से संबद्ध कर दी जायेगी। सी एम एम में प्रशिक्षण के अतिरिक्त पुणे, दिल्ली इत्यादि जैसे कुछ नामि केन्द्रों पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण पर विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सिविल संस्थाओं में प्रशिक्षण की व्यवस्था पर विचार करने की आवश्यकता है और गोदामों में भंडारण की विशेष प्रशिक्षण ओ ई एम परिसर में लाभकारी हो सकता है।

(पैरा 6.5(ख))

(ग) स्वीकार किया और माना कि भंडार सूची प्रबंधन में भविष्य में स्वचालीकरण के वातावरण की संभावना के दृष्टिगत वर्ष 1956 में निर्धारित प्रतिमानों के पुनः अवलोकन की आवश्यकता है, यद्यपि भंडार रखरखाव पर स्वचालीकरण का कोई प्रभाव नहीं पडेगा क्योंकि यह एक मानवशक्ति की गहन क्रिया कलाप है।

(पैरा 6.5 (ग))

6.7 उपसंहार

लेखा परीक्षा का सुझाव है कि प्रतिमानों, भर्ती और प्रशिक्षण जो बदलते हुए वातावरण से मेल खाता हो, पर उपयुक्त नीतियां बनाकर प्रणाली में प्रस्तावित सुधारों को तीव्रता से लागू किया जाना चाहिए। प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आयुध द्वारा कार्रवाई आरम्भ कर देनी चाहिए।

जबकि लेखा परीक्षा सराहना करता है कि भंडार का रखरखाव मानवशक्ति गहन क्रिया कलाप है, सामग्री हस्तन और लेखांकन कार्य का स्वचालीकरण दक्षता से समझौता किये बिना मानव शक्ति की पुनः प्रशिक्षित करने/ पुनः तैनाती करने के निश्चित रूप से पर्याप्त अवसर प्रदान करेगा।

अध्याय 7 : भंडारसूची का मूल्यांकन

7.1 सार

प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम आई एस) में रिपोर्ट करने के उद्देश्य से भंडारों के मूल्य निर्धारण की वर्तमान प्रणाली सितम्बर 1990 में डी जी ओ एस द्वारा प्रकाशित दरों पर आधारित है जिसमें भंडार सूची को विभिन्न वर्गों जैसे सामान्य भंडारों, वस्त्रों, इंजीनियरी भंडारों और यांत्रिक वाहन भंडारों के समूहों में रखा जाता है। वर्ष 1990 से पूर्व तीन वर्षों के दौरान क्रय किये गये भंडारों के मूल्य को उनकी टन भार से विभाजित करके दरें निकाली गई थी।

सी ओ डी दिल्ली छावनी और सी.ए.एफ.वी.डी. किरकी में एम टी भंडारों की चुनी हुई सैम्पिलों के मूल्य की लेखापरीक्षा में विश्लेषण से प्रकट हुआ कि सितम्बर 1990 में निर्धारित दर 0.49 लाख रुपये के प्रति वास्तविक मूल्य सी ओ डी दिल्ली छावनी में 9.74 लाख रुपये तथा सी ए एफ वी डी किरकी में 48.88 लाख रुपये थी, जो बहुत अधिक थी। विद्यमान मूल्य निर्धारण से ए वी सी विश्लेषण जैसी चुनिंदा भंडार सूची नियंत्रण प्रक्रिया लागू करने में सहायता नहीं मिल सकी जो निर्णय लेने के लिए आवश्यक है।

प्रारम्भिक दस्तावेजों जैसे प्राप्ति वाउचरों और लेखा कार्डों के फॉरमैट को संशोधित करके क्रय दरों के संदर्भ में मूल्यांकित भंडारसूची अपनाने की प्रणाली का समावेश किया जाना चाहिए।

7.2 सामान्य

भंडारसूची में निधि का निवेश होता है और सेवाओं को आवश्यक तौर पर सैन्यतंत्र सहायता उपलब्ध कराने हेतु रखी जाती है। अतः भंडारसूची प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं के वस्तुपरक मूल्यांकन के लिए दो प्रारम्भिक योगदानों अर्थात निवेश की गई निधियों का स्तर और प्रयोक्ता की संतुष्टि प्राप्ति के स्तर की आवश्यकता है।

जबकि प्रयोक्ता की संतुष्टि के स्तरों को एक सीमा तक प्रणाली के समय की प्रतिक्रिया और माँग पूर्ति दरों से मापा जा सकता है।

7.3 लेखापरीक्षा की आपत्तियाँ

लेखापरीक्षा में पाया गया था कि आयुध सेवाओं ने ऐतिहासिक तौर पर किसी एक निर्धारित इकाई में अथवा समग्र प्रणाली में धारित भंडारसूची के मूल्य को दर्शाते हुए कभी भी दस्तावेज तैयार नहीं किए। अतः आयुध सेवाओं के लिए सच्चाई की किसी हद तक अपनी भंडार सूचियों का मूल्य दर्शाना संभव नहीं है और इस कारण मूल्यांकन कठिन हो जाता है। विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

(क) भंडार सूची मूल्य निर्धारण की विद्यमान प्रणाली

आयुध भंडारसूची के मूल्यांकन की प्रणाली सदैव विभिन्न वर्गों के भंडारों के लिए समय समय पर अनुमोदित परिवर्तन फार्मूला का प्रयोग करके धारित टनभार को राशि में परिवर्तित करने की रही है।

आयुध ने वर्ष 1958 में महसूस किया कि तत्कालीन विद्यमान परिवर्तन फार्मूला उपयुक्त नहीं था क्योंकि वह 1 अप्रैल 1947 को प्रचलित भंडारों की कीमतों पर अधारित था और इसलिए मूल्य ऑकलन हेतु एक सिद्धान्त निर्धारित किया गया। सिद्धान्त यह था कि गत तीन वर्षों में भंडार के विभिन्न वर्गों की क्रय पर व्यय की गई औसत राशि निकाली जाये और प्रत्येक वर्ग में क्रय किये गये औसत टनभार (वाहनों के संदर्भ में संख्या) से विभाजित किया जाये। इसके पश्चात् वर्ष 1958 में मूल्य बढ़ा दिया गया और वर्ष 1962 में इसे मीट्रिक प्रणाली में परिवर्तित कर दिया गया। वर्ष 1977 एवं 1990 में इसे पुनः संशोधित किया गया।

अपनायी गई परिवर्तन दरें उपस्कर के टनभार पर आधारित हैं और तदनुसार विभिन्न प्रकार के उपस्कर/वाहनों के लिए विभिन्न परिवर्तन दरें अंकित की गई हैं। तथापि, ये परिवर्तन दरें बिलकुल अयथार्थवादी हैं और बेहतर भंडारसूची नियंत्रण के लिए निर्णय लेने में प्रबंधन के लिए सहायक नहीं हो सकतीं।

(ख) अशुद्ध मूल्यांकन

भंडारसूची के वास्तविक मूल्य से विचलन का आकलन करने हेतु लेखापरीक्षा में विचलन का आकलन करने हेतु लेखापरीक्षा में सी ओ डी आगरा को छोड़कर पुनरीक्षाधीन अन्य डिपुओं में भंडार सूची की चुनिंदा सैम्पिलों का मूल्यांकन किया गया। यह मूल्य पी आर एफ में उपस्कर की दी गई दर पर आधारित था।

भंडारों के विभिन्न वर्गों के बारे में भिन्नता की एक तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गयी है

सारिणी 7.1 आयुध में अपनायी गई तथा पी आर एफ में दी गई यूनिट दर पर लेखापरीक्षा द्वारा अंकित किया गया वास्तविक मूल्य के अनुसार भंडारसूची के विभिन्न वर्गों के मूल्यांकन में अन्तर का तुलनात्मक विवरण।

(मूल्य रुपये में)

क्र. सं.	डिपू का नाम	भंडार की प्रकार	सैम्पिल साइज	पी आर एफ में दी गई यूनिट दर के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा आँका गया प्रति मीट्रिक टन मूल्य	आर्मी हेडक्वाटर की नीति के अनुसार प्रति मीट्रिक टन मूल्य	अन्तर	अन्तर की प्रतिशतता
1.	सी ओ डी दिल्ली छावनी	एम टी भंडार	16	9,73,908	49,040	9,24,868	1886
2.	सी ओ डी जबलपुर	सैन्य सामग्री	6	24,47,536	2,81,314	21,66,222	770
3.	सी ओ डी कानपुर	वस्त्र	12	2,71,857	23,810	2,48,047	1042
4.	सी ए एफ वी डी किरकी	एम टी भंडार	100	48,88,653	49,040	48,39,613	9869

अधिकतम प्रभाव सी ओ डी आगरा में इलैक्ट्रौनिक मदों में होगा जहाँ पर सिगनल भंडारों, इंजीनियरी भंडारों और अग्नि शमन यंत्रों का प्रति मीट्रिक टन मूल्य क्रमशः 6.55 लाख रुपये, 0.5 लाख रुपये और 5.96 लाख रुपये था, यद्यपि भंडारों की प्रकृति के दृष्टिगत उनका यूनिट मूल्य बहुत अधिक होगा।

उपरोक्त से यह देखा जा सकेगा कि भंडारसूची के लिए सेना मुख्यालय द्वारा अपनायी जा रही परिवर्तन दरों और यूनिट दर पर आंकी गई वास्तविक दरों का अन्तर 770 प्रतिशत से 9869 प्रतिशत की बीच था। इससे यह तथ्य साबित होता है कि मूल्य आँकने में अपनाया गया तरीका न केवल अवैज्ञानिक था वरन् यथार्थ से परे था । यह सूचना कोई सार्थक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है और साथ ही कोई निर्णय लेने हेतु प्रबंधन के लिए विश्वसनीय नहीं है। यह ए.बी.सी./वी ई डी विश्लेषण जैसी चुनिंदा भंडारसूची नियंत्रक तकनीक लागू करने में अधिक आलोचनात्मक हो जाती है जहाँ पर भंडारसूची का मूल्य इस कवायत के लिए आवश्यक योगदान है।

7.4 संस्तुतियाँ

(क) आयुध द्वारा केवल मात्रात्मक लेखांकन की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर मूल्यांकित भंडारसूची रखने की प्रणाली अपनायी जानी चाहिए।

(ख) उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु, प्रारम्भिक दस्तावेजों जैसे प्राप्ति वाउचरों और लेखाकार्डों को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि क्रय दरों के संदर्भ में मूल्यांकित भंडारसूची रखी जा सके।

(ग) विभिन्न स्रोतों से मात्रा के संदर्भ में प्राप्त मदों के मूल्य का औसत निकालने के पश्चात् इस प्राप्त की गई औसत दर प्रतिवर्ष 31 मार्च को अन्तिम भंडारण के मूल्यांकन हेतु अपनायी जानी चाहिए।

7.5 रक्षा विभाग की प्रतिक्रिया

एम.जी.ओ. द्वारा तीन में से दो संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया गया और तीसरी को आंशिक रूप में स्वीकार किया । मंत्रालय ने भी एम.जी.ओ. के विचारों से सहमति प्रकट की ।

उपरोक्त संस्तुतियों की प्रतिक्रिया क्रमवार नीचे दर्शायी गयी है:

(क) सी.आई.सी.पी. के पूर्ण हो जाने पर उसे लागू करने के लिए सहमति प्रदान की।

(पैरा 7.4 (क))

(ख) सहमति प्रदान की, परन्तु सी.आई.सी.पी. के लागू होने पर ।

(पैरा 7.4 (ख))

(ग) आंशिक रूप में सहमति प्रदान की परन्तु कहा कि क्योंकि सी.ओ.डी. कम्प्यूटर के द्वारा प्राप्ति वाउचरों से वास्तविक आंकड़े एकत्रित कर रहे थे, औसत मूल्य आवश्यक नहीं था । तथापि पहले से ही धारित भण्डार के बारे में लेखापरीक्षा द्वारा सुझाई गई प्रणाली लागू की जा सकती थी ।

(पैरा 7.4 (ग))

7.6 उपसंहार

लेखापरीक्षा का सुझाव है कि मूल्यांकित भंडार सूची को रखने की सुविधा हेतु सी.आई.सी.पी. में उपयुक्त मॉड्यूल का समावेश किया जाए, साथ ही विनियमावली में भी उपयुक्त प्रावधान सम्मिलित किया जाए ।

अध्याय 8 : कम्प्यूटरीकरण

8.1 सार

सेना ने अपनी भंडारसूची के कम्प्यूटरीकरण के लिए बहुत पहले छठे दशक के अंत में प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे। फिर इसकी प्रगति को अधूरा व दिशाहीन छोड़ दिया गया। डिपुओं में उपलब्ध व्यैक्तिक कम्प्यूटरों का उपयोग कुछ अंतरिम रिपोर्टों को बनाने में किया जा रहा था। केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी को छोडकर सभी डिपुओं के प्रमुख क्रियाकलाप जैसे प्रावधान का कार्य मानवशक्ति से किया जाता रहा। केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी की ए.डी.पी. शाखा के कम्प्यूटरीकरण प्रक्रिया में दशकों से संलग्न होने के बावजूद भी कम्प्यूटरीकृत परिणामों की मानवीय जांच, प्रकट रूप से अधिक प्रावधान टालने के लिए किया जाना, इस प्रणाली की अविश्वसनीयता को दर्शाता है। कमजोर भंडारण दृश्यता, चयनित भंडारसूची नियंत्रण में कमी, बड़ी मात्रा में मांगों की छटनी और उपभोक्ताओं की अपर्याप्त सन्तुष्टि जैसी कमियों का पता लगाने के लिए कम्प्यूटरीकरण वरदान का कार्य कर सकता था। सेना आयुध कोर सन 1994 में संस्वीकृत कम्प्यूटरीकृत भण्डारसूची नियंत्रण परियोजना (सीआई.सी.पी.) के द्वारा इन कमियों का पता लगाने की आशा करती है जिसका क्रियान्वयन वर्तमान में निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रहा है।

निश्चित समय सीमा तय करके तेजी से कम्प्यूटरीकरण के द्वारा कम्प्यूटरीकृत भण्डारसूची नियंत्रण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वास्तविक समय प्रक्रिया प्रणालियों को लागू करने के लिए उच्च स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

8.2 सामान्य

सैन्य गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में भंडारसूची प्रबन्धन संभवतया सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों को पूरी तरह लागू करने के लिए एक वृहद कार्य क्षेत्र का प्रस्ताव देता है। क्रियाकलापों की पुनवर्ती प्रकृति, अनेक स्थानों पर फैली हुई बहुत सी मदें और परिसम्पत्तियों की आपूर्ति के श्रोत से लेकर उपभोक्ता तक अधिक दृश्यता सुनिश्चित करते हुए विशाल लेन देन एक ऐसा वातावरण बनाते हैं, जहां मानव चालित प्रक्रिया और नियंत्रण यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। इसके अतिरिक्त और शायद अधिक महत्वपूर्ण डाटा विश्लेषण और पूर्वानुमान से सम्बन्धित गणना का कार्य, जिसमें संवेदनशील गणितीय तकनीक सम्मिलित हैं, कम्प्यूटर के प्रयोग को प्रायः अनिवार्य बना देता है।

8.3 लेखापरीक्षा की आपत्तियां

डिपुओं द्वारा जो कि विभिन्न भण्डारों की बड़ी मात्रा और प्रकार को संभालते हैं, आने वाली अधिकतर समस्याओं के समाधान और उन्हें कम करने के लिए उनकी भण्डारसूची का स्वचालन कार्य आवश्यक है। लेखापरीक्षा के साथ परस्पर क्रिया के दौरान इस प्रणाली के संचालनाकों ने इस मत की पुष्टि की । लेखापरीक्षा विश्लेषण के परिणामों को नीचे दिया गया है।

(क) विद्यमान प्रणाली

आयुध सेवाओं में स्वचालन का इतिहास वर्ष 1968 से शुरू हुआ जब केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी में आयुध भण्डारसूचियों के स्वचालन के लिए एक पायलट परियोजना के लिए स्वचालित डाटा प्रक्रिया (ए.डी.पी.) कक्ष बनाया गया। पायलट परियोजना पूर्ण होने के पश्चात वर्ष 1974 में मंत्रालय ने विद्यमान मानव चालित प्रणाली को स्वचालित प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया तैयार करने के लिए एक क्रियान्वयन टीम की स्वीकृति दी। वर्ष 1979 में केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी में पूर्ण ए.डी.पी. स्थापना की संस्वीकृति प्रदान करके इसे चरमसीमा प्रदान की। तथापि इसके शुरू होने के लगभग 32 वर्ष बाद भी डिपू एक विश्वसनीय प्रणाली स्थापित नहीं कर सकी जैसा कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि प्रकट रूप में अधिक प्रावधान के लिए स्वचालित प्रणाली द्वारा दिये गये परिणामों की निरंतर मानवीय जांच की जाती है । इस तरह जब केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी में शुरू किया गया कम्प्यूटरीकरण विकास की प्रक्रिया में रहा तथा मंत्रालय ने जुलाई 1994 में आयुध सेवाओं के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु सी.आई.सी.पी. की संस्वीकृति दी।

विश्वभर की सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रोद्योगिकीय विकास के संदर्भ में देखें तो केन्द्रीय आयुध डिपुओं जो किसी केन्द्रीय स्वचालन नीति के बिना कार्य कर रहा है, में स्वचालन की गति बहुत धीमी, अवरूद्ध व अधूरी रही है जैसा कि इन डिपुओं में कम्प्यूटरीकरण की स्थिति से देखा जा सकता है जिसका संक्षेप में नीचे वर्णन किया गया है:

डिपू का नाम	स्वचालन की स्थिति
केन्द्रीय आयुध डिपू आगरा	धारित 26 व्यैक्तिक कम्प्यूटरों का वेतन बिल बनाने, नियंत्रण कार्य और सीमित प्रबन्धन सूचना प्रणाली के लिए उपयोग किया जा रहा था ।
केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी	स्वचालित डाटा प्रक्रिया (ए.डी.पी.) शाखा के रूप में जानी जाने वाली एक अलग शाखा पिछले 32 वर्षों से कार्य कर रही है। कुल 1,03,894 मदों में से 60,000 मदों की प्राप्तियां, निर्गमन तथा देय के कार्य का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका था ।

	प्रावधान से संबंधित गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण के बारे में भी बताया गया था । तथापि अधिक प्रावधान से बचने के लिए तैयार की गई विवरणियों की अभी तक मानवीय पुनः जाँच की जाती थी । आश्चर्यजनक बात यह है कि कम्प्यूटर द्वारा तैयार की गई मांगों में मानवीय जाँच के बाद बड़ी प्रतिशतता में परिवर्तन होते थे ।
केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर	समकालिक जाँच, चयनित भण्डारसूची नियंत्रण, स्थानीय क्रय और अप्रचलित/अप्रयुक्तप्राय मदों की पहचान जैसी गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण किया जा चुका था ।
केन्द्रीय आयुध डिपू कानपुर	उपलब्ध 17 वैक्तिक कम्प्यूटरों का प्राप्तियों/ निर्गमनों तथा डयूज आउट अभिलेखों के रखरखाव जैसे कार्यों के लिए प्रयोग किए गए थे।
केन्द्रीय आयुध शस्त्र बल वाहन डिपू किरकी	कुल डाटा बेस बनाने तथा शब्द प्रक्रियाकरण के लिए उपलब्ध 8 व्यैक्तिक कम्प्यूटर उपयोग में थे।

जबकि डिपुओं में व्यैक्तिक कम्प्यूटरों का प्रवर्तन निसंदेह कम्प्यूटर के प्रति जागरूकता का साधन तैयार करने में सहायक था वहीं एक डिपू से दूसरे डिपू में उपयोग की पद्धति भिन्न थी । विभिन्न डिपुओं में विकसित नमूनों में भारी अंतर था तथा इन्हें जब डिपुओं में ले जाया जायेगा तो वे सी.आई.सी.पी. का अंग नहीं हो पायेंगे। इसके अतिरिक्त विकासीय कार्यों को आगे बढ़ाने तथा किये गये प्रयासों का एकीकरण करने के प्रयत्न का कम्प्यूटर ज्ञान कार्यबल का अभाव वर्षों से किए गये प्रयासों को बेकार बना देगें।

(ख) कम्प्यूटरीकृत भण्डारसूची नियंत्रण परियोजना (सी.आई.सी.पी.)

सी.आई.सी.पी. को रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च शक्तियुक्त समिति के साथ इसकी प्रगति को मानीटर करने के लिए 1994 में चालू किया गया था। सी.आई.सी.पी. का मुख्य उद्देश्य सेना आयुध और मंत्रालय की सभी इकाईयों को जोड़ते हुए निर्धारित 5 वर्ष की अवधि में रिलेशनल डाटा आधार प्रबंधन प्रणाली (आर.डी.बी.एम.एस.) आधारित कम्प्यूटरीकृत भण्डारसूची प्रबंधन प्रणाली बहु प्रयोक्ता सक्रिय संचालन प्रक्रिया के एक नेटवर्क का विकास करना था। इससे मिलने वाले संभावित लाभों की लम्बी सूची में, भण्डारसूची में कमी करके 374 करोड़ रुपये की आर्थिक बचत, परिसम्पत्तियों की अच्छी दृश्यता , ग्राहकों में विश्वास व संतुष्टि में सुधार, सीमित हानि कुशल प्रबंधन के लिए सक्रिय एम.आई.एस., भण्डार सूची धारण मूल्य में कमी, सैन्य गतिविधियों की आवश्यकताओं पर तुरन्त प्रतिक्रिया, वाहन खराब होने, उपस्करों के निष्क्रिय होने के समय में कमी लाना, अप्रचलित भण्डारसूची का तेजी से हटाया जाना, मानवशक्ति व साधनों का बेहतर उपयोग और विद्यमान मानवशक्ति में 1650 की कमी करने, केवल

जिसके परिणामस्वरूप 1994 के वेतन के स्तर पर 5.94 करोड़ रुपये की मानव शक्ति लागत की कमी होने की संभावना, सम्मिलित थी।

निर्धारित समय से बहुत पीछे चल रही परियोजना को क्रियान्वयन के उद्देश्य से तीन अवस्थाओं में बाँटा गया था और जैसा सेना मुख्यालय ने जनवरी 2000 में बताया, अब निम्न प्रकार पूर्ण होगी ।

सारणी 8.1 कम्प्यूटरीकृत भण्डारसूची नियंत्रण परियोजना (सी.आई.सी.पी.) की अनुमानित लागत और पूर्ण होने की संभावित समय सूची

(लागत करोड़ रूपये में)

अवस्था	उद्देश्य	अनुमानित लागत	तक लागू होनी है ।
I.	सीओडी दिल्ली छावनी के लिए सक्रिय भण्डारसूची प्रबंधन प्रणाली और सेना मुख्यालय व रक्षा मंत्रालय के लिए एम.आई.एस. को विकसित करने के लिए पायलट परियोजना	12	2001
II.	दूसरे केन्द्रीय आयुध डिपुओं व चयनित क्षेत्रीय आयुध डिपुओं तक पायलट प्रणाली को पहुँचाना	40	2002
III.	शेष क्षेत्रीय आयुध डिपुओं/डिव आयुध इकाईयों में प्रणाली का क्रियान्वयन	25	2003

यद्यपि 1993 में परियोजना की अनुमानित लागत 53.52 करोड़ रुपये थी और इसे 77 करोड़ रुपये के लिए संशोधित कर दिया गया था, परियोजना के लिए सक्षम अधिकारी, तब राजनितिक मामलों पर मंत्री परिषद् की समिति की स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। मंत्रालय का विचार था कि दो डिपुओं में पायलट परियोजना के सफल क्रियान्वयन के बाद अन्य डिपुओं में परियोजना को लागू करने की अवस्था में सक्षम अधिकारी की संस्वीकृति ली जा सकती थी। फिर भी इसके सफल और यथासमय पूर्ण करने के प्रति उच्च स्तर को सम्मिलित करने एवं वचनबद्धता को सुनिश्चित करने के लिए प्रथम अवस्था के सफलपूर्वक पूर्ण होने की प्रतीक्षा करने की बजाए, इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सक्षम अधिकारी की अनुमोदन आरंभ में ही लेना चाहिए था।

(ग) स्वचालन की कमी का प्रभाव

सभी संबंधित इकाईयों को एक सूत्र करते हुए प्रभावी सक्रिय स्वचालन की कमी का प्रणाली के संचालन और उपभोक्ता की संतुष्टि पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि इनका विस्तार से उल्लेख इस प्रतिवेदन में अन्य स्थान पर किया गया है फिर भी स्वचालन की आवश्यकता की विशिष्टता दर्शाने के लिए इनमें से कुछ को नीचे बताया गया है।

i) भण्डार दृश्यता

वर्तमान प्रणाली मैक्रो और माइक्रो दोनों स्तरों पर स्पष्ट भण्डार दृश्यता नहीं बताती है। लेखा परीक्षा द्वारा पूछे गये एक प्रश्न कि क्या वर्तमान व्यवस्था में किसी दिए गये मद की कुल मात्रा, वजन और मूल्य को 'क' श्रेणी के भण्डारों को छोड़कर देशभर के आधार पर उचित समय में उचित यर्थाथता के साथ जाना जा सकता है, आयुध सेवाएं ने नकारात्मक उत्तर दिया। ऐसी सूचनाएँ एकत्रित करने के लिए प्रणाली में कोई प्रदत्त डिजाइन विशेषता नहीं है। निसंदेह केवल कम्प्यूटरीकरण ही इसका समाधान है।

ii) चयनित भण्डारसूची नियंत्रण

चयनित भंडारसूची नियंत्रण उपायों की कवायद के लिए स्वचालन एक वरदान साबित होगा जो प्रचुर मात्रा और प्रकार में भण्डारों की व्यवस्था करने वाले संगठनों की भण्डारसूची को नियंत्रण में करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकियों की सुस्थापित व्यवस्था है। इन तकनीकों की आधारभूत पहुंच की ओर प्रबंधन का ध्यान आकर्षित करती है जो महत्वपूर्ण तथा मंहगी है या दोनों तथा जिनकी उपलब्धता जब शेष मदों को सामान्य नियंत्रणों पर छोड़ दिया जाए तो समस्याजनक हो सकती है।

इन तकनीकों के क्रियान्वयन में आयुध सेवाओं द्वारा भूतकाल में किये गये प्रयासों के दौरान सामने आई समस्याओं का उल्लेख इस प्रतिवेदन में अन्य स्थान पर किया जा चुका है तथा व्यवस्थित किए जा रहे आंकड़ों की विशालता और भण्डारसूची की छटनी की आवश्यकता जो इन पद्धतियों को लागू करने की मांगें हैं, को रोके हुए हैं।

कम्प्यूटरीकरण से आंकड़ों का विश्लेषण सही और तेजी से होगा और भण्डारसूची मदों का उनके महत्व, लागत और आसानी से उपलब्धता के आधार पर चयनित उपचारी उपायों की अनुमति देगा। तब विभिन्न श्रेणियों की मदों का विभिन्न अंतराल पर प्रावधान पुनरीक्षा करना संभव होगा तथा अंत में चिरस्थाई पुनरीक्षा प्रणाली की ओर अग्रसर होगा जहाँ भण्डारसूची की प्रत्येक एक मद सामूहित नीतियों की आवश्यकतानुसार प्रावधान व निपटान की कार्यवाई शुरू करने पर कम्प्यूटर निगरानी रखेगा।

iii) प्रावधान पुनरीक्षा

प्रावधान पुनरीक्षा में पुर्जों की आवश्यकता और उनके वितरण के पूर्वानुमान की वर्णित और अवर्णित कमी को इस प्रतिवेदन में व्यापक तौर पर अन्य स्थान पर बताया गया है। महत्वपूर्ण संशोधन तथ्यों की गणना में गणितीय गलतियों के कुछ उदाहरण मिले जिससे भंडारों का अधिक प्रावधान हुआ।

बिखरे हुए भण्डारों और युद्ध हानि रिजर्व जैसी महत्वपूर्ण इनपुट प्रावधान पुनरीक्षा के दौरान मानवीय भूलों के कारण छोड़ दी गई थी। अतः पुनः अधिक प्रावधान हुआ।

वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवाएं ने अप्रैल 1994 में सेना आयुध कोर के शीघ्र स्वचालन से सहमत होते हुए उदाहरण प्रस्तुत किया कि मानवीय प्रणाली द्वारा तैयार मांगों की गणना में गलती के कारण ही टैंक 'क' और 'ख' के 27.74 करोड़ रुपये के वास्तविक आवश्यकता के पुर्जों के स्थान पर 90.55 करोड़ रुपये के पुर्जों के आयात किया गया।

यदि इन क्रियाकलापों को स्वचालित कर दिया जाये तो ऐसी घटनाओं को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

रायल आर्मी आयुध कोर ने वर्ष 1973-75 में स्वचालन के परिणामस्वरूप भंडार सूचियों में कमी करके 1.85 मिलीयन पौंडस की बचत की थी । निसंदेह, तब से और प्रगति व अधिक बचत की गई होगी।

iv) बड़ी मात्रा में निष्कासन/मांगों की वापसी

केन्द्रीय आयुध डिपू को मुख्यतया उनके आश्रित डिपुओं/कार्यशालाओं से बहुत बड़ी संख्या में मांगें प्राप्त होती हैं। लेखापरीक्षा में की गई गणना के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सी ओ डी आगरा में 19 प्रतिशत से लेकर सी ओ डी दिल्ली छावनी में 29 प्रतिशत तक मांगों का निष्कासन लिया गया था। यह मुख्यतया मांगकर्ता एजेन्सी व आपूर्तिकर्ता डिपुओं में सूचना के आदान प्रदान में कमी के कारण हुआ।

निसंदेह यह स्थिति उपभोक्ता की मांगों के यथासमय पूरा करने पर बुरा प्रभाव डालेगी। दोष प्राय मांग करने वाले स्तर पर उनको वांछित भण्डारों के लिए किस डिपू से सम्पर्क करना है के बारे में गलत जानकारी या उनकी अपनी आवश्यकता के भण्डारों के बारे में पर्याप्त सूचना की कमी के कारण पया गया। दोनों पक्षों की पहुँच योग्य स्वचालित आंकड़ों आधारित सूचना के आदान-प्रदान में वृद्धि इस समस्या को दूर कर देगी।

v) परेषिती से प्राप्ति वाऊचरों की प्रति संख्या 2 का प्राप्त न होना

परेषिती, भंडारों की प्राप्ति के रूप में निर्गमन वाऊचर की प्रति संख्या 2 को संबंधित जारी कर्ता डिपुओं को वापिस भेजते हैं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी डिपुओं में इन प्रतियों की प्राप्ति भारी मात्रा में बकाया थी।

इन परिस्थितियों में डिपू यह जानने में कि प्रयोक्ताओं को परेषण प्राप्त हुआ कि नहीं और डिपुओं द्वारा तैयार किए गये संबंधित रजिस्टरों में आंकड़ों का मिलान करने की स्थिति में नहीं थे । कम्प्यूटरीकृत वातावरण में ऐसे मामलों को आसानी से खोजा जा सकता है और स्वचलित अनुस्मारकों द्वारा तेजी से अनुसरण किया जा सकता है। यह जरूरी भी है क्योंकि प्रति संख्या 2 की प्राप्ति में देरी पारगमन में नुकसान/ चोरी के कारण हो सकती थी जिसकी तत्काल जाँच की आवश्यकता थी।

vi) भण्डार जाँच-पडताल विसंगतियों के समाधान में असाधारण देरी

भण्डार जाँच-पड़ताल के दौरान बहुत मात्रा में विसंगतियां पाई गईं जिनका समाधान किया जाना था। ये विसंगतियां निर्गम/प्राप्ति वाऊचरों को लेखा कार्डों में दर्ज करने में देरी, शायद वाऊचरों और दूसरे दस्तावेजों में अस्पष्ट प्रविष्टियों के कारण दर्ज करने में गलतियों के कारण हुई होगी।

कम्प्यूटरीकृत वातावरण में आंकड़ों के सक्रिय अपडेशन द्वारा ऐसी विसंगतियां का अच्छी तरह मानीटरन किया जा सकता है। विसंगतियों को आसानी से खोजा जा सकता है और उनका समाधान किया जा सकता है। इससे लिपिकीय प्रयासों में बहुत बचत होगी तथा सही भण्डार रिपोर्ट मिलेगी।

vii) प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.)

वर्तमान में प्रबंधन सूचना प्रणाली केन्द्रीय आयुध डिपुओं द्वारा सेना मुख्यालय को भेजी जाने वाली सामयिक रिपोर्ट्स व रिटर्नस के रूप में उपलब्ध थी । इनमें सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट महानिदेशक आयुध सेवाएं द्वारा त्रैमासिक आधार पर दी जाने वाली सांख्यिकी सार था । इन प्रतिवेदनों में दी जाने वाली सूचना जिसे मानिटरन व निर्णय लेने के उद्देश्य से प्रयोग किया जाता है, पूरी तरह विश्वसनीय नहीं थी । इन प्रतिवेदनों में केवल विंडो ड्रैसिंग जैसी सामग्री है जो गुमराह कर सकती थी । लेखापरीक्षा प्रयासों के उपरान्त भी प्रतिवेदनों में दिये गये आंकड़ों की सत्यता की पुष्टि के लिए उन स्त्रोत दस्तावेजों को नहीं खोज पाया जिनके आधार पर ये प्रतिवेदन बनाए गये थे। वर्तमान प्रणाली में लंबी कागजी कार्यवाई सम्मिलित है। मानवीय प्रणाली प्रबंधन की आवश्यकतानुसार अपवाद रिपोर्ट देने की अनुमति नहीं देती। प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रकृति से ऐतिहासिक है और इसीलिए मानीटरन के सक्रिय पक्ष के लिए कम महत्व रखती है।

भण्डारण सूची प्रबंधन की कार्य प्रणाली में सही और यथासमय सूचना देने हेतु इन डिपुओं में स्वचालन का मामला पूरी तरह स्थापित हो चुका है।

8.4 संस्तुतियां

(क) आयुध क्रियाक्लपों के लिए कम्प्यूटरीकरण की प्रक्रिया को तेज करने की आवश्यकता

(ख) सी.आई.सी.पी. के क्रियान्वयन के लिए निश्चित समय सीमा के निर्धारण की आवश्यकता

(ग) कम्प्यूटरीकृत वैंतावरण में प्रणाली की लेखापरीक्षा योग्यता को सुनिश्चित करने और इसे प्रणाली के विकास की अवस्था में विशेषताओं में सम्मिलित करने के लिए आडिट आवश्यकता सुनिश्चित करना

(घ) सभी आयुध इकाईयों को अवर्गीकृत सूचना भेजने के लिए तेजी से संचार सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। विभिन्न आयुध स्थापनाओं में मांगों के लिए इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज प्रपत्रों का प्रयोग तथा अन्य दैनिक आंकड़ों से आदान प्रदान की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए। वस्तुतः सामान की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/आयुध फैक्टरियों को आदेश देने के कार्य को भी भविष्य में इलैक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज द्वारा लिया जा सकता है बशर्ते इसका सुझाव अभी दिया जाता है तो।

8.5 रक्षा विभाग की प्रतिक्रिया

एम.जी.ओ. ने उपरोक्त सभी संस्तुतियों को स्वीकार कर लिया । मंत्रालय भी एम.जी.ओ. के दृष्टिकोण से सहमत हुआ ।

उपरोक्त संस्तुतियों पर प्रतिक्रिया क्रमवार नीचे दर्शायी गयी है:

(क) यह माना कि स्वचालीकरण में गति लाने की आवश्यकता है परन्तु इसके लागू करने में कोर का कोई नियंत्रण नहीं है । एम.जी.ओ. ने कहा कि लाल फीता शाही के कारण देरियाँ तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा प्रणाली के अनुमोदन में देरी स्वचालीकरण को आशानुरूप बनाने में मुख्य बाधायें थीं ।

(पैरा 8.6 (क))

(ख) स्वीकार किया और कहा कि दो वर्ष पहले से ही हो गई देरी को ध्यान में रखकर सी.आई.सी.पी. को लागू करने के निर्धारित समय सारणी पायलट परियोजना को दिसम्बर 2001 तक पूरी करने और ब्रिगेड आयुध यूनिटों/आयुध फील्ड पार्कों तक पैकेज को पहुंचाने के लिए दिसम्बर 2007 तक की है ।

(पैरा 8.6 (ख))

(ग) स्वीकार किया और स्पष्ट किया कि पैकेज में ""ऑन लाइन"" लेखापरीक्षा की सुविधा होगी । महानियंत्रक रक्षा लेखा से प्रणाली के विकास स्तर पर सक्रिय रूप से सम्मिलित होने के लिए अनुरोध किया गया था, परन्तु प्रतिक्रिया उतनी उत्साहवर्धक नहीं रही । सी.जी.डी.ए. ने प्रणाली की आवश्यक विशिष्टताओं को इनके प्रस्तुत करने के 6 माह के उपरांत भी मंजूरी नहीं दी है ।

(पैरा 8.6 (ग))

(घ) स्वीकार किया और यह विस्तृत में बताया कि सी.आई.सी.पी. लागू होने पर डब्ल्यू ए.एन. पर कार्य करेगी । ई.डी.आई. सुविधा की अधिप्राप्ति की जांच की जा रही थी और यदि लागत प्रभावी पाई गई तो इसे सभी आयुध यूनिटों में उपलब्ध कराया जाएगा । ई-कॉमर्स से डिपुओं और अन्य संगठनों के भलीभांति जुड़ जाने के पश्चात् डी.जी.ओ.एफ. और पी.एस.यू. को जोड़ा जाएगा ।

(पैरा 8.6 (घ))

8.6 उपसंहार

यह लेखापरीक्षा की समझ से परे है कि सी.आई.सी.पी. के त्वरित निष्पादन के लिए अधिकृत कमेटी गठित करने के बावजूद मंत्रालय द्वारा 1994 तक बाधायें दूर क्यों नहीं की जा सकी । लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि मंत्रालय और अधिकृत कमेटी सी.आई.सी.पी. जैसी आवश्यक परियोजना के निष्पादन में आगे और विलम्ब न होने देने के लिए आवश्यक कार्यावाई करें जिसके पूरा हो जाने पर आयुध और सम्पूर्ण थलसेना को बहुआयामी लाभ प्राप्त होने की आशा है । तीव्र गति से बदल रहे ई-कॉमर्स के परिदृश्य में वर्ष 2007 की लक्ष्य तिथि बहुत दूर है । लेखापरीक्षा का सुझाव है कि मंत्रालय परियोजना के प्रत्येक स्तर के मॉनीटरन सहित सी.आई.सी.पी. के अनिवार्य तत्वों को 31 मार्च 2002 तक लागू करने के लिए सुनिश्चित करें ।

अध्याय 9 : भंडार जाँच-पड़ताल

9.1 सार

वार्षिक स्टाक की जाँच और विसंगतियों का समाधान एक अनिवार्य आवश्यकता है।

डिपुओं द्वारा सत्यापित और नियंत्रक रक्षा लेखा द्वारा वार्षिक लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र में दर्शायी गई भण्डारसूचियों में मेल नहीं है। परिणामस्वरूप, डिपू के द्वारा धारित वास्तविक भंडारसूची को स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा स्टाक सत्यापन के विवरण, पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मदों के सत्यापन की प्रतिदिन निर्धारित गति को बढ़ाकर स्टॉक सत्यापन विद्यमान स्टाक पड़ताल दलों पर पड़ताल का कार्य बढ़ाकर उनकी यर्थातता को प्रभावित करके पूर्ण किया गया था । इसके अतिरिक्त आधिक्य/कमियों जैसी विसंगतियां समाधान के बिना रह जाती हैं। केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी में 14 करोड़ रुपये की विसंगतियों का समाधान नहीं हुआ है जिनमें से कुछ का समाधान लगभग दो दशकों से नहीं हुआ है। केन्द्रीय आयुध डिपू आगरा और केन्द्रीय सशस्त्र बल वाहन डिपू किरकी में पड़ी हुई सशस्त्र प्रणाली 'ग' और 'घ' की उनकी एक बड़ी भण्डार सूची प्राप्ति के चार वर्ष बाद भी बिना पहचान के पड़ी हुई है। रोचक बात यह है कि संबंधित नियंत्रक रक्षा लेखा के अपने प्रतिवेदनों से प्रकट होता है कि केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर में पिछले पाँच वर्षों के दौरान कोई स्टॉक सत्यापन नहीं किया गया था। फिर भी डिपू कोई बकाया बताये बिना ही अपनी भंडारसूचियों के 100 प्रतिशत स्टॉक सत्यापन की रिपोर्ट देती रही। मानव शक्ति की कमी स्टाक पड़ताल के लिए एक आम बहाना रहा है।

स्टॉक पड़ताल दल द्वारा किये गये स्टाक सत्यापन की पर्याप्तता और सत्यता की संबंधित पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा नमूना जाँच की जानी चाहिए। यदि इस कार्य के लिए मानव शक्ति नहीं मिलती है तो द्विवार्षिक या स्टाक सत्यापन चक्र अपनाने की संभावनाओं का पता लगाने की आवश्यकता है।

9.2 सामान्य

स्टॉक पड़ताल भंडार की सभी मदों की प्रत्यक्ष गिनती करने मापने या वजन करने और प्रत्यक्ष भंडार का भंडार लेखों से मिलान के लिए परिणामों को व्यवस्थित रूप में अभिलेखित करने की प्रक्रिया है।

प्रदत्त अनुदेशों के अनुसार आयुध सेवाओं में स्टॉक पड़ताल डिपू लेखा अधिकारी के नियंत्रण में की जाती है तथा धारित भण्डार की सही सूची तैयार करने का बाबत वास्तविक भंडारण व लेखा कार्ड शेषों में विसंगतियों का समाधान किया जाता है।

9.3 लेखापरीक्षा की आपत्तियां

(क) अविश्वसनीय स्टाक सत्यापन प्रक्रिया

(i) भंडार में धारित मदें

स्टॉक सत्यापन से संबंधित आंकड़ों की लेखापरीक्षा जांच से प्रतीत हुआ कि भंडार में धारित मदों की कुल संख्या की किसी भी हद तक स्पष्ट जानकारी नहीं थी।

स्टाक पड़ताल चक्र के प्रारंभ में धारित मदों की संख्या और सभी डिपुओं के बारे में महानिदेशक आयुध सेवाओं की सांख्यिकी सारांश में दिखाई गई संख्या का विवरण संलग्नक 'एच' में दिया गया है।

इन प्रतिवेदनों के अनुसार सभी डिपुओं में स्टॉक पड़ताल सभी तरह पूरी कर ली गई थी। इन आंकड़ों पर विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि 1994-99 के दौरान मार्च माह की सांख्यिकी रिपोर्ट में केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर के बारे में दिए गये आंकड़ों की नमूना जाँच दूसरी तस्वीर प्रस्तुत करती थी । केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी के सम्बन्ध में भी महानिदेशक आयुध सेवाओं की सांख्यिकी सारांश में दिये गये आंकड़ें व संबंधित नियंत्रक रक्षा लेखा द्वारा जारी किये गये वार्षिक लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र में भी यही स्थिति दर्शाई गई थी । विवरण नीचे दिया गया है;

सारणी 9.1 केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर में 1994-99 के दौरान स्टॉक की जाँच के चक्र के प्रारंभ में भंडार में धारित मदों की संख्या के बारे में दिये गये आंकड़ों में भिन्नता

वर्ष	स्टाक जांच-पड़ताल चक्र के प्रारंभ में भंडार में धारित मदें	
	महानिदेशक आयुध सेवाओं के वार्षिक सांख्यिकी सारांश के अनुसार	डिपू की मार्च माह की सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार
1994-95	54910	71534
1995-96	55177	72099
1996-97	53238	70731
1997-98	56488	74507
1998-99	58133	74992

रोचक तथ्य यह है कि सम्बन्धित नियंत्रक रक्षा लेखा की रिपोर्ट प्रकट करती थी कि केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान स्टॉक की जाँच नहीं की गई थी।

सारणी 9.2 केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी द्वारा स्टॉक सत्यापन के दिए गये आंकड़ों और 1994-99 के दौरान नियंत्रक रक्षा लेखा द्वारा जारी किए गये वार्षिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के आंकड़ों में भिन्नता;

वर्ष	स्टाक पड़ताल की मदें	
	महानिदेशक आयुध सेवाएं के सांख्यिकी सारांश के अनुसार	वार्षिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र के अनुसार
1994-95	73798	1,00,131
1995-96	72126	उपलब्ध नहीं
1996-97	75602	1,01,582
1997-98	85030	1,06,178
1998-99	79507	1,00,852

केन्द्रीय सशस्त्र बल वाहन डिपू किरकी में प्राप्त वाऊचरों की अगस्त 1999 में नमूना जाँच के दौरान एक आपत्ति द्वारा इन विसंगतियों पर और भी प्रकाश डाला गया था जिसके अनुसार 1986 के आधार मूल्य पर 3.26 करोड़ रुपये लागत की अधिप्राप्त 51 डिस्कों को जुलाई 1988 से स्टॉक में रखा तो गया था परन्तु अगस्त 1999 में लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने तक चार्ज में नहीं लिया गया था। वस्तुतः तौर पर ये भंडार स्टाक जाँच-पड़ताल दल को एक दशक से अधिक तक अदृष्ट रहे तथा इस प्रकार इनका लेखांकन नहीं हुआ।

ii) गणना की जाने वाली मदों की संख्याः

महानिदेशक आयुध सेवाओं के सांख्यिकी सारांश में और केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर की माह मार्च 1994-99 की सांख्यिकी रिपोर्ट में दिये गए आंकडों के अनुसार गणना योग्य मदों की संख्या तथा उनके शेष के बारे में आंकड़ों की तुलना को नीचे विवरणित किया गया है;

सारणी 9.3 केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर में वर्ष 1994-99 के दौरान स्टॉक पड़ताल किये जाने वाले मदों की संख्या के बारे में आंकडों में भिन्नता

वर्ष	महानिदेशक आयुध सेवाओं के सांख्यिकीय सार के अनुसार	माह मार्च के सांख्यिकी प्रतिवेदन के अनुसार
1994-95	शून्य	4090
1995-96	शून्य	1000
1996-97	1301	1996
1997-98	शून्य	शून्य
1998-99	शून्य	2713

केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर में स्टाक-पड़ताल से सम्बन्धित मामलों की आगे की गई जाँच के परिणामों को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इससे प्रतीत होता है कि डिपू प्रकोष्ठों में प्रभावी तौर पर संगठित नहीं थी जैसा प्रक्रिया के अनुसार वांछित है। प्रकट रूप में स्टाक की कमी मुख्य कारण है। डिपू द्वारा स्टॉक पड़ताल पर लगाये गये स्टाक की संख्या का ब्यौरा नीच हैः-

सारणी 9.4 केन्द्रीय आयुध भण्डार जबलपुर में स्टॉक मिलान पर लगाई गई मानव शक्ति की स्थिति

श्रेणी	प्रस्तावित	स्वीकृत	तैनात	कमी
लिपिकीय स्थापना	12	7	3	9
स्टॉक पड़ताल कर्मचारी	43	30	21	22
एन.सी.ओ.	0	5	1	4

उपर्युक्त से यह देखा गया कि मानदंड एवं कार्य भार के आधार पर प्रस्तावित संख्या की तुलना में स्टॉक सत्यापन पर स्टाफ की तैनाती आवश्यकता से बहुत कम थी जो स्टॉक पड़ताल चक्र की दक्षता व निष्पादन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करेगी। मानदंडों के अनुसार प्रत्येक स्टोर कीपर को प्रतिदिन छह मदों की प्रत्यक्ष पड़ताल करनी है जबकि केन्द्रीय आयुध डिपो जबलपुर के वितरण रजिस्टर में एक स्टोरकीपर द्वारा प्रतिदिन 20 से 60 मदों की प्रत्यक्ष पड़ताल करना दिखाया गया है, जो दर्शाता है कि सम्भवतया गति के लिए स्टॉक पड़ताल की यर्थातता को त्याग दिया गया था। केन्द्रीय आयुध डिपू आगरा में भी यद्यपि कम मात्रा में कुछ ऐसी ही स्थिति पाई गई थी।

अतः लेखापरीक्षा का मत है कि अधिकांश डिपुओं में एक क्रियाकलाप के रूप में स्टॉक पडताल प्रायः उपेक्षित है।

iii) असमान भण्डार पड़ताल चक्र

केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर में विभिन्न तिमाहियों में स्टॉक पड़ताल के लिए मदों के वितरण को बहुत असमान पाया गया जैसा नीचे सारणी में दिया गया है;

सारणी 9.5 केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर में 1994-99 के दौरान असमान स्टॉक पड़ताल चक्र

वर्ष	**स्टॉक पड़ताल चक्र के प्रारंभ में भंडार में मदें**	**समाप्त तिमाही के दौरान जाँची गई मदें**			
		जून	सितम्बर	दिसम्बर	मार्च
1994-95	54910	शून्य	9960	17100	27850
1995-96	55177	794	18640	17830	17913
1996-97	53238	240	15160	11840	24697
1997-98	56468	शून्य	15070	14420	26998
1998-99	57133	शून्य	15320	15396	27417

इस तथ्य को देखते हुये कि वर्ष की अंतिम दो तिमाहियों में स्टॉक पड़ताल अनुभाग के कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि नहीं की गई थी यह संदेह उत्पन्न होता है कि क्या वास्तव में संतोषजनक रूप में स्टॉक पड़ताल की गयी थी।

iv) शस्त्र प्रणाली 'ग' और 'घ' के पहचाने न गये भंडारों की लम्बित स्टाक पड़ताल

शस्त्र प्रणाली 'ग' और 'घ' का क्रमशः 1973 और 1984 में सेवा में प्रवर्तन किया गया था। केन्द्रीय आयुध डिपू आगरा और केन्द्रीय सशस्त्र बल वाहन डिपो किरकी, दोनो डिपू जून 1986 तक इन प्रणालियों के पुर्जों के भण्डारण के लिए उत्तरदायी थे। जुलाई 1986 में सेना मुख्यालय ने मंत्रालय की अनुमति के बिना ही मेरठ में तदर्थ आधार पर एक नया केन्द्रीय आयुध डिपू बनाया और इन प्रणालियों से सम्बन्धित सभी भंडार/पुर्जों को केन्द्रीय आयुध डिपू आगरा व केन्द्रीय सशस्त्र बल वाहन डिपू किरकी से नयी केन्द्रीय आयुध डिपू को स्थानांतरित कर दिया। यह तदर्थ व्यवस्था जारी रही और सितम्बर 1996 में सेना मुख्यालय ने आदेश जारी करके केन्द्रीय आयुध डिपू मेरठ को बन्द कर दिया तथा पुर्जों को वापिस केन्द्रीय आयुध डिपू आगरा और केन्द्रीय सशस्त्र बल वाहन डिपू किरकी को वापिस स्थानांतरित कर दिया। स्थानांतरण दिसम्बर 1996 में पूर्ण हुआ। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय आयुध डिपू मेरठ द्वारा वापिस भेजे गये पुर्जे केन्द्रीय आयुध डिपू आगरा व केन्द्रीय सशस्त्र बल वाहन डिपू किरकी में एक बड़ी मात्रा में बिना लेबल की अवस्था में प्राप्त हुये, इसके अतिरिक्त दो विभिन्न प्रणालियों के पुर्जों का मिश्रण हो गया। इसके फलस्वरूप प्राप्तकर्ता डिपुओं में स्थिति अस्त व्यस्त हो

गई और इन भण्डारों की पहचान करना एक अति कठिन कार्य हो गया। अप्रैल 2000 तक पहचाने न जा सके कुल भण्डार निम्न प्रकार थे;

सारणी 9.6 सी.ओ.डी. आगरा और सी.एफ.वी.डी. किरकी के उत्तरदायित्व की शस्त्र प्रणाली 'ग' और 'घ' के न पहचाने गये मदों की स्थिति

डिपू का नाम	कुल प्राप्त मदें		कुल पहचानी न जा सकी मदें	
	शस्त्र प्रणाली 'ग'	शस्त्र प्रणाली 'घ'	शस्त्र प्रणाली 'ग'	शस्त्र प्रणाली 'घ'
केन्द्रीय आयुध डिपू आगरा	5287	904	691	शून्य
केन्द्रीय सशस्त्र बल वाहन डिपू, किरकी[1]	3987	2495	1100	1429
कुल	9274	3399	1791	1429
पहचाने न जा सके भण्डारों का प्रतिशत			19	42

पहचाने न जा सके भण्डारों की समस्या काफी विचारणीय थी क्योंकि यह प्रयोक्ता की संतुष्टि और प्रावधान पर बुरा असर डालती थी, यह स्टॉक की जाँच प्रक्रिया को भी प्रभावित करती थी। रोचक तथ्य यह है कि यद्यपि डिपुओं ने केन्द्रीय आयुध डिपू मेरठ से प्राप्त वाऊचरों के आधार पर इन मदों की खातों में प्रविष्टि कर ली थी फिर भी तीन वर्ष से अधिक समय तक अपने स्टॉक सत्यापन में इन्हें बकाया नहीं दिखाया था। इन भंडारों का सत्यापन न करने की छूट के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा यह नहीं समझ पाया कि इन मदों की पहचान किये बिना डिपू किस तरह स्टाक पड़ताल का कार्य पूरा कर सके।

(ख) बढ़ती विसंगतियां

डिपुओं द्वारा स्टॉक पड़ताल चक्र के अंत में बतायी गई पिछली पाँच वर्षों की बकाया विसंगतियों की स्थिति को नीचे दिया है;

सारणी 9.7 पुनरीक्षाधीन डिपुओं में 1994 से 1999 के दौरान स्टॉक पड़ताल के बाद विसंगतियों में वृद्धि पाई गई

वर्ष	सी ओ डी आगरा	सी ओ डी दिल्ली छावनी	सी ओ डी जबलपुर	सी ओ डी. कानपुर	सी ए एफ वी डी किरकी
1994-95	5106	205	4285	61	शून्य
1995-96	5081	396	5215	46	शून्य
1996-97	5085	309	3941	61	शून्य
1997-98	शून्य	986	5526	110	शुन्य
1998-99	33	1026	5428	55	शून्य

[1] 01जनवरी 2000 की स्थिति

यद्यपि केन्द्रीय सशस्त्र बल वाहन डिपू किरकी ने समाधान के लिए शेष कोईविसंगतियाँ नहीं बतायी थीं फिर भी निदेशक आयुध सेवाएं द्वारा फरवरी 1998 में किए गए आंतरिक निरीक्षण में 1997-98 के 7830 मामलों के अतिरिक्त 1995-96 के 242 मामले तथा 1996-97 के 2259 मामले समाधान के लिए शेष प्रकाश में आये थे। इसी तरह केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर और केन्द्रीय आयुध डिपू कानपुर में क्रमशः 1993-94 और 1983-84 से विसंगतियाँ समाधान के लिए मार्च 1999 तक लम्बित थीं। केन्द्रीय आयुध डिपू आगरा में फरवरी 1999 में आंतरिक निरीक्षण में पाया गया कि ऐसी अनेक विसंगतियां समाधान के लिए बकाया थीं जिनकी संख्या के बारे में भी ज्ञान नहीं था।

केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी के द्वारा नियंत्रक रक्षा लेखा चण्डीगढ़ के वार्षिक लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र में सम्मिलित करने के लिए भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार 1983-84 से 1993-94 तक की अवधि से सम्बन्धित मदें समाधान के लिए लम्बित थीं। इसमें 608 फालतू तथा 859 कमियों से सम्बन्धित मदें शामिल थीं 1994-95 से 1998-99 तक स्टॉक पड़ताल चक्र के दौरान पाये गये आधिक्य व कमियों को कुल मिलाकर सितम्बर 1999 को 9.06 करोड़ रुपये की 921 मदों का आधिक्य व 14.17 करोड़ रुपये की 1913 मदों की कमी थी।

केन्द्रीय आयुध डिपू कानपुर में सामान्य भण्डार व वस्त्र मदों में 1995-96 औरं 1996-97 में क्रमशः 24.47 लाख ओर 1.18 लाख रुपये लागत की कमियां थीं। 1996-97 के लिए 3.51 रुपये का आधिक्य था।

यह सोचकर कि लेखापरीक्षा की अवधि पिछले केवल पाँच वर्षों के लिए थी, दूसरी डिपुओं में 1994-95 से पूर्व के लम्बित बकायों का पता लगाने के लिए इस तरह का प्रयास नहीं किया गया था।

9.4 संस्तुतियाँ

(क) स्टॉक पड़ताल दल द्वारा किए गए स्टॉक सत्यापन की यर्थातता का पर्यवेक्षण स्तर पर सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है। अतः लेखापरीक्षा में संस्तुति की जाती है कि स्टॉक पड़ताल दल के द्वारा स्टॉक सत्यापन करने के तुरंत बाद पर्यवेक्षक स्तर पर उसी दिन पड़ताल की गई मदों में से कुछ मदों की पुनः संक्रमिक जाँच की जानी चाहिए और स्टाक पड़ताल दल की लापरवाही के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु विसंगतियां की जाँच की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया को अभिलेखित भी किया जाना चाहिए।

(ख) विद्यमान स्थापना को कम करने का सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध स्टाफ के साथ, यर्थातता से समझौता किए बिना वार्षिक आधार पर स्टॉक पड़ताल पूर्ण नहीं हो सकता है तो आयुध सेवाएं कार्य भार कम करने के

लिए वार्षिक स्टॉक पड़ताल को द्विवार्षिक चक्र में बदलने या चयनित भंडारण सूची नियंत्रण तकनीकी के प्रकार जैसे किसी विकल्प पर विचार किया जाना चाहिए।

9.5 रक्षा विभाग की प्रतिक्रिया

उपरोक्त संस्तुतियों पर एम.जी.ओ. की प्रतिक्रिया निम्न प्रकार है:

(क) सहमत न होते हुए यह तर्क दिया कि भंडार जांच पड़ताल की वर्तमान प्रणाली में आन्तरिक जांच और शेष सन्निहित हैं ।

(पैरा 9.4 (क))

(ख) सहमत हुआ और यह माना कि अन्य क्रियाकलापों जो युद्ध की तैयारियों को प्रभावित करतीं हैं की अपेक्षा भंडार जांच पड़ताल को नीची प्राथमिकता प्रदान की गई है और डिपुओं में मानव शक्ति की कमी के कारण यह प्रस्ताव दिया कि भंडार सत्यापन के वर्तमान वार्षिक चक्र के स्थान पर निम्न प्रकार की विभिन्न अवधियों को अपनाया जाएं:

'ए'/'एफ' मदें - वार्षिक
'बी'/'एन' " द्विवार्षिक
'सी'/'एस' " त्रिवार्षिक

(पैरा 9.4 (ख))

9.6 उपसंहार

लेखापरीक्षा का सुझाव है कि विद्यमान स्टाफ में कमी के दृष्टिगत एम.जी.ओ. द्वारा प्रस्तावित वर्तमान भंडार जांच पड़ताल चक्र को प्रयोगात्मक तौर पर प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिए लागू करने के लिए विचार करना चाहिए, तथापि परिवर्तन में भंडार की भौतिक आकस्मिक/नमूना जांच में द्विवार्षिक एवं त्रिवार्षिक में आने वाली मदों से अधिक नमूने लेने की एक न्यायोचित मिश्रित प्रणाली होनी चाहिए, जो सम्भावित चोरी और भंडारों के दुरूपयोग को रोकने का कार्य करेगा । इस प्रणाली में नमूने/आकस्मिक जांचों के दस्तावेज रखे जाने चाहिए और इन दस्तावेजों की लेखापरीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए । भंडार जांच पड़ताल में गलतियों के लिए सदैव अनुशासनात्मक कार्यवाई की जानी चाहिए ।

यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना महत्वपूर्ण है कि नई भंडार जांच पड़ताल प्रक्रिया अपनायी जाने पर पुनः नीची प्राथमिकता में न धकेल दिया जाएं क्योंकि भविष्य में प्रावधान की सम्पूर्ण योजना उपलब्ध भंडार स्तरों पर निर्भर करती है, भंडार जांच पड़ताल में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है ।

अध्याय 10 : प्रयोक्ता संतुष्टि

10.1 सार

आश्रित इकाईयों को सही सामान, सही समय पर सही स्थान पर आपूर्ति करना सेना आयुध कोर का मुख्य ध्येय है।

भंडारों की 12 से 40 प्रतिशत के बीच निरंतर अनुपलब्धता और एक से 48 महीनों के बीच उनकी मांगों की पूर्ति करने में निरंतर देरी के कारण आयुध सेवाएं ग्राहकों की संतुष्टि के उच्च स्तर के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही है। महत्वपूर्ण व आवश्यक पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण ग्राहकों (ई.एम.ई.) का ओवरहाल कार्यक्रम प्रभावित हुये थे। विशेषतायें पूरी न करने पर भण्डारों के अस्वीकरण के मामले एक सामान्य घटना थी। मांगों की छंटनी में मूल्यवान श्रम घंटों की हानि हुई तथा 30 से 40 प्रतिशत मांगें पंजीकरण के लिए बकाया रहीं। कुछ मामलों में आपूर्ति होने के तीन वर्ष बाद भी प्राप्तकर्ताओं ने भण्डारों की प्राप्ति की सूचना नहीं दी थी। काल्पनिक शीर्षकों की वांछित छंटनी करने के लिए ड्यूज आउट की अनिवार्य जांच और मांगों की पूर्ति के लिए वैकल्पिक उपायों की खोज शेष प्रायः थे। केन्द्रीय आयुध डिपुओं सेना मुख्यालय और आश्रित इकाईयों के बीच वास्तविक समय आंकडों के सम्पर्क की अनुपस्थिति रूकावट का कारण थी।

उपयुक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा उपलब्धता व भण्डारण दृश्यता को बढ़ाना और प्रभोक्ताओं को सही समय पर भण्डार जारी करना प्रणाली की चिन्हित आवश्यकताएं हैं। गुणवत्ता मानदंडों को पूरा न करने पर भण्डारों के अस्वीकरण को रोकने के लिए महानिदेशक गुणवत्ता आवश्वासन की जांच को और कड़ा करने की आवश्यकता है।

10.2 सामान्य

आयुध सेवाएं प्रयोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सही गुणवत्ता व भण्डार की मात्रा सही समय पर जारी करके उपभोक्ता की संतुष्टी का उच्चतम स्तर को प्राप्त करने का प्रयास करती है। आयुध स्रोतों से भण्डारों की घटिया उपलब्धता उपभोक्ताओं का रोष बढ़ाती है तथा प्रायः एक बहु प्रचलित टिप्पणी के साथ होती है कि आयुध, सेवाएं उनका भण्डारण करती हैं जो उन्हें नहीं चाहिए तथा जो उन्हें चाहिए उनका भण्डारण नहीं करती। जैसा कि असंतुलित भण्डारसूची के अध्याय में बताया गया है कि केन्द्रीय आयुध डिपू, भण्डारों से भरे पड़े थे फिर भी मांगें पूरी करने में अक्षमता का उच्च प्रतिशत था। भण्डार उपलब्ध होने पर भी इन्हें निर्धारित समय में जारी नहीं किया जाता है। जबकि एक ओर डिपुओं में कुछ भण्डार सदियों तक के लिए थे वहीं दूसरी ओर सेना

को जारी करने के लिए भंडारण सूची की कुछ दूसरी मदें अनुपलब्ध थीं। धारित भंडारण सूची असंतुलित लगती थी।

10.3 प्रणाली की स्थिति

प्रत्येक केन्द्रीय आयुध डिपू, आयुध भण्डारों की विनिर्दिष्ट मदों की पूरे भारत में आपूर्ति करने, उनको थोक में रखने तथा आयुध डिपुओं फील्ड आयुध डिपुओं और ई.एम.ई. कार्यशालाओं के ओ.एस.एस. को पूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। सभी आर्मी बेस कार्यशालाएं केन्द्रीय आयुध डिपुओं के समीप स्थित हैं क्योंकि वे ही आयुध पुर्जों के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। मरम्मत/ओवरहाल कार्यक्रम आयुध भण्डारों की उपलब्धता से जुडे हुए हैं। दूसरे शब्दों में केन्द्रीय आयुध डिपुओं में पुर्जों की उपलब्धता का मरम्मत/ओवरहाल कार्यक्रम एवं इनकी सफलता से सीधा सम्बन्ध है। जैसा कि इस प्रतिवेदन के प्रस्तावना अध्याय में दिया गया है प्रत्येक केन्द्रीय आयुध डिपू का भण्डारण उत्तरदायित्व निश्चित है।

सेना मुख्यालय ने दिसम्बर 1972 में डिपू से भण्डारों को जारी करने का मानक समय निर्धारित किया था। इस निर्धारण के अनुसार मांगों के पंजीकरण से निर्गमन तक की समस्त प्रक्रिया में 22 दिन से अधिक नहीं लगने चाहिए। उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मानक समय को निम्नानुसार बांटा गया है

विभाग	कार्य की प्रवृत्ति	निर्धारित समय (दिन)
नियंत्रण शाखा	मांगों की प्राप्ति, छंटनी सत्यापन और पंजीकरण	3
सब-डिपु	यातायात शाखा को जारी करने के लिए भण्डारों को पहचानना एकत्रित करना और पैक करना	4
यातायात शाखा	परेषिती को प्रेषित करने के लिए प्रबंध करना	15
	कुल	22

उपर्युक्त अनुसूची का अनुपालन सुनिश्चित करने और देरी की जांच पड़ताल के लिए दस्तावेजों में दर्ज निर्गम समय जांच एक प्रक्रिया प्रचलित है। तथापि देरी के लिए उत्तरदायित्व की निश्चित करने तथा स्थिति में सुधार करने के लिए उपचारी/दंडात्मक कार्रवाई लिए नीतियों/कार्यप्रणालियों में कोई प्रावधान नहीं है।

10.4 लेखापरीक्षा की आपत्तियां

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पुनरीक्षित डिपू ग्राहक संतुष्टि के घोषित उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकी थीं। मांगों की संतुष्टि में कमी उपलब्ध भण्डारणों से भण्डारों को जारी करने में अनावश्यक विलंब और घटिया गुणवत्ता के भण्डारों को जारी करने

आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होने के कारण परेषिती के द्वारा उनका अनावश्यक अस्वीकरण हो जाता है। इन्हें अनुवर्ती पैराग्राफों में बताया गया है।

(क) निरंतर उच्च असमर्थता प्रतिशत

1994-99 के दौरान पुनरीक्षाधीन केन्द्रीय आयुध डिपुओं में मांग की संतुष्टि के लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह प्रकट हुआ कि यह धारणा कि डिपू भण्डारों से भरे पड़े थे लेकिन आवश्यकता भंडारों की पूर्ति करने में असमर्थ थे, कुछ हद तक सही था। 1994-99 के दौरान केन्द्रीय आयुध डिपुओं द्वारा आँकी गई औसत असमर्थता का प्रतिशत इस तरह थाः-

सारणी 10.1 पुनरीक्षाधीन डिपुओं द्वारा आश्रित इकाईयों को भण्डारों की आपूर्ति करने में असमर्थता का प्रतिशत

क्रम संख्या	डिपू का नाम	असमर्थता का प्रतिशत
1.	केन्द्रीय आयुध डिपु आगरा	16.20
2.	केन्द्रीय आयुध डिपु दिल्ली छावनी	19.54
3.	केन्द्रीय आयुध डिपू जबलपुर	4.70
4.	केन्द्रीय आयुध डिपू कानपुर	35.34
5.	केन्द्रीय सशस्त्र बल वाहन डिपू किरकी	25.62

डिपुओं ने असमर्थता का प्रतिशतता की गणना करने में नीचे दिये फार्मूले का पालन किया।

$$\text{असमर्थता प्रतिशत} = \frac{\text{कुल ड्यूज आउट शीर्ष} \times 100}{\text{कुल सीमित पी.आर.एफ}}$$

यह गणना माँग की संतुष्टि के प्राप्त स्तर को प्रतिबिम्बित नहीं करती। प्राप्त मांगों में से मांगों की पूर्ति की प्रतिशतता सही निष्पादन सूचक होगी। लेखापरीक्षा ने सी ए एफ वी डी किरकी में प्राप्त मांगों के संदर्भ में माँग संतुष्टि के स्तर का विश्लेषण किया और पाया कि उपलब्धता प्रतिशत से मांग संतुष्टि बहुत कम थी (100-असमर्थता का प्रतिशत) जैसा कि नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है;

सारणी 10.2 ए एफ वी डी किरकी द्वारा 1994-99 के दौरान प्राप्त मांगों और मांग पूर्ति का विवरण

वर्ष	मांगी गई मदों की संख्या	प्राप्त/वापिस की गई मदों की संख्या	मांग पर कुल मद	जारी की गई मदें	मांग पर कुल मदों के संदर्भ में निर्गमन प्रतिशत	मांगी गई मदों को जारी नहीं करने की प्रतिशत	डिपू द्वारा बताई गई असमर्थता की प्रतिशत
1994-95	84721	32261	52460	24868	47.40	52.60	20.1
1995-96	80512	15874	64638	30972	47.91	52.09	21.2
1996-97	86712	32432	54280	30216	55.66	44.34	26.0
1997-98	1,14704	35057	77647	27794	35.79	64.21	27.2
1998-99	92009	13132	78877	20176	25.57	74.43	33.60
औसत						57.53	25.62

इस प्रकार डिपुओं द्वारा निकाली गई असमर्थता प्रतिशतता का मांग संतुष्टिकरण स्तर से कोई संबंध नहीं था। क्योंकि आयुध सेवाओं का उद्देश्य मांग संतुष्टि के स्तर को उच्च बनाये रखना है अतः प्राप्त मांगों के प्रति मांगों की संतुष्टि की प्रतिशत ही वास्तविक निष्पादन सूचक होगी।

अतः जैसाकि इस प्रतिवेदन में अन्य स्थान पर बताया गया है, कुछ मामलों में डिपुओं के पास सदियों तक के लिए भण्डारण है जबकि वे एक बड़ी इकाईयों द्वारा मांगी गई मदों की मांगों को पूरी नहीं कर सकीं।

(ख) मांगों के पंजीकरण में देरी

डिपुओं द्वारा प्राप्त मांगों को दूसरे डिपुओं से संबंधित मांगों की छंटनी करने या अधूरे विवरण के साथ उपभोक्तओं को वापिस करने के बाद पंजीकृत किया जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी डिपुओं में बड़ी मात्रा में मांगों की छटनी/वापसी की घटना एक आम बात है। जैसाकि नीचे सारिणी में दिया गया है:

सारणी 10.3 पुनरीक्षाधीन डिपुओं द्वारा 1994-99 के दौरान प्राप्त/छटनी/वापिस की गई मांगों का सारांश

वर्ष	सी ओ डी आगरा		सी ओ डी दिल्ली छावनी		सी ओ डी जबलपर		सी ओ डी कानपुर		सी ए एफ वी डी किरकी	
	प्राप्त मांगें	छांटी गई मांगें	प्राप्त मांगें	छांटी गई मांगें	प्राप्त मांगें	छांटी गई मांगें	प्राप्त मांगें	छांटी गई मांगें	प्राप्त मांगें	छांटी गई मांगें
1994-95	64413	10525	72456	15723	32784	7082	64671	22644	84721	32261
1995-96	55044	9357	62700	14985	30252	7321	54090	8847	80512	15784
1996-97	59856	4077	54408	13893	35328	8055	61090	14416	86712	32432
1997-98	55668	3746	56940	17082	39420	9047	61392	16962	114704	37057
1998-99	58058	10973	80370	30460	40848	9947	59375	14171	92009	13132
औसत	58608	7735	65975	18429	35726	8290	60123	15408	91731	26151
प्रतिशतता	13.19		27.93		23.20		25.63		58.51	

जैसाकि कम्प्यूटरीकरण अध्याय में दिया है, यह शाश्वत समस्या उपभोक्ताओं और डिपुओं के मध्य कमजोर तालमेल के कारण थी। इसका उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति पर सीधा प्रभाव पड़ा क्योंकि मांगों को छांटने और उन्हें पुनः प्रेषित करने में संबंधित डिपुओं का कुछ समय बर्बाद होता था। तथापि, केन्द्रीय आयुध डिपू दिल्ली छावनी में मांगों की जाँच करने के बाद भी नियंत्रण शाखा द्वारा मांगों के पंजीकरण में देरी पाई गई जैसाकि नीचे दर्शाया गया है।

सारणी 10.4 के.आ. डिपू दिल्ली छावनी में नियंत्रण शाखा द्वारा मांगों के पंजीकरण में देरी

माह	संचयी मांग	माह में पंजीकृत मांगे	पंजीकरण की प्रतिशतता	पंजीकरण के लिए बकाया (प्रतिशतता)
मई 99	6367	3733	58.63	41.37
जून 99	7713	5306	68.79	31.21

छांटी गई मांगों के बारे में जांच निर्गम समय असामान्य रूप से अधिक हो गया है। सी ए एफ वी डी किरकी में जनवरी 1998 से मार्च 1999 के बीच प्राप्त 7227 मांगों में से 1393 मांगों जो 19.37 प्रतिशत थीं, को डिपो में उनकी प्राप्ति में देरी के कारण 3 से 24 माह तक की देरी के बाद पंजीकृत किया गया क्योंकि ये अधिकांश मांगे दूसरे डिपुओं द्वारा उद्धारित की गई थी।

(ग) भण्डारों के निर्गम में देरी

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जबकि मांग संतुष्टि की प्रतिशत तो कम रही ही थी, उपलब्ध भण्डारण से भण्डारों को जारी करने में 22 दिन की निर्धारित समय सीमा की तुलना में काफी देरी हुई थी। नीचे सारणी में दर्शाये गये आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है:

सारणी 11.5 पुनरीक्षाधीन सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर और सी ए एफ वी डी किरकी द्वारा उपभोक्ताओं को भंडारों के निर्गम में देरी

(देरी महीनों में)

डिपू का नाम	सैम्पल साइज	22 दिन की समय सीमा में निर्गमित	आदर्श समय से देरी						
			1 तक	1-3	4-6	7-12	13-24	25-36	37-48
सीओडी आगरा	145	3	61	73	8	-	-	-	-
सीओडी दिल्ली छावनी	235	-	10	131	61	30	3	-	-

सीओडी जबलपुर	399	-	6	214	146	33	-	-	-
सीओडी कानपुर	273	11	7	29	42	52	77	45	10
सीएएफडी किरकी	429	37	89	148	38	68	40	9	-
कुल सैम्पल साइज	1481	51	173	595	295	183	120	54	10
कुल सैम्पल के प्रति प्रतिशत	-	3.44	11.68	40.18	19.92	12.36	8.1	3.65	0.67

इस प्रकार 22 दिनों की निर्धारित समय सीमा में डिपू कदाचित ही मांगों की पूर्ति कर सकी। चयनित नमूनों के 40.18 प्रतिशत के बारे में एक से तीन महीनों की देरी थी। स्पष्ट रूप में सभी डिपुओं में देरी एक अपवाद के बजाए एक नियम था।

(घ) निष्क्रिय उपस्कर/खराब वाहन की मांगें

पुर्जों के अभाव में उपस्कर निष्क्रिय रहे हैं तथा वाहन खराब हो जाते हैं। ये दोनों स्थितियों ही अस्वीकार्य हैं तथा युद्ध की तैयारियों के दृष्टिकोण से समीक्षात्मक हैं। तदनुसार ऐसे मामलों को ठीक करने के लिए भण्डारों की मांगों को उच्च प्राथमिकता देनी होगी तथा ऐसी मांगों की कम से कम समय में पूर्ति के लिए सभी प्रयास करने होंगे। केन्द्रीय आयुध डिपू आगरा में ऐसी बकाया मांगों की स्थिति तीन वर्ष से अधिक की देरी दिखाती है जैसाकि नीचे दर्शाया गया है;

सारणी 10.6 वर्ष 1996-99 के दौरान सी ओ डी आगरा के उत्तरदायित्व के निष्क्रिय उपस्कर एवं खराब वाहन की मांगों में मदों की अनुपलब्धता का स्तर

मांगें प्राप्त होने का वर्ष	निष्क्रिय उपस्कर/खराब वाहन की मांगों में मदों की संख्या	असमर्थता की प्रतिशतता	
		मार्च 1999	जनवरी 2000
1996-97	2412	16	5
1997-98	2737	29	20
1998-99	2599	68	38

ऐसी मांगों की संतुष्टि में असाधारण देरी योद्धी वाहनों सहित युद्ध में काम आने वाले उपस्करों की अवस्था पर प्रभाव डालती है।

(ङ) ड्यूज-आउट की जांच करने में विफलता

विषय पर आदेशों के अनुसार डिपू के ड्यूज आउट जांच अनुभाग के निरंतरता के आधार पर प्रत्येक महीने ड्यूज आउट के अभिलेखों की पुनरीक्षा करनी चाहिए। इसका उद्देश्य मानवीय भूल से छूट गये या उनकी एवज में जारी की जाने वाली मदों के विकल्प को तलाशने के लिए ड्यूज आउट शीर्षकों की छंटनी करना है। प्रयोक्ताओं की संतुष्टि स्तर का वृद्धि में ड्यूज आउट जाँच का महत्वपूर्ण योगदान है।

लेखा परीक्षा ने पाया कि सभी डिपुओं में ड्यूज आउट शीर्षकों की अधिकता है। सी ओ डी दिल्ली छावनी में ड्यूज आउट अभिलेखों का रखरखाव इलैक्ट्रोनिक साधनों पर करने के परिणामस्वरूप जाँच अनुभाग बन्द कर दिया था। ड्यूज आउट जांच अनुभाग को बंद करने के लिए किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति नहीं ली गई थी। इस युक्ति में भी कि अभिलेखों का रखरखाव इलैक्ट्रानिक साधनों पर है अतः किसी ड्यूज आउट जाँच की आवश्यकता नहीं थी, तर्क एवं विश्वास की कमी थी क्योंकि ड्यूज आउट जाँच केवल अभिलेखों के अवलोकन तक ही सीमित नहीं है वरन् बकाया मांगों की पूर्ति हेतु यदि आवश्यक हुआ तो उपलब्ध भण्डार का सत्यापन करना भण्डार वापसी उप डिपों में मरम्मत योग्य भण्डारण का सर्वेक्षण करके प्रयोज्य/मरम्मत योग्य मदों की पुनः प्राप्ति करना तथा मरम्मत के बाद तुरंत जारी करने का प्रबंध करना इसके क्षेत्र में आता है।

सी ए एफ वी डी किरकी में 1994-95 से 1998-99 की अवधि में ड्यूज आउट जाँच के रुख में गिरावट आई थी और यह गिरावट 83.40 से बढ़कर 92.33 प्रतिशत हो गई थी। सी ओ डी आगरा में ड्यूज आउट मासिक जाँच का औसत 11.91 प्रतिशत था। सी ओ डी कानपुर में डिपू ने लेखा परीक्षा को ऐसे कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जिनसे यह पता चल सके कि वहां कभी ड्यूज आउट जांच भी की गई थी।

प्रावधानों की संहिता का अनुपालन करने में विफलता तथा प्रणाली को टूटने देना एक परेशानी उत्पन्न करने वाला रुख और इसका पता लगाने तथा नियमित करने की आवश्यकता है ताकि अव्यवस्थित स्थिति को ठीक किया जा सके।

(च) प्रभोक्ता द्वारा भण्डार की प्राप्ति की पुष्टि

परेषिती द्वारा भण्डारों की प्राप्ति की पुष्टि परेषिती द्वारा भण्डारों के पैकेज के साथ निर्गम वाऊचर की प्रति संख्या दो को वापिस भेजकर की जाती है। जारीकर्ता डिपुओं को ऐसी वापिसी को मानिटर करने की आवश्यकता है तथा विधिवत् पावती दर्शाते हुए प्राप्ति की प्रतियाँ वापिस आने तक मामले की प्रगति करनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परेषिती से प्राप्ति की प्रतियों के मिलने में भारी बकाया था। सी ओ डी आगरा और सी ए एफ वी डी किरकी में स्थिति इस तरह से थीः-

सारणी 10.7 सी ओ डी आगरा और सी ए एफ वी डी किरकी में निर्गम वाऊचारों की प्रति संख्या 2 प्राप्त नहीं होने की स्थिति

डिपो का नाम	31.3.2000 को वर्षों में बकाया			कुल
	1 से 2	2 से अधिक और 3 तक	3 से अधिक	
सी ओ डी आगरा	2658	607	146	3411
सी ए एफ वी डी किरकी	113	128	24	265

सी ओ डी दिल्ली छावनी और सी ओ डी कानपुर में 31 मार्च 1999 को तीन महीनों से अधिक से बकाया के आँकड़े क्रमशः 62313 और 5378 थे। सी ओ डी जबलपुर में 31 दिसम्बर 1999 को यह संख्या 18977 थी।

प्रति संख्या 2 की प्राप्ति न होने की पूरी जाँच की आवश्यकता है क्योंकि यह गलत परेषण पारगमन में नुकसान या चोरी के कारण हो सकती थी।

(छ) ई.एम.ई. की संतुष्टि

(i) मरम्मत/ओवरहाल का ई.एम.ई. कार्यक्रम पर प्रभाव

जैसाकि पहले बताया जा चुका है केन्द्रीय आयुध डिपुओं में अधिप्राप्त व भण्डारित पुर्जों के आर्मी बेस वर्कशाप प्रमुख उपभोक्ता हैं। आर्मी बेस वर्कशाप अपने वार्षिक मरम्मत/ओवरहाल लक्ष्य की योजना बनाते हैं और संबंधित केन्द्रीय आयुध डिपुओं में भण्डारों की सुनिश्चितता/उपलब्धता के आधार पर इसे स्थिर रूप देते हैं। लेखापरीक्षा विश्लेषण में पाया गया कि स्थिर किये गये लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया जा सके क्योंकि ओवरहाल/मरम्मत के लिए कुछ अति आवश्यक और महत्वपूर्ण पुर्जे केन्द्रीय आयुध भण्डारों से प्राप्त नहीं हो रहे थे।

कुछ अति आवश्यक और महत्वपूर्ण पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण ई.एम.ई. के मरम्मत/ओवरहाल के अंतिम रूप दिये गये कार्यक्रम पूरे नहीं हो सके। लक्ष्यों की प्राप्ति में ऐसी गिरावट एक से 100 प्रतिशत तक थी।

अति आवश्यक और महत्वपूर्ण भण्डारों की अनुपलब्धता के अलावा आपूरित भण्डार भी वर्कशाप में कई बार प्रयोग के लिए अनुपयुक्त पाये गये। केवल 1999 के दौरान आर्मी बेस वर्कशापों द्वारा भण्डारों के अस्वीकरण की घटनाओं को नीचे दिखाया गया है-

सारणी 10.8 505, 510 और 512 आर्मी बेस वर्कशापों द्वारा अस्वीकृत भण्डारों की घटनाएं

आर्मी बेस वर्कशाप का नाम	सी ओ डी जिसने पुर्जों की आपूर्ति की	पूरी तरह अस्वीकृत ठेरों की संख्या	आंशिक अस्वीकृत ठेरों की संख्या	अस्वीकरण के कारण
505 आर्मी बेस वर्कशाप	सी ओ डी दिल्ली छावनी	10	शून्य	दोषपूर्ण
510 आर्मी बेस वर्कशाप	सी ओ डी दिल्ली छावनी	शून्य	2	विशेषताओं के अनुसार न होना
512 आर्मी बेस वर्कशाप	सी ए एफ वी डी किरकी	99	21	गलत आयामों का होना, सामान की घटिया गुणवत्ता

(ii) अति आवश्यक/महत्वपूर्ण पुर्जों की अनुपलब्धता

आर्मी बेस वर्कशापों में उपस्कर/वाहन की मरम्मत/ओवरहाल करने के लिए कुछ मदों को महत्वपूर्ण माना गया था। ऐसी मदों की अनुपलब्धता संबंधित आ.बे.व. के मरम्मत कार्यक्रम को बाधित करती है। डिपुओं द्वारा ऐसी मदें की मांगी गई थी परन्तु उपलब्ध नहीं की जा सकीं की एकीकृत महत्वपूर्ण असमर्थता सूचियां प्राथमिकता मदों को देने के उद्देश्य से तैयार की जाती हैं। फिर भी एकीकृत महत्वपूर्ण असमर्थता सूचियों में बड़ी मात्रा में मदों का शेष रह जाना दर्शाता है कि सी ओ डी ऐसी अति आवश्यक और महत्वपूर्ण मदों की मांगे पूरी करने में असमर्थ थे। इस स्थिति को नीचे सारणियों में निदर्शित किया गया है;

(क) सी ओ डी दिल्ली छावनी द्वारा 505 आ.वे.व. को आपूरित मदों में से एकीकृत महत्वपूर्ण असमर्थता सूचियों की स्थिति के बारे में नीचे दिया गया है।

सारणी 10.9 वर्ष 1994-99 के दौरान सी ओ डी दिल्ली छावनी की 505 आ.बे.व. को अति आवश्यक व महत्वपूर्ण मदों की आपूर्ति करने में असमर्थता

वर्ष	मांगी गई मदें	आपूरित मदें	वर्ष के अंत में शेष	असमर्थता प्रतिशतता
1994-95	2226	485	1741	78.20
1995-96	2265	661	1654	73.02
1996-97	1943	395	1548	79.67
1997-98	1394	348	1046	75.03
1998-99	1128	283	845	74.91

(ख) 512 आ.वे.व. के बारे में सी ए एफ वी डी किरकी के उत्तरदायित्व के पुर्जों से संबंधित सी वी आई एल की स्थिति इस तरह थी;

सारणी 10.10 वर्ष 1998-99 के दौरान सी ए एफ वी डी किरकी द्वारा 512 आ.वे.व. को अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण पुर्जों की आपूर्ति में असमर्थता

उपस्कर	जारी की जाने वाली मदें	पूर्णरूप से जारी की गई मदें	अंशों में जारी की गई या जारी नहीं की गई मदें	असमर्थता का प्रतिशत
टैंक 'ख' और प्रकारांतर (वाहन के लिए)	2092	1998	94	5
टैंक 'ख' और प्रकारांतर (इंजिन के लिए)	447	435	12	3
आई सी वी I और II (वाहन)	3408	2896	512	15
आई सी वी I	471	322	149	32

(ग) सी ओ डी आगरा पर विभिन्न आश्रित आ.बे.व. के प्रति मदों के उत्तरदायित्व के बारे में वर्ष 1999-2000 के लिए, सी वी आई एल की कुल स्थिति का अन्तर 8.52 प्रतिशत से 66.90 प्रतिशत था जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

सारणी 10.11 सी ओ डी आगरा की उस पर आश्रित आर्मी बेस वर्कशापों को वर्ष 1999-2000 के दौरान अति आवश्यक व महत्वपूर्ण पुर्जों की आपूर्ति में असमर्थता

क्र. सं.	आर्मी बेस वर्कशॉप	सी बी आई एफ में मदों की संख्या	जारी की गयी मदों की संख्या	अति आवश्यक/ महत्वपूर्ण मदों की अनुपलब्धता का प्रतिशत
1.	505	47	43	8.52
2.	506	92	73	20.66
3.	508	514	433	15.67
4.	509	612	553	9.64
5.	510	420	139	66.90
6.	512	977	518	46.99
7.	3 एडवांस बेस वर्कशॉप	22	19	13.64

10.5 संस्तुतियाँ

(क) सी ओ डी, आश्रित इकाईयों और सेना मुख्यालय के बीच सक्रिय तालमेल भण्डारण दृश्यता और उपभोक्ता की संतुष्टि को बढ़ायेगा।

(ख) असंबद्ध डिपुओं पर मांग रखने से बचने के लिए मांगकर्ता ऐजंसियों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। सही डिपू सुनिश्चित किए बिना मांगें करने के तरीके से न केवल प्रभोक्ता के लिए मांगे पूरी करने में देरी होती हैं बल्कि सी ओ डी में श्रम घंटों की बर्बादी व परिहार्य कार्य भार का कारण भी बनती है। असमर्थता प्रतिशतता में वृद्धि के कारणों को जानने और ऐसी असमर्थताओं को कम करने के उपायों और साधनों का पता लगाने के लिए प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

(ग) केन्द्रीय आयुध डिपुओं पर मांग पर भण्डार जारी करने की समस्त प्रक्रिया को निर्धारित 22 दिन के समय में पूर्ण करने के लिए दबाव डाला जाना चाहिए। देरी की जांच/विश्लेषण किया जाना चाहिए तथा उपचारी कार्रवाई की जानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर ऐसी देरियों के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाई पर भी विचार किया जा सकता है।

(घ) डिपू में निष्क्रिय उपस्कर/खराब वाहन मांग को उच्चतम स्तर पर मानिटर किये जाने की आवश्यकता है तथा ऐसी मांगों को तेजी से पूरी करने के लिए सभी प्रयास किये जाने चाहिए।

(ड़) भण्डारों के अस्वीकरण की असामान्य उच्च दर के कारणों जो प्रकट रूप में स्वीकरण से पूर्व दोषपूर्ण निरीक्षण के कारण हैं की तेजी से जाँच-पडताल और जिम्मेवारी तय करने की आवश्यकता है। वारंटी अवधि में आपूर्तिकर्ता से निःशुल्क प्रतिस्थापन के लिए सभी प्रयास किये जाने चाहिए। ऐसे मामलों में कमांडेंट या उप कमांडेंट स्तर पर समयोपरि मानिटरिंग की आवश्यकता है। महानिदेशक गुणवत्ता आवश्वासन के कार्मिकों द्वारा दोषपूर्ण निरीक्षण के कारण भण्डारों के अस्वीकरण के मामलों में ऐसे भण्डारों को स्वीकार करने के लिए जिम्मेवार के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए महानिदेशक गुणवत्ता आवश्वासन को तुरन्त बताया जाना चाहिए।

10.6 रक्षा विभाग की प्रतिक्रिया

एम.जी.ओ. ने उपरोक्त सभी संस्तुतियों से सहमति प्रकट की ।

इनके लिए एम.जी.ओ. की प्रतिक्रिया क्रमानुसार नीचे दर्शायी गई है:

(क) ऑन लाइन जोड़ने की आवश्यकता स्वीकार की और सी.आई.सी.पी. के लागू होने पर इसे प्राप्त करने की आशा व्यक्त की ।

(पैरा 10.5 (क))

(ख) स्वीकार किया और स्पष्ट किया प्रयोक्ता/मांगकर्त्ता एजेंसियों को सही मांग प्रस्तुत करने के लिए शिक्षित करना एक सदैव चलने वाली प्रक्रिया है और थलसेना मुख्यालय ने मुख्य कार्यकर्त्ताओं द्वारा अयोग्यताओं का मॉनीटरन किया जाता था । तथापि एम.जी.ओ. ने स्पष्ठ किया कि अयोग्यताओं के अनेक कारण थे जैसे आयुध फैक्टरियों या पी.एस.यू. में उत्पादन में कमी, भंडारों के देशजीकरण में देरी, लघु उद्योगों की खराब क्षमता, निर्णय लेने में लाल फीता शाही के कारण देरी तथा आई.एस.जी. एवं मानकों को तैयार करने में देरी । अतः एम.जी.ओ. ने प्रणाली में सुधार के लिए कुछ उपचारी सुझाव दिए जिसमें ये भी सम्मिलित थे कि विक्रेता आधार से आपूर्तिकर्त्ता को उच्च् विश्वसनीय और गुणवत्ता के प्रति जागरूक होना चाहिए जैसा कि कारपोरेट जगत में किया जा रहा था, प्रावधान से संबंधित मामलों में समय सीमा में निर्णय लेना, निरीक्षण में देरी को कम करने के लिए निरीक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन, संविदागत प्रावधानों को कठोर बनाने, कच्ची सामग्री की अधिप्राप्ति और तैयार उत्पाद की आपूर्ति के लिए डी.जी.ओ.एफ. को स्वयं प्रमाण-पत्र जारी करने की सुविधा प्रदान करके डी.जी.ओ.एफ./पी.एस.यू. से प्रावधान प्रक्रिया में सुधार, डी.जी.ओ.एफ. द्वारा आपूरित दोषपूर्ण सामग्री के प्रतिस्थापन के लिए समाश्वासन और जहां पी.एस.यू. ने उच्च दर प्रस्तुत की है वहां पी.एस.यू. के माध्यम से न करके थलसेना द्वारा सीधा आयात ।

(पैरा 10.5 (ख))

(ग) स्वीकार किया और यह माना कि सी.ओ.डी. से निर्गम 22 दिन की निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं हो रहे थे, परन्तु इसके लिए डिपुओं में अकुशल और अनुत्पादक श्रम-शक्ति का होना, डिपुओं में अपर्याप्त और पुरानी आधारभूत संरचना, नियुक्तियों पर रोक और पृथक से वेगनों को उपलब्ध कराने में रेलवे की उपेक्षा जैसे कारण बतलायें । अतः एम.जी.ओ. ने सुझाव दिए कि:

(i) सिविल कार्यदल को आर्मी एक्ट के अधीन लाना या जनरल इंजीनियर रिजर्व फोर्स कार्मिकों को लागू नियमों के बराबर लाना ।

(ii) सिविल माल वाहकों के द्वारा असंवेदनशील भंडारों को टुकड़ों में प्रेषण की अनुमति के साथ सिविल भाड़ा वाहन को एक सामान्य साधन स्वीकार करना ।

(iii) सामान्य कार्य प्रक्रिया से दूर रखते हुए डिपुओं में भण्डारण और कार्य की अवस्था में सुधार के लिए एम.जी.ओ. को अतिरिक्त निधि का आबंटन ।

(ङ) कार्मिकों की स्वीकार्य आयु की रूपरेखा तैयार करने के लिए निरन्तरता के आधार पर सेवानिवृत्ति/मृत्यु के कारण हुए रिक्त स्थानों को भरने के लिए कम से कम 20-25 प्रतिशत कार्मिकों की नियुक्ति और

(च) सभी आयुध प्रतिस्थापनों को फोर्कलिफ्ट ,ट्रकों, ट्रेक्टरों, डोजरों और क्रेनों जैसे सामग्री उठाने रखने वाले उपस्करों को अधिकृत करने के लिए सरकारी पत्र का जारी करना ।

(पैरा 10.5 (ग))

(घ) डिपुओं के उच्च प्रबंधन द्वारा उचित और सामयिक कार्यवाई करने के लिए प्रत्येक ई.ओ.ए./वी.ओ.आर. मांग का कम्प्यूटर रिकार्ड तैयार करने और इसको मुख्य परिणाम क्षेत्र बनाने को स्वीकार किया ।

(पैरा 10.5 (घ))

(ड.) भण्डारों के निरस्तीकरण की उच्च दरों के मामले को डी.जी.क्यू.ए. के साथ उठाने को स्वीकार किया ।

(पैरा 10.5 (ड.))

10.7 उपसंहार

प्रणाली में सुधार लाने के लिए एम.जी.ओ. द्वारा दिए गए सुझाव टिकाऊ और महत्वपूर्ण हैं । विस्तृत शाखा विभाजन को ध्यान में रखकर मंत्रालय द्वारा इनके गहन अध्ययन की आवश्यकता है 1 तथापि सी.ओ.डी. की आधारभूत संरचना में सुधार जैसे मामलों पर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है ।

अध्याय 11 : उत्पन्न मरम्मतें

11.1 सार

इकाईयों के पड़े हुए मरम्मतयोग्य या फालतू भण्डारों को मरम्मत के बाद पुनः जारी करने अथवा निपटान के लिए जैसा भी हो, संबंधित केन्द्रीय आयुध डिपुओं के भण्डार वापसी सब-डिपुओं (आर.एस.एस.डी.)/सामग्री भण्डार उप डिपू (एम.एस.एस.डी.) के रूप में जाने जाने वाले उप-डिपुओं को वापिस भेजा जाता है।

सी.ओ.डी. के पास 31.3.99 को निम्न तकनीकि प्रकृति के 7896 टन मरम्मत योग्य भण्डार पड़े हुए थे यद्यपि प्रावधान है कि जहां आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. में मरम्मत संभव नहीं हो वहाँ उनकी मरम्मत सिविल ठेकों द्वारा कराई जा सकती है। एक डिपू में भंडारसूची की समयोपरि मरम्मत 17.59 करोड़ रुपये की नई खरीद की बचत कर सकती थी। आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. अप्रभावी लागत के थे और मरम्मतों का मूल्य तथा श्रमशक्ति लागत का अनुपात 4 से 19 प्रतिशत के बीच है। सी.ओ.डी. कानपुर के एम.एस.एस.डी. में नियुक्त 307 निष्क्रिय ट्रेडसमैनों के वेतन और भत्तों पर प्रतिवर्ष 1.55 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे थे।

सभी मरम्मत योग्य सामग्री की पुनरीक्षा तथा उनकी उपयोगिता का पुनः निर्धारण करने तथा मरम्मत/निपटान की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. की प्रभावी लागत की तुलना दिये गये निष्पादन सूचकों के संदर्भ में पुनःनिर्धारित करने की आवश्यकता है। सिविल ठेकों द्वारा मरम्मत कराने की संभावनाओं का पता लगाने और पुनः आकलन करने की भी आवश्यकता है।

11.2 सामान्य

दिये गये स्रोतों से यथा संभव सामग्री की आपूर्ति उपलब्ध कराना एक अच्छी भंडार सूची प्रबंधन प्रणाली कही जाती है कम से कम स्रोतों से अधिक से अधिक प्रतिलाभ प्राप्त करने के सिद्धान्त का महत्व उस परिदृश्य में और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जहां की अपने आप में स्रोत ही सीमित हैं। इस संदर्भ में मरम्मत योग्य भंडार सूचियों की जल्दी मरम्मत करके प्रयोजनीय भंडार सूचियों के घटते भण्डारण की प्रतिपूर्ति करना नई खरीद करने की अपेक्षा अच्छा विकल्प होगा। यह कम लागत पर भण्डारण की पुनः प्राप्ति करके और आयुध सेवाओं की बड़ी मात्रा में मरम्मत योग्य भंडार सूचियों के भार को कम करके दोहरे उद्देश्यों को पूरा करेगी।

11.3 प्रणाली की स्थिति

श्रेणी 'क' के उपस्करों की मरम्मत के लिए ई.एम.ई. द्वारा आयुध सेवाओं की सलाह तथा मंत्रालय से अनुमति लेकर मरम्मत कार्यक्रम बनाने की एक निर्धारित पद्धति है। केवल ऐसे 'क' श्रेणी के भण्डार प्रायः मरम्मत कार्यक्रम में सम्मिलित किये जाते हैं जो अप्रचलित होने वाले नहीं हों तथा मरम्मत के बाद उनकी नवीनीकृत जीवनकाल के कम से कम आधे समय तक प्रयोग किया जा सके। कार्यक्रम की अवधि इस समय 5 वर्ष है। जिन भण्डारों की प्रभावकारी लागत पर मरम्मत नहीं की जा सकती या भविष्य में प्रयोग होने की संभावना नहीं है, निपटान ऐजन्सियों द्वारा आयुध सेवाओं से बाहर कर दिये जाते हैं। श्रेणी 'ख' के भण्डारों के लिए दो मरम्मत एजेंसियाँ हैं, जटिल भण्डारों के लिए ई.एम.ई. तथा निम्न तकनीक भण्डारों के लिए आयुध सेवाएं हैं। वापिसी भण्डार सब-डिपो (आर.एस.एस.डी.) जो केन्द्रीय आयुध डिपुओं का अभिन्न अंग हैं, केन्द्रीय आयुध डिपुओं में मरम्मत का कार्य संभालते हैं। 'ख' श्रेणी के भण्डारों की मरम्मत के लिए भी एक वार्षिक कार्यक्रम होता है जिसे 'ख' श्रेणी के तकनीकी भण्डारों की मरम्मत के लिए ई एम ई द्वारा तथा आर.एस.एस.डी. की मरम्मत उत्तरदायित्व वाली मदों के लिए आयुध सेवाओं द्वारा बनाया जाता हे। सी.ओ.डी. द्वारा प्रावधान पुनरीक्षा के समय तैयार की गई और आवधिक अंतराल पर संशोधित मरम्मत प्राथमिकता की सूचियाँ मरम्मत प्राथमिकता निर्धारण करने में आयुध सेवाओं की सहायता करती है। इन सूचियों में मरम्मत योग्य वे मदें थीं जिनकी आर्मी बेस वर्कशापों (ई.एम.ई.) और आर.एस.एस..डी. में मरम्मत की जानी थी ।

11.4 प्रणाली क्रियान्वयन की आवश्यकतायें

1. नई अधिप्राप्ति के संदर्भ में मरम्मत की मितव्ययता पर पर्याप्त विचार के साथ, आवश्यकता आधारित मरम्मत के आकार का सुस्पष्ट पूर्वानुमान।

2. मरम्मत ऐजंसी की उचित पहचान, इनकी योग्यताओं और क्षमताओं का वास्तविक आँकलन करना, कार्य का शीघ्र आबंटन करना तथा मरम्मतों की परिणामपरक मानीटरन।

3. अवांछित भंडार की पहचान और छंटनी करने के उद्देश्य से मरम्मत योग्य भण्डारण की आवधिक पुनरीक्षा करना

4. मरम्मतयोग्य भंडार सूचियों की तेजी से मरम्मत करना और उनको प्रयोजनीय भण्डारण में शामिल करना।

11.5 लेखापरीक्षा की आपत्तियां

आर.एस.एस.डी. में उपलब्ध मरम्मत योग्य भण्डारण और उनकी मरम्मत की गति की लेखापरीक्षा पुनरीक्षा में पाया गया कि वर्षों से प्रणाली को गंभीर क्षति पहुँची है जैसा कि बाद के पैराग्राफों में दिखाया गया है।

(क) बढ़ता हुआ मरम्मत योग्य भण्डारण

जैसा कि संलग्नक 'ज' में दिखाया है केन्द्रीय आयुध डिपुओं में मरम्मत योग्य भण्डारण सभी डिपुओं में विशालरूप धारण कर चुका था जिसे परिशिष्ट में दर्शाया गया है । पुनरीक्षा की अवधि के दौरान मरम्मतयोग्य भण्डारों की टनों में कुल भण्डारण स्थिति की तुलना में की गई मरम्मत बहुत नीचे थी जैसा कि नीचे बताया गया है। कुछ संचय 1965 से पहले के थे जो 35 वर्षों से अधिक से निरंतर मरम्मत योग्य स्थिति में हैं।

सारणी 11.1 केन्द्रीय आयुध डिपू आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर और के.श.ब.वाहन डिपू किरकी में 1994-99 के दौरान बढ़ता हुआ मरम्मतयोग्य भण्डारण

वर्ष	डिपुओं के पास उपलब्ध कुल मरम्मत योग्य भण्डार की तुलना में की गई मरम्मत का प्रतिशत				
	सीओडी आगरा	सीओडी दिल्ली छावनी	सीओडी जबलपुर	सीओडी कानपुर	सीएएफवीडी किरकी *
1994-95	28.35	2.09	उपलब्ध नहीं	8.25	1.55
1995-96	21.71	2.24	उपलब्ध नहीं	4.81	0.26
1996-97	22.07	1.20	उपलब्ध नहीं	30.40	0.98
1997-98	16.59	7.99	उपलब्ध नहीं	8.20	0.66
1998-99	42.24	3.37	2.39	19.40	2.32

** मरम्मत की गयी मदों की लागत सम्मिलित है ।*

उपर्युक्त आंकड़े अपने आप में स्पष्ट हैं और मरम्मतों की गति तेज करने की आवश्यकता के अधिक महत्व को प्रदर्शित करते हैं।

आर.एस.एस.डी. प्रक्रिया के अनुसार (महानिदेशक आयुध सेवाओं का तकनीकी निर्देश 008) यह आर.एस.एस.डी. पर निर्भर करता है कि वह मरम्मत योग्य प्रकृति की अधिक से अधिक मदों की मरम्मत करें। जहां मरम्मत योग्य भण्डारों की आर.एस.एस.डी. वर्कशाप में दो महीनों की अवधि में मरम्मत नहीं हो सकती, केन्दीय आयुध डिपू उनकी मरम्मत कहीं और कराने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए उनकी सूची सेना मुख्यालय को भेजे। इसमें विफल होने पर सिविल फर्मों से मरम्मत के लिए ठेका करने

की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिए था । इसके बावजूद भी मरम्मत योग्य भंडार का निरंतर बढ़ना यह दर्शाता है कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सीएएफवीडी किरकी ने कम उत्पादन का कारण पुर्जों की अनुपलब्धता और आर्मी बेस वर्कशाप से मरम्मत के लिए कम सूचनायें प्राप्त होना बतलाया।

(ख) परिहार्य नई खरीद

महानिदेशक आयुध सेवाएं का तकनीकी निर्देश 040 बताता है कि आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. के मरम्मत उत्तरदायित्व वाली मदों को अग्रिम में परिसम्पत्तियों में नहीं गिना जायेगा। प्रयोज्य स्थिति में लाने पर वे स्वाभाविक रूप से भण्डारण में दर्शाये जायेंगे।

तकनीकी निर्देश तथापि केन्द्रीय आयुध डिपुओं को आवधिक प्रावधान पुनरीक्षा के दौरान अपने विवेक से आर.एस.एस.डी. में उपलब्ध मरम्मत योग्य भण्डारण के किसी भी भाग को परिसम्पत्तियों में लेने की अनुमति देते हैं जबकि मरम्मत कार्यक्रम में सम्मिलित ई.एम.ई. के मरम्मत उत्तरदायित्वों वाले मरम्मत योग्य भंडार की एक निश्चित प्रतिशत प्रावधान उद्देश्यों के लिए परिसम्पत्तियों के रूप में जानी जाती है।

लेखापरीक्षा ने सीएएफवीडी किरकी में किये गये प्रावधानों के संदर्भ में आर.एस.एस.डी. में उपलब्ध मरम्मत योग्य मदों के पाँच प्रतिशत की नमूना जाँच के दौरान पाया कि मरम्मत योग्य भंडार सूची की सामयिक मरम्मत कमी पूरी करने के लिए नये भण्डार की अधिप्राप्ति पर लगे 17.59 करोड़ रुपये बचाये जा सकते थे।

यदि श्रेणी 'ख' के भण्डार की मरम्मत के लिए आर.एस.एस.डी./ई.एम.ई. की शक्तियों का अच्छा उपयोग किया जाये तो यह संभावित बचतों का एक प्रदर्शक है।

(ग) आर.एस.एस.डी. में उत्पादन

कम तकनीकी वाली मदों की मरम्मत के अतिरिक्त आर.एस.एस.डी. को डिपू भण्डारण में वृद्धि के लिए मदों के उत्पादन का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। जैसा नीचे दिखाया गया है सभी डिपुओं में आर.एस.एस.डी में उत्पादित भण्डारों का मूल्य नगण्य था;

सारणी 11.2 डिपुओं के वापसी भण्डार उप डिपुओं (आर.एस.एस.डी.) और सामग्री भण्डार उप डिपू (एम.एस.एस.डी.) में वर्ष 1994-99 के दौरान उत्पादित भण्डारों का मूल्य

(रूपये लाख में)

वर्ष	सीओडी आगरा	सीओडी दिल्ली छावनी	सीओडी जबलपुर	सीओडी कानपुर	सी ए एफ वी डी किरकी *
1994-95	7.66	17.22	4.59	26.34	4.01
1995-96	8.75	11.76	7.21	52.27	8.30
1996-97	12.08	10.42	3.92	24.21	2.86
1997-98	13.76	10.38	7.25	40.19	2.58
1998-99	10.50	7.88	7.76	15.25	2.58
औसत	10.55	11.53	6.15	31.65	4.07

* मरम्मत की गई मदों की लागत सम्मिलित है।

(घ) आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. में अनुत्पादक श्रम शक्ति

आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. में पुनरीक्षा की अवधि के दौरान नियुक्त श्रमशक्ति पर खर्च एवं उपर्युक्त उत्पादन और उनसे लाभ इस तरह थे;

सारणीः 11.3 आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. में पुनरीक्षा की लागत प्रभावीकता

(रूपये लाख में)

डिपो का नाम	**उत्पादित/मरम्मत की गई मदों का मूल्य**	**श्रमशक्ति लागत**	**उत्पादकता की प्रतिशतता**
सी.ओ.डी. आगरा	10.55	127.12	8.29
सी.ओ.डी. दिल्ली छावनी	11.52	161.39	7.3
सी.ओ.डी. जबलपुर	6.15	139.00	4.42
सी.ओ.डी. कानपुर	29.63	381.04	7.77
सी.ए.एफ.वी.डी. किरकी	4.55	22.86	19.47

लेखापरीक्षा इस तथ्य से अवगत है कि आर.एस.एस.डी. का कार्य क्षेत्र केवल मरम्मत तथा उत्पादन तक ही सीमित नहीं था । उप डिपू निम्न इकाइयों व स्थापनाओं से वापिस किये गये सभी भण्डारों को प्राप्त करती है और स्थिति निर्धारित करती है। तथापि यह उपेक्षित नहीं किया जा सकता कि आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. में मरम्मत या मरम्मत और उत्पादन की व्यवस्था करना उन का प्राथमिक महत्वपूर्ण कार्य है। आर.एस.एस..डी./एम.एस.एस.डी. में मरम्मतों और उत्पादन की कम प्रतिशतता के दृष्टिगत उनकी प्राथमिक भूमिका के संदर्भ में आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. की उत्पादकता बहुत कम है।

इस तथ्य के अतिरिक्त की सी ओ डी कानपुर में विशाल श्रमशक्ति के बावजूद उत्पादन कम था। इसके एम.एस.एस.डी. में दर्ज की गई श्रमशक्ति की लेखापरीक्षा जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। उसमें नियुक्त 307 निष्क्रिय ट्रेड्समैनों के वेतन और भत्तों पर लगभग 1.55 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च किया जा रहा था। लेखा परीक्षा इसे एम.एस.एस.डी. के कार्य आदेशों में दर्ज मानव दिवसों की जाँच द्वारा प्रकाश में ला सका जिसके अनुसार वर्ष 1998-99 के दौरान विभिन्न कार्य आदेशों में केवल 3159 मानव दिवसों को दर्ज किया गया था जिसके लिए मंत्रालय द्वारा तय मानकों के अनुसार केवल 11 ट्रेड्समैनों की आवश्यकता का औचित्य था। लेखापरीक्षा यह नहीं समझ सका कि उप-कमाडेंट की अध्यक्षता में डिपू की श्रमशक्ति समिति द्वारा किए गए आवधिक (वार्षिक) श्रमशक्ति पुनरीक्षा के दौरान अधिक स्टाफ की नियुक्ति डिपू के ध्यान में क्यों नहीं आई। इसके अतिरिक्त बार-बार मांगने पर भी श्रमशक्ति पुनरीक्षा से संबंधित दस्तावेज व फाइलें लेखापरीक्षा जांच के लिए उपलब्ध नहीं करायी गयीं।

11.6 संस्तुतियाँ

(क) उप-डिपुओं में उपलब्ध मरम्मत योग्य भंडार की तत्काल पुनरीक्षा ताकि मरम्मत के लिए उनकी आवश्यकता और तकनीकी/आर्थिक व्यवहार्यता का पुनः आकलन किया जा सके।

(ख) सभी अवांछित मरम्मत योग्य भंडार जिनकी मरम्मत तकनीकी/आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, का निपटान।

(ग) शेष मरम्मतयोग्य भंडार को आवश्यकता आधारित प्राथमिकता देना तथा निश्चित समय सीमा के अंदर उनकी मरम्मत पर जोर देना।

(घ) आर.एस.एस.डी. वर्कशाप जो कम उत्पादन या कम मरम्मत के रूप में वर्तमान में अनुत्पादकता के लक्षण दर्शा रहे हैं, का ग्रेड बढ़ाना या बंद करना।

(ड़) निष्पादन सूचना निर्धारित करना जिससे आर.एस.एस.डी. वर्कशापों के निष्पादन/उत्पादन के आँकलन को मापा जा सके और तुलना की जा सके।

(च) निष्क्रिय श्रमशक्ति की डिपू या आयुध सेवाओं में कहीं और तैनाती करना जहाँ उनका लाभप्रद उपयोग हो सके।

(छ) मरम्मतों की पहचान करना और जहां तक तकनीकी और आर्थिक रूप से संभव हो, इनका बाजार से करवाना।

11.7 रक्षा विभाग की प्रतिक्रिया

एम.जी.ओ. ने सात में से पांच संस्तुतियों को स्वीकार किया, एक को आंशिक रूप में स्वीकार किया और शेष एक से असहमति प्रकट की ।

उपरोक्त संस्तुतियों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया क्रमवार नीचे दर्शायी गई है:

(क) स्वीकार किया और कहा कि मरम्मत योग्य के पुनःनिर्धारण के लिए अधिकारियों का बोर्ड गठित किया जाएगा ।

(पैरा 11.6 (क))

(ख) स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि बोर्ड के निष्कर्षों के उपरान्त निपटान की कार्रवाई की जाएगी ।

(पैरा 11.6 (ख))

(ग) स्वीकार किया कि भण्डारों की आवश्यकतानुसार मरम्मत को प्राथमिकता दी जाएगी ।

(पैरा 11.6 (ग))

(घ) स्वीकार किया और कहा कि आर.एस.एस.डी. कार्यशालाओं का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि कम प्रौद्योगिकी मदों के लिए उत्पादन केन्द्र बन सकें ।

(पैरा 11.6 (घ))

(ड.) निष्पादन सूचक और माप स्थापित करने और आर.एस.एस.डी. के निष्पादन/उत्पादन के साथ सामयिक तुलना करने के लिए सहमत हुआ ।

(पैरा 11.6 (ड.))

(च) आंशिक रूप से स्वीकार किया तथा बताया कि आर.एस.एस.डी. कार्यशालाओं में कार्यरत कारीगरों की नियुक्ति स्थानीय तौर पर बिना सम्पूर्ण भारत स्थानान्तरण उत्तरदायित्व के साथ हुई थी । अतः उन्हें अन्य कार्यों पर नहीं लगाया जा सकता था या छटनी नहीं की जा सकती थी । यदि आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. को उत्पादन केन्द्र बना दिया जाता है तो उनके वेतन और भत्तों का सदुपयोग सम्भव है ।

(पैरा 11.6 (च))

(छ) स्वीकार नहीं किया क्योंकि सिविल से मरम्मत करने के लिए संस्तुति नहीं दी जा सकती थी क्योंकि सही मरम्मत की गारंटी नहीं थी ।

(पैरा 11.6 (छ))

11.8 उपसंहार

लेखापरीक्षा का यह मत है कि अधिकारियों के बोर्ड का गठन एक बारगी समाधान हो सकता है, एक ऐसा तरीका स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में मरम्मत योग्य भंडार एकत्रित नहीं हो । आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. को कम प्रौद्योगिकी मदों के लिए उत्पादन केन्द्र के रूप में प्रोन्नत करने के लिए एम.जी.ओ. के प्रस्ताव पर मंत्रालय द्वारा विचार करने की आवश्यकता है ताकि मानवशक्ति के लगातार निष्क्रिय रहने और उनके वेतन एवं भत्तों पर व्यय को अनुत्पादक होने से बचाया जा सके क्योंकि सी.ओ.डी. कानपुर में इस स्थिति ने गंभीर रूप धारण कर लिया है । आर.एस.एस.डी./एम.एस.एस.डी. को उत्पादन केन्द्र के रूप में उपयोग करने के लिए एम.जी.ओ. द्वारा ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता है ताकि इनके पूर्ण क्षमता के साथ कार्य करने को सुनिश्चित किया जा सके ।

निष्पादन लक्ष्य निर्धारित करने, उपलब्धियों की माप करने और लक्ष्यों से तुलना करने के लिए इस सूत्र को ध्यान में रखकर कि जिसे मापा नहीं गया है उसका प्रबंधन नहीं हुआ है । एक प्रणाली के निर्धारण की आवश्यकता है ताकि उपयुक्त उपचारी कार्रवाई की जा सकें । डी.जी.ओ.एस. के तकनीकी निदेश 008 के प्रकाश में ट्रेड से मरम्मत कराने में गुणवत्ता के बारे में आशंका पर विचार करने की आवश्यकता है, जहां यह दृष्टिगोचर होता है कि आर.एस.एस.डी. कार्यशाला में जिन मदों की दो माह के अन्दर मरम्मत नहीं हो सकी है उन्हें सी.ओ.डी. द्वारा थलसेना मुख्यालय को सूचित किया जाना चाहिए ताकि कार्य के दौरान और स्वीकार करने से पूर्व निरीक्षण के लिए उपयुक्त धारा सम्मिलित करके संविदा के माध्यम से इनकी अन्यंत्र या सिविल से मरम्मत कराने की सम्भावना तलाश की जा सके ।

अध्याय 12 : मानकीकरण

12.1 सार

मानकीकरण की आवश्यकता केवल भंडार सूची में कमी करने और वस्तुओं की विविधता घटाने के लिए ही नहीं होती है अपितु कुल व्यय को कम करने के लिए भी होती है।

नागरिक क्षेत्र में सुगमता से उपलब्ध भंडार सूची का आयुध में उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अपनाया गया था जिससे मानकीकरण पिछड़ गया था । सेवा में 189 प्रकार के 'बी' वाहन थें और केवल 5 प्रकार के कैरियर वाहन थे। सन 1971 में 'बी' वाहनों के भविष्य में मानकीकरण के लिए प्रस्तुत योजना अब इतिहास की बात बन चुकी है । सेना में आठ से दस प्रकार के जनरेटिंग सैट थे और उनके फालतू पुर्जे 53 से 443 मदों के बीच थे। इसी प्रकार सेना में पांच से 11 प्रकार के चार्जिंग सैट हैं जिनके फालतू पुर्जे 72 से 588 मदों के बीच थीं । वस्त्र मदों में 24 प्रकार के बूट एंकल, 10 साईज के सफेद /ब्राउन कैनवस जूते, 15 प्रकार की गोरखा- हैट और 15 प्रकार ओजी / खाकी सादा कमीजें शामिल थें।

भण्डारों की कीमत कम करने व उसके बेहतर नियंत्रण के लिए वाहनों सामान्य भंडारों और वस्त्र मदों के मानकीकरण हेतु प्रयास किये जाने चाहिए।

12.2 सामान्य

सेवा में विभिन्न प्रकार के आधुनिक और जटिल शस्त्र प्रणाली और विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रानिक संयंत्रों को शामिल करने से इनके रखरखाव और मरम्मत के लिए आवश्यक भण्डारों के प्रकार में गुणोत्तर वृद्धि हुई है, साथ ही मरम्मत और रख रखाव सुविधाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ा है । त्वरित प्रवर्तन से वाहनों/ संयंत्रों में वृद्धि होती है और पहले से ही जटिल अतिरिक्त पुर्जों के प्रबंधन में और कठिनाई हो जाती है। अतः इस संदर्भ में मानकीकरण की अवधारण और महत्वपूर्ण हो जाती है। मानकीकरण भण्डार सूची की प्रकार में कमी करने और वस्तुओं का प्रकार घटाने में सहायक होता है, साथ ही रखरखाव और मरम्मत की समस्याओं को भी सरल बनाता है जिससे मरम्मत आश्वासन में वृद्धि होती है और प्रणाली पर व्यय कम होता है ।

सेवा में 'ए' श्रेणी और युद्ध सम्बन्धी संयंत्रों का प्रवर्तन मुख्यतया बाहरी खतरों से निपटने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है जिसकी समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है क्योंकि स्वदेशी संयंत्रों के अलावा अन्य बडे संयंत्रों की खरीद,

राजनीति और आर्थिक जैसे अनेक तथ्यों पर आधारित है अतः इसमें कुछ कठिनाईयां अपरिहार्य हैं और इनका इस रिपोर्ट में उल्लेख नहीं किया जा रहा है। तथापि 'बी' श्रेणी के वाहनों, शान्तिकाल में प्रयोग होने वाले संयंत्रों, अतिरिक्त पुर्जों, सामान्य भंडारों तथा वस्त्रों के सम्बन्ध में स्थिति भिन्न है।

उपरोक्त द्वितीय श्रेणी की भण्डार सूची में वृद्धि के मामले लेखापरीक्षा में जांच के दौरान पाये गये जिन्हें नीचे दर्शाया गया है।

i) 'बी' वाहन

सेना के वर्तमान 'बी' वाहनों के बेड़े में सहायता कार्य हेतु विविध प्रकार के वाहन थे । इसके परिवहन बेड़े में कुल मिलाकर लगभग 189 प्रकार के वाहन शामिल हैं।

भार आधारित श्रेणी विभाजन की दृष्टि से सेना का वाहन बेडा द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि तक के पुराने हैं। यद्यपि यूनिटों और फार्मेशनों के संगठन शस्त्र प्रणालियों, सामरिक अवधारणाओं और भार प्रतिमानों में परिवर्तन हो चुका है परन्तु वाहन श्रेणी विभाजन अभी भी अपरिवर्तित रहा। सेना मुख्यालय ने 1971 में परिवर्तित नई परिस्थितियों में आवश्यकता का अध्ययन किया था और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 'बी' वाहनों के समूह को शामिल करने का निर्णय लिया।

यह योजना अनिश्चितता की स्थिति में रही है और 1971 की भविष्यकालीन योजना अब इतिहास की बात बन चुकी है। सेना अपने पुराने, ईंधन गटकने वाले और खर्चीले 'बी' वाहनों के बेडे से कार्य करती रही है। चार किलोमीटर प्रति लीटर की औसत देने वाले 1 टन निशान/ पैट्रोल वाहन का 7 किलोमीटर प्रति लीटर की बढ़ी हुई क्षमता वाले 2.5 टन डीजल चालित वाहन द्वारा प्रतिस्थापन से यह आशा की गई थी कि अपने जीवन काल में 'एक्स' वाहनों की संख्या से वर्ष 1992 के मूल्य आधार पर 61.88 करोड रूपये लागत के ईंधन की बचत होगी। इसके अतिरिक्त, मानकीकरण से भंडार सूची की प्रकार में कमी होगी। यह भी दो दशक के उपरान्त ही मंत्रालय ने नब्बे के दशक में ½ टन मारूति जिप्सी, एल सी वी स्वराज माज़दा, टाटा 2.5 टन और 5/7.5 टन स्टालिन वाहनों के प्रवर्तन की अनुमति प्रदान की। ऐसे मामलों में शीघ्र निर्णय लेने की आवश्यकता पर बल देने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में तकनीक का शीघ्रता से विकास हो रहा है, सेवाओं में नई तकनीक के प्रवर्तन के लिए मूल्यांकन की निरंतर प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।

ii) जनरेटिंग और चार्जिंग सेट

लेखापरीक्षा ने सी ओ डी आगरा में पाया कि अनेक प्रकार के जनरेटिंग और चार्जिंग सैट सेवाओं मे थे। प्रत्येक प्रकार के सैट के लिए अतिरिक्त पुर्जे होते हैं जो एकमात्र इनके लिए ही होते हैं। संक्षेप में वर्तमान में निम्न प्रकार के सैट सेवाओं में हैं:

सारणी 12.1 सी ओ डी आगरा में उपलब्ध जनरेटिंग और चार्जिंग सैटों और उनके अतिरिक्त पुर्जों के विविध प्रकार

मुख्य उपस्कर	उपलब्ध प्रकार	मूल स्त्रोत	प्रत्येक उपस्कर के अतिरिक्त पुर्जों के प्रकार	
			न्यूनतम	अधिकतम
जनरेटिंक सैट 2 के वी ए/2.5 के वी ए	9	स्वदेशी	53	184
जनरेटिंग सैट 4 के वी ए	10	स्वदेशी	57	235
जनरेटिंग सैट 5.5/5.6 के वी ए	8	स्वदेशी	75	286
जनरेटिंग सैट 11.2/11.25 के वी ए	8	स्वदेशी	122	448
जनरेटिंग सैट 30 के वी ए	10	स्वदेशी	56	416
चार्जिंग सैट 2 के डब्ल्यू	8	स्वदेशी	72	ज्ञात नहीं
चार्जिंग सैट 150 के डब्ल्यू	5	स्वदेशी	107	121
चार्जिंग सैट 500 के डब्ल्यू	11	स्वदेशी	122	588

उपस्करों के विभिन्न प्रकार/निर्माण के प्रवर्तन से उनके रखरखाव के लिए आवश्यक अतिरिक्त पुर्जों के आकार में कई गुना वृद्धि हुई थी । लेखापरीक्षा के एक प्रश्न के उत्तर में सी ओ डी आगरा ने बताया कि इन सैटों के मानकीकरण पर विशेष अध्ययन की आवश्यकता है।

iii) वस्त्र

सेना के पास विभिन्न प्रकार की वस्त्र मदें, जूते और कैप थीं । प्रत्येक वर्ग में उपलब्ध साइजों की संख्या इस प्रकार थी ।

सारणी 12.2 सी ओ डी कानपुर में वस्त्र मदों के अन्तर्गत उपलब्ध कमीजों, जूतों व कैप की श्रेणियां

क्रम सं.	श्रेणी	कुल साइज
1.	बूट ऐंकिल	24*
2.	सफेद/ भूरे कैनवास जूते	10
3.	कैप एफ एस डिसरप्टिव	6
4.	हैट - गोरखा	15
5.	ऑलिव ग्रीन/ खाकी सादी कमीजें	15
6.	बेसिक ट्रेनिंग अवधि के लिए पुरूषों के लिए खाकी कमीजें	8

* अतिरिक्त बड़ी, बड़ी और मीडियम प्रत्येक प्रकार के लिए 8 साइजें

वर्ष 1986 से पूर्व दो और प्रकार की कैप थीं । इस प्रकार वर्ष 1986 में कुल 8 प्रकार की कैप थी और इनकी संख्या आठ से घटाकर 6 कर दी गई। तथापि साईज 1 के 4484 कैप और साइज 2 के 235 कैप आयुध भंडार में रखे हुए थे यद्यपि लगभग 14 वर्ष पूर्व इन्हें आयुध भंडार सूची से हटा दिया गया था । इसी प्रकार वर्ष 1993 से पूर्व 18 साइजों के हैट प्रयोग में थे जिन्हें वर्ष 1993 में घटाकर 15 कर दिया गया।

वस्त्र मदों की गुणात्मकता को कम करने एवं भंडार सूची के सही देख रेख के लिए वस्त्र मदों की साइजों की एक बडी संख्या को रखने की आवश्यकता की पुनरीक्षा आवश्यकता है।

12.3 संस्तुति

लेखा परीक्षा द्वारा संस्तुति की जाती है कि वाहनों, उपस्करों और वस्त्रों में मानकीकरण तथा उनके विविध प्रकारों में कमी करने की ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि भंडार सूची तथा उनकी लागत कम करने के प्रयास लाभदायक होंगे।

12.4 रक्षा विभाग की प्रतिक्रिया

उपरोक्त संस्तुतियों से आंशिक रूप में सहमत होते हुए एम.जी.ओ. ने स्वीकार किया कि फुटवियर और वस्त्र मदों के साइजों में कमी करने की गुंजाइश है परन्तु कहा कि किसी भी समय प्रत्येक वाहन/उपस्कर की तीन पीढ़ियां जबरन सेवा में रखनी होती हैं और यह विभिन्नता उसी श्रेणी में विशेषज्ञ कार्यों के कारण थी । एम.जी.ओ. ने यह भी कहा कि विगत में विभिन्न अनिवार्यताओं के कारण उसी श्रेणी में अनेक वाहनों का समावेश किया गया था । डी.जी.क्यू.ए. के सम्मुख यह समस्या विचाराधीन थी और उस पर कार्रवाई हो रही थी । (पैरा 12.3)

12.5 उपसंहार

मानकीकरण और प्रकार में कमी लाने को उचित महत्व दिया जाना चाहिए और मंत्रालय को लेखापरीक्षा की आपत्तियों और संस्तुतियों को ध्यान में रखकर प्रफलन की समस्या का हल खोजने के लिए उपाय करने चाहिए । किसी भी एक समय में वाहनों/उपस्करों की तीन पीढ़ियों को सेवा में रखने की आवश्यकता को लेखापरीक्षा मानता है, परन्तु इसका अभी भी मत है कि अनेक प्रकार के मॉड़लों का समावेश करके प्रफलन नहीं होना चाहिए जैसा कि भार वाहकों, जनरेटिंग और चार्जिंग सैटों के मामले में हुआ है ।

अध्याय 13 : असंतुलित भण्डार सूची

13.1 सार

प्रायः किसी रखरखाव प्रणाली में धारित मदों का भंडारण इस प्रकार से संतुलित होना चाहिए जिससे कि कुछ मामलों में भारी आधिक्य और कुछ में बहुत बड़ी मात्रा में भण्डार की अपर्याप्तता का सह अस्तित्व नहीं होना चाहिए।

यद्यपि डिपुओं में रखे मदों में से 10% से अधिक की मांग नहीं पाई गई थी लेकिन कुछ डिपुओं में यह असमर्थता की मात्रा 35.34% तक पाई गई थी जिससे भण्डार धारिता में बड़े असुतुलन की स्थिति दिखाई देती थी।

डिपुओं में कुल धारित भण्डार की मात्रा एक डिपू में वार्षिक निर्गम की 2.79 गुणा से एक अन्य डिपू में 29.28 गुना तक थी। वर्तमान उपयोग की दर से यह भण्डारण शताब्दियों और कुछ मामलों मे उससे भी अधिक वर्षों के लिए पर्याप्त हैं।

दोषपूर्ण मानकों, गलत अनुमान, प्रावधान पुनरीक्षा मांग प्रक्रिया और निपटान इत्यादि कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जिनसे यह समस्या उत्पन्न हुई थी।

चुनिंदा भंडार सूची नियंत्रण कार्यवाही के द्वारा बेहतर प्रबंधन मानकीकरण और आधिक्य की सही समय पर पहचान और उनका तुरन्त निपटान कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ध्यान देने की आवश्यकता है।

13.2 सामान्य

प्रभावशाली भण्डार सूची प्रबंधन का उद्देश्य मांग अनुरूप और उपभोक्ताओं की सेवा को ध्यान में रखते हुए कम से कम भंडार सूची का रखना है। इसके अतिरिक्त, आवश्यकता का यथासंभव यर्थाथता से आंकलन करते हुए मात्रा के लिए आदेश देने और सही निर्गम कार्यक्रम का प्रयास किया जाना चाहिए। संतुलित भण्डार सूची का तात्पर्य यह है कि किसी दिये हुए समय में विभिन्न प्रयोजनों के लिए भण्डार की मात्रा और प्रकार न तो आवश्यकता से अधिक होना चाहिए और न ही मानक सार से कम होना चाहिए। इन दोनों स्थितियों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और आधिक्य या कमी के कारणों को समाप्त किया जाना चाहिए या यथा संभव कम किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि महत्वपूर्ण मदों की कमी का अवांछित मदों की एक बृहत अगतिशील भंडार सूची के साथ सह-अस्तित्व नहीं होना चाहिए।

आयुध सेवाओं में लगभग 50,000 करोड़ रूपये मूल्य के लगभग पांच लाख मदों का भण्डार है। इस प्रकार का बृहत व विविध भण्डार सूची के प्रबंध की समस्या पहले से ही विकट है, यह इस तथ्य से और भी संयुक्त हो जाती है कि अनुमान,क्रय और भंडार सूची धारित करने की सारी प्रक्रिया संगठन की दोनों आन्तरिक और बाह्य अनेक अनिश्चिताओं से भरी है। भंडार सूची की एक बड़ी मात्रा की युद्ध जैसी प्रकृति जिसकी शान्तिकाल में कम छीजन होती है, तेज प्रौद्योगिकीय विकास और निपटान की जटिलताओं के कारण एक अच्छी और संतुलित भंडार सूची रखना लगभग असंभव है।

13.3 लेखापरीक्षा की आपत्तियां

भण्डार सूची धारिता की मात्रा निर्गम के संदर्भ में पुर्नरीक्षा में सम्मिलित डिपुओं द्वारा धारित भण्डार सूची के लेखापरीक्षा में विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि डिपुओं द्वारा रखे भण्डारण बहुत असंतुलित हैं जैसा कि नीचे वर्णित हैः

क) भण्डार सूची का हेर फेर

किसी संगठन में भण्डार सूची निष्पादन के मूल्यांकन के लिए एक बहुप्रचलित उपाय भंडार सूची हेर-फेर अनुपात निर्धारण करना है जिसका तात्पर्य प्रणाली में धारित औसत भण्डार सूची के संदर्भ में वार्षिक उपभोग से है और उत्तम के प्रति बेंचमार्क करने तथापि इस प्रकार की सरल पहुँच सेना भण्डार सूची के लिए सम्भव नहीं है क्योंकि सेना द्वारा भंडार सूची धारित करने का मुख्य उद्देश्य स्टाक-आडिट से बचना है जो युद्ध की तैयारियों को प्रभावित करेगा या इससे युद्ध शान्ति के पूर्ण विकास के साथ समझौता करेगा। इसके कुछ संयंत्रों की आयोजन आवश्यकता इसके अतिरिक्त को भंडार इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि उनकी पूर्ति का स्त्रोत समाप्त हो गया है क्योंकि आगे और क्रय सम्भव नहीं हो। आकस्मिक परिस्थितियों के लिए रिजर्व और कुछ बीमा से फालतू पुर्जों की आवश्यकता है। कुल मिलाकर भण्डार सूची का एक भाग शान्तिकाल में हेर-फेर के लिए बिल्कुल अयोग्य है और इन्हें भण्डार सूची हेर-फेर अनुपात की किसी भी माप से अलग कर देना चाहिए।

उपरोक्त के बावजूद भी निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक है इससे यह पता चल पायेगा कि सेना भण्डार सूची में किये गये सरकारी धन का निवेश उचित था। इसी परिपेक्षा में जिन डिपुओं की पुर्नरीक्षा की गई वहां लेखापरीक्षा ने भंडार सूची हेर-फेर अनुपात का विश्लेषण किया।

सभी चुनी गई डिपुओं द्वारा धारित भण्डार और प्रयोक्ताओं के पिछले पांच वर्षों के दौरान उनके वार्षिक निर्गम के सम्बंध में निम्न आंकड़ों से प्रकट हुआ कि कुल धारित भंडार की तुलना में वार्षिक निर्गम सी ओ डी कानपुर 2.79 गुना से सी ए एफ वी डी किरकी में 29.28 गुना तक थे। विवरण नीचे दिया गया हैः

सारणी 13.1 सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर और सी ए एफ वी डी किरकी द्वारा धारित भंडारण का हेर-फेर

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	डिपू का नाम	धारित भंडार का मूल्य[1]	निर्गम का मूल्य	भण्डार का हेर-फेर
1.	सी ओ डी आगरा	6448.75	285.56	22.58
2.	सी ओ डी दिल्ली छावनी	606.89	32.28	18.74
3.	सी ओ डी जबलपुर	1623.60	79.21	20.49
4.	सी ओ डी कानपुर	808.64	288.95	2.79
5.	सी ए एफ वी डी किरकी	282.87	9.66	29.28

इतनी बृहद एम टी स्पेयर्स,इलेक्ट्रानिक और सामान्य सामग्री और वस्त्र मदों के भण्डारों को रखने का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि कवचित वाहनों को फालतू पुर्जों को छोडकर अधिकांश भण्डार आम तौर पर उपलब्ध थे और उनका सिविल में भी प्रयोग होता था। यह अधिकांश भंडार सूची धीमी और अगतिशील प्रकृति की थी। सी ओ डी दिल्ली छावनी में क्रियाशील भण्डार का मूल्य लगभग 66 करोड़ रूपये थे जबकि कुल भण्डार सूची का मूल्य लगभग 600 करोड़ रूपये था। डिपू ने एक आपत्ति के उत्तर में बताया कि पुराने समय की भण्डार सूची को डिपू में इसके अप्रचलित होने तथा फिर निपटान हो जाने तक रखना था। ये तथ्य कि सी ओ डी आगरा में 1989 से 3.36 करोड रूपये मूल्य की 9251 धीमी गति के अगतिशील इलेक्ट्रानिक मदें पड़ी हुई थीं और सी ए एफ वी डी किरकी में ए पी सी टोपाज़ और स्कॉट की 10.53 करोड़ रूपये की 4864 मदें पिछले दस साल से पड़ी हुई थीं, इन जांच- परिणामों की पुष्टि करते थे। इन मामलों में डी जी ओ एस द्वारा भारतीय सेना में आयुध भण्डार सूची में कमी करने के अध्ययन हेतु 1999 में गठित ले.ज. विजय लाल कमेटी को डिपू द्वारा ये आंकडे भेजे गये थे। सी ओ डी कानुर की एम एम एस डी के उत्तरदायित्व के अवांछित मरम्मत योग्य सामान्य सामग्री तथा वस्त्र मदें पिछले दस वर्ष से निपटान के लिए पड़ी हुई थीं यद्यपि उनकी संख्या कम है।

लेखापरीक्षा का मत है कि धारित भण्डार सूची और वास्तविक आवश्यकता का पुर्नअध्ययन आवश्यक हैं क्योंकि इन भण्डारों के एक सीमित भाग के लिए ही प्रयोक्ताओं की मांग होती है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

[1] सी ओ डी आगरा और सी ओ डी जबलपुर के सम्बंध में आंकडें 1998-99 की अवधि के थे और निर्गमों का मूल्य इन डिपूओं के सम्बंध में वहीं है जो ए ओ सी की वार्षिक रिपोर्ट 1998-99 में दिया गया थे।

ख) *मांग वाली मदों की अत्यंत निम्न प्रतिशतता*

चुनी हुई डिपुओं के सम्बन्ध में गत पांच वर्ष के ब्यौरों के औसत से पता चला कि डिपुओं में धारित कुल भण्डार की मात्र 9 से 10 प्रतिशत मदों के लिए ही मांगें प्राप्त होती थीं जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

सारणी 13.2 आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर डिपुओं और सी ए एफ वी डी किरकी के उत्तरदायित्व की मांग वाली मदों की प्रतिशतता

क्र. सं.	डिपू का नाम	वर्षों के लिए मांग वाली मदों की प्रतिशतता					
		1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	*औसत*
1.	सी ओ डी आगरा	6.8	6.5	9.6	10.2	7.4	*8.1*
2.	सी ओ डी दिल्ली छावनी	लागू नहीं	9.3	5.4	4.4	4.4	*5.9*
3.	सी ओ डी जबलपुर	6.5	11.8	11.3	10.8	14.1	*10.9*
4.	सी ओ डी कानपुर	9.1	8.6	8.6	9.0	9.1	*8.9*
5.	सी ए एफ वी डी किरकी	9.9	17.5	18.0	12.7	9.7	*13.6*
6.	*औसत*	*8.1*	*10.7*	*10.6*	*9.5*	*9.0*	*9.5*

निःसंदेह, अधिकांश शेष भण्डार सूची निपटान मदों की पहचान या तो धीमी गति की थी या अगतिशील प्रकृति की थी, निपटान योग्य और उनका निपटान किया जाना है। सक्रिय पी आर एफ की प्रावधान पुनरीक्षा के दौरान पाया गया कि पुर्नरीक्षाधीन डिपुओं में मांग वाली मदें 5.9 व 13.6 प्रतिशत के बीच थीं वहीं उनकी असमर्थता की प्रतिशत, जिसका कुल सक्रिय पी आर एफ से सम्बन्द्ध था, की दर काफी अधिक पायी गई और यह 4.7 और 35.34 प्रतिशत के बीच थी। यद्यपि यह मानकर कि जो मदें प्रक्रिया में हैं वे प्रावधान पुनरीक्षा में सम्पत्ति के रूप में गिनी जाती हैं और इस प्रकार वे निर्गम के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं होती है, इन मानकों में विचलन का परिमाण अत्यधिक ऊंचा था जिसके औचित्य का निर्धारण किया जाना है। लेखापरीक्षा का मत है कि डिपुओं द्वारा मांगों की प्रक्रिया और आपूर्ति आदेश प्रस्तुत करने में लिया गया आन्तरिक समय इस स्थिति के कुछ मुख्य कारण हैं।

ग) *शताब्दियों के लिए पर्याप्त भण्डार*

इस स्थिति के कारणों को जानने के लिए लेखापरीक्षा ने वर्तमान उपयोग के आधार पर चुनिंदा डिपुओं द्वारा धारित भण्डार सूची आधिक्य का स्तरीकरण किया। भण्डार की पर्याप्तता का 10 वर्षों के लिए, 10.50 वर्षों के लिए, 50-100 वर्षों के लिए और अनंत काल के लिए वर्गों में स्तरीकरण किया गया जैसा कि परिशिष्ट 'ज' में दर्शाया गया है।

सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर और सी ए एफ वी डी किरकी के अनियमित रूप से चुने गये 437 मदों के विश्लेषण से चौंकाने वाली स्थिति प्रकट हुई जो नीचे दर्शायी गयी है:

सारणी 13.3 अधिक भंडार का स्तरीकरण

स्तरीकरण (वर्षों में)	नमूनों की मात्रा	मूल्य करोड़ रूपयों में	कुल नमूना मात्रा से प्रतिशतता
10 तक	48	0.83	11
>10-50	110	6.65	25
>50-100	52	3.83	12
100 से अधिक	141	8.76	32
अन्तकाल	86	3.65	20
कुल	*437*	*23.72*	*100*

उपरोक्त विश्लेषण से यह देखा जा सकता है कि राडारों, रेडियो सैटों और सिगनल उपस्करों के फालतू पुर्जों की 11.31 करोड़ रूपये मूल्य की 48 प्रतिशत भंडार सूची के अप्रचलित होने की संभावना थी और 10 वर्षों से भी अधिक समय के लिए पर्याप्त थी। 12.41 करोड रूपये की 52 प्रतिशत भंडार सूची एक शताब्दी से भी अधिक समय तक चलेगी। (संलग्नक 'ट' भी देखें)

दिलचस्प बात यह है कि सी ओ डी दिल्ली छावनी में 1.81 करोड़ रूपये के 15 प्रतिशत एम टी स्टोर और सी ए एफ वी डी किरकी में 1.84 करोड़ के टैंक 'क' एवं 'ख' और आई सी वी का 50 प्रतिशत भंडार का अनिश्चित अवधि के लिए प्रावधान किया गया क्योंकि इन भंडारों में से अभी तक कोई उपभोग नहीं हुआ।

डब्ल्यू डब्ल्यू आर के अन्तर्गत भंडार सूची की मात्रा धारण के उपरान्त भी **विशेष रिजर्व** पूर्णजीवन काल के अन्तर्गत क्रय किये गये फालतू पुर्जे और **विशेष प्रकृति के मदों के** लिए पूर्ण रिजर्व रखे गये थे। लेखापरीक्षा का मत है कि डिपुओं का भण्डारण धारण बहुत विशाल था और पर्याप्त सरकारी धन अवरूद्ध कर दिया गया था जिसे अन्य प्राथमिकता की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयोग किया जा सकता था।

आर्श्चयजनक बात यह है कि प्रचुर मात्रा में भण्डार की उपलब्धता और पर्याप्त बजट सहायता के बावजूद डिपुओं का निष्पादन उपभोक्ताओं की संतुष्टि के संदर्भ में खरा नहीं उतरा था। यद्यपि इस शीर्षक पर अवाम से विस्तृत में चर्चा की गयी है और जिसे उच्च असमर्थता प्रतिशतता के संदर्भ में देखा गया है अतः यहां पर उल्लेख आवश्यक है।

सारणी 13.4 1994-99 के दौरान सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर और सी ए एफ वी डी किरकी द्वारा आश्रित यूनिटों को भंडारों की आपूर्ति करने में असमर्थता प्रतिशतता

डिपू का नाम	असमर्थता प्रतिशतता					औसत
	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	
सी ओ डी आगरा	18.20	20.40	16.43	13.78	12.18	16.20
सी ओ डी दिल्ली छावनी	19.40	16.20	13.50	12.70	35.90	19.54
सी ओ डी जबलपुर	4.80	5.00	3.80	5.10	4.80	4.70
सी ओ डी कानपुर	28.70	30.90	36.80	38.50	41.80	35.34
सी ए एफ वी डी किरकी	20.10	21.20	26.00	27.20	33.60	25.62

13.4 असंतुलित भण्डार सूची के सम्भावित कारण

लेखापरीक्षा के लिए उन परिस्थतियों की जांच करना बिल्कुल असंभव था जिनमें डिपुओं में अधिक भंडार एकत्रित हुआ। तथापि प्रणाली की जांच के दौरान प्राप्त अनुभवों के आधार पर लेखापरीक्षा का मत है कि निम्नलिखित कारणों या कमियों के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। यद्यपि इन मामलों पर उचित स्थानों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गयी है जिनका संक्षेप में विवरण निम्न प्रकार है:

क) आवश्यकताओं का गलत अनुमान

सामग्री प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य फालतू पुर्जों और सामग्री की विस्तृत आवश्यकताओं की गणना करना है। इसमें विभिन्न एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध करायी गई विस्तृत जानकारी के आधार पर छीजन, परिसम्पत्तियों और उत्तरदायित्वों की गणना सम्मिलित है। दोषपूर्ण अनुमान के परिणामस्वरूप गलत क्रय, असंतुलित भंडार सूची, धन का अवरूद्ध होना और सेवा का घटिया स्तर जैसे मामले इस रिपोर्ट के 'प्रावधान' अध्याय में दर्शाये गये हैं।

ख) दोषपूर्ण मानक

नये उपस्कर के समावेश के बारे में फालतू पुर्जों और सहायकों के उपभोग का पैटर्न ज्ञात नहीं होता है और क्रय आइ एस जी तथा एम आर एल एस के अनुसार होती है। उपयोग में भारी अन्तर और प्रारम्भिक भराव, रखरखाव और ऑवरहाल मानक के सम्बन्ध में मानक एवं परिणामी भंडार का आधिक्य अध्याय 'मानक' के अन्तर्गत दिये गये हैं।

ग) मिश्रित क्रय/एजेंसियां

यद्यपि आयुध अन्तिम रूप से फालतू पुर्जों को उपलब्ध करने के लिए उत्तरदायी है, प्रायः उपस्कर/ फालतू पुर्जों का क्रय अन्य एजेन्सियों जैसे डी जी क्यू ए, डी डी पी एस और एम ओ डी द्वारा की जाती है जिसके परिणामस्वरूप डुप्लीकेशन होता जाता है।

घ) परिहार्य देरियां

यह निम्न कारणों से हो सकता है

i) प्रावधान पुर्नरीक्षा में देरी होना
ii) वित्तीय संस्वीकृतियों में देरी होना
iii) ए एच एस पी द्वारा मांगपत्र में देरी
iv) मांगपत्र प्रक्रिया में देरी
v) निपटान में देरी

उपरोक्त वर्गों में देखे गये मामलों पर इस रिपोर्ट में अन्यत्र कहीं चर्चा की गई है।

13.5 असंतुलित भण्डार सूची के प्रभाव

उचित नियंत्रण के बिना भण्डार सूची प्रबंधन सीमा से अधिक हो जाती है। अधिक भण्डार सूची के रखने का तात्पर्य है कि पूंजी को सीमित कर देती है जो अधिक उत्पादनकारी प्रयोगों के लिए उपलब्ध नहीं होती है। पूंजी का मूल्य, भंडारण लेखांकन, संरक्षण से भण्डार धारण के लागत में वृद्धि हो जाती है और इसके द्वारा और अप्रचलन की लागत भी सम्मिलित होती है।

13.6 संस्तुतियां

(क) चुनिंदा भंडार सूची नियंत्रण पर आधारित प्रबंधन पुनरीक्षा : भण्डार सूची नियंत्रण में ए बी सी विश्लेषण को लागू करने को 'क' मदों की निरंतर चौकसी और लगातार पुनरीक्षा, 'ख' मदों के बारे में एक उचित चौकसी और 'ग' मदों के लिए एक सामान्य चौकसी निहित है। इसे वी ई डी (महत्वपूर्ण, आवश्यक, वांछित) और एस डी ई (दुर्लभ, कठिन आसान) के विश्लेषण के मिश्रण का प्रयोग करके परिष्कृत किया जा सकता है। चुनिंदा भण्डार सूची नियंत्रण तकनीक से प्रबंधन के उच्च स्तरों को विशेष ध्यान देने योग्य मदों की पहचान और कुल क्षमता को नुकसान पहुँचाये बिना उत्तरदायित्व निचले स्तरों

पर सौंपने के लिए मदों की पहचान करने में सहायता मिलती है। कुल मिलाकर परिणाम होता है भंडार सूची का कम होना।

(ख) छीजन आंकडों का मानीटरन : वर्तमान आवश्यकता की गणना के लिए छीजन आंकडों में भंडार के अन्तर स्थानान्तरण सहित आयुध द्वारा किये गये निर्गम भी सम्मिलित होते हैं। इससे वास्तविक छीजन का पता नहीं चलता है। वास्तविक उपयोग का प्रयोक्ता स्तर पर मानीटरन किया जाना चाहिए और प्रावधान के उद्देश्य से छीजन आंकडे तैयार किये जाने चाहिए जिससे बचत हो सके।

ग) अधिक प्रावधान से बचने के लिए ई एम ई के अतिरिक्त बाहर की एजेन्सियों जैसे मूल उपस्कर उत्पादकों ए एच एस पी, आयुध और वित्त को सम्मिलित करके मानकों की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिए। मानकों में गलती के कारण भंडार सूची में गुणात्मक प्रभाव से अनावश्यक अधिक निवेश हो सकता है और इसे सावधानीपूर्वक नियंत्रित किये जाने की आवश्यकता है।

घ) उपस्करों के संहिताकरण और मानकीकरण की तत्काल आवश्यकता है।

ड़) अधिक भण्डार की सही समय पर पहचाने और निपटान करने पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

13.7 रक्षा विभाग की प्रतिक्रिया

इन संस्तुतियों पर प्रतिक्रियाएं अध्याय2 और 4 में व्यक्त की गई हैं अतः एम जी ओ ने कहा कि पृथक से टिप्पणियां प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं था।

13.8 उपसंहार

लेखापरीक्षा ने तथ्यों के सार जिनके कारण असंतुलित भण्डार सूची बन गई, को उजागर करने के लिए संस्तुतियां पुनः प्रस्तुत कीं ताकि उचित उपचारी कार्रवाई की जा सके।

अध्याय 14 : अधिशेष प्रबंधन (निपटान)

14.1 सार

अधिशेष भण्डार में वृद्धि कई कारणों जैसे मुख्य संयंत्रों/ वाहनों का सेवा से हटाया जाने, आधुनिकीकरण करने, अधिक प्रावधान करने और मुख्य संयंत्र के पुराने हिस्सों का नये हिस्सों से बदलने के कारण होती है।

अधिशेष भंडारों की पहचान तथा उसके निपटान की प्रक्रिया में समय बहुत लगता था क्योंकि कई स्तरों पर अनेक एजेसियों अर्न्तनिहित हैं जिनकी अनुमति ली जाती थी। डी जी क्यू ए द्वारा संयंत्रों को अप्रचलित घोषित करने व समनुदेशन सूचियों के जारी करने हेतु सेना मुख्यालय के भंडार अनुभाग में अधिशेष भण्डार सूचियाँ बहुत अधिक मात्रा में एकत्रित हो गई थीं। समनुदेशन सूचियों के जारी हो जाने के उपरान्त निपटान कारवाई में देरी पायी गई। जबकि 55.09 करोड रूपये के भण्डार का निपटान होना शेष था तभी 161 करोड़ रूपये के प्रयोजनीय भण्डार खुले में पड़े हुए थे क्योंकि अवांछनीय भंडार ने भंडारण का बहुमूल्य आच्छादित स्थान धेर रखा था।

निचली फोरमेशनों द्वारा संबन्धित केन्द्रीय आयुध डिपुओं को अधिशेष भण्डार को वापस भेजने की प्रक्रिया को पुनः जांच करने की आवश्यकता है। विघटित विशेष अधिशेष भण्डार निपटान कमेटी (एस एस एस डी सी) के समान एक स्थायी समिति की स्थापना, समय पर भंडार की स्थिति की घोषणा और समनुदेश सूची जारी करने तथा तत्परता से निपटान करने जैसे कुछ बिन्दु हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है

14.2 सामान्य

किसी भी संगठन में नये संयंत्रों का अधिग्रहण व पुराने संयंत्रों का निपटान एक निरंतर चलने वाली सामान्य प्रक्रियायें हैं जो बदलते हुए वातावरण में साथ-साथ चलती हैं। थलसेना के भंडार में लगभग पांच लाख मदें हैं और वह इस सार्वभौमिक संवृत्ति का अपवाद नहीं है।

प्रत्येक प्रावधान पुनरीक्षा के बाद अधिशेष भंडार का पता लगता है और प्रशिक्षण या आपरेशन के दौरान संयंत्रों के लगातार छीजन से सालवेज मदों की आमद होती है। इस प्रकार के भण्डार सूची का निपटान, एक आनुषंगिक क्रिया होने के बावजूद विश्वभर में सेना के आधुनिकीकरण के कारण विगत समय में एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। जब किसी संयंत्र की मरम्मत अलाभकारी हो जाती है तो उसका प्रतिस्थापन ही विकल्प

रह जाता है। इसलिए यह अति महत्वपूर्ण है कि बढ़ते हुए अधिशेष भण्डारों और सालवेज का तत्परता से निपटान कर दिया जाये जिससे कि इस से प्राप्त धन का सही सदुपयोग हो सके और महत्वपूर्ण आचछादित स्थान खाली हो सके।

14.3 अधिशेष के कारण और उनकी पहचान

अधिशेष भण्डार सभी या निम्न से किसी एक का अन्तिम उत्पाद होता है

(क) थलसेना यूनिटों का पुनर्गठन और उनके उपस्कर के प्रकारों में परिवर्तन;

(ख) यूनिटों की हकदारी (यू ई) में परिवर्तन के कारण मुख्य उपस्कर या वाहनों का पूर्ण तरह से सेवा से हटाया जाना या मुख्य उपस्कर संयत्रों की संख्या में कमी करना;

(ग) संयत्रों/वाहनों का आधुनिकीकरण और अपश्रेणीकरण जिसमें मुख्य एसम्बलियों / सब एसम्बलियों का प्रतिस्थापन शामिल हो ;

(घ) ई एम ई तथा सी ओ डी के अनुरक्षण सलाहकारी ग्रुप (एम ए जी) द्वारा पिछले अनुभवों के आधार पर जरूरतों का लगातार आंकलन जिससे बेकार मदों की पहचान हो सके ;

(ड.) ओवर हाल और अनुरक्षण दोनों के लिए मानकों से मदों का हटाया जाना

(छ) समयावधि प्रावधान पुनरीक्षा में देखा गया कि विगत में अधिक प्रावधान के कारण अधिक भण्डार का होना

उपरोक्त मामलों में ये केवल मुख्य उपस्कर/ वाहन ही नहीं हैं जो कि अधिशेष हो गए है अपितु मुख्य और गौण एसम्बलियाँ तथा पुर्जे भी सम्मिलित हैं जो उनकी मरम्मत ओवरहाल में प्रयोग में लाये जाते हैं।

14.4 निपटान प्रक्रिया

विगत में केवल आयुध डिपू ही निपटान कार्रवाई करती थी। यह अपने प्रमुख कार्य में व्यस्त रहने के कारण, इतने बड़े कार्य को प्रभावशाली ढ़ंग से निभा नहीं सकी। वास्तव में निपटान की गति उनके अस्तित्व में आने के अनुरूप नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप विविध आयुध डिपुओं में अप्रयोजनीय पड़े हुए, युद्ध संबंधी भण्डार संयंत्रों और अप्रचित/ लुप्तप्राय/ जारी नहीं किए जा रहे प्रचलित भण्डार के निपटान के लिए

समयावधि के आधार पर कैबिनेट की मंजूरी से 16 जुलाई 1991 का विशेष अधिशेष भण्डार निपटान कमेटी (एस एस एस डी सी) का गठन किया गया। इस कमेटी का कार्यकाल मार्च 1996 में समाप्त हो गया। अपने कार्यकाल के दौरान इस कमेटी ने 35685 ' बी' वाहनों और 32,970 टन से अधिक ब्रास/ कापर स्क्रैप तथा 54,480 टन निष्क्रिय अधिशेष भण्डार सूची का निपटान किया और इससे 400 करोड रूपये का बिक्री मूल्य वसूल हुआ।

रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 1997 में छीजन, अन्य मदों, सालवेज और अधिशेष भण्डारों, बेकार वाहनों, जलपोतों, संयंत्रों, युद्ध संबंद्धी भण्डारों व विविध वस्तुओं के निपटान की व्यवस्था के लिए नीलामी का कार्य करने हेतु एम एस टी सी के साथ 31.7.2000 तक वैद्य एक अनुबंध किया जिसके अनुसार विक्रय से होने वाली आय पर 1.75 प्रतिशत का सेवा शुल्क का भुगतान होना था। एम एम टी सी ने अप्रैल 1997 और मार्च 2000 के दौरान लगभग 298 करोड रूपये के सालवेज वाहनें का निपटान किया।

सेना मुख्यालय में, ए डी जी ओ एस के अधीन कर्नल रैंक के अधिकारी की देखरेख में एक निपटान सैल कार्य कर रहा है।

14.5 लेखापरीक्षा की आपत्तियां

पुनरीक्षा से मालूम हुआ कि अधिशेष भण्डार की पहचान और उनके निपटान हेतु विद्यमान प्रक्रिया की पुनः जांच आवश्यक थी। चरण बद्ध जटिलताएं निम्न प्रकार हैं

i) अधिशेष को चिन्हित करने की अपर्याप्त व्यवस्था

वर्तमान प्रक्रिया में, अधिशेष भण्डार मुख्य रूप से तीन स्तरों पर चिन्हित किया जाता है ;

(क) वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा के अन्तिम परिणाम के आधार पर स्वयं डिपुओं द्वारा पहचान करना। इसके बाद जनरल स्टाफ संयंत्र पालिसी कमेटी (जी एस ई पी सी / डी जी क्यू ए/ ए एच एस पी से मंजूरी प्राप्त करने मे लम्बी प्रक्रिया का अपनाया जाना।

(ख) ई एम ई का एम ए जी पिछले अनुभवों के आधार पर स्केल में अनावश्यक मदों की पहचान करता है। स्केल में कमी करने / हटाने के परिणामस्वरूप अधिशेष का होना।

(ग) इस उद्देश्य के लिए गठित विशेष कमेटी द्वारा पहचान करना। अधिशेष भण्डारों की पहचान के लिए तदर्थ कमेटी गठित की जाती हैं। हाल ही में कुछ कमेटियां

ब्रिगेडियर एस बिन्द्रा (1997) और ले जनरल विजय लाल (1999) के नेतृत्व में गठित की गई थीं।

वार्षिक प्रावधान पुनरीक्षा को छोडकर इन स्तरों पर किये गए प्रयासों की प्रकृति विकीर्ण थीं। भण्डार सूची की मात्रा को ध्यान में रखते हुए अधिशेषों की पहचान हेतु डिपुओं/ यूनिटों का नियमित करने के लिए एक पूर्णकालिक कमेटी की आवश्यकता थी।

ii) पाये गये अधिशेषों के बारे में 'जस्ट इन केस' प्रवृति

निर्धारित प्रणाली के अनुसार जब वार्षिक प्रयोजन पुनरीक्षा के दौरान अधिशेष पाये जाते हैं तो उन मदों को जो प्रयोग में लाने लायक नहीं है और निर्धारित सीमा से अधिक हैं, निपटान के लिए घोषित करने की जरूरत होती है, जैसा कि "असंतुलित भण्डार सूची" अध्याय में कहा गया है अधिशेष भण्डार, निपटान की कार्रवाई बिना ही अनिश्चित समय से डिपुओं में पड़ी हुई यह सामग्री प्रबंधकों की 'लस्ट इन केस' की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

iii) समय खपत कार्यप्रणाली

संयंत्रों की स्थिति में परिवर्तन के साथ-साथ अप्रचलित और लुप्तप्राय (प्रचलित और मरम्मत योग्य) भण्डार सूची की पहचान व निपटान को निरंतर चलने वाली प्रक्रिया माना जाता है। तथापि जनरल स्टाफ संयत्र पालिसी कमेटी (जी एस ई पी सी) को प्रचलित से लुप्तप्राय और लुप्तप्राय से अप्रचलित स्थिति में परिवर्तन घोषित करने में लम्बा समय लगता है। इसके बाद मामलों को डी जी क्यू ए और ए एच एस पी से संयत्र / भण्डार की स्थिति की पुष्टि कराने और मदों के निपटान हेतु सी एफ ए की सहमति प्राप्त करने में पर्याप्त समय लग जाता है। समय खपाऊ इस लम्बी प्रक्रिया के कारण आयुध डिपुओं में अप्रचलित, लुप्त प्राय और जारी न हो रहे भण्डार का जमाव हो जाता है परिणामतः परिहार्य भण्डार सूची के रख रखाव पर व्यय होता है और सीमित भण्डारण स्थान अवरूद्ध हो जाता है। इसके कारण भण्डार में इन भण्डारों/ संयत्रों का ह्रास भी होता है।

लेखापरीक्षा ने सी ओ डी जबलपुर को छोडकर अन्य डिपुंओं में कुछ अप्रचलित मदों के अधिशेषों की घोषणा और निपटान के बीच के समय का अध्ययन किया। आंकड़े निम्न प्रकार हैं :

सारणी 14.1 अधिशेष भण्डार के निपटान में लिया गया समय

डिपू का नाम	भण्डार/ संयंत्र	अधिशेष घोषित करने का दिनांक/ वर्ष	निपटान की तिथि	अधिशेष घोषित करने और निपटान प्रतीक्षा में बीता समय	निपटान में लिया गया समय
सी ओ डी आगरा	रेडियो सैटों, राडारों के फालतू पुर्जे	1996-97	फरवरी 2000	-	24 (आंशिक निपटान किया गया)
सी ओ डी आगरा	रेडियो सैटों के फालतू पुर्जे	1998-99	-	12	-
सी ओ डी दिल्ली छावनी	एम टी के फालतू पुर्जे	जून 1998	-	24	-
सी ओ डी कानपुर	जी एस एंड सी की मदें	मई 1997 मार्च 1998 मार्च 1998	सितम्बर 1997 अगस्त 1999 -	- - 27	3 17 -
सी ए एफ वी डी किरकी	चर्चिल टैंक के फालतू पुर्जे	जून 1998	नवम्बर 1999 जनवरी 2000 मार्च 2000	- - -	17 19 20
सी ए एफ वी डी किरकी	टी-54 के फालतू पुर्जे	सितम्बर 1998	-	20	-
सी ए एफ वी डी किरकी	पी टी-76 के फालतू पुर्जे	दिसम्बर 1998 जनवरी 1999	- -	14 17	- -

जैसा प्रावधान अध्याय के पैराग्राफ 2.8.5 में कहा जा चुका है, टी-54 और पी टी 76 क्रमशः नवम्बर 1994 और अप्रैल 1996 में अप्रचलित घोषित किये गये थे। तथापि

उनके फालतू पुर्जे जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, सितम्बर 1998 और जनवरी 1999 के दौरान अधिशेष घोषित किये गये थे।

संयंत्र को अप्रचालित घोषित किये जाने और डी जी क्यू ए द्वारा समनुदेशन सूची जारी करने के बाद भी निपटान में देरी के उदाहरण जानकारी में आये। सी ओ डी आगरा का इलेक्टानिक संयंत्र का मामला जो बहुत जल्दी लुप्त प्राय होता है, का दृष्टांत नीचे दिया गया है:

सारणी 14.2 डी जी क्यू ए द्वारा स्थिति की घोषणा करने और समनुदेशन सूची जारी करने के बावजूद भी निपटान कार्रवाई में देरी

(मूल्य लाख रूपए में)

संयंत्र के प्रकार	मदों की रेंज	लम्बित समय मूल्य		मूल्य
		पुराने	नये	
रेडियो संयंत्र	510	1980	1998	604.92
पावर संयंत्र	1098	1987	1997	16.61
लाइन संयंत्र	1087	1991	1997	169.11
औजार	3157	1948*	1997	209.00
योग	5852			999.64

* मद " वुड बोरर्स न्यूमेटिक ड्रिल" है।

iv) कन्वीनर टैक्निकल टीम द्वारा पुनः उपयोग की जांच (सी टी टी)

निपटान की विद्यमान प्रक्रिया में आवश्यकता से अधिक सभी मदों के लिए सेना मुख्यालय में स्थित कन्वीनर टैक्निकल टीम (सी टी टी) की संस्तुति ली जाती है ताकि निपटान से पूर्व पुनः उपयोग हेतु उपयुक्त अधिशेष भण्डार की पहचान की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पुनरीक्षा में शामिल डिपुओं के सी टी टी जांच के ब्यौरों के विश्लेषण से पाया कि देरी के लिए मुख्य कारणों में से एक सी टी टी जांच थी। चुने गये नमूनों के निपटान में ली गई अवधि 7 व 21 महीने के बीच पायी गई। इसके अतिरिक्त पुनः उपयोग के लिए संस्तुत मदों की न्यून प्रतिशत पायी गई जिससे सी टी टी जांच की आवश्यकता पर प्रश्न चिह्न लगता है। ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है:

सारणी 14.3 *कन्चीनर टैक्निकल टीम (सी टी टी) द्वारा अधिशेष भण्डार की जांच में लिया गया समय और पुनः उपयोग के लिए संस्तुत मदों की प्रतिशतता*

डिपू का नाम	भंडार/संयंत्र का नाम	अधिशेष घोषित करने/ सी टी टी को सूचित करने की तिथि	सी टी टी के दौरे की तिथि	लिया गया समय (महीनों में)	दुबारा प्रयोग के लिए संस्तुत प्रतिशतता
सी ओ डी आगरा	रेडियो सैट और राडारें	1996-97	24.10.97	7	25.0
		1997-98	-	-	-
		1998-99	22.2.2000	11	1.7
सी ओ डी दिल्ली छावनी	एम टी के फालतू पुर्जे	15.6.98	29.3.2000	21	20.00
सी ओ डी कानपुर	3.5.97	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.8
	9.3.98	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1.0
	9.3.98	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	1.0
सी ए एफ वी डी किरकी	सैन्च्यूरियन अमेरिकन/ ब्रिटिश टैंक के फालतू पुर्जे	जून 1998	15.3.2000	21	शून्य
सी ए एफ वी डी किरकी	पी टी 76	दिसम्बर 1998	6.10.1999	10	5.4
सी ए एफ वी डी किरकी	टी-54 के फालतू पुर्जे	सितम्बर 1998	23.9.1999	12	24.0

v) *निचली यूनिटों/फोरमेशनों से सी ओ डी को अधिशेषों का वापस लदान*

थलसेना भण्डार सूची के विस्तृत फैलाव के साथ सी ओ डी क्षेत्रीय डिपुएं और बेस कार्यशालाओं सहित अन्य सभी सम्बंधित कार्यशालायें एक ही प्रकार के भण्डार सूची का संग्रहण करती हैं। लेकिन उनकी आवश्यकता के अनुसार यह मात्रा और फैलाव सीमित है। अतः जब संयंत्र या इसके फालतू पुर्जे अप्रचलित हो जाते हैं तो इन भण्डारों को निपटान हेतु सम्बन्धित सी ओ डी को वापस भेज दिया जाता है।

यह व्यवस्था जांच में समय की बचत, ढेरों को उठाने और सही मूल्य की वसूली को ध्यान में रखते हुए की गयी थी।

तथापि वर्तमान व्यवस्था में निचले सोपानों के स्तर पर आधिक्य घोषित किए गए भण्डारों और अतिरिक्त पुर्जों का संबंधित सी ओ डी को वापस लदान कर दिया गया था जिस के कारण भाड़े और भण्डार की देख-रेख पर बहुत व्यय हुआ था। निपटान के लिए गए अधिक समय के विचारणीय, जैसा कि इस अध्याय के पूर्व के पैरा में बताया गया है, ऐसे भण्डार की एक बड़ी मात्रा के खराब होने की सम्भावना थी जिसके कारण मूल्य में आगे ओर कमी हुई।

अप्रचलित, लुप्तप्राय और जारी न होने वाली भण्डार सूची को चिन्हित करने के लिए 1997 में ब्रिगेडियर बिन्द्रा के नेतृत्व में बनी कमेटी ने अपने अध्ययन में संस्तुति की है कि जहां कहीं भी स्थानीय बाजार उपलब्ध थे वहां पर क्षेत्रीय आधार पर अधिशेषों के निपटान के लिए निचली यूनिटों को वित्तीय शक्तियां प्रदान की जा सकती थीं अथवा भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर एक सी ओ डी के कमाडेंट द्वारा उनके क्षेत्रों में निपटान की कार्रवाई से प्रबंधन की संभाव्यता का आंकलन किया जा सकता है ताकि पेरेन्ट सी ओ डी को उनके कार्यभार से मुक्त रखा जा सके जैसे दक्षिणी कमान के लिए सी ओ डी देहू रोड और सेन्ट्रल कमान के लिए सी ओ डी छिउकी।

लेखापरीक्षा ने भाडे, भण्डारण और निपटान से पूर्व अन्य कार्यकलापों पर व्यय के निर्धारण का क़ाम नहीं किया क्योंकि इसमें फील्ड यूनिटों या निचले स्तर पर आंकडे प्राप्त करना शामिल था जो कि इस पुनरीक्षा से बाहर था।

vi) निपटान योग्य भण्डार सूची का जमाव

पुनरीक्षा के दौरान, 31 मार्च को समाप्त अवधि के लिए , सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर और सी ए एफ वी डी किरकी में निपटान की गई अधिशेष भण्डारों की मात्रा और मूल्य तथा निपटान के लिए शेष भण्डारों को संलग्नक 'ठ' में दर्शाया गया है। यह दर्शाता है कि इन डिपुओं ने 17.14 करोड रूपये के 8532 टन भण्डार का निपटान किया और शेष 2783.2 टन भण्डार पड़ा रहा।

पुनरीक्षा में सम्मिलित, डिपुओं में निपटान के लिए अधिशेष मदों की संख्या और उनका मूल्य 1 सितम्बर 1999 को निम्न प्रकार थाः

सारणी 14.4 सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर और सी ए एफ वी डी किरकी में निपटान के लिए शेष आधिक्य भण्डार

(मूल्य करोड़ रूपये में)

डिपू का नाम	निपटान के लिए शेष भंडार	
	मदों की संख्या	मूल्य
सी ओ डी आगरा	1332	1.40
सी ओ डी दिल्ली छावनी	10097	2.14
सी ओ डी जबलपुर	13701	44.81
सी ओ डी कानपुर	21	0.06
सी ए एफ वी डी किरकी	1957	6.68
योग	27108	55.09

vii) अनावश्यक मदों के रिर्जव का रखरखाव

सेना मुख्यालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार कुछ प्राधिकृत रिजर्व का भण्डारण डिपुओं में होता है। सी ओ डी आगरा में यह देखा गया था कि चार प्रकार के रिजर्व जैसे सेना मुख्यालय रिजर्व सूची संख्या 1, थियेटर भंडार सिगनल रिजर्व, इंजीनियर थियेटर भंडार रिजर्व और व्यय करने योग्य एअरवोर्न संयंत्र रिजर्व डिपुओं में लगातार रखे जा रहे थे जिन्हें 1979 व 1986 के दौरान सेना मुख्यालय द्वारा प्राधिकृत किया गया था, डिपुओं ने 1997 व 1999 में रिजर्व सूची में संशोधन हेतु मामला सेना मुख्यालय को भेजा था क्योंकि इलैक्ट्रानिक और परिष्कृत संयंत्रों की तकनीकी में तेजी से परिवर्तन के कारण कई संयंत्रों का बदलाव/ अवश्रेणीकृत/प्रतिस्थापन हो चुका था। इसे मामले में दिसम्बर 2000 तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

viii) उपयोगी भण्डार का खुले में पड़े रहना

अधिकतर विद्यमान डिपू विश्व युद्ध II के समय की हैं। तब से उनका आधुनिकीकरण नहीं हुआ है और लगभग सभी डिपुओं में पुरानी व अपर्याप्त भण्डारण स्थान व्यवस्था है। यद्यपि इस दौरान भण्डार सूची कई गुना बढ़ गयी है, जिसके कारण प्रभावी स्थान प्रबंधन के साथ-साथ अतिरिक्त भण्डारण आवास के निर्माण की आवश्यकता है। पुनरीक्षा में शामिल डिपुओं द्वारा प्रयुक्त स्थान के अध्ययन में पाया गया कि 161 करोड़ रूपये के 30413 टन भार का भंडार खुले में पड़े हुए थे जो मौसम में खराब हो रहे थे। और उनमें ह्रास हो रहा था। कम सेल्फ लाइफ वाले रबर की कुछ मदें भंडारों की इस श्रेणी में आती है जिनका उत्तरदायित्व सी ए एफ वी डी किरकी का था।

जबकि दूसरी और डिपूओं में अनावश्यक भंडार का आच्छादित आवास में भंडारण हो रहा था। अनावश्यक भंण्डार के भण्डारण सी ए एफ वी डी किरकी में 2.25 प्रतिशत से सी ओ डी दिल्ली छावनी में लगभग 10 प्रतिशत के बीच था।

31 मार्च 1999 की स्थिति नीचे दर्शायी गयी है:-

सारणी 14.5 31 मार्च 1999 को सी ओ डी आगरा, दिल्ली छावनी, जबलपुर, कानपुर और सी ए एफ वी डी किरकी में प्रयोजनीय भण्डार के खुले में पड़े रहने की स्थितिः

(मूल्य करोड़ रूपये में)

डिपू का नाम	डिपू में कुल भंडारण स्थान (वर्ग मीटर)	अनावश्यक भंडार से घिरा आच्छादित स्थान (वर्ग मीटर)	अनावश्यक भंडार से घिरे स्थान की प्रतिशतता	खुले स्थान में पड़े हुए प्रयोजनीय भंडार	
				टन भार	मूल्य
सी ओ डी आगरा	148647	2300	1.55	73	0.4
सी ओ डी दिल्ली छावनी	13155	1307	9.94	13211	65
सी ओ डी जबलपुर	155474	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
सी ओ डी कानपुर	184819	शून्य	शून्य	1217	13
सी ए एफ वी डी किरकी	54501	1225	2.25	15912	78
योग				30413	156.4

लेखा परीक्षा द्वारा विसंगतियां प्रकाश में लाने पर सी ए एफ वी डी किरकी ने बताया कि प्रभावी स्थान उपयोगिता प्राप्त करने के दृष्टिगत सब डिपुओं का पुर्नगठन करने हेतु उन्होंने प्रयास आरम्भ कर दिये थे।

14.6 संस्तुतियां

क) शीघ्र निपटान के लिए जी एस ई पी सी/ डी जी क्यू ए/ ए एच एस पी को समयबद्ध प्रणाली के भीतर उनके अनुमोदन जारी करने तथा समनुदेशन सूचियाँ जारी करने के लिए जोर देना चाहिए।

ख) सी टी टी जांच में लिए गये समय में कमी।

ग) जहां विलम्बों का वसूली से औचित्य नहीं ठहराया जा सकता था वहां सी टी टी जांच जारी रखने पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

घ) निचली फोरमेशनों /स्तरों के द्वारा सी ओ डी को निपटान योग्य भण्डारों के वापस लदान की विद्यमान प्रक्रिया को जारी रखने के लिए अलग से अध्ययन करने की आवश्यकता है। मूल्य लाभ के विश्लेषण के उपरान्त निचली फोरमेशनों /स्तरों को निर्धारित समय सीमा में आधिक्य भण्डारों के निपटान की अनुमति दी जा सकती है।

ड.) एस एस एस डी की अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए इसी तरह की एक स्थायी यूनिट नियमित रूप से आधिक्य के निपटान के लिए गठित की जानी चाहिए

च) निपटान के लिए तुरंत पहचान की सुविधा हेतु भण्डार सूची का स्वचालीकरण।

छ) ***मानक प्रतिमानों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए।***

14.7 रक्षा विभाग की प्रतिक्रिया

एम जी ओ ने उपरोक्त सभी संस्तुतियों को स्वीकार किया। तथापि मंत्रालय ने कहा कि चार संस्तुतियों पर निर्णय थलसेना मुख्यालय से प्रस्तावों की प्राप्ति के उपरान्त किया जायेगा।

उनकी टिप्पणियां क्रमवार नीचे दर्शाई गई हैं

(क) स्वीकार किया और कहा कि उपस्कर के स्तर में यथासमय परिवर्तन करने और डी जी क्यू ए द्वारा दस्तावेज प्रकाशित करने के मामले का एक स्टडी ग्रुप द्वारा गहन विश्लेषण किया गया था तथा ग्रुप के सुझाव आने बाकी थे। एम जी ओ को आशा है कि स्टडी ग्रुप की संस्तुतियों का कार्यान्वयन लेखापरीक्षा द्वारा प्रकाश में लाई गई समस्याओं का निदान करने में सहायक होगा।

(पैरा 14.6(क))

(ख) स्वीकार किया तथा सी टी टी जांच प्रणाली को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया क्योंकि समप्रयोगी मदों का निर्धारण ए एच एस पी द्वारा उपस्कर के समावेश के समय किया जाना चाहिए।

(पैरा 14.6 (ख))

(ग) स्वीकार किया कि यदि उपस्कर के समावेश के समय ए एच एस पी समप्रयोगी मदों के निर्धारण का मामला तय कर लेती है तो सी टी टी जाँच की कवायद व्यर्थ होगी।

(पैरा 14.6(ग))

(घ) स्वीकार किया कि आर ओ डी से आधिक्य भण्डारों को वापस भेजना वहन लागत और सी ओ डी में प्राप्ति के उपरान्त उनकी स्थिति निर्धारण क्रियाकलाप पर लगी मानव शक्ति के कारण मितव्ययी नहीं था और सुझाव दिया कि संवेदी प्रकृति या आयात मूल की मदों को छोड़कर निपटान हेतु आधिक्य भण्डार आर ओ डी में ही रख लिए जाए।

(पैरा 14.6(घ))

(ड.) यह स्वीकार किया कि आधिक्य भण्डार सूची के शीघ्र और औचित्यपूर्ण ढंग से निपटान के लिए एक अधिकृत कमेटी की स्थापना की आवश्यकता थी।

(पैरा 14.6(ड.))

(च) स्वीकार किया और कहा कि सी आई सी पी के पूर्णतया चालू होने पर विभिन्न स्तरों पर आधिक्य की पहचान करने की पारदर्शिता बढ़ेगी।

(पैरा 14.6(च))

(छ) स्वीकार किया और कहा कि मामला ई एम ई से संबंधित था।

(पैरा 14.6(छ))

14.8 उपसंहार

क्योंकि एम जी ओ ने लेखापरीक्षा की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, मंत्रालय संस्तुति (क) से (ग) और (ड.) पर अन्तिम निर्णय लेने के विषय में ठोस सुझाव प्रस्तुत करने हेतु एम जी ओ को निदेश दे सकता है। अन्य उपस्करों, जो सेवा में हैं, के साथ समप्रयोगी मदों के निर्धारण के संबंध में लेखा परीक्षा एम जी ओ से सहमत है कि यह कार्य ए एच एस पी का होना चाहिए और सी टी टी का इसमें कोई कार्य नहीं है। उपस्कर के समावेश के साथ ही नये उपस्कर और वे जो सेवा में है, के मध्य अतिरिक्त पुर्जों की समप्रयोगिता निर्धारित करने से अवांछित भण्डारों की आसानी से पहचान करने और निपटान करने में सुविधा होगी।

सुधा राजागोपालन

(सुधा राजागोपालन)
महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं

नई दिल्ली
दिनांकः 8 दिसम्बर DEC 2000

प्रतिहस्ताक्षर

विजय शुंगलू

(विजय कृष्ण शुंगलू)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 8 दिसम्बर DEC 2000

बहु आयामी ढांचे के अर्न्तगत सामग्री की आपूर्ति एवं प्रवाह की श्रंखला को दर्शाता हुआ चार्ट

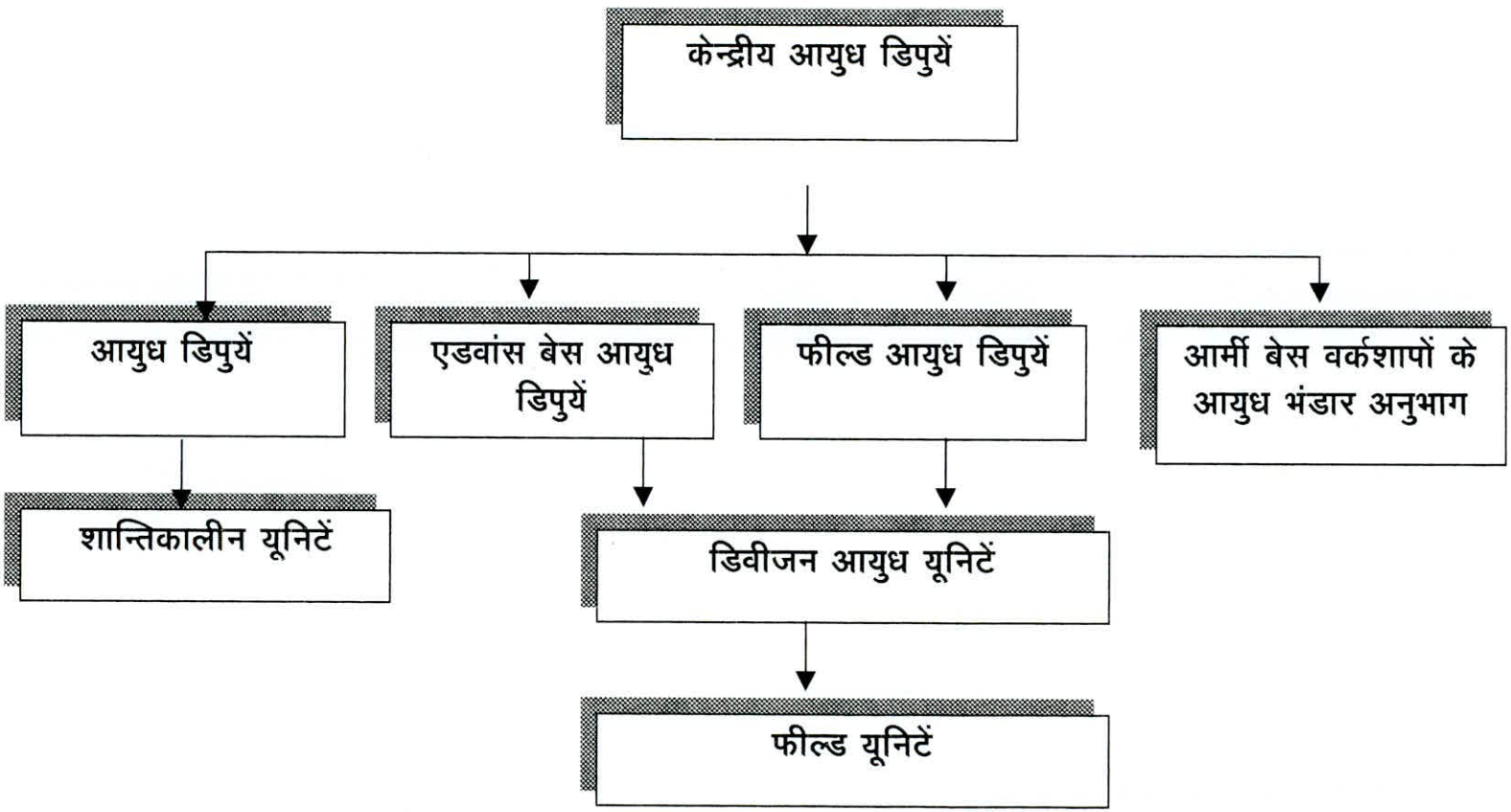

थलसेना मुख्यालय में आयुध संगठन का चार्ट

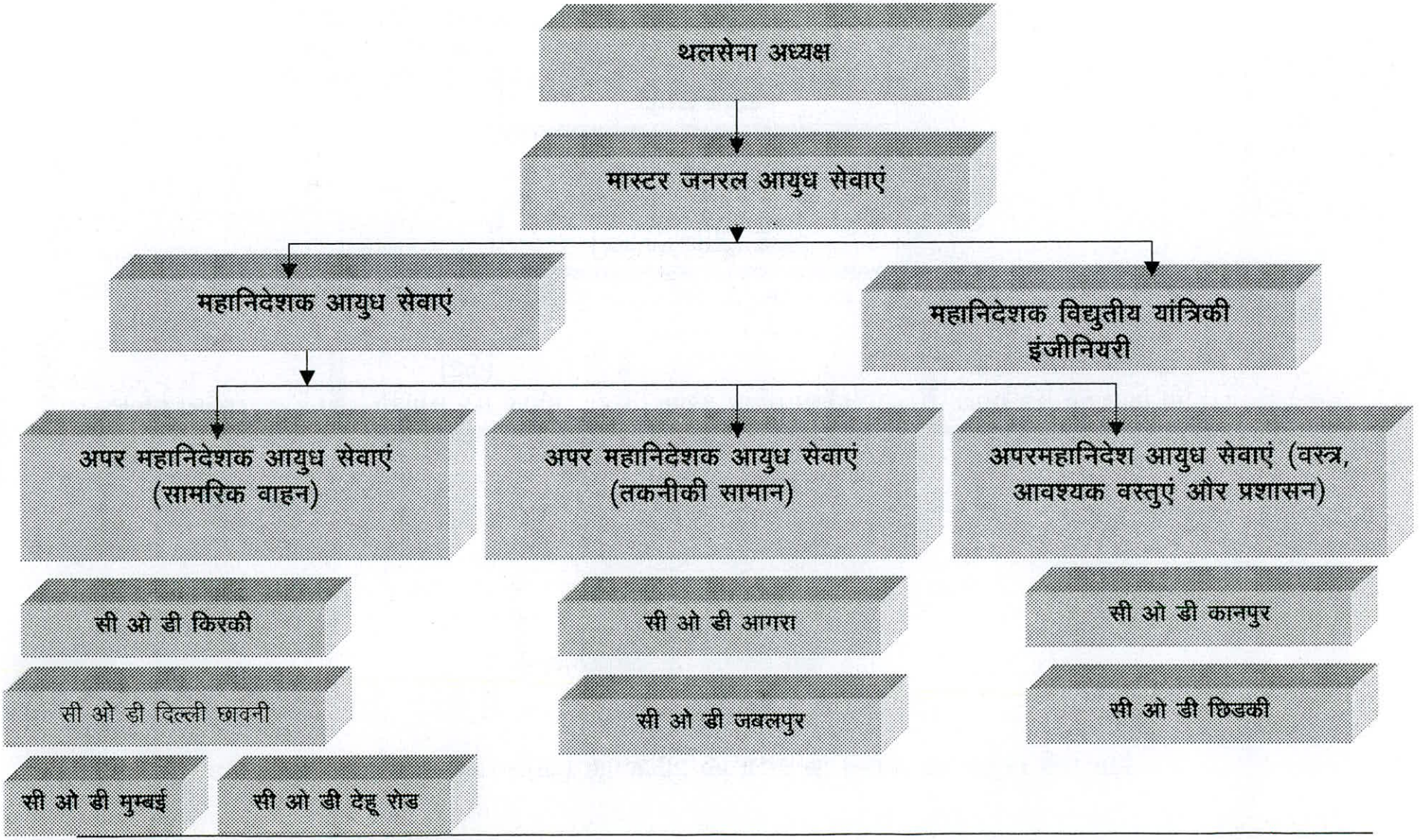

केन्द्रीय आयुध डिपू का संगठनात्मक चार्ट

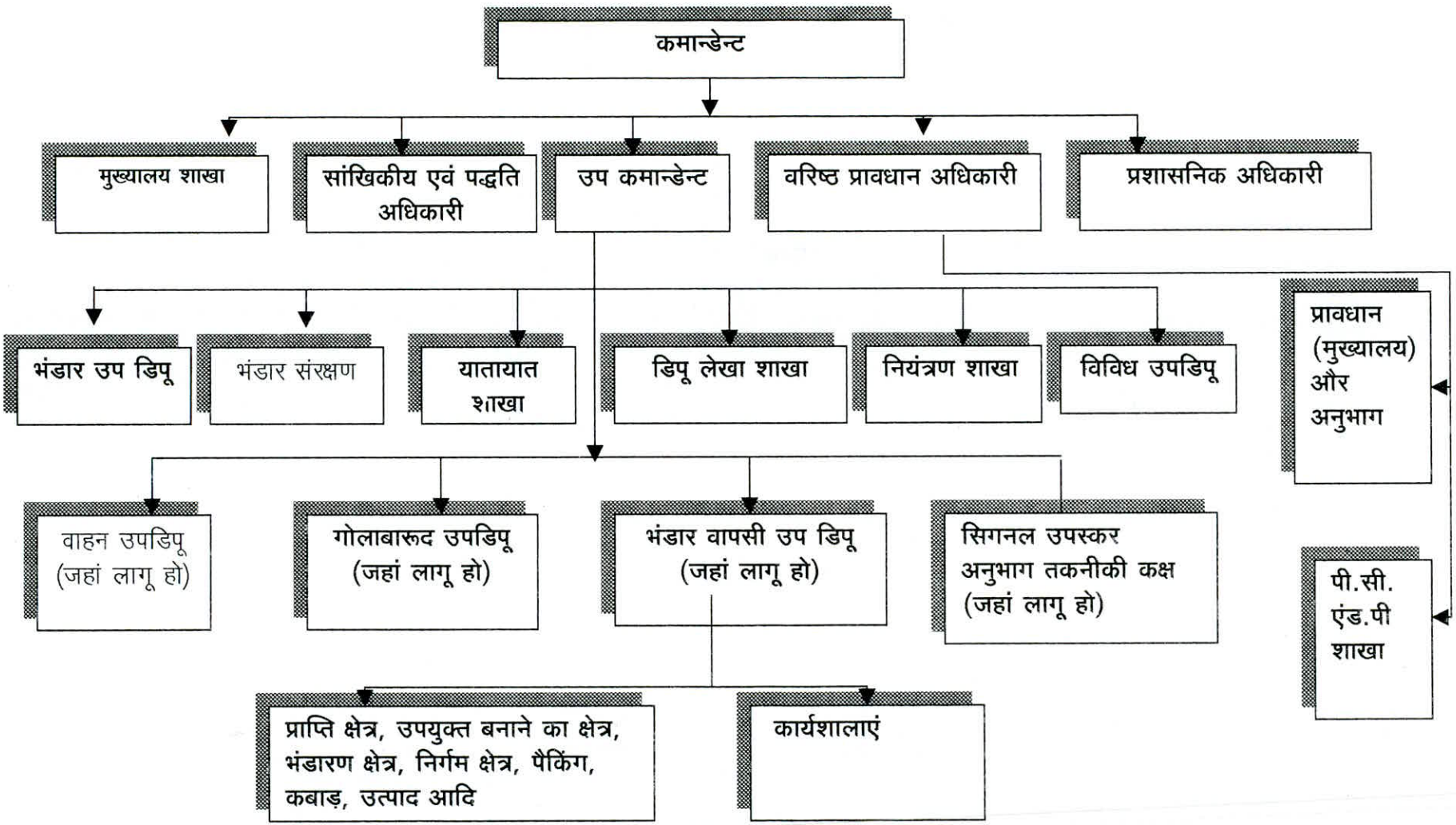

संलग्नक घ - सी ओ डी आगरा में प्रावधान पुनरीक्षा का प्रवाह चार्ट - श्रेणी 'ख' भंडार

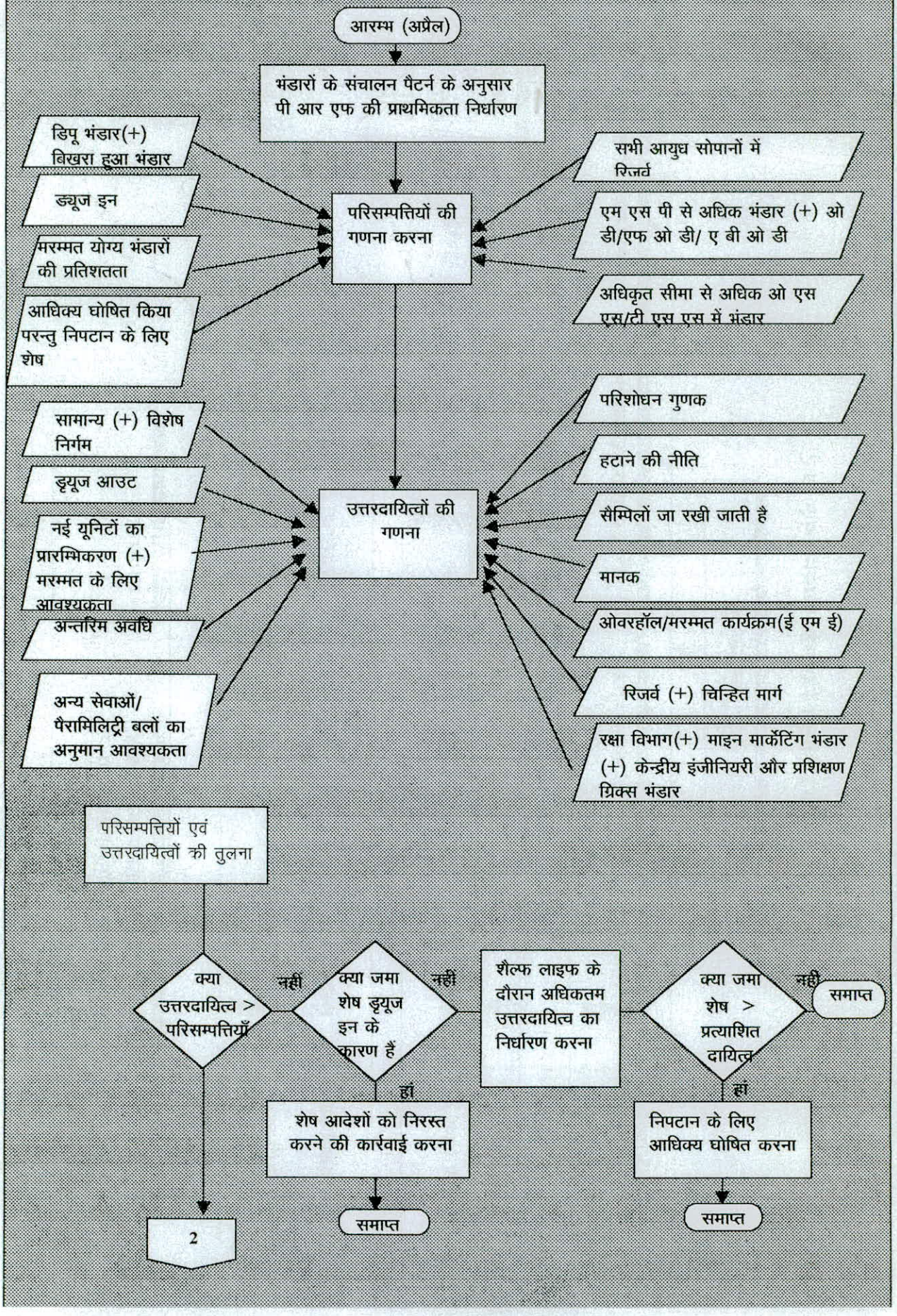

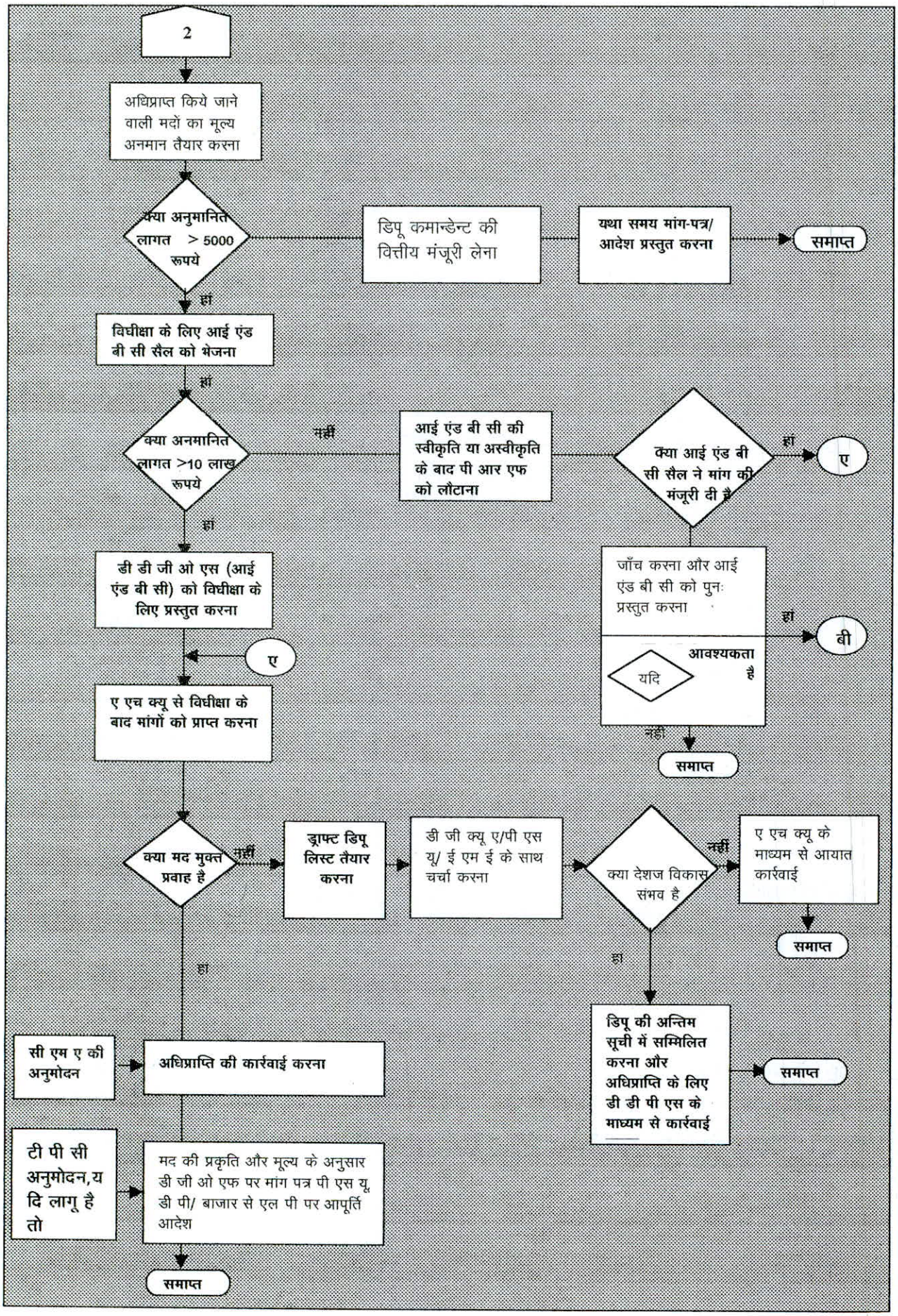
2
अधिप्राप्त किये जाने वाली मदों का मूल्य अनमान तैयार करना
क्या अनुमानित लागत > 5000 रूपये
डिपू कमान्डेन्ट की वित्तीय मंजूरी लेना
यथा समय मांग-पत्र/ आदेश प्रस्तुत करना
समाप्त
हां
विधीक्षा के लिए आई एंड बी सी सैल को भेजना
हां
क्या अनमानित लागत >10 लाख रूपये
नहीं
आई एंड बी सी की स्वीकृति या अस्वीकृति के बाद पी आर एफ को लौटाना
क्या आई एंड बी सी सैल ने मांग की मंजूरी दी है
हां
ए
हां
डी डी जी ओ एस (आई एंड बी सी) को विधीक्षा के लिए प्रस्तुत करना
जाँच करना और आई एंड बी सी को पुनः प्रस्तुत करना
यदि आवश्यकता है
हां
बी
नहीं
समाप्त
ए
ए एच क्यू से विधीक्षा के बाद मांगों को प्राप्त करना
क्या मद मुक्त प्रवाह है
नहीं
ड्राफ्ट डिपू लिस्ट तैयार करना
डी जी क्यू ए/पी एस यू/ ई एम ई के साथ चर्चा करना
क्या देशज विकास संभव है
नहीं
ए एच क्यू के माध्यम से आयात कार्रवाई
समाप्त
हां
हां
डिपू की अन्तिम सूची में सम्मिलित करना और अधिप्राप्ति के लिए डी डी पी एस के माध्यम से कार्रवाई
समाप्त
सी एम ए की अनुमोदन
अधिप्राप्ति की कार्रवाई करना
टी पी सी अनुमोदन, यदि लागू है तो
मद की प्रकृति और मूल्य के अनुसार डी जी ओ एफ पर मांग पत्र पी एस यू, डी पी/ बाजार से एल पी पर आपूर्ति आदेश
समाप्त

संलग्नक 'ड.'

सी ओ डी दिल्ली छावनी में बढ़े हुए परिशोधन तत्व के कारण अधिक प्रावधान का एक उदाहरण (डी जी ए डीस के द्वारा संख्या 156/इन्वै/मैनेजमैंट/इंसपैक्शन रिपोर्ट दिनांक 24.4.2000 अन्तर्गत जारी निरीक्षण रिपोर्ट से उद्धरण)

i) पुराने इंजनों (निशानों) की मरम्मत के लिए ओवरहॉल

सेना मुख्यालय में डी जी ओ एस शाखा के पत्र संख्या 22268/प्रावधान पुनरीक्षा निदेशक/05-4 वी दिनांक 22.4.99 के अन्तर्गत जारी एस पी आर डी और उसकी परिशिष्ट 'क' के अनुसार वर्ष 1999-2000 के प्रोग्राम के अनुसार में निशान इंजनों का ओवरहाल कार्यक्रम 3800 वाहनों के लिए था। इंजन पूल एसेम्बली में धारित इंजिनों की संख्या केवल 537 थी, इस प्रकार 3263 इंजनों की कमी थी। इसके परिणामस्वरूप, ओवर हॉल कार्यक्रम के अन्तर्गत ओवरहाल न हो पाने के कारण 3263 वाहन खराब रहेंगे।

परिणामतः निशान वर्ग के वाहनों की संख्या में 3263 की कमी हो हायेगी। निशान 1 टन/जोंगा/डब्ल्यू वाहन की कुल वाहन संख्या 2694 (1688074402621) है। नत्नुसार परिशोधित संशोधित तत्व निम्न प्रकार होगाः

वाहन 2000	पी आर एफ के अनुसार	परिशोधित संशोधन तत्व
98-99	31532 / 31256 = 1.00	26941 / 31256 = 0.862

जैसा कि वर्किंग शीट में दर्शाया गया है, अध्ययन किए गये कुछ चुनिंदा मदों के सम्बन्ध् में घटा हुआ उत्तरदायित्व 33.64 लाख रूपये आंका गया है।.

ii) नये समावेश किये गये वाहनों के लिए रखरखाव उत्तरदायित्व

क) डी जी ओस शाखा/सेना मुख्यालय द्वारा पूर्वी यूरापियत वाहनों के अलावा अन्य के लिए तथा श्रेणी 'व' वाहनों के लिए पत्र संख्या 22268/प्रावधान संशो निदेशक/05-4 बी दिनांक 22.4.99 के अन्तर्गत जारी एस पी आर डी के अनुसार हेनो इंजन सहत शक्तिमान 414 एल आई ए आर (लारी 3 टन 4 x 4 9 एस पी आर एफ संख्या 045) का रखरखाव उत्तरदायित्व 6500 का था जबकि इनकी धारित संख्या 5783 थी अर्थात् 717 वाहनों के लिए अधिक थी।

ख) डिपू ने दिनांक 1.4.99 को प्रावधान पुनरीक्षा के लिए शक्तिमान 415 एल आई ए आर शक्तिमान की कुछ संख्या 24912 को अपनाया है जिसमें उपरोक्त (क) में सदर्भित संख्या 6500 सम्मिलित है, जबकि यह संख्या 24198 (24912-717) होनी चाहिए।

ग) इसी प्रकार मारूति जिप्सी वाहनों 410/413 की वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के लिए रखरखाव उत्तरदायित्व एवं धारित वाहनों की संख्या निम्न प्रकार हैः

ह्यॉडल	1999-2000		1998-99	
	रखरखाव उत्तरदायित्व	धारित संख्या	रखरखाव उत्तरदायित्व	धारित संख्या
एम जी 410	3216	3216	(2730+2)	2700+2)
एम जी 413	1735	400	400	400
कुल	4951	3616	3132	3102

तद्नुसार, परिशोधित संशोधन तत्व निम्न प्रकार होंगेः

वाहन	*पी आर फ के अनुसार*	*धारित संख्या के अनुसार आंके जाने पर*	*संशोधन तत्व में अन्तर*
शक्तिमान	24912 = 0.88 28102	24195 = 0.80 28102	+ 0.08
मारूति जिप्सी	4951 = 1.58 3132	3616 = 1.165 3102	+ 0.415

आंके गये परिणामी अतिरिक्त उत्तरदायित्व की कुछ मदों का चयन करके जांच की गई थी जिनके लिए डिपू ने दिनांक 1.4.99 को प्रावधान किया था। अतिरिक्त उत्तरदायित्व के परिणामस्वरूप शक्तिमान की 33.26 लाख रूपये मूल्य की 7 मदों और मारूति जिप्सी की 34.66 लाख रूपये मूल्य की 11 मदों के भंडार का अधिक प्रावधान हुआ।

****

चुनिंदा भंडारसूची नियंत्रण की संकल्पना

परेटो का सिद्धान्त सामान्यतः बताता है कि कार्यकलापों के एक वर्ग में से कुछ कार्यकलाप या मदों के एक वर्ग में से कुछ मदें तैयार की जाती हैं, क्रय की जाती हैं, बेची जाती हैं या भंडार में रखी जाती हैं वे प्रयोग किये गये या बचाये गये स्त्रोतों के एक बड़े भाग को लेखांकित करती हैं । इस विशेषता को, जिसे 80: 20 का सिद्धान्त भी कहते हैं, अधिकांश भंडारसूची दर्शाती है और इसका खर्चीले, अधिक गतिशील, महत्वपूर्ण या प्राप्त करने में कठिन जैसे मदों की ओर प्रबंधन के प्रयास और ध्यान को केन्द्रित करने के लिए भलीभाँति उपयोग किया जा सकता है ।

इस मूल तकनीक के अनेक विचलन उपलब्ध हैं और अंतरीय विवेचन हेतु भंडारसूची को विभाजित करने के लिए लागू किया जा सकता है ।

सामान्यतः अधिकांश प्रयोग किया जाने वाला परिवर्तन, जिसे ए.बी.सी. विश्लेषण कहते हैं और निधियों के उपयोग की कसौटी पर आधारित है, का वर्णन नीचे दिया गया हैः

ए.बी.सी. विश्लेषण, इस सिद्धान्त का निधियों के उपयोग के अनुसार भंडारसूची को तीन श्रेणियों में विभाजित करने के लिए प्रयोग करता है ।

क मदें, जो कुल भंडारसूची मात्रा का 10% प्रतिनिधित्व करती हैं परन्तु उपयोग मूल्य का लगभग 70% लेखांकन होता हैं, इनके लिए कड़ी नियंत्रण प्रणाली की आवश्यकता है । आदेश की मात्रा और आदेश बिन्दुओं को सावधानीपूर्वक निर्धारित किया जाना चाहिए । यथार्थता दर्ज करने पर गंभीरता से ध्यान दिया जाना चाहिए । प्रत्येक बार आदेश प्रस्तुत किये जाने पर विचलनों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।

ख मदें, जो कुल भंडारसूची मात्रा का लगभग 20% हैं और वार्षिक उपयोग मूल्य के 20% का लेखांकन होता है । इनके लिए सामान्य नियंत्रण की आवश्यकता है । विचलनों का समयावधि में पुनरीक्षा की जानी चाहिए ।

ग मदें भंडारसूची की शेष 70% हैं जो उपयोग मूल्य की लगभग 10% हैं । अपेक्षाकृत शिथिल नियंत्रण की आवश्यकता है और इनके मामले में यदा-कदा पुनरीक्षा पर्याप्त है ।

इस तकनीक के अन्य विचलन महत्वपूर्ण, आवश्यक और वाँछित (वी.ई.डी.) हैं । यह वर्गीकरण मदों की समीक्षात्मकता और उनके गतिशील, धीमें एवं अगतिशील (एफ.एस.एन.) होने पर आधारित है जहाँ गति पैटर्न उनका वर्गीकरण निर्धारित करता है । ये वर्गीकरण पृथक-पृथक या एक दूसरे के साथ प्रयोग किये जा सकते हैं ।

भंडारसूची नियंत्रण प्रणालियाँ

भंडारसूची नियंत्रण प्रणालियों में दो मुख्य विचलन हैं । आदेश मात्रा और आदेश देने की बारंबारता हैं । **निरंतर पुनरीक्षा प्रणाली** आदेश के आकार को स्थिर रखता है और माँग आवश्यकता के अनुसार आदेश की बारंबारता में उतार-चढ़ाव होने देता है । **सामयिक पुनरीक्षा प्रणाली** एक निश्चित आदेश समय स्थापित करके आदेश देने की बारंबारता को स्थिर रखती है और माँग आवश्यकता के अनुसार आदेश मात्रा में उतार-चढ़ाव होने देती है ।

निरंतर पुनरीक्षा प्रणाली

- प्रत्येक लेन-देन (या निरंतर) के उपरान्त भंडारण स्थिति मानीटर की जाती है ।
- जब भंडारण स्थिति आर.ओ.पी. बिन्दु तक गिर जाती है तो एक निश्चित मात्रा क्यू के लिए आदेश दिया जाता है ।
- उच्च मूल्य की मदों जिनके लिए गंभीरता से ध्यान दिया जाता है, के लिए सर्वोत्तम है ।

लाभ

- एक कुशल, लाभदायक आदेश मात्रा ।
- केवल लीड-टाइम अवधि के लिए सुरक्षित भंडारण (एस.एस.) की आवश्यकता ।
- मंद गति वाले मदों पर कम ध्यान ।
- पूर्वानुमान और पैरामीटर परिवर्तन के सम्बंध में अपेक्षाकृत असंवेदनशील ।

हानियाँ

- भंडारण में भंडारसूची के निरंतर लेखापरीक्षा की आवश्यकता ।
- आर्थिक व्यवस्था को रोकती है जो एक आपूर्तिकर्त्ता से एक आदेश पर अनेक मदों के इकट्ठे करने के कारण होती है ।

सामयिक पुनरीक्षा प्रणाली

- एक निश्चित अन्तराल में भंडारण स्थिति की पुनरीक्षा की जाती है ।

- प्रत्येक पुनरीक्षा के उपरान्त लक्ष्य भंडारसूची टी घटाया भंडारण स्थिति के बराबर राशि के लिए आदेश देना ।

- भंडारसूची नियंत्रण के लिए सामयिक प्रणाली उत्तम है जहाँ एक केन्द्रीय आपूर्तिकर्त्ता होता है और मदें महंगी होती है ।

- निरंतर प्रणाली की तुलना में:

    1. इसमें लिखित बिन्दु नहीं है परन्तु लक्ष्य भंडारसूची है ।
    2. इसमें एक ई.ओ.क्यू. नहीं है क्योंकि माँग के अनुसार मात्रा में अन्तर आ जाता है ।
    3. आदेश अन्तराल निश्चित है न कि आदेश मात्रा ।

लाभ

- एक ही आपूर्तिकर्त्ता को बहु-मदों के लिए आदेश दिया जा सकता है तथा एक ही नौभार द्वारा सुपुर्दगी दी जा सकती है ।
- निर्धारित समय में संपूर्ति होने के कारण कम रिकार्ड का रखना ।

हानियाँ

- पुनरीक्षा अवधि एवं अन्तरिम समय दोनों में ही माँगों में उतार-चढ़ाव से बचाव हेतु सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है ।
- परिणामतः निरंतर प्रणाली की तुलना में इस प्रणाली में एक बड़े सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है ।

संलग्नक 'छ'

वर्ष 1994-99 के दौरान डिपुओं द्वारा धारित कुल पी आर एफ से मांग वाली मदों की प्रतिशतता

वर्ष	सी ओ डी आगरा			सी ओ डी दिल्ली छावनी			सी ओ डी जबलपुर			सी ओ डी कानपुर			सी ए एफ वी डी किरकी		
	पी आर एफ की कुल संख्या (टी पी एच)	मांग वाली मदें (डी बी आई)	प्रतिशतता (पी)	टी पी एच	डी बी आई	पी	टी पी एच	डी बी आई	पी	टी पी एच	डी बी आई	पी	टी पी एच	डी बी आई	पी
1994-95	180227	12340	6.85	73798	उपलब्ध् नहीं	उपलब्ध् नहीं	46599	3073	6.59	7397	676	9.14	71395	7057	9.88
1995-96	181389	11709	6.46	73798	6869	9.3	45846	5433	11.85	7341	630	8.58	68149	11905	17.47
1996-97	186703	17968	9.62	75602	4117	5.4	47498	5392	11.35	7338	632	8.61	67084	12072	18
1997-98	181809	18478	10.16	85030	3734	4.4	47291	5111	10.81	7321	661	9.03	65729	8341	12.70
1998-99	166980	12355	7.4	79507	3537	4.4	48000	6785	14.14	7207	659	9.14	65729	6408	9.7

(स्त्रोतः डिपुओं द्वारा प्रावधान के सम्बन्ध में सेना मुख्यालय को भेजी गई रिपोर्टें)

संलग्नक 'ज'

वर्ष 1994-99 के दौरान डिपुओं में भंडार सत्यापन का विवरण

वर्ष	सी ओ डी आगरा			सी ओ डी दिल्ली छावनी			सी ओ डी जबलपुर			सी ओ डी कानपुर			सी ए एफ वी डी किरकी		
	कुल मदें (टी आई)	सत्यापित मदें (आई बी)	विसंगतियां (डी)	टी आई	आई बी	डी	टी आई	आई बी	डी	टी आई	आई बी	डी	टी आई	आई बी	डी
1994-95	127310	127310	300	73798	73798	106	54910	54910	1221	5875	5875	6	44049	44049	264
1995-96	128953	128953	331	72126	72126	73	55177	55177	1847	5784	5784	24	44485	44485	108
1996-97	128727	128727	128	75602	75602	129	53238	51937	2048	5611	5611	206	46338	46338	शून्य
1997-98	129093	129093	68	85030	85030	234	56488	56488	1159	5778	5778	112	47437	47437	13
1998-99	132171	132171	174	79507	79507	1026	58133	58133	2053	5893	5893	14	47835	47835	401

संलग्नक- 'ञ'

आर एस एस डी/ एम एस एस डी द्वारा धारित मरम्मत योग्य और मरम्मत के लिए उपलब्ध भंडारों का विवरण

डिपू का नाम	1994-95					1995-96					1996-97					1997-98					1998-99				
	मरम्मत योग्य	ाथमिकत सूची में सम्मिलित	मरम्मत किए गए	कुल धारण के संदर्भ में प्रतिशत	प्राथमिकता के संदभ में मरम्मत की प्रतिशतता	मरम्मत योग्य	ाथमिकत सूची में सम्मिलित	मरम्मत किए गए	कुल धारण के संदर्भ में प्रतिशत	प्राथमिकता के संदभ में मरम्मत की प्रतिशतता	मरम्मत योग्य	ाथमिकत सूची में सम्मिलित	मरम्मत किए गए	कुल धारण के संदर्भ में प्रतिशत	प्राथमिकता के संदभ में मरम्मत की प्रतिशतता	मरम्मत योग्य	ाथमिकत सूची में सम्मिलित	मरम्मत किए गए	कुल धारण के संदर्भ में प्रतिशत	प्राथमिकता के संदभ में मरम्मत की प्रतिशतता	मरम्मत योग्य	ाथमिकत सूची में सम्मिलित	मरम्मत किए गए	कुल धारण के संदर्भ में प्रतिशत	प्राथमिकता के संदभ में मरम्मत की प्रतिशतता
सी ओ डी दिल्ली	3866.7	1462.3	81	2.09	5.54	4035.6	1723.5	90.3	2.24	5.24	4727.6	2402.9	56.8	1.2	2.36	5670.5	3368.7	453.4	7.99	13.46	5390.8	3089.5	181.8	3.37	57.88
सी ए एफ वी डी किरकी	2068.3	291.26	32.1	1.55	11.0	2219.3	256.6	5.8	0.26	2.2	2277	238.6	22.3	0.98	9.3	2288.4	240.2	15.1	0.66	6.3	2381.3	131.9	55.2	2.32	41.8
सी ओ डी कानपुर	509	193	42	8.25	21.76	519	198	25	4.81	12.63	328	123	100	30.4	81.3	179.8	78	14.9	8.2	19.1	152.5	84.8	29.6	19.4	34.9
सी ओ डी आगरा	1319	1318	374	28.35	28.38	1277	1276	277.23	21.71	21.73	1216	1215	268.37	22.07	22.09	535	534	88.76	16.59	16.62	495	495	209.9	422.4	42.24
सी ओ डी जबलपुर	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2-39	उपलब्ध नहीं

(स्त्रोतः डी जी ओ एस का सांख्यिकीय सार)

संलग्नक ' ट'

डिपुओं द्वारा धारित भंडारों का स्तरीकरण

(मूल्य लाख रूपये में)

डिपू का नाम	भंडार की प्रकार	सैम्पिल की मात्रा	पर्याप्त भंडारण अवधि									
			10 वर्षों तक		10-50 वर्ष		50-100 वर्ष		100 वर्षों के बाद		अनिश्चित काल	
			मदों की संख्या (एन)	मूल्य (वी)	एन	वी	एव	वी	एन	वी	एन	वी
सी ओ डी आगरा	रेडियो सैट	63	8 (12%)	1.38	31(49%)	264.22	11	172.23	12	377.46	1	0.25
	राडार	16	11 (69%)	41.12	4 (2.5%)	22.02	1 (6%)	0.16	-	-	-	-
	सिग्नल उपस्कर	13	4 (31%)	0.19	5 (38%)	0.18	4 (31%)	0.97	-	-	-	-
औसत												
सी ओ डी दिल्ली छावनी	एम टी भंडार	201	25 (13%)	39.85	51 (25%)	291.67	21 (10%)	161.59	74 (37%)	338.58	30 (15%)	181.31
सी ओ डी जबलपुर	आर्टीलरी	21	-	-	-	-	-	-	21 (100%)	36.02	-	-
	लघु शस्त्र	13	-	-	1 (8%)	0.97	-	-	12 (92%)	45.39	-	-
औसत												
सी ए एफ वी डी किरकी	टी-72	54	-	-	18 (33%)	85.62	13 (24%)	43.37	19 (35%)	72.15	4 (8%)	123.29
	बी एम पी	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50 (100%)	59.00
	टी-55	6	-	-	-	-	2 (33%)	4.2	3 (50%)	6.82	1 (17%)	1.47
कुल		**437**	**48**	**82.35**	**110**	**664.68**	**52**	**382.52**	**141**	**876.42**	**86**	**365.32**

संलग्नक ' ठ'

निपटान किये गये फालतू भंडार और निपटान के लिए शेष भंडार

(मूल्यः लाख रूपये में)

वर्ष	डिपुर्ये											
	सी ओ डी आगरा			सी ओ डी दिल्ली छावनी			सी ओ डी कानपुर			सी ए एफ वी डी किरकी		
	निपटान किया		निपटान के लिए धारित टन भार	निपटान किया		निपटान के लिए धारित टन भार	निपटान किया		निपटान के लिए धारित टन भार	निपटान किया		निपटान के लिए धारित टन भार
	टन भार	मूल्य		टन भार	मूल्य		टन भार	मूल्य		टन भार	मूल्य	
1994-95	' शून्य'	' शून्य'	1000.0	1881.0	172.6	29.6	200.0	21.1	267.0	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	1968.0
1995-96	841.0	149.1	851.5	614.0	65.35	987.0	161.0	35.9	334.0	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	2022.3
1996-97	852.0	167.3	177.6	1256.0	584.4	613.0	226.0	54.0	281.0	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	1961.4
1997-98	706.0	191.0	680.2	शून्य	शून्य	596.0	323.0	26.8	403.0	उपलब्ध नही	उपलब्ध नही	1930.2
1998-99	1245.0	198.3	555.7	शून्य	शून्य	738.0	78.0	16.6	393.0	149.0	32.0	1096.5
	3644	**705.7**		**3751**	**822.25**		**988**	**154.4**		**149**	**32**	

(स्त्रोतः डी जी ओ एस का सांख्यिकीय सार)

1994-95 से 1998-99 तक का सार

डिपू	निपटान किया		निपटान के लिए धारित टनभार
	टन भार	मूल्य	
सी ओ डी आगरा	3644	705.7	555.7
सी ओ डी दिल्ली छावनी	3751	822.25	738.0
सी ओ डी कानपुर	988	154.4	393.0
सी ए एफ वी डी किरकी	149	32	1096.5
कुल	**8532**	**1714.35**	**2783.2**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 1991 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (1992 की संख्या 14) संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) थल सेना कार्यशालाएं के पैराग्राफ 6 का उद्धरण

लक्ष्य एवं उत्पादन

6.1 प्रत्येक कार्यशाला टी जी ई एम ई से मरम्मत/ ओवरहॉल किये जाने वाले वाहनों ('ए' और 'बी दोनों'), उपस्करों, इंजनों, श्स्त्रास्त्र, गनों तथा कार्य निर्माण/ विनिर्माण की संख्या के बारे में 3-5 वर्ष की नियोजित अवधि के लिए कार्यक्रम प्राप्त करती है जिसमें कार्यक्रम के प्रारम्भिक वर्ष के दौरान प्राप्त किये जाने वाले लक्ष्य भी दर्शाये जाते हैं। प्रथम वर्ष के लिए कार्यक्रम निर्धारित और निश्चित होते हैं जबकि तदनन्तर वर्षों के लिए लक्ष्य नियोजित और पूर्वानुमानित आंकड़ों की प्रकृति के होते हैं ताकि आवश्यक रखरखाव/ ओवरहॉल के लिए पुर्जों इत्यादि का अग्रिम प्रावधान किया जा सके। इन कार्यक्रमों के आधार पर प्रत्येक कार्यशाला सहायक इकाईयों से मरम्मत योग्य मदों की मांग करती है। इस प्रणाली में कार्यशालाओं से सम्बद्ध आयुध भंडार अनुभाग द्वारा आयुध भंडार डिपुओं से भंडार की व्यवस्था का प्रावधान है। आयुध भंडार डिपुओं से प्राप्त अनुपलब्धता प्रमाण पत्र के आधार पर आवश्यकतानुसार कार्यशालाएं सामग्री का स्थानीय क्रय भी करती है। **इस प्रकार चालू वर्ष का कार्यक्रम सभी निदेशों की उपलब्धता के संदर्भ में अपडेट किया जाता है, क्योंकि सभी आवश्यकताओं को निश्चित करने हेतु चार वर्ष का समय रखा गया है। आयुध प्रक्रिया भी इसमें सहायक है जिसमें भंडार के आवश्यक भण्डारण कार्यक्रम का प्रावधान है। कार्यशालाओं की निष्पादन क्षमता, उत्पादन औरसमग्र उत्पादन श्रमघंटों में अनुपातिक रूप में दर्शायी जाती है। उत्पादन, ई एम ई द्वारा तैयार किये गये तथा सरकार द्वारा अनुमोदित प्रत्येक गतिविधि का मानदण्ड और मरम्मत/ ओवरहॉल/ निर्माण की गई इकाईयों की संख्या का गुणनफल होता है।**

6.2 लक्ष्यों एवं उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:-

ल=लक्ष्य, उ=उत्पादन, ग=गिरावट

आर्मी बेस कार्यशाला का नाम	उपस्कर का प्रकार	1987-88			1988-89			1989-90			1990-91		
		ल	उ	ग	ल	उ	ग	ल	उ	ग	ल	उ	ग
'ए'	'ए' वाहन का ओवरहॉल	91	62	29	80	84	-	90	53	37	80	11	69
	'ए' वाहन इंजन का ओवरहॉल	406	402	4	450	338	112	355	246	109	485	135	350
	'बी' वाहन इंजन का ओवरहॉल	250	257	-	300	278	22	513	385	128	510	436	74

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मार्च 1999 को समाप्त वर्ष के लिए प्रतिवेदन (2000 की संख्या 7) संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) थलसेना और आयुध फैक्टरियाँ के पैराग्राफ 19 का उद्धरण

समुन्नत युद्ध क्षमताओं, संचलन और नाभिकीय विकिरण से सुरक्षा उपलब्ध कराने मे सक्षम इन्फैन्ट्री यौद्धी वाहनों (बी एम पी) को थलसेना में 1977 में प्रवर्तित किया गया था। बी एम पी-। के अधिकांश बेड़े का 1981-85 में आयात किया गया था। बी एम पी- ।। नामक बी एम पी का समुन्नत संस्करण 1986 में सेवाओं में प्रवर्तित किया गया था। बी एम पी -।। बेड़े के 24 प्रतिशत का 1986-90 में आयात किया गया था और 76 प्रतिशत का 1988-99 के बीच देश में निर्माण किया गया था।

ओवरहॉल सुविधाएं 1986 में संस्वीकृत की गई थीं तथा प्रवर्तन दर में कमी और प्रथम ओवरहॉल 8वें वर्ष के स्थान पर 12वें वर्ष में कर दिये जाने के कारण, संस्वीकृति स्थगति कर दी गई थी। मंत्रालय ने एक विद्यमान कार्यशाला में मार्च 1998 तक ओवरहॉल सुविधाओं की स्थापना हेतु छः वर्ष उपरान्त वर्ष 1994 में नई संस्वीकृति जारी की। बी एम पी-। वाहन के सेवा में प्रवर्तन के 15 से 19 वर्ष बाद भी ओवरहॉल सुविधाएं अभी स्थापित की जानी थीं।